अष्टम माला, खंड 9, अंक 24

सोमवार, 26 अगस्त, 1985
4 भाद्र, 1907 (शक)

# लोक सभा वाद-विवाद

# का

# हिन्दी संस्करण

तीसरा सत्र
(आठवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Acc. No. 55
Date 6/8/85

(खंड 9 में अंक 21 से 26 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी । उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा ।)

# विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 9, तीसरा सत्र, 1985/1907 (शक)

अंक 24, सोमवार, 26 अगस्त, 1985/4 भाद्र, 1907 (शक)


| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| सभा-पटल पर रखे गए पत्र | 6—10 |
| राज्य सभा से संदेश | 10 |
| लोक लेखा समिति | 11 |
| पांचवां प्रतिवेदन | |
| लोक पाल विधेयक—पुरःस्थापित | 11—12 |
| नियम 377 के अधीन मामले | 13—16 |
| (एक) सातवीं योजना अवधि के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों द्वारा बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ दिये जाने की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता | |
| कुमारी पुष्पा देवी | 13 |
| (दो) कर्नाटक में नारियल संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र | |
| श्री जी० एस० बसवराजू | 13 |
| (तीन) सातवीं योजना के दौरान बांसपानी-जखपुरा रेल लाइन के दूसरे और तीसरे चरणों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का आबंटन | |
| श्री हरिहर सोरन | 13 |
| (चार) केरल के अंतर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना | |
| डा० के० जी० अदियोडी | 14 |
| (पांच) राजस्थान में हनुमानगढ़ में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना | |
| श्री बीरबल | 14 |
| (छः) प्रदूषण को रोकने के लिए दरधाना शुगर मिल्स का गन्दा पानी चूर्णी नदी में डाले जाने से पहले भली-भांति साफ कर दिया जाये यह सुनिश्चित करने के [illegible]गलादेश के साथ यह मामला उठाना | |
| श्रीमती [illegible]भा घोष गोस्वामी | 15 |
| (सात) गन्ने का लाभकारी मूल्य | |
| श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव | 15 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| (आठ) कलकत्ता व हावड़ा नगरों के विकास के लिए परियोजना तैयार करने के उद्देश्य से हावड़ा औद्योगिक नगर विकास प्राधिकरण स्थापित करना | |
| श्री प्रिय रंजन दास मुंशी | 16 |
| **रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक** | 16—31 |
| विचार करने के लिये प्रस्ताव | |
| श्री आर० जीवरत्न | 17 |
| श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव | 18 |
| श्री के० प्रधानी | 20 |
| श्री अजित कुमार साहा | 21 |
| श्री चिन्तामणि जेना | 22 |
| श्री मूल चन्द डागा | 24 |
| श्री पी० अप्पालानरसिंहम | 26 |
| श्री बंसी लाल | 27 |
| खंड 2 से 19 तथा 1 | 30 |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री बंसी लाल | 30 |
| **इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक** | 31—138 |
| विचार करने के लिये प्रस्ताव | |
| श्री कृष्ण चन्द्र पन्त | 31 |
| श्री आनन्द गजपति राजू | 36 |
| प्रो० एन० जी० रंगा | 37 |
| श्री हरद्वारी लाल | 40 |
| डा० सुधीर राय | 44 |
| श्री अजीज कुरैशी | 46 |
| प्रो० नारायण चन्द पराशर | 49 |
| श्री पी० कुलनदईवेलु | 52 |
| डा० फूलरेणु गुहा | 55 |
| श्री हुसेन दलवाई | 67 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| श्री एस० जयपाल रेड्डी | 59 |
| श्रीमती चन्द्रेश कुमारी | 61 |
| कुमारी ममता बनर्जी | 63 |
| श्रीमती गीता मुखर्जी | 65 |
| श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी | 67 |
| श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह | 69 |
| श्री डी० बी० पाटिल | 71 |
| श्री एन० टोम्बी सिंह | 73 |
| प्रो० पी० जे० कुरियन | 74 |
| श्री अमर रायप्रधान | 77 |
| श्री गिरधारी लाल व्यास | 79 |
| श्रीमती वैजयन्ती माला बाली | 81 |
| श्री के० रामचन्द्र रेड्डी | 82 |
| श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन | 84 |
| श्री के० एस० राव | 86 |
| श्री उमाकान्त मिश्र | 88 |
| डा० गौरी शंकर राजहंस | 90 |
| श्री सोमनाथ रथ | 91 |
| श्री सैफुद्दीन चौधरी | 92 |
| खंड 2 से 40 तथा 1 | 105—138 |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री कृष्ण चन्द्र पन्त | 138 |
| प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक | 138—143 |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री जियाउर्रहमान अंसारी | 138 |
| श्री पूर्ण चन्द्र मलिक | 140 |

| विषय | पृष्ठ |
|---|---|
| खंड 2 से 9 तथा 1 | 142—143 |
| पारित करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री जियाउर्रहमान अंसारी | 143 |
| स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ विधेयक | 143—149 |
| विचार करने के लिए प्रस्ताव | |
| श्री जनार्दन पुजारी | 143 |
| श्री मनोज पांडे | 147 |

# लोक सभा

सोमवार, 26 अगस्त, 1985/4 भाद्र, 1907 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : अध्यक्ष महोदय, मैं एक अत्यन्त गम्भीर मामला उठा रहा हूं। कृपया हमारी बात धैर्यपूर्वक सुनें।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपने सूचना दी है?

**प्रो० मधु दण्डवते** : जी हां, मैंने सूचना दी है। महोदय, मेरे पास संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय है। कृपया संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय के अनुच्छेद 32 और 33 को पढ़िए.....

**अध्यक्ष महोदय** : हमने इस पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : यह शरणार्थियों की स्थिति के बारे में है। महोदय, श्रीलंका के तमिलों के दो महत्वपूर्ण नेता एस० सी० चन्द्रहासन और डा० ए० एस० बालसिंहम् को देश से निकाल दिया गया है और उन्हें संयुक्त राष्ट्र संघ अभिसमय के अनुच्छेद 31, 32 और 33 का उल्लंघन करके देश से निकाला गया है। महोदय, आपकी सूचनार्थ मैं संयुक्त राष्ट्र अभिसमय की प्रति भी लाया हूं। महोदय, आप जब उन्हें उनकी सहमति के बिना देश से निकाल कर एक ऐसे देश में भेजते हैं जो उनका मूल देश नहीं है अथवा स्वदेश नहीं है तो यह उनके साथ दोहरा अन्याय है और अनुच्छेद 32 और 33 का दोहरा उल्लंघन है।

**अध्यक्ष महोदय** : कृपया सुनिये।

**प्रो० मधु दण्डवते** : अतः मैं चाहता हूं कि कम-से-कम मंत्री महोदय तो वक्तव्य दें। सम्पूर्ण तमिलनाडु में आन्दोलन चल रहे हैं। हजारों लोगों ने बाहर सड़कों पर आकर विरोध प्रकट किया है। महोदय, मैं चाहता हूं कि मंत्री महोदय वक्तव्य दें।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने आपकी बात सुन ली है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : महोदय, अन्यथा मेरा स्थगन प्रस्ताव स्वीकार कीजिए।

**श्री एन० वी० एन० सोमू** (मद्रास उत्तर) : ऐसा पिछले दो वर्ष से हो रहा है। सरकार मूक दर्शक बनी हुई है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह मूक दर्शक बिल्कुल नहीं है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कम से कम उन्हें उत्तर देने दीजिए।

**प्रो० मधु दण्डवते** : मैंने पर्याप्त विकल्प दिया है ध्यानाकर्षण, स्थगन प्रस्ताव, 184, 193.

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे कम से कम उन्हें उत्तर देने दीजिए। आप सुनते क्यों नहीं ? मुन्शी जी मुझे कुछ कहने दीजिए।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : ईश्वर के लिए कृपया मेरी बात सुनिए। मुझे कुछ कहना है, कृपया सुनिये। प्रोफेसर साहब सुनिए। सर्वप्रथम, आपने जो कुछ कहा है, उन सभी तथ्यों की मुझे जांच करानी है। कुछ तथ्यों का मैंने पता लगाया है। भारत ने शरणार्थियों से सम्बन्धित अभिसमय पर अभी हस्ताक्षर नहीं किये हैं। परन्तु अभी गृह मंत्री भी यहां नहीं हैं - मुझे जैसे ही आपका पत्र मिला, मैंने उनसे सम्पर्क करने का प्रयास किया।

**प्रो० मधु दण्डवते** : महोदय, यह गलत है। जहां तक परम्परा का सम्बन्ध है.....

**अध्यक्ष महोदय** : परम्परा है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : सारा विश्व इसका सम्मान करता है।

**अध्यक्ष महोदय** : हो सकता है। परन्तु आपको उस पर हस्ताक्षर करने होंगे। और दूसरे मुझे यह देखना होगा कि उन्हें देश से कैसे और क्यों निकाला गया। ये सभी बातें उठेंगी।

**प्रो० मधु दण्डवते** : इन सब बातों में समय लगेगा। महोदय ये सब बातें इस 'पुस्तक' में हैं... महोदय...

**अध्यक्ष महोदय** : मैं देखूंगा। मैं इसको देखूंगा। इसलिए मैंने कहा है कि मुझे इसे देखना पड़ेगा और मैं गृह मंत्री से सम्पर्क स्थापित करूंगा।

**श्री एन० वी० एन० सोमू** : महोदय, आज भी 22 तमिलों की हत्या की गई है। (व्यवधान)

**प्रो० मधु दण्डवते** : कृपया मंत्री जी को कम से कम वक्तव्य देने के लिए तो कहें।

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे उनसे सम्पर्क करने दीजिए।

**प्रो० मधु दण्डवते** : क्या वह महसूस नहीं करते कि ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर सभा में उन्हें स्वतः वक्तव्य देना चाहिए ? विश्व की घटनाओं के प्रति वे इतने उदासीन क्यों हैं ?

**श्री एन० वी० एन० सोमू** : अध्यक्ष महोदय, आज भी 22 तमिलों की हत्या की गई है। यह सिलसिला जारी है। पिछले दो वर्षों से केन्द्र सरकार मूक दर्शक बनी हुई है।

**अध्यक्ष महोदय** : केन्द्र सरकार अपनी ओर से पूर्ण प्रयास कर रही है। हम सब चिन्तित हैं, और वे बातचीत कर रहे हैं। मैं देखूंगा। वे कुछ कर रहे हैं।

**श्री एन० वी० एन० सोमू** : उन्होंने केवल तमिल नेताओं को देश निकाला नहीं दिया है बल्कि तमिल लोगों की आशाओं पर पानी फेर दिया है।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं जानता हूं। सबको दुःख हुआ है।

**श्री एन० बी० एन० सोमू** : महोदय, इस पर आज अवश्य ही विचार किया जाना चाहिए।

**अध्यक्ष महोदय** : इस पर आज विचार नहीं हो सकता।

**श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम)** : महोदय, श्री दण्डवते ने जो मामला उठाया है, उसके अतिरिक्त मैंने ध्यानाकर्षण की सूचना दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : वह कुछ नहीं है। मैं इसकी जांच करूंगा।

**श्री एन० बी० एन० सोमू** : यह एक अत्यन्त महत्वपूर्ण समस्या है। पिछले दो वर्षों से वे केवल मूक दर्शक बने हुए हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : आप मुझे दीजिए। मैं विचार करूंगा। हां, मुन्शी जी।

**श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी (हावड़ा)** : अध्यक्ष महोदय, मैंने भी सूचना दी है। सम्पूर्ण सभा इससे सहमत होगी। समाचार पत्रों में एक गम्भीर समाचार प्रकाशित हुआ है।

**अध्यक्ष महोदय** : क्या आपने कोई सूचना दी है?

**श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : जी हां।

**अध्यक्ष महोदय** : कौन-सी सूचना?

**श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : मैंने ध्यानाकर्षण की और एक विशेष सूचना दी है।

**अध्यक्ष महोदय** : किस सम्बन्ध में?

**श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : बोईंग 737·····

**अध्यक्ष महोदय** : मैं देखूंगा। हम पता लगाएंगे।

**श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : इसे नीचे उतारा गया है। लोग आतंकित हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : हम देखेंगे।

**प्रो० के० के० तिवारी (बक्सर)** : महोदय, पिछली बार मैंने यूनियन आफ सिविल लिबर्टीज के बारे में मामला उठाया था।

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने केवल गृह मंत्री से पूछा है। मुझे अभी तक उत्तर नहीं मिला है।

**(व्यवधान)**

**प्रो० के० के० तिवारी** : महोदय, उनके द्वारा प्रकाशित पुस्तक में महत्वपूर्ण राजनीतिज्ञों और व्यक्तियों के नाम हैं·····

**अध्यक्ष महोदय** : मैं विचार कर सकता हूं, और कुछ नहीं।

**प्रो० के० के० तिवारी** : यह हत्या किए जाने वाले लोगों (हिट लिस्ट) की सूची बन गई है। वे विदेशी एजेन्टों की तरह काम कर रहे हैं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं देखूंगा। मैं जो कुछ कर सकता था पहले ही कर चुका हूं।

**प्रो० के० के० तिवारी** : महोदय, वे विदेशी एजेन्टों की तरह काम कर रहे हैं। (व्यवधान) वहां कुछ नक्सलवादी भी हैं। सभी प्रकार के तत्वों को सम्मिलित किया गया था·····(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, यह एक बहुत गम्भीर मामला है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैंने दे दिया है, आप देखिए·····

(व्यवधान)

**प्रो० के० के० तिवारी** : वहां नक्सलवादी भी हैं। वे देश में अस्थिरता पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : श्री तिवारी जी, आप सुनेंगे नहीं ?

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आप क्या कर रहे हैं ? आप सुनते नहीं। मैंने कहा है कि मैं जो कुछ उपाय कर सकता था, कर दिए हैं। मैंने गृह मंत्री से सूचना देने के लिए कहा है। मैंने बहुत पहले कह दिया था और अब स्मरण भी करा दिया है। उन्हें कुछ जानकारी देने दीजिए।

(व्यवधान)

**प्रो० मधु दण्डवते** : क्या आप यह विनिर्णय दे रहे हैं कि कोई भी गैर सरकारी निकाय जांच नहीं कर सकता ? जलियांवाला बाग की जांच गैर-सरकारी निकाय द्वारा की गई थी·····(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं कोई विनिर्णय नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : कुछ गड़बड़ हो रही है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : आपमें से एक बोल सकता है।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : अब आप दूसरों को क्यों नहीं बोलने देते ? मंत्री महोदय, आपके सदस्य ठीक व्यवहार नहीं कर रहे हैं।

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** (कन्नानोर) : महोदय, केरल में पिछले दो दिनों से सम्पूर्ण टेलीफोन व्यवस्था ठप्प पड़ी है इसका कारण है·····

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पता लगाऊंगा। उन्होंने पहले ही कहा है। मैं पता लगाऊंगा।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं पता लगाऊंगा।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : मैं मंत्री महोदय से पता लगाऊंगा। मैंने उनसे यही कहा है।

**श्री एन० बी० एन० सोमू** : पिछले एक सप्ताह से मैं दे रहा हूं···(**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : मैं आपके साथ हूं।

**श्री एन० बी० एन० सोमू** : हमारी भावनाओं का सम्मान नहीं किया जाता।

**अध्यक्ष महोदय** : आप यह क्यों नहीं समझते कि कुछ किया जा रहा है ?

**श्री एन० बी० एन० सोमू** : तमिलों ने इच्छा व्यक्त की थी कि·····

**अध्यक्ष महोदय** : वह ठीक है। हम उससे कुछ अधिक ही कर रहे हैं।

**श्री एस० सिंगरावडीवेल** (तंजावुर) : महोदय, समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि श्रीलंका के सैनिक हमारे देश की जल सीमा में घुस आये और उन्होंने हमारे मछुआरों पर आक्रमण किया था और अपने साथ एक मछुआरा ले गए थे। यह एक गम्भीर मामला है।

**(व्यवधान)**

**अध्यक्ष महोदय** : हम पता लगाएंगे।

अब सभा पटल पर रखे गए पत्र। श्री बूटा सिंह।

**श्री एन० बी० एन० सोमू** : महोदय, मैं बहिर्गमन कर रहा हूं।

**11.07 म० पू०**

**इस समय श्री एन० बी० एन० सोमू सभा से बाहर चले गए।**

———

11.07 म० पू०

## सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

**भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन और इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण, नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया, राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद, नेशनल फैडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड के वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन, वार्षिक लेखे तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों का विवरण**

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : महोदय, मैं श्री बूटा सिंह की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :

(1) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन (भाग-II—प्रशासन तथा वित्त) की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1400/85]**

(3) (एक) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल कोआपरेटिव यूनियन आफ इण्डिया, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

**[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1401/85]**

(5) (एक) राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय सहकारिता प्रशिक्षण परिषद्, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1402/85]

(7) (एक) नेशनल फैडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नेशनल फैडरेशन आफ अर्बन कोआपरेटिव बैंक्स एण्ड सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नेशनल फैडरेशन आफ अर्बन कापरेटिव बैंक एण्ड क्रेडिट सोसाइटीज लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1403/85]

**श्री एस० तिरावडीवेल** (तंजावुर) : महोदय, यह एक गंभीर मामला है। सरकार को कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

(व्यवधान)

**श्री संफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : भोपाल गैस कांड के सम्बन्ध में एक जांच आयोग का गठन किया गया है।

**अध्यक्ष महोदय** : किसके द्वारा ?

**श्री संफुद्दीन चौधरी** : सरकार द्वारा।

**अध्यक्ष महोदय** : तब तो ठीक है।

**श्री संफुद्दीन चौधरी** : अब मध्य प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार की अन्य एजेंसियां उनके साथ सहयोग नहीं कर रही हैं। (व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : मुझे नहीं मालूम। कुछ दीजिए।

(व्यवधान)

**अध्यक्ष महोदय** : चौधरी जी मैं तत्काल उत्तर नहीं दे सकता। मुझे मालूम नहीं है।

**श्री संफुद्दीन चौधरी** : मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव दिया था।

**अध्यक्ष महोदय** : अच्छा तो, मुझे पता लगाने दें ।

**श्री संफुद्दीन चौधरी** : आप मंत्री जी को उनसे सहयोग करने के लिए कहिए । (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : पता लगाने के बाद मैं आपको बताऊंगा । अब, राव बीरेन्द्र सिंह जी ।

(**व्यवधान**)

**प्रो० मधु दण्डवते** : महोदय, केवल यही करिए···(**व्यवधान**)···के बारे में हमें विनिर्णय दीजिए । (**व्यवधान**)

**अध्यक्ष महोदय** : महोदय, चलिए देखते हैं ।

**धान कुटाई उद्योग (विनियमन और आनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1985 तथा नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फैडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, सुपर बाजार, दि कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के वार्षिक प्रतिवेदन और कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों का विवरण**

**खाद्य तथा नागरिक पूर्ति मंत्री (राव बीरेन्द्र सिंह)** : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) धान-कुटाई उद्योग (विनियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 22 की उपधारा (4) के अन्तर्गत, धान-कुटाई उद्योग (विनियमन और आनुज्ञापन) संशोधन नियम, 1985 की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण), जो भारत के राजपत्र में 5 अगस्त, 1985 को अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 635(अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[**ग्रंथालय में रखी गई । देखिए संख्या एल० टी० 1404/85**]

(2) (एक) नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फैडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे ।

(दो) नेशनल कोआपरेटिव कन्ज्यूमर्स फैडरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

[**ग्रंथालय में रखा गया । देखिए संख्या एल० टी० 1405/85**]

(4) (एक) दि सुपर बाजार, दि कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे ।

(दो) दि सुपर बाजार, दि कोआपरेटिव स्टोर लिमिटेड, नई दिल्ली, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(5) उपर्युक्त (4) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी० 1406/85]

**ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा तथा इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों का एक विवरण**

**पेट्रोलियम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नवल किशोर शर्मा)** : मैं सभा पटल पर निम्नलिखित पत्र रखता हूं :—

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619-क की उपधारा (1) के अन्तर्गत, निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) ब्रिज एण्ड रूफ कंपनी लिमिटेड, कलकत्ता, का वर्ष 1983-84 संबंधी वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रण-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(.) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1407/85]

**चिल्ड्रंज फिल्म सोसाइटी इण्डिया, बंबई का वर्ष 1983-84 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा और इन पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों का एक विवरण**

**संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : महोदय, मैं श्री वी० एन० गाडगिल की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) (एक) चिल्ड्रंज फिल्म सोसायटी, इण्डिया, बंबई, के वर्ष 1983-84 सम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा-परीक्षित लेखे।

(दो) चिल्ड्रंज फिल्म सोसायटी, इण्डिया, बंबई, के वर्ष 1983-84 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलंब के कारणों को दर्शाने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1408/85]

## सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी)** :—मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं :—

(1) सा० का० नि० 658(अ), जो भारत के राजपत्र में 16 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को, जब उसका, आयात भारत में निर्यात वाले माल के विनिर्माण के सम्बन्ध में प्रयुक्त करने के प्रयोजनार्थ कलकत्ता स्थित फाल्टो निर्यात प्रसंस्करण जोन के अन्दर उपयोग के लिए किया जाये, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(2) सा० का० नि० 659(अ), जो भारत के राजपत्र में 16 अगस्त, 1985 को प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट माल को, जब उसका आयात भारत में निर्यात वाले माल के विनिर्माण के सम्बन्ध में प्रयुक्त करने के प्रयोजनार्थ मद्रास निर्यात प्रसंस्करण जोन के अन्दर उपयोग के लिए किया जाये, उस पर उद्ग्रहणीय समस्त सीमा-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 1409/85]

---

11.08 म० पू०

## राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

**महासचिव** : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेशों की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम संख्या 127 के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे लोक सभा को यह बताने का निदेश हुआ है कि राज्य सभा 23 अगस्त, 1985 को हुई अपनी बैठक में, लोक सभा द्वारा 20 अगस्त, 1985 को पारित किए गए सरकारी बचत विधि (संशोधन) विधेयक, 1985 से, बिना किसी संशोधन के, सहमत हुई।"

---

11.08½ म० पू०

## लोक लेखा समिति

### पांचवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री ई० अय्यपु रेड्डी (कुरनूल) : महोदय, मैं कन्टीन्यूअस चैनल टैस्टिंग बेड (सी० सी० टी० बी०) के संस्थापन में विलम्ब तथा उनका असंतोषजनक कार्यनिष्पादन, दूरभाषों का अनियमित क्रय, वस्तु सूची-नियंत्रण तथा अनुसंधान विकास और उत्पादन के सम्बन्ध में लोकलेखा समिति (सातवीं लोक सभा) के 196वें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का पांचवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

---

11.09 म० पू०

## लोकपाल विधेयक*

[अनुवाद]

**अध्यक्ष महोदय** : अब, श्री अशोक सेन विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति के लिए प्रस्ताव करेंगे।

(व्यवधान)

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : उन्होंने विधेयक को नरम बना दिया है। उसमें प्रधान मंत्री, संसद सदस्य, मुख्य मंत्री तथा राज्यपाल को बाहर रखा गया है।

**एक माननीय सदस्य** : तो बचा कौन है ?

**अध्यक्ष महोदय** : बहुत से।

(व्यवधान)

**विधि तथा न्याय मंत्री (श्री अशोक सेन)** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संघ के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।

**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है : —

"कि संघ के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति प्रदान की जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

*दिनांक 26-8-85 के भारत के असाधारण राजपत्र, भाग 2, खंड 2, में प्रकाशित।

**श्री अशोक सेन** : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : लोकपाल विधेयक के सम्बन्ध में संशोधन आज पांच बजे तक दे दीजिए।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** (महबूबनगर) : इसे कल के बाद लिया जा सकता है। संशोधन कब दिए जा सकते हैं?

**अध्यक्ष महोदय** : संशोधन आज 5 बजे तक दिए जा सकते हैं।

**श्री ई० अय्यपु रेड्डी** (कुरनूल) : इतनी जल्दी हम संशोधन कैसे दे सकते हैं?

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : संशोधन देने के लिए जितना समय दिया गया है उसका हम विरोध करते हैं। इतने कम समय में हम संशोधन कैसे तैयार कर सकते हैं?

**अध्यक्ष महोदय** : कल छुट्टी है।

**श्री सुरेश कुरुप** (कोट्टायम) : परसों दस बजे का समय तय कर दीजिए।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : इतने महत्वपूर्ण विधेयक को आप विचार-विमर्श के बिना कैसे हमारे ऊपर थोप सकते हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : मेरे विचार से यह आंखों में धूल झोंकना और लीपा-पोती करना है।

[हिन्दी]

**अध्यक्ष महोदय** : कल तक कर दें।

**श्री अशोक सेन** : कल के लिए मैं तैयार हूं।

**अध्यक्ष महोदय** : मैं अमेंडमेंट की बात कर रहा हूं।

**श्री अशोक सेन** : कल के लिए करिए, अगर दफ्तर खुला रहेगा तो भेज दीजिएगा।

[अनुवाद]

**प्रो० मधु दण्डवते** : आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल छुट्टी है। क्या ये परसों सुबह 11 बजे के बाद दिए जा सकते हैं?

**श्री सुरेश कुरुप** : अगर कार्यालय ले तो हम परसों भी दे सकते हैं।

**श्री अशोक सेन** : संशोधन परसों सुबह 11 बजे तक दे दिए जाएं।

**संसदीय कार्य मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत)** : यद्यपि कल छुट्टी है, लेकिन संशोधन लेने के लिए कार्यालय प्रातः 10 बजे से खुला रखा जा सकता है। विधेयक पर परसों विचार-विमर्श किया जा सकता है।

**अध्यक्ष महोदय** : कल शाम पांच बजे तक संशोधन दे दीजिए।

---

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित।

11.14 म० पू०

## नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

### (एक) सातवीं योजना अवधि के दौरान देश में अनुसूचित जनजातियों के छात्रों द्वारा बड़ी संख्या में स्कूल छोड़ दिए जाने की प्रवृत्ति को रोकने की आवश्यकता

**कुमारी पुष्पा देवी** (रायगढ़) : महोदय, यह चिन्ता का विषय है कि अनु० जनजातियों के लोगों में छात्रों के स्कूल छोड़ने की दर बढ़ती जा रही है। अनु० जनजातियों के बच्चों के प्राथमिक स्तर पर स्कूल छोड़ने का प्रतिशत 90% है। मध्य प्रदेश, बिहार व उड़ीसा में स्कूल छोड़ने वालों का प्रतिशत बढ़ता जा रहा है। जब तक उसे रोकने के लिए व्यापक कार्यवाही नहीं की जाती, उनमें शिक्षा का प्रसार करना सम्भव नहीं होगा। इसलिए मैं सरकार को सुझाव देता हूं कि सातवीं योजना के दौरान पर्याप्त होस्टल सुविधाओं की व्यवस्था करें, अधिक आवासीय स्कूलों, होस्टलों की व्यवस्था करें तथा उनकी छात्रवृत्ति की दर बढ़ायें। उसके साथ ही मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि स्कूलों में विशेषत: आदिम जातिय स्कूलों में दोपहर के खाने की व्यवस्था करें। मेरा निवेदन है स्कूल छोड़ने की भारी संख्या को रोकने के लिए अविलम्ब कार्यवाही की जाये।

### (दो) कर्नाटक में नारियल संबंधी वैज्ञानिक अनुसंधान केन्द्र

***श्री जी० एस० बसवराजू** (तुमकुर) : महोदय, कर्नाटक राज्य का तुमकुर जिला नारियल उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। तिपतुर की गिरी बहुत प्रसिद्ध है। इसके बावजूद पूरे कर्नाटक राज्य में नारियल के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए एक भी केन्द्र नहीं है। कर्नाटक की वाणिज्यिक फसलों में नारियल महत्वपूर्ण है। तब भी कोई अनुसन्धान की सुविधायें तथा किसानों को नारियल के पौधों में होने वाले रोगों की जानकारी देने की कोई सुविधा नहीं है। इससे पूरे राज्य में नारियल का उत्पादन घट गया है तथा गरीब नारियल उत्पादकों की स्थिति दयनीय है।

अत: नारियल की खेती के बारे में जानकारी देने वाले केन्द्र की स्थापना करने की आवश्यकता है। इस सम्बन्ध में गरीब किसानों की सहायता के लिए योजना बनायी जानी चाहिए। इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकार ने तुमकुर जिले में गुब्बी ताल्लुक में 1000 एकड़ भूमि मंजूर की है।

### (तीन) सातवीं योजना के दौरान बांसपानी जखपुरा रेल लाइन के दूसरे तथा तीसरे चरणों को पूरा करने के लिए पर्याप्त धनराशि का आबंटन

****श्री हरिहर सोरन** (क्योंझर) : महोदय, बांसपानी जखपुरा रेलवे लाइन का पहला चरण 1979 में पूरा हो चुका था तथा उसे यातायात के लिए चालू कर दिया गया था। उसके बाद भारत सरकार ने इस रेलवे लाइन का दूसरे तथा तीसरे चरण का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने का निश्चय

*कन्नड़ में दिये गये वक्तव्य के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

**उड़िया में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर

किया। उपरोक्त रेलवे लाइन के दूसरे चरण के निर्माण की मंजूरी छठी योजना में दी गई। परन्तु यह खेद का मामला है कि दूसरे चरण का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं किया गया है। उड़ीसा की राज्य सरकार ने भूमि अर्जन कार्य पूरा कर लिया है। परन्तु भारत सरकार वित्तीय कठिनाई के कारण इस लाइन के निर्माण को उपेक्षित करती रही है। मैं मांग करता हूं कि सातवीं योजना के दौरान बांसपानी जखपुरा रेलवे लाइन के दूसरे तथा तीसरे चरण के निर्माण कार्य को प्राथमिकता दी जाये और तदनुसार आवश्यक धन आबटित किया जाए।

(चार) **केरल के अन्तर्देशीय जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करना**

**डा० के० जी० अडियोडी** (कालीकट) : महोदय, केरल में पश्चिम की ओर बहने वाली अनेक नदियों और समुद्र तट पर मिलने वाली नहरों के कारण वहां नियमित रूप से अन्तर्देशीय जल यातायात होता रहा है। कुल नौवहन योग्य मार्ग की लम्बाई 1995 किलोमीटर है। सड़कों के विकास तथा मोटर वाहनों के प्रचलन से पूर्व ये जलमार्ग ही परिवहन का मुख्य साधन थे। इस जलमार्ग प्रणाली का केन्द्र 83 किसी लम्बी वेमवनद झील है तथा मुख्य जलमार्ग 558 किलोमीटर लम्बी पश्चिमी तटीय नहर है। इन जलमार्गों से कृषि उत्पादों का वितरण होता है तथा नारियल जटा, इमारती लकड़ी, टाइलें, उर्वरक, रबर आदि के व्यापारियों का काम चलता है। इनसे कई छोटे पत्तनों तथा कोचीन के मुख्य पत्तन को पहुंचाया जा सकता है।

कुछ क्षेत्रों में जलमार्ग कम गहरा है और इस समय काम में लाए जा रहे पोत भी उसमें नहीं चल सकते हैं क्योंकि उसका रखरखाव ठीक नहीं है और धन की कमी के कारण उथले हिस्सों को गहरा करने का आवश्यक कार्य भी नहीं किया गया है। अन्तर्देशीय जल-परिवहन प्रणाली लगभग 40 लाख टन भार तथा 2.6 करोड़ यात्रियों का परिवहन करती है। राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार से निवेदन किया था कि इसे राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया जाये और इसके विकास के लिए सहायता दी जाये।

जलमार्ग द्वारा परिवहन की लागत कम है, अर्थात सड़क परिवहन की तुलना में 1/5 तथा रेल परिवहन की तुलना में 1/20 बैठती है। अन्तर्देशीय जलमार्ग को विकसित करके पैट्रोल-डीजल की खपत कम की जा सकती है और परिवहन व्यय में कमी की जा सकती है। बाढ़ों को रोकने के लिए नहर प्रणाली को गहरा बनाना आवश्यक है। केरल भूमि के प्राकृतिक सौन्दर्य के लिए प्रसिद्ध है तथा पर्यटकों को सुविधा देकर पूरे राज्य को उससे लाभ पहुंचेगा। अतः मैं केन्द्रीय सरकार से निवेदन करता हूं कि केरल के जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें, आवश्यक धन देकर सहायता करे।

[हिन्दी]

(पांच) **राजस्थान में हनुमानगढ़ में दूरदर्शन रिले केन्द्र की स्थापना**

**श्री बीरबल** (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व का प्रश्न सदन में उठाना चाहता हूं कि राजस्थान के पास से सीमावर्ती क्षेत्र, हनुमानगढ़ में दूरदर्शन-रिले केन्द्र स्थापित किया जाए।

केन्द्रीय सरकार का अधिकाधिक जनसंख्या तक दूरदर्शन के राष्ट्रीय कार्यक्रमों को पहुंचाने का संकल्प व उसका क्रियान्वयन सराहनीय है।

हाल ही में श्रीगंगानगर में लघु शक्ति के दूरदर्शन-रिले केन्द्र का शुभारम्भ हुआ है। हनुमानगढ़ क्षेत्र में श्रीगंगानगर के तथा पूर्व में स्थापित सूरतगढ़ के कार्यक्रम उनकी परिधि में नहीं होने से नहीं देखे जा सकते। अमृतसर व जालन्धर के कार्यक्रम मौसम के हिसाब से कभी-कभार पकड़ में आते हैं। अलबत्ता लाहौर (पाकिस्तान) का कार्यक्रम हमेशा बहुत साफ व खूब बढ़िया दिखता है। इसीलिए इस क्षेत्र में बेहद लोकप्रिय है।

पाकिस्तान के इस सांस्कृतिक घुस-पैठ को रोकना बहुत जरूरी है। इस क्षेत्र की कोई 6 लाख जनता जोकि एक नगर परिषद क्षेत्र, चार नगरपालिका क्षेत्र व एक तहसील मुख्यालय सहित अनेकों बड़े-बड़े गांव को हजार वर्ग किलोमीटर की परिधि में आते हैं। इतने सभी लोग पाकिस्तान के दूरदर्शन के कार्यक्रम देखने को विवश हैं व राष्ट्रीय कार्यक्रम से वंचित है।

अतः मैं भारत सरकार के संचार मन्त्री जी से निवेदन करता हूं कि उपरोक्त परिस्थितियों में पाकिस्तान के कार्यक्रमों से बचने के लिए हनुमानगढ़ में दूरदर्शन रिले-केन्द्र की स्थापना राष्ट्रीय आवश्यकता बन गई है।

अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि राष्ट्रीय हितों के तकाजों को ध्यान में रखते हुए हनुमानगढ़ में दूरदर्शन रिले-केन्द्र तुरन्त स्थापित करने की व्यवस्था करेंगे।

[अनुवाद]

**(छः) प्रदूषण को रोकने के लिए दरधाना शुगर मिल्स का गन्दा पानी चूर्णी नदी में डाले जाने से पहले भली-भांति साफ कर दिया जाये यह सुनिश्चित करने के लिए बंगलादेश के साथ यह मामला उठाना**

**श्रीमती विभा घोष गोस्वामी** (नवद्वीप) : महोदय, बंगलादेश की दरधाना शुगर मिल्स तथा बिवरी के गन्दे पानी से पश्चिम बंगाल में नदिया जिले की चूर्णी नदी का वर्ष भर प्रदूषण हो रहा है। पहले इस समस्या को पूर्वी पाकिस्तान के अधिकारियों के साथ और बाद में बंगलादेश के अधिकारियों के साथ उठाया गया, परन्तु उसके अस्थाई परिणाम ही निकले। यह प्रदूषण मछलियों के लिए घातक है तथा नदी का पानी पशुओं के उपयोग के लिए भी उपयुक्त नहीं है मनुष्यों की तो बात ही क्या। इसके अलावा इससे मछुआरे अपनी परम्परागत आजीविका से वंचित हो गये हैं तथा प्रदूषण से हजारों नागरिकों के स्वास्थ्य के लिये भयंकर खतरा पैदा हो गया है।

सरकार को तुरन्त बंगलादेश की सरकार के साथ मामला उठाना चाहिये और यह सुनिश्चित किया जाना चाहिये कि दर्शन मिल का पानी चूर्णी नदी में गिराये जाने से पहले उसे उचित रूप से साफ किया जाये।

**(सात) गन्ने का लाभकारी मूल्य**

**श्री वी० शोभनाद्रीश्वर राव** (विजयवाड़ा) : महोदय, गन्ने की पेराई का मौसम शीघ्र आ रहा है। देश में चीनी अत्यन्त महंगी बिक रही है। देश लाखों टन चीनी भारी विदेशी मुद्रा व्यय कर आयात करता है। पिछले कुछ वर्षों में अलाभप्रद मूल्यों के कारण गन्ना उत्पादन का क्षेत्रफल घट गया है। भारत सरकार की नीति के कारण गन्ना उत्पादक बहुत असन्तुष्ट है क्योंकि सरकार ने लेवी चीनी का मूल्य बढ़ाकर चीनी उद्योग की ओर अधिक रुझान प्रकट किया है जबकि उत्पादकों को न्यायपरक

मूल्य भी नहीं दिलाया है । गन्ना उत्पादकों को अधिक क्षेत्र में गन्ना उत्पादन के लिए प्रोत्साहित करने के लिए आगामी फसल के लिए 9% की रिकवरी पर गन्ने का मूल्य 26 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करने की अविलम्ब आवश्यकता है । इससे निश्चित रूप से गन्ना उत्पादक अधिक क्षेत्र में गन्ने का उत्पादन करेंगे ।

### (आठ) कलकत्ता व हावड़ा नगरों के विकास के लिए परियोजना तैयार करने के उद्देश्य से हावड़ा औद्योगिक नगर विकास प्राधिकरण स्थापित करना

**श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** (हावड़ा) : महोदय, सातवीं योजना के प्रस्तावों को अन्तिम रूप दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री ने परिस्थितिक संतलन बनाए रखते हुए और वातावरण को प्रदूषण से मुक्त रखते हुए ग्रामीण विकास तथा महानगरीय विकास दोनों के लिए चिन्ता व्यक्त की है । बिहार राज्य का पटना नगर तथा कलकत्ता गंगा के किनारे स्थित है। नगर विकास की दृष्टि से गंगा के दोनों ओर शहरों का विकास किया जा रहा है, दोनों नगरों के विकास कार्यक्रम में उपनगर सम्मिलित किये जा सकते हैं । हुगली पर दूसरे पुल के निर्माण से हावड़ा का सीधा सम्बन्ध कलकत्ते से जुड़ जायेगा जोकि पूर्वी भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक नगर है । यदि तीसरे चरण में कलकत्ता महानगर रेलवे (ट्यूब रेलवे) जैसे कि 7वीं योजना में स्वीकृत की गई है, साल्ट लेक के रामराजातला से गंगा से होकर भूमिगत सुरंग द्वारा जोड़ती है और यदि दूसरा हुगली पुल शीघ्र निर्मित हो जाती है तो कलकत्ता को दक्षिण 24 परगना में बरुइपुर केनिंग और डायमांड हार्बर तक तथा हावड़ा के उलुबेरिया तक उपनगर मिल सकते हैं । केना एक्सप्रेस राजपथ तथा दिल्ली राजपथ के साथ बम्बई राजपथ का संपर्क जोड़ा जा सकता है जोकि हावड़ा से गुजरता है तथा दोनों ओर के व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्रों के सड़क परिवहन तथा माल की ढुलाई का भार वहन कर सकता है ।

दक्षिण पूर्व और पूर्व रेलवे का संचालन हावड़ा से होता है और दो प्रमुख राष्ट्रीय राजपथ भी हावड़ा में ही मिलते हैं । अतः बड़े कमलैक्सों अन्य परियोजनाओं का औद्योगिक भार और कलकत्ता नगर का विकास भार इन क्षेत्रों को स्थानान्तरित किया जा सकता है । यह तभी सम्भव है जबकि गंगा के दोनों किनारों पर शहरों के विकास का काम हाथ में लिया जाये ताकि हावड़ा का विस्तार किया जा सके और वर्तमान हावड़ा नगर में समस्त नागरिक आधुनिक सुविधाओं का विकास किया जा सके तथा कलकत्ता और हावड़ा को नगर के रूप में जोड़ा जा सके । कलकत्ता नगर प्राधिकरण की तरह एक पृथक हावड़ा औद्योगिक विकास प्राधिकरण का गठन इस परियोजना के लिए किया जाना चाहिये ।

---

**11.26 म० पू०**

## रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक

—(जारी)

**[अनुवाद]**

**अध्यक्ष महोदय** : अब सभा रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में संशोधन करने वाले विधेयक पर और आगे विचार करेगी । श्री आर० जीवरत्न अपना भाषण जारी रखें ।

*श्री आर० जीवरत्न (आर्कोनम) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी माह की 23 तारीख को शुक्रवार को मैं रेलवे के सामानों और उपकरणों की चोरी तथा मार्ग में माल के खो जाने के कारण रेलवे को आवर्ती हानि के कारण सरकार को मजबूरन यात्री किरायों तथा माल भाड़े में वृद्धि करने के बारे में कह रहा था। इस प्रकार की चोरी के कारण रेलवे को जब सैकड़ों करोड़ की वार्षिक हानि होती है तो यात्री किरायों तथा माल भाड़े में वृद्धि करने के अलावा कोई और विकल्प भी तो नहीं रह जाता है। इससे रेलवे के आम यात्रियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। रेल संरक्षण बल को संघीय सशस्त्र बल में परिवर्तित करके इस प्रकार की चोरियों को समाप्त किया जाना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि इस विधेयक में इस उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रावधान किया गया है। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं तथा कुछ और मामलों का उल्लेख करते हुए मैं अपना अधूरा भाषण जारी रखूंगा।

सर्वप्रथम मेरी यह मांग है कि सशस्त्र बल के महानिदेशक को रेलवे बोर्ड का सदस्य बनाया जाये। केवल तभी सशस्त्र बल की रोजमर्रा की प्रशासनिक समस्याओं को शीघ्रतापूर्वक सुलझाया जा सकता है। सशस्त्र बल के प्रभारी सदस्य पर चोरी गये माल की बरामदगी का भार डाला जाये। गत वर्ष रेलवे ने रास्ते में खोये माल की क्षतिपूर्ति के लिए 30 करोड़ रुपये का भुगतान किया था। जब तक माल की चोरी नहीं रुकती है और जब तक क्षतिपूर्ति के भुगतान के रूप में रेलवे संसाधनों की क्षति नहीं रोकी जाती है तब तक रेल विभाग राष्ट्र की बेहतर ढंग से सेवा नहीं कर सकेगा। सशस्त्र बल के प्रभारी सदस्य अर्थात् महानिदेशक को इन मामलों को प्रभावशाली ढंग से हल करने की पूरी शक्ति प्रदान की जानी चाहिए।

रेल संरक्षण बल में 67,000 कार्मिक हैं। इसमें रेल संरक्षण सुरक्षा बल की 8 बटालियनें भी शामिल हैं। मुझे आशा है कि रेल संरक्षण सुरक्षा बल भी इस प्रस्तावित सशस्त्र बल का अंग होगा। इस विधेयक के उपबंधों में रेल संरक्षण सुरक्षा बल के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। माननीय रेल मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस वाद-विवाद के अपने उत्तर में वह इस मुद्दे को भी स्पष्ट करें।

इस समय कानून और व्यवस्था बनाये रखने तथा चोरी और अपराधों के निवारण का भार राजकीय रेलवे पुलिस बल पर है। राजकीय रेलवे बल राज्य सरकारों के निदेश के अधीन कार्य करता है। राजकीय रेलवे बल का 50 प्रतिशत व्यय रेलवे बोर्ड वहन करता है। इसके अलावा रेल संरक्षण बल के 2000 सदस्य राजकीय रेलवे बल की सहायता के लिए तैनात किये जाते हैं। इसके परिणामस्वरूप रेलवे सुरक्षा बल अपने कर्त्तव्यों को नहीं निभा पाता है।

रेलवे स्टेशनों तथा अन्य निकटवर्ती रेल संपत्ति के अलावा देश भर में रेलवे के पास 2 लाख एकड़ भूमि है। इसमें से रेलवे की 60 प्रतिशत भूमि पर निहित स्वार्थ वाले व्यक्तियों ने कब्जा कर रखा है। इसके कारण रेलवे रेल कर्मचारियों के लिए मकान बनवाने के लिए भूमि आवंटित नहीं कर पाती है। राजकीय रेलवे बल रेलवे की भूमि का अधिग्रहण रोकने में असमर्थ है।

इसलिए मेरी यह मांग है कि राजकीय रेलवे बल को भी प्रस्तावित सशस्त्र बल में शामिल कर लिया जाए। चूंकि इस बल का 50 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय इस समय भी रेलवे बोर्ड वहन करता है, अतः रेलवे पर कोई अतिरिक्त आर्थिक भार नहीं पड़ेगा। तभी रेलवे की सभी सम्पत्ति,

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

उपकरणों, सामानों, बैगनों डिब्बों, रास्ते में माल की चोरी तथा रेलवे स्टेशनों, और रेलवे की भूमि पर किए जाने वाले कब्जों को प्रभावशाली ढंग से रोका जा सकता है। राजकीय रेलवे बल का रेलवे संरक्षण बल के साथ विलय कर दिया जाए।

सैनिकों को दिया जाने वाला वेतन तथा अन्य लाभ इस सशस्त्र बल के कर्मियों को भी दिए जाएं। सैनिक देश की स्वतन्त्रता की रक्षा करते हैं। रेल संरक्षण बल के कार्मिक राष्ट्र की महत्वपूर्ण आर्थिक गतिविधि की सुरक्षा करते हैं। इसलिए उन्हें सैनिकों के समकक्ष बराबर रखा जाए। राष्ट्रीय छात्र कोर द्वारा प्रशिक्षित युवकों को इस बल में भर्ती किया जाए। इसी प्रकार, सेना भर्ती बोर्ड को इस बल के लिए कार्मिकों की भर्ती का उत्तरदायित्व सौंपा जाए। मुझे विश्वास है कि मेरे द्वारा दिए गए सुझावों पर माननीय रेल मंत्री ध्यान देंगे और उन्हें कार्यान्वित करने के लिए समुचित कार्यवाही करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

**11.30 म० पू०**

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

**श्री ए० जे० वी० बी० महेश्वर राव** (अमालापुरम) : महोदय, सरकार ने इस विधेयक में संशोधन करने में बहुत समय लिया है। यह विधेयक 25 वर्ष से अधिक पुराना है तथा भारत की विद्यमान स्थिति के अनुरूप नहीं है।

इस अधिनियम में सबसे बड़ी कमी तो यह है कि रेल संरक्षण बल किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं कर सकता था और उसका मुख्य कार्य केवल रेलवे सम्पत्ति की सख्ती से सुरक्षा करना है। वे लोग इस कार्य को भी ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से नहीं कर रहे हैं।

मेरे अनुसार रेलवे संरक्षण बल को अनेक कार्य करने होते हैं। उनमें से निम्नलिखित प्रमुख हैं :—

(1) माल तथा आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध और सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करना।

(2) माल डिब्बों तथा सवारी गाड़ी के डिब्बों में लगे उपकरणों की सुरक्षा सुनिश्चित करना।

(3) यात्रियों की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करना।

(4) यात्रियों के सामानों का सुरक्षित लदान सुनिश्चित करना।

(5) असामाजिक तत्वों यथा भिखारियों आदि के पलेटफार्मों पर प्रवेश करने से रोकना।

(6) बिना टिकट यात्रा को रोकना तथा अपराधियों की यात्रा पर रोक लगाना।

(7) गाड़ियों में डकैती आदि रोकना।

(8) बैगनों तथा पार्सल कार्यालयों से चोरी को रोकना।

मैं माननीय रेल मंत्री से यह पूछना चाहता हूं कि क्या रेल संरक्षण बल अधिनियम के इस संशोधन में रेलवे में होने वाले इन सब अपराधों को कारगर ढंग से रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल को समुचित हथियार प्रदान करने का वास्तव में प्रावधान किया गया है अथवा नहीं। मुझे इसके बारे में संदेह है क्योंकि ऐसे अनेक मामले देखने में आए हैं जिनमें कि रेलवे संरक्षण बल के कार्मिक चुराए गए माल में से हिस्सा बांटने के लिए अपराधियों के साथ मिल जाते हैं।

रेलवे अधिनियम में हाल ही में संशोधन किया गया है जिससे कि रेलवे उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही कर सके जो रेलवे के सुचारू संचालन में बाधा डालते हैं। इसमें संदेह नहीं है कि इस अधिनियम में यह संशोधन करने से रेलवे प्रशासन के हाथ और मजबूत होंगे जिससे कि यात्रियों की बेहतर सेवा हो सके किन्तु खेद की बात है कि इसका कार्यान्वयन पहलू बहुत ही असंतोषजनक है।

मैं यह कहना चाहूंगा कि इस अधिनियम में यात्रियों की सुरक्षित यात्रा तो सुनिश्चित की गई है किन्तु यात्रियों के सामान के बारे में कुछ नहीं कहा गया है जिसे वे रेलवे में बुक कराए बिना सवारी डिब्बे में अपने साथ ले जाते हैं। अनेक बार ऐसा देखा गया है कि यात्रियों का सामान चोरी हो जाता है किन्तु उनकी शिकायत दर्ज करने वाला कोई नहीं होता। उन यात्रियों को राजकीय रेलवे पुलिस के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए गाड़ी से उतर जाना पड़ता है और गाड़ी भी उनकी प्रतीक्षा नहीं करती जिससे कि वे अपनी शिकायत दर्ज करा सकें। उन्हें दोहरा नुकसान उठाना पड़ता है—एक तो वे अपने मूल्यवान सामानों से वंचित हो जाते हैं और उन्हें गाड़ी भी छोड़नी पड़ती है। मैं रेल मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या अब रेलवे संरक्षण बल उनकी ऐसी शिकायतें दर्ज कर लिया करेगा जिससे कि उन यात्रियों को बड़ी भारी परेशानियों से बचाया जा सके जो चलती रेलगाड़ियों में जेब कतरों और चोरों के शिकार हो जाते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या ऐसी घटनाओं के मामले में गाड़ी को रोककर रखा जाएगा जिससे कि यात्री अपनी शिकायत दर्ज करा सकें और उन रेल कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जाएगी जो सहयोग देने से इनकार करें।

सवारी डिब्बों की हालत बहुत दयनीय है। पंखे नहीं होते, बल्ब और बिजली के उपकरण चुरा लिए जाते हैं, सीटों के कवर फटे होते हैं जिसका कारण यह है कि रेल संरक्षण बल यार्डों में खड़े किये सवारी डिब्बों की सुरक्षा नहीं करते और वास्तविकता यह है कि वे चोरों तथा असामाजिक तत्वों के साथ मिले होते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस संशोधन में यह सुनिश्चित करने के लिए किसी कठोर दंड देने का भी प्रावधान किया गया है कि रेल संरक्षण बल के कार्मिक अपना कार्य ईमानदारीपूर्वक और परिश्रम के साथ करें।

रेलवे प्लेटफार्मों पर भिखारियों का उपद्रव बढ़ता जा रहा है। ये भिखारी बेखबर यात्रियों का सामान भी चुराते हैं। इस विधेयक के द्वारा रेल संरक्षण बल को किस प्रकार बेहतर उपकरण प्रदान किए जा रहे हैं जिससे कि वे प्लेटफार्मों पर इस बुराई को रोक सकें?

वैगनों में सामानों की चोरी आये दिन होती रहती है। हम लोगों ने कितनी बार नारियल बुक कराये किन्तु गंतव्य स्थान पर बुक किया गया पूरा माल कभी नहीं पहुंचा। नारियल हमेशा चुराये गये।

इसके अलावा कुत्तों की टोली रखने का भी लाभ नहीं है क्योंकि रेलवे संरक्षण बल के कर्मियों में इतना अधिक भ्रष्टाचार व्याप्त है कि कुत्तों का खाना भी रेलवे संरक्षण बल के कार्मिक

खा जाते हैं और नतीजा यह होता है कि भूख के मारे कुत्ते सो जाते हैं और रेलवे संरक्षण बल के कार्मिक इसे साधारण रूप में लेते हैं। जब तक इस अधिनियम में समुचित और कठोर दंड का प्रावधान नहीं किया जाता तब तक इन संशोधनों का कोई लाभ नहीं होगा और यह मात्र दिखावा ही रहेगा। करने को तो बहुत कुछ है किन्तु जब तक रेल विभाग वास्तव में सुधार करना चाहे तथा जब तक गम्भीरतापूर्वक कार्य नहीं किया जाये, तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता है।

इन कमियों को ध्यान में रखते हुए मैं इस संशोधन का जोरदार विरोध करता हूं।

**श्री के० प्रधानी** (नवरंगपुर) : सभापति महोदय, माननीय रेल मंत्री द्वारा प्रस्तावित रेल संरक्षण बल अधिनियम में संशोधन करने वाले विधेयक का मैं समर्थन करता हूं जिसमें रेलवे संरक्षण बल को विशेष शक्तियां प्रदान की गई जिससे कि विभाग प्रभावशाली ढंग से और कुशलतापूर्वक कार्य कर सके।

इस विधेयक के खण्ड 11 में मुख्य अधिनियम की धारा 12 में संशोधन करने का प्रावधान किया गया है। उन्हें विशेष शक्ति प्रदान करने के लिए उसमें कुछ और खण्ड जोड़े गए हैं। उपखण्ड (1) में यह प्रावधान है कि बल का कोई भी सदस्य मजिस्ट्रेट के आदेश बिना और वारंट के बिना किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो रेल संरक्षण बल के कार्मिकों को अपने कर्त्तव्यों के पालन में बाधा डालकर कार्य पर तैनात किसी व्यक्ति पर स्वेच्छापूर्वक आघात करता है, और उपखण्ड (चार) किसी भी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने के बारे में है जो व्यक्ति कोई ऐसा संज्ञेय अपराध करता है अथवा करने की चेष्टा करता है जिससे रेल सम्पत्ति से सम्बद्ध किसी कार्य पर तैनात किसी व्यक्ति के जीवन को आसन्न खतरा पैदा हो जाता है। बल उन व्यक्तियों को बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है जो रेलवे की सम्पत्ति और रेलवे के कार्य में तैनात किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध करता है। किन्तु इस धारा में किसी ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार करने का प्रावधान नहीं है जो सम्पत्ति या व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपराध करने की योजना बनाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 151 के समान, इस खण्ड में अन्य खण्ड अथवा उपखण्ड जोड़े जायें जिससे कि पुलिस को यह प्राधिकार प्राप्त हो जाए कि वह किसी संज्ञेय अपराध की योजना बनाने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार कर सके। यदि ऐसा किया गया तो रेल संरक्षण बल इस समय से अधिक अपराधों को रोकने की स्थिति में हो जाएगी।

तदन्तर विधेयक के खण्ड 15 में अधिनियम की धारा 17 में संशोधन करने का प्रस्ताव है। उपखण्ड (1) में दण्ड की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर एक वर्ष कर दी गई है। मैं इस विचार का स्वागत करता हूं। किन्तु पुनः उपखण्ड (3) में कहा गया है कि इस धारा के अन्तर्गत अपराधों को निपटाने के लिए केन्द्रीय सरकार किसी सहायक महानिरीक्षक, सीनियर कमांडेंट अथवा कमांडेंट में मजिस्ट्रेट की शक्तियां निहित कर सकती है। इसके अतिरिक्त उपबंध के उपखंड (3) में कहा गया है कि :

> "जब वह अपराध छोटा हो भले ही वह अपराध भर्ती किए गए बल के सदस्य के रूप में अपराधी के कर्त्तव्यों से सम्बन्धित हो·····तब उस अपराध की, यदि वह विहित प्राधिकारी, जिसकी अधिकारिता की सीमाओं के भीतर अपराध किया गया है, ऐसी अपेक्षा करे, जांच या उसका विचारण उस मामले में अधिकारिता रखने वाले मामूली दंड न्यायालय द्वारा किया जा सकेगा।"

यहां दोहरा रास्ता अपनाया गया है। एक यह है कि इस विधेयक में कुछ अपराधों की जांच का कार्य न्यायालयों द्वारा, सहायक महानिरीक्षक, वरिष्ठ कमांडेंट या कमांडेंट के अधीन छोड़ा गया है और दूसरा यह है कि इसमें कुछ विभागीय मामलों को आपराधिक न्यायालयों के द्वारा विचार कराए जाने का प्रावधान किया गया है। मेरा यह निवेदन है कि यदि विभागीय मामलों की जांच आपराधिक न्यायालयों द्वारा कराई जाती है, तो यह दोनों तरफ से हानिकारक रहेगा।

आपराधिक न्यायालयों में पहले से बहुत सारे मामले निर्णयाधीन पड़े हैं। विभागीय मामले अधर में लटके रहेंगे और उनके निपटारे में बहुत अधिक समय लगेगा। इसके अलावा आपराधिक न्यायालयों में यह मामले तकनीकी आपत्तियों के आधार पर अलग कर दिए जाएंगे और अधिक प्रतिशत मामले छूट जाएंगे। इसलिए, मैं यह मामला रेल मंत्री के विचारार्थ छोड़ता हूं और वह इस मुद्दे पर विचार करें।

अन्त में, मैं कुछ बातें राजकीय रेलवे पुलिस और रेल संरक्षण बल के बारे में कहना चाहता हूं। रेल संरक्षण बल का मुख्य कार्य रेल सम्पत्ति का संरक्षण करना है तथा राजकीय रेलवे पुलिस का कार्य पता लगाना तथा जांच-पड़ताल करना है। रेल संरक्षण बल के लोगों की नियुक्ति रेलवे द्वारा की जाती है जबकि राजकीय रेलवे पुलिस जांच-पड़ताल करने और अन्तिम प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए पड़ोसी राज्यों से लिए जाते हैं। चलती गाड़ी में किए गए अपराधों का पता लगाने का काम बहुत ही कठिन है क्योंकि अपराधी हमेशा चलती गाड़ी से बचकर भाग जाने की चेष्टा करता है और रेलवे पुलिस का क्षेत्राधिकार छोड़ देता है। इसलिए जांच अधिकारी के लिए इन मामलों की जांच करना बहुत कठिन हो जाता है। सामान्यतः ये अधिकारी, जो विभिन्न राज्यों से आते हैं, अधिक दिलचस्पी नहीं लेते हैं क्योंकि वे रेल विभाग से सम्बद्ध नहीं होते हैं। उन्हें अस्थायी रूप से प्रतिनियुक्ति पर लाया जाता है और कुछ समय बाद वे विभाग छोड़ देते हैं। मैं रेल मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं कि वह यह सुनिश्चित करें कि इस विभाग में विभिन्न राज्यों से उच्च स्तर के अधिकारी लाए जाएं ताकि हमारी जी० आर० पी० के जांच कार्य इस क्षेत्र में अधिक सफल हों।

महोदय, मैं कल के हिन्दुस्तान टाइम्स में से एक वाक्य उद्धृत करना चाहता हूं। यह लन्दन टाइम्स की एक रिपोर्ट के बारे में है, और मैं उद्धृत करता हूं :

> "टाईम्स एक सम्पादकीय लेख में बताता है कि भारतीय पुलिस बल में तत्काल विश्वास बहाल करने की आवश्यकता है। इसका महत्व शिथिल अनुशासन, कम वेतन तथा घटिया प्रशिक्षण के कारण कम हुआ है।"

मैं रेल मंत्री जी का ध्यान कड़ा अनुशासन, अच्छा वेतन तथा प्रशिक्षण से सम्बन्धित इन तीनों मुद्दों की ओर आकर्षित करता हूं। पुलिस में प्रशिक्षण की कमी है और अच्छे कार्य निष्पादन हेतु उन्हें अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए।

**श्री अजित कुमार साहा** (विष्णुपुर) : मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं। यदि सरकार रेल सुरक्षा बल को एक सशस्त्र बल घोषित करके रेल सम्पति की बेहतर सुरक्षा कर सकती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन महोदय, हमारा अनुभव दूसरा है। जिन लोगों को रेल सम्पत्ति की सुरक्षा का काम सौंपा गया है वे अपराधियों से मिले हुए हैं।

रेल संरक्षण बल अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत रेल संरक्षण बल का गठन हुआ था। मैं 'भारतीय रेल-ईयर बुक 1984' में से उद्धृत कर रहा हूं। इस बल में, इस समय लगभग 67,000

कर्मचारी हैं जिसमें 38 बटालियन हैं। रेलवे में कुत्ता-स्केवड भी हैं, जिनका उपयोग यार्ड में गश्त लगाने तथा अपराधियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। महोदय, इन तमाम वर्षों में आर० पी० एफ० ने क्या कार्य किया है? यहां भी मैं भारतीय रेल में ईयर बुक से उद्धृत कर रहा हूं :—

**1979 से 1984 तक चुराई गई और बरामद की गई सम्पत्ति**

| वर्ष | चुराई गई सम्पत्ति | बरामद की गई सम्पत्ति |
|---|---|---|
| 1979-81 | 92.79 करोड़ | 37.30 करोड़ |
| 1980-81 | 150 करोड़ | 54.30 करोड़ |
| 1983 | 174.07 करोड़ | 71.67 करोड़ |

1983-84 के आंकड़ों के अनुसार 21,327 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था और 80,825 मामले दर्ज किए गए थे।

1984 में 63.21 करोड़ का प्रेषित माल चुराया गया और केवल 40.77 करोड़ का माल बरामद किया गया। 5015 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और 50,010 मामले दर्ज किए गए। महोदय, यह आर० पी० एफ० की कार्य निष्पादन है। आप इस बल पर कितना खर्च कर रहे हैं? वर्ष 1984-85 की रेल की अनुदानों की मांगों के अनुसार इस रेल संरक्षण बल पर 58.64 करोड़ रुपए खर्च किए गए। परन्तु उद्देश्यों और कारणों के कथन में आपने बहुत-सी बातें कही हैं। महोदय, ये सभी परस्पर विरोधी हैं। एक ओर तो आप आर० पी० एफ० को अधिक अधिकार दे रहे हैं उसे पुराना घोषित कर रहे हैं दूसरी ओर आर० पी० एफ० कर्मचारी होने के नाते उन्हें जो सुविधाएं प्राप्त थीं, वे छीन रहे हैं। उद्देश्यों और कारणों के कथन के अनुसार आप देखेंगे कि संघ की अन्य सशस्त्र सेनाओं पर एसोसिएशन बनाने पर लगे प्रतिबन्ध की भांति इस पर भी एसोसिएशन बनाने के अधिकार पर प्रतिबन्ध लगा है। लेकिन, आर० पी० एफ० के रूप में वे कुछ विशेषाधिकारों का लाभ उठा रहे थे, वे अपनी एसोसिएशन बना सकते थे और उन रेल अधिकारों का लाभ उठा सकते थे जिनका अब रेल कर्मचारी लाभ उठा रहे हैं। लेकिन आप ये सभी चीजें छीन रहे हैं। अतः मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

**श्री चिन्तामणि जेना** (बालासोर) : सभापति महोदय, मैं पूरे दिल से रेल संरक्षण बल (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। इस विधेयक को बहुत पहले लाया जाना चाहिए था। लेकिन हमने देखा है कि हमारे देश में रेलवे में हो रही चोरी, सेंधमारी, रेल सम्पत्ति की हानि के मामले में रेलवे केवल आर० पी० एफ० और जी० आर० पी० पर निर्भर होना पड़ता है। जी० आर० पी० रेलवे स्टेशनों, रेलगाड़ियों आदि में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए हैं। लेकिन आर० पी० एफ० रेलवे सम्पत्ति के संरक्षण के लिए है। परन्तु हमने नोट किया है कि जी० आर० पी० कर्मचारी जो राज्य सरकार सेवाओं से प्रतिनियुक्ति पर आते हैं, रेल या दैनिक यात्रियों के हित के बारे में या रेल सम्पत्ति के बारे में परवाह नहीं करते हैं। रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए मौजूदा आर० पी० एफ० के कर्मचारियों की संख्या इतनी कम होती है कि वे रेलवे स्टेशनों पर होने वाली समाज विरोधी गतिविधियों का मुकाबला नहीं कर सकते।

आपने संभवत: देखा होगा कि 90% रेलवे स्टेशनों पर एक भी जी० आर० पी० या आर० पी० एफ० का कर्मचारी नहीं होता है।

**11.52 म० पू०**

**[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं]**

विरोधी दल के मेरे माननीय दोस्त विधेयक का विरोध कर रहे थे। विधेयक का विरोध करते समय श्री चौबे जी ने विशेष रूप से कहा था कि आर० पी० एफ० सांठ-गांठ करती है और चोरी तथा रेल सम्पत्ति की सेंधमारी में उसका भी हाथ रहा है। परन्तु जब मंत्री जी निवारक कठोर दण्ड की व्यवस्था करने के लिए कुछ कठोर उपायों के साथ आगे आए तो मेरे माननीय दोस्तों ने उनका भी विरोध किया।

**श्री नारायण चौबे** (मिदनापुर) : बालासोर में आपका क्या अनुभव है ?

**श्री चिन्तामणि जेना** : मैं सुझाव देता हूं कि हमारे देश में सभी रेलगाड़ियों में आर० पी० एफ० को तैनात किया जाए। मैंने यह अनुरोध रेल (संशोधन) विधेयक पर भाषण देते हुए भी किया था।

हाल ही में, जून या जुलाई के दौरान एक संवाददाता सम्मेलन में माननीय रेल राज्य मंत्री ने कहा है कि लगभग 10,000 आर० पी० एफ० कार्मिकों को नियुक्त किया जाएगा। लेकिन एक सप्ताह पहले माननीय मंत्री ने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने कहा था कि नियुक्ति पर रोक होने के कारण आर० पी० एफ० कार्मिकों की नियुक्ति नहीं की जा सकती है। जैसा कि राज्य मंत्री ने कहा है कि रेलगाड़ियों, दैनिक यात्रियों तथा रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए कम से कम 10,000 आर० पी० एफ० कर्मचारियों की आवश्यकता है।

हमने देखा है कि कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने के लिए रेलवे केवल जी० आर० पी० पर निर्भर है। लेकिन हमने नोट किया है कि वास्तव में राज्य सरकारों द्वारा रेलवे में केवल दण्ड के रूप में जी० आर० पी० कार्मिकों को तैनात किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक अधिकारी जो अन्य क्षेत्र में अपनी ड्यूटी नहीं कर सकता है उसे जी० आर० पी० में प्रति-नियुक्ति पर भेजा जाता है। ऐसे अधिकारी काम में रुचि नहीं लेते हैं। अत: रेल सम्पत्ति और उपयोगकर्त्ता को हानि उठानी पड़ती है। जी० आर० पी० कार्मिक परवाह नहीं करते क्योंकि वे रेल में 2 या 3 वर्ष के लिए होते हैं। वे रेल के नियमित कर्मचारी नहीं होते हैं।

मेरी विनम्र राय यह है कि आर० पी० एफ० को अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए। माननीय मंत्री इस विधेयक में लाये हैं। मैं सुझाव देता हूं कि आर० पी० एफ० को और अधिक शक्तियां दी जानी चाहिए तथा जी० आर० पी० पर निर्भर हुए बिना·····

मैं सुझाव देता हूं कि दैनिक यात्रियों और रेल सम्पत्ति की सुरक्षा के साथ-साथ कानून और व्यवस्था की समस्या से निपटने का काम भी आर० पी० एफ० को सौंपा जाना चाहिए।

न्यायालयों में जो भी मामले लम्बित पड़े हैं वे कई वर्षों से लम्बित हैं। उनके लिए शिविर-न्यायालय खोले जाने चाहिए और संक्षिप्त मुकदमे चलाए जाने चाहिए तथा मामलों को यथाशीघ्र निपटाना चाहिए।

सुरक्षा के प्रश्न पर महानियंत्रक और लेखा परीक्षक ने नाराजगी और असंतोष व्यक्त किया है। हालांकि 1964 में कुछ भागों में रेलवे रेल सुरक्षा उपायों को अपनाने के लिए सहमत हो गई थी फिर भी यह एक भी भाग में नहीं अपनाए गए हैं। दक्षिण रेलवे के लिए लगभग 1.18 करोड़ रुपए बेकार पड़े हैं और कोई काम नहीं किया जा रहा है। मैं अनुरोध करता हूं कि रेलों में सुरक्षा के प्रश्न को सबसे अधिक प्राथमिकता दी जानी चाहिए। गाड़ियों को समय पर चलाने के उद्देश्य से मेल तथा एक्सप्रैस गाड़ियों में एक अधिकारी को नियुक्त करने के लिए मैं माननीय मंत्री का धन्यवाद करता हूं। मैं सुझाव देता हूं कि इसे सभी गाड़ियों में भी लागू किया जाए। उन्हें केवल गाड़ियों को ठीक समय पर चलाने के लिए ही नहीं बल्कि रेल बचाव के साथ-साथ रेल सम्पत्ति और यात्रियों की सुरक्षा को भी देखना चाहिए। मेरा विनम्र अनुरोध है कि सभी गाड़ियों में आर० पी० एफ० के कार्मिकों को तैनात किया जाना चाहिए।

पूरे दिल से इस विधेयक का समर्थन करते हुए मैं 17 जुलाई, 1985 के पेट्रियट से एक वाक्य को उद्धृत करना चाहता हूं। शीर्षक हैं "अवायडेबल डिस्मास्टर" मैं केवल अन्तिम वाक्य को उद्धृत करता हूं। यह इस प्रकार है :—

> "रेल मोर्चे पर केन्द्रीय सरकार द्वारा परिणाम दिखाने के वायदों से तथा रेल मंत्रालय का नेतृत्व करने के लिए श्री बंसी लाल जैसे प्रतिष्ठित और गतिशील व्यक्ति के चुनाव से हाल ही में जो आशाएं उत्पन्न हुई हैं, वे धूमिल नहीं होने दी जानी चाहिए।"

इन्हीं शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं।

[हिन्दी]

**श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : सभापति महोदया, मैं रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स (अमैंडमेंट) बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जिस समय रेल मंत्री जी इस बिल को प्रस्तुत कर रहे थे। उस समय मैं विरोधी दल के कुछ नेताओं की प्रतिक्रिया को सुन रहा था। मैंने यह देखा कि हमारे भूतपूर्व रेल मंत्री प्रो० मधु दण्डवते साहब भी इस बिल को इन्ट्रोड्यूस किए जाने का विरोध कर रहे थे। उनके साथ एक दूसरे नेता, चौबे साहब भी इसका विरोध करने वालों में शामिल थे। आज मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि शायद उन्होंने 11 जुलाई, 1985 का सुप्रीम कोर्ट का जजमैंट अवश्य पढ़ा होगा, और इस जजमैंट के एक एक्सट्रैक्ट की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं :

12.00 मध्याह्न

इस जजमेंट के अलावा मैं आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूं कि जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, उनको आप अगर यूनियन बनाने का मौका देते हैं, तो देश की क्या हालत होती है। आप भी मानते हैं चौबे साहब कि चोरियां होती हैं, लेकिन ये चोरियां ऐसे ही नहीं होतीं, उनके लिए राजनीतिक प्रोटेक्शन दिया होता है तभी ये चोरियां होती हैं। जितनी चोरियां होती हैं उन चोरियों में, मैंने अखबारों में कई बार पढ़ा है कि बड़े-बड़े लोग पीछे होते हैं। एक गैंग बना लेते हैं और डकैती करते हैं यह आप भी जानते हैं। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि इस बार पहली दफा हाउस में यह चर्चा नहीं हो रही है, इससे पहले भी कई दफा हाउस में इस प्रकार की चर्चा हो चुकी है। तो उन लोगों की मदद से चोरियां होती हैं जो राजनीति में काम करते हैं और राजनीतिक लोग होते हैं। इसलिए रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स बिलकुल चुपचाप खड़ा रहता है क्योंकि उसके पास इतने अधिकार नहीं

हैं कि वह कुछ कर सके। कोई होज-पाइप काटता है, तो वह कुछ नहीं कर सकता है। मैं आपके सामने जो जजमेंट है उसको पढ़कर सुनाता हूं।

[अनुवाद]

"इस संबंध में पुलिस बल का उत्तरदायित्व भी सैनिक अथवा अर्धसैनिक बल के बराबर ही है क्योंकि कानून और व्यवस्था बनाये रखना तथा शान्ति सुनिश्चित करना उसका दायित्व है अत: पुलिस बल के कर्मचारियों द्वारा अनुशासन भंग करने तथा अवज्ञा की घटनाओं को सैनिक या अर्ध सैनिक बलों के कर्मचारियों द्वारा अनुशासन भंग करने या अवज्ञा करने से घटनाओं से कम चिन्ताजनक नहीं समझा जा सकता है। इन बलों के कर्मचारियों द्वारा अपने कर्तव्यों के उचित निर्वहन तथा उनमें अनुशासन बनाए रखना कितना महत्त्वपूर्ण है, इसका संविधान के अनुच्छेद 33 से पता चलता है। संविधान (15वां संशोधन) अधिनियम 1984 से पूर्व अनुच्छेद में यह उपबन्ध था···"

मुझे वह भाग पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।

[हिन्दी]

तो इस जजमेंट के बाद मधु दण्डवते साहब ने जनता पार्टी के समय में जो हालत की है, वह बात भी आप सुनें, तो आपको बड़ा आनन्द आएगा। अच्छा हुआ, आज हमारे दण्डवते साहब यहां नहीं हैं, मौके पर चले गए, उन्हें मालूम हो गया है कि आज उपस्थित होना अच्छा नहीं है। एक बुलेटिन उनके समय में आर० पी० एफ० का निकला, उसके कुछ लफ्ज मैं आपके सामने सुनाना चाहता हूं जिससे आपको उस वक्त की हालत का पता लग जाएगा—"हमारी बहरी, गूंगी सरकार समाजवाद के नाम पर कुम्भकर्णी नींद में सो रही है।" कुम्भकर्णी नींद आप सबको मालूम होगी कि कौन सी होती है, आपने सब नींद ली हुई हैं, मैं बार-बार मधु दण्डवते जी का नाम नहीं लूंगा, यह उनके समय का बुलेटिन है, "बहरी गूंगी सरकार···फौलाद की तरह प्रदर्शन करते हुए आगे बढ़ें", यह उन लोगों ने हड़ताल के वक्त बुलेटिन निकाला था, उसके कुछ शब्द मैंने आपको सुनाए हैं, पूरा नहीं सुनाना चाहता हूं क्योंकि समय कम है। रेड्डी साहब, आप भी सुनिए, इतने जोर का बुलेटिन निकाला, जनता पार्टी के राज में। मोरारजी ने कहा यह क्या कर दिया, समाजवादी नेताओं की अगर यूनियन बन गई तो कैसे काम चलेगा। इसलिए मिलिट्री फोर्सेस की यूनियन, जिसमें आज 65 हजार आदमी हैं, तो क्या हालत देश की होगी। उस समय उन्होंने एक जलसा निकाला, मुंह पर साफा बांधकर। उस समय उनके ऊपर जुर्म हो रहे थे, और उन्होंने अपील की थी कि सरकार का दृढ़ता के साथ मुकाबला करेंगे और इस प्रकार संघर्ष का बिगुल बजाया है। संघर्ष का बिगुल बज गया और श्री मोरारजी देसाई की कुर्सी हिल गई।

रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स को आज इस बिल के द्वारा इसलिए रिकगनीशन दिया जा रहा है कि इससे करोड़ों रुपये की चोरी रुकेगी और होजपाइप काटने वाले असामाजिक तत्त्वों का मुकाबला हो सकेगा। इन्होंने 1983 में मुकाबला किया है लेकिन अब उस रूप में कर नहीं सकते क्योंकि इनके पास पावर्स नहीं हैं। उन पावर्स को इन्होंने अपने बिल में इस प्रकार लिखा है—

[अनुवाद]

विधेयक की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं :—

(क) रेल संरक्षण बल की संघ के एक सशस्त्र बल के रूप में घोषणा करना और इससे सशस्त्र बल के रूप में उसके परिवर्तित स्वरूप के अनुकूल बल के विभिन्न रैंकों के नामतन्त्र में पारिणामिक परिवर्तन करना।

(ख) बल सदस्यों पर अतिरिक्त शक्तियों का प्रदान जैसे कि वारंट के बिना गिरफ्तार करना···

[हिन्दी]

आज जो चोरियां होती हैं, जो गुंडागीरी करते हैं, होजपाइप काटते हैं, रेलवे प्रापर्टी को नुकसान पहुंचाते हैं, रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स इसलिए खड़ी रहती है क्योंकि कानून उनको इजाजत नहीं देता। इससे उनको ताकत मिलेगी और वह उसकी रक्षा कर सकेंगे।

सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद आर्टिकल 33 की भावना को मानते हुए यह बिल लाया गया है। मैं समझता हूं कि इस बिल का समर्थन इधर के बैठने वाले ही नहीं, उधर के बैठने वाले भी करेंगे और यह जरूर कहेंगे कि रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स को ये-ये सुविधाएं मिलनी चाहिएं। सवाल यह है कि यूनियन बनाकर उनसे काम लेना। इसलिए जो बिल आया है मैं उसका स्वागत करता हूं और इसे एक आवाज से पारित किया जाए और हमारे विरोधी दल भी इसमें शामिल हों।

[अनुवाद]

*श्री पी० अप्पालानरसिंहम (अनकापल्ली) : सभापति महोदया, वर्तमान रेल सुरक्षा बल में काफी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उन लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति की कोई सुरक्षा नहीं है जो रेल द्वारा यात्रा करते हैं। विशेषकर दक्षिण मध्य तथा दक्षिण-पूर्वी रेलवे में यात्रियों के लिए कोई सुविधाएं नहीं हैं, परन्तु यात्रियों को रेल यात्रा के दौरान सुरक्षा तो प्रदान की जानी चाहिए। यहां तक कि माल गाड़ियों को भी नहीं बख्शा जाता है जिनके द्वारा मूल्यवान वस्तुएं एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जाती हैं। सभी स्थानों पर चोरी होती है। माल गाड़ियां रास्ते में ही लूट ली जाती हैं। चोरी का धन्धा लगातार चलता रहता है। माल गाड़ियों को कोई सुरक्षा उपलब्ध नहीं कराई जा रही है, हमारा रेल सुरक्षा बल उन सभी लोगों को दण्ड देने में बुरी तरह असफल रहा है जो इस चोरी में लगे हुए हैं। यह चोरी पिछले 15 से 20 वर्षों से होती चली आ रही है। कई अवांछित बातें हो रही हैं, किन्तु रेलवे सुरक्षा बल उन्हें कहीं भी रोकने में सफल नहीं हुआ है। वास्तव में रेलवे ने उन लोगों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए कुछ नहीं किया है जो रेल द्वारा यात्रा करते हैं। इन परिस्थितियों में क्या रेलवे सुरक्षा बल को और सशक्त बनाकर इसपर और अधिक समय के लिए भरोसा करना उचित होगा अथवा रेलवे, यात्रियों, और माल को सुरक्षा प्रदान करने के लिए एक नये बल का गठन किया जाना उचित होगा ? हमें इस प्रश्न पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। इस विधेयक में इस प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। मेरा विचार तो यह है कि जिस प्रकार हमारा एक अलग बजट है, उसी प्रकार अलग से एक रेलवे सुरक्षा बल होना चाहिए। यह नया बल हमारी आवश्यकताओं को उचित ढंग से पूरा करेगा।

इलमांचली में जो मेरे चुनाव-क्षेत्र में आता है एक हत्या हुई। रेलवे पुलिस को केवल यह कहने में कि यह हमारे अधिकार-क्षेत्र में नहीं आता है तीन महीने लगे। यह हमारे रेलवे पुलिस की कार्यकुशलता है। आप स्वयं अच्छी तरह अनुमान लगा सकते हैं कि वह हमारे यात्रियों को किस प्रकार

*तेलुगू में दिए गए मूल भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

की सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। एक मार्शलिंग यार्ड में कुछ रेलवे पुलिस कर्मचारियों ने अपने एक सन्तरी की हत्या कर दी है। वे चोरी करने वाले लोगों को नहीं पकड़ सके हैं। रेलवे सुरक्षा बल की अकुशलता के कारण प्रति दिन अरबों रुपये की निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति की क्षति हो रही है। वह किसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान करने की स्थिति में नहीं हैं। अतः हमें यह विचार करना चाहिए कि हम किस प्रकार अपने रेलवे सुरक्षा बल में सुधार ला सकते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस विधेयक में रेलवे पुलिस को बेहतर बनाने के संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है। रायगढ़-रायपुर रेलवे सेक्शन में यात्रियों को दिन दहाड़े खुले-आम लूट लिया जाता है। प्रतिदिन हत्याएं हो रही हैं। हम यह समाचार आकाशवाणी से सुनते हैं। हम इस प्रकार से समाचार प्रतिदिन अपने समाचार पत्रों में पढ़ते हैं। किन्तु एक भी समाचार ऐसा नहीं होता जिसमें रेलवे द्वारा इन घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का जिक्र हो। किसी भी समाचार में इस दिशा में हुई प्रगति का जिक्र नहीं होता।

महोदय इस संबंध में मैं सरकार से रेलवे में बीमा आरंभ करने के लिए कहूंगा जैसा कि हवाई यात्रा में होता है। सम्पत्ति चाहे सार्वजनिक हो अथवा निजी इसका बीमा किया जाना चाहिए। जब तक यात्रियों को यह सुविधा उपलब्ध नहीं कराई जाती है। वे कष्ट भोगते रहेंगे। सहस्रों लोग ऐसे हैं जो यात्रा के दौरान अपना सब कुछ खो बैठे हैं। ऐसे लोगों को क्षतिपूर्ति प्रदान की जानी चाहिए। बीमा यात्रियों की सम्पत्ति और रेलवे की सम्पत्ति की सुरक्षा का सबसे अच्छा तरीका है। मुझे आशा है कि सरकार प्रत्येक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए शीघ्र बीमा आरंभ करेगी। यदि ऐसा किया जाता है तो रेलवे सफल सिद्ध होगी।

अब, रेलवे पुलिस यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने की बजाए उनके लिए अनेक कठिनाइयां उत्पन्न कर रही है। अतः उनके कार्यों का स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुस्पष्ट कार्यक्रम होना चाहिए। इस उद्देश्य के लिए रेलवे के लिए एक अलग सुरक्षा बल होना चाहिए। इन कर्मचारियों को अच्छा प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। उसी स्थिति में वह अपना कार्य कुशलतापूर्वक कर सकते हैं। अब माल गाड़ियों में माल की सुरक्षा हेतु किए गए उपाय पर्याप्त नहीं हैं। पूरी माल गाड़ी में केवल एक ही गार्ड होता है, और वह भी अन्तिम माल डिब्बे में बैठा रहता है। यह लोग असहाय दर्शकों की भांति बैठे रहते हैं जब इनकी आँखों को सामने माल गाड़ी से सामान चुराया जाता है। अतः मालगाड़ी के कम से कम तीन डिब्बों में सुरक्षा बल कर्मचारी होने चाहिए ताकि वे चोरी को प्रभावशाली ढंग से रोक सकें। यदि ऐसी व्यवस्था की जाए तो प्रत्येक गाड़ी सामान भी चोरी के बिना अपने गन्तव्य स्थान पर पहुंच जाएगी। मुझे आशा है कि सरकार यह कदम उठाएगी।

मुझे आशा है कि सरकार रेलवे सुरक्षा बल में सुधार लाने के लिए कदम उठाएगी ताकि वे अपना कर्तव्य प्रभावशाली ढंग से पूरा कर सकें और यात्रियों के जीवन तथा सम्पत्ति की सुरक्षा कर सकें। वे मूल्यवान रेल सम्पत्ति की सुरक्षा और अच्छे ढंग से कर सकेंगे।

यह अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद करते हुए मैं समाप्त करता हूं।

**रेल मंत्री (श्री बंसी लाल)** : सभापति महोदया, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं जिन्होंने इस वाद-विवाद में भाग लिया। वर्ष 1957 से पूर्व रेलवे सुरक्षा बल को रेलवे के वॉच एण्ड वॉर्ड विभाग के नाम से जाना जाता था और 1957 के पश्चात् जब विधेयक पारित हुआ तो यह एक अनुशासित बल बन गया। किन्तु 1957 के अधिनियम में रेलवे सुरक्षा बल को अधिक सुरक्षा प्रदान नहीं की गई थी और इस कारण रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों के विरुद्ध कई कष्टकर मुकदमे

शुरू हो गए। अब हम उन्हें दुर्भावपूर्ण मुकदमेबाजी से सुरक्षा प्रदान करने के लिए यह विधेयक लाये है। इस विधेयक से वास्तव में सुरक्षा बल के प्रशिक्षण, कार्यकुशलता और अनुशासन के स्तर में वृद्धि करने में सहायता मिलेगी और शासन तथा नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु इस संगठन का पुनर्गठन करना संभव होगा। बल के सदस्यों के पास भी रेलवे सम्पत्ति की बेहतर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कानूनी अधिकार और सुरक्षा होगी। मजिस्ट्रेट अथवा स्थानीय पुलिस अधिकारी की अनुपस्थिति में रेलवे सुरक्षा बल अधिकारी स्वयं ही ऐसी गम्भीर स्थितियों में गैर-कानूनी संगठनों से निपटने में सक्षम होंगे जिनमें लोगों की सुरक्षा को भारी खतरा हो। रेलवे पुलिस बल के कर्मचारियों को सरकारी कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए कार्यों के लिए हिरासत में लिए जाने तथा कष्टकर मुकदमे चलाए जाने के खिलाफ दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत सुरक्षा प्राप्त होगी। अतः हम यह संशोधन केवल रेलवे सुरक्षा बल के सदस्यों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए लाए हैं।

प्रो० थामस ने बताया है कि रेलवे पुलिस बल यात्रियों को सुरक्षा प्रदान नहीं कर सकता है। महोदया, आर० पी० एफ० का काम यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करना नहीं है। यात्रियों को सुरक्षा प्रदान करने का काम रेलवे पुलिस का है। इसके लिए हम राज्यों के मुख्य-मन्त्रियों से पुलिस को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए आग्रह करते आ रहे हैं।

श्री नारायण चौबे ने कहा कि आर० पी० एफ० में ऊंचे स्तर पर भ्रष्टाचार है। ऐसा नहीं है। यह आरोप निराधार है।

**श्री अमल दत्त** (डायमण्ड हार्बर) : भ्रष्टाचार किस स्तर पर है? क्या आप कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार है ही नहीं अथवा भ्रष्टाचार ऊंचे स्तर पर नहीं है? आपका क्या विचार है?

**श्री बंसी लाल** : यह मार्क्सवादी स्तर पर है।

फिर उन्होंने कहा कि संघ तथा संस्था बनाने का अधिकार नहीं छीना जाना चाहिए। किसी सशस्त्र बल को संघ बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है। और अब तो हम इसे संघ का एक सशस्त्र बल बना रहे हैं, इसलिए इसे संघ तथा संस्था बनाने का अधिकार नहीं दिया जा सकता है।

श्री रत्नम चाहते थे कि रेलवे सुरक्षा बल का महानिदेशक रेलवे बोर्ड का सदस्य होना चाहिए। ऐसा बिलकुल संभव नहीं है क्योंकि यदि हम रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक को रेलवे बोर्ड का सदस्य बनाएंगे, तो फिर कोई और शाखा भी यह मांग करने लगेगी कि इसके विभाग अध्यक्ष को भी रेलवे बोर्ड का सदस्य बनाया जाना चाहिए। अतः हम ऐसा नहीं कर सकते हैं।

श्री रत्नम मुझसे एक स्पष्टीकरण यह भी चाहते थे कि चूंकि आर० पी० एस० एफ० एक बल है तो क्या इसे आर० पी० एफ० के साथ मिलाया जाएगा अथवा नहीं। यह तो पहले ही आर० पी० एफ० का एक अंग है। आर० पी० एस० एफ० का गठन किसी अधिनियम से परिणामस्वरूप नहीं हुआ है। यह हमारी आंतरिक व्यवस्था है। अतः आर० पी० एस० एफ० भी आर० पी० एफ० का एक अंग होगा।

फिर श्री के० प्रधानी ने बल के प्रशिक्षण का उल्लेख किया है। प्रशिक्षण पहले से कहीं बहुत अच्छा होगा।

श्री साहा ने संघों के विषय में चर्चा की। जब वह इस संबंध में बात करते हैं, मैं यहां प्रो० मधु दण्डवते का उल्लेख करूंगा। जिस दिन मैंने विधेयक प्रस्तुत किया था, उन्होंने इस आधार पर इसका विरोध किया था कि रेलवे सुरक्षा बल से संघ तथा संगठन बनाने का अधिकार नहीं छीना

जाना चाहिए। जुलाई, 1979 में रेलवे सुरक्षा बल में केवल इसी कारण विरोध और लगभग विद्रोह हुआ था कि उन्हें संघ बनाने का अधिकार प्राप्त था। मैं प्रो० मधु दण्डवते को याद दिलाना चाहता हूं कि एक इश्तिहार का मुद्रण, प्रकाशन तथा वितरण किया गया था। यह इस प्रकार था :

[हिन्दी]

"अखिल भारतीय रेलवे सुरक्षा दल एसोसिएशन

का

ऐतिहासिक निर्णय

12 जुलाई 1979 का शून्यकाल याद रखें। आगे बढ़ें। दृढ़ रहें।

बहकावे में न आवें।

साथियो,

हमारी बहरी गूंगी सरकार के समाजवाद रेल मंत्री को कुम्भकर्णी नींद से जगाने के लिए 12 जुलाई 1979 का शून्यकाल याद रखें और फौलादी एकता का दृढ़ता के साथ प्रदर्शन करते हुए आगे ही आगे बढ़ते रहें।"

यह रेलवे प्रोटैक्शन फोर्स की यूनियन कह रही है।

"याद रखें कि प्रशासन द्वारा प्रतिनिधियों को तथा आप भाइयों को अनेक प्रकार से परेशान किया जा सकता है और रेडियो इत्यादि के माध्यम से गलत प्रसारण भी कराया जा सकता है।

परन्तु जब तक आपकी सैक्टरी समिति आप लोगों को अपने ढंग से संकेत न दे दे तब तक आप लोगों को अपनी मांगें हासिल करने के लिए अपने कर्त्तव्य पर डटे रहना है और आगे प्रोग्राम का इन्तजार करना है।

कृपया एक रह कर संगठन का प्रदर्शन करें और विजय हासिल करें।

संघर्ष समिति दिल्ली मंडल"

[अनुवाद]

सभापति महोदया, क्या आप यह कल्पना कर सकती हैं कि एक अनुशासित बल, एक सशस्त्र बल, जिनके पास शस्त्र भी हैं इस प्रकार के कार्य करें ? क्या हमें उन्हें ऐसे कार्य करने की अनुमति देनी चाहिए ? क्या हमें उन्हें ऐसे कार्य जारी रख देने चाहिए ? क्या हमें उन्हें बल के अन्दर अनुशासन-हीनता फैलाने की अनुमति देनी चाहिए ? क्या हमें इसकी अनुमति देनी चाहिए ?

प्रोफेसर साहब बहुत ही जोरदार शब्दों में बोल रहे थे। और भी अनेक बातें हैं। इसी अवधि के दौरान नाम से एक पैम्फलेट जारी किया गया था।

[हिन्दी]

हमारी जीत निश्चित है।

[अनुवाद]

और फिर आर० पी० एफ० के पदधारियों के नाम भी हैं। अतः हम इस प्रकार की बातें जारी रहने नहीं देंगे।

**श्री अमल दत्त :** यह अन्तिम बार 1980 में हुआ ।

**श्री बंसी लाल :** 12 जुलाई, 1979 को हुआ ।

**श्री अमल दत्त :** उसके पश्चात् इस प्रकार का विद्रोह नहीं हुआ । आप यह विधेयक 1985 में ला रहे हैं ।

**श्री बंसी लाल :** ऐसा नहीं हुआ । अब हम इसे बिलकुल समाप्त कर रहे हैं ।

श्री चिन्तामणि जेना यहां तक कह गए कि जी० आर० पी० रेल सम्पत्ति तथा यात्रियों की चिन्ता नहीं करती । मैं उनसे सहमत नहीं हूं । जी० आर० पी० अपना कर्त्तव्य निभा रही है । हम जी० आर० पी० को सक्रिय बनाने का भरसक प्रयास कर रहे हैं । और फिर उनका कहना था कि 90% स्टेशन ऐसे हैं जिन पर जी० आर० पी० या रेलवे सुरक्षा बल नहीं है । प्रत्येक स्टेशन पर उनकी आवश्यकता नहीं पड़ती है । उनकी तो केवल उन विशेष स्टेशनों पर आवश्यकता पड़ती है जो कि अतिसंवेदनशील क्षेत्रों में पड़ते हैं । उनका यह भी कहना था कि रेलवे सुरक्षा बल को अधिक शक्ति प्रदान की जानी चाहिए । हम तो पहले ही रेलवे सुरक्षा बल को अधिक शक्तियां प्रदान कर रहे हैं, जिसके लिए इस संशोधन विधेयक को लाया गया है ।

इन शब्दों के साथ, मैं सम्मानित सदन से इस विधेयक को पारित करने का निवेदन करता हूं ।

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि रेलवे संरक्षण बल अधिनियम, 1957 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**सभापति महोदय :** अब हम खण्डवार विचार करेंगे ।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 से 19 और अनुसूची विधेयक का अंग बनें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 2 से 19 और अनुसूची विधेयक में जोड़ दिये गये ।**

**सभापति महोदय :** अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बनें ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिए गए ।**

**श्री बन्सी लाल :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए ।"

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"विधेयक पारित किया जाए ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

---

**12.24 म० प०**

## इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक

[अनुवाद]

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : मैं प्रस्ताव * करता हूं :

"कि देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालय और दूर-शिक्षा पद्धति के प्रारंभ और संवर्धन के लिए तथा ऐसी पद्धतियों के स्तरमानों के समन्वय और अवधारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त विद्यालय की स्थापना और निगमन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथा पारित, पर विचार किया जाए ।"

महोदय, सभा के समक्ष यह जो विधेयक लाया गया है, समकालीन समाज की शैक्षिक आवश्यकताओं के रूप में इसकी पृष्ठभूमि है । आज ज्ञान का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है जिसके क्षेत्र द्रुत गति से फैल रहे हैं । शिक्षा के क्षेत्र में संचार प्रौद्योगिकी के प्रयोग ने नयी सम्भावनाओं के द्वार खोल दिये हैं । पठन-पाठन के नये तरीकों का समर्थन किया जा रहा है, जो कि अध्यापक-मूलक/केन्द्रित शिक्षा का स्थान ले लेगी । हम नई शैक्षिक व्यवस्था के प्रति जागरूक हैं । पुरानी शिक्षा पद्धति मुख्यतया अपने फैलते हुए आकार के कारण स्थिर और अधिकाधिक केन्द्रित हो गई है, अतः हम एक ऐसी प्रणाली की खोज में हैं जो कि लचीली हो और आज की तथा कल की बदलती हुई आवश्यकताओं को पूरा करती हो । आज सभी के लिए शिक्षा पर और जीवन पर्यन्त शिक्षा पर भी निरन्तर दबाव बढ़ रहा है । इसके परिणामस्वरूप, समाज के उन वर्गों को शिक्षित करने पर तीव्रता से ध्यान केन्द्रित किया जा रहा है जिनकी लम्बे समय तक उपेक्षा या अवहेलना हुई है । लगातार यह अनुभव किया जा रहा है कि बहुत बाद में जाकर समाज को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, यदि हम कमजोर वर्गों और असुविधाग्रस्त लोगों की आवश्यकताओं पर ध्यान नहीं देते हैं । शिक्षा की समकालीन प्रवृत्ति हमसे मांग करती है हम नये आयाम खोजने के लिए विशेष प्रयास करें । वर्तमान विधेयक एक ऐसे ही प्रयास की अभिव्यक्ति है ।

महोदया, राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का प्रावधान करने वाले इस विधेयक का उद्देश्य एक ऐसे शिक्षित समाज को बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना है, जिसमें सीधी एवं समतल गतिशीलता पर कोई रोक नहीं होगी जो कि क्षितिजों के विस्तार और उन सभी की आम और व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं जिनका कोई उद्देश्य है और उसको पूरा करने की चाह है । कोई भी समतावादी और प्रजातन्त्रवादी समाज मांग करता है कि ऐसी गतिशीलता के अवसर प्रदान किए जाएं और ये सभी को उपलब्ध हों । हमारे देश में ऐसे लोगों की बहुत बड़ी संख्या

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत ।

है, जिन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के अवसरों से वंचित कर दिया जाता है क्योंकि मुख्यतया आर्थिक कारणों के दबावों ने उन्हें शिक्षा की औपचारिक प्रणाली को छोड़ने को मजबूर किया होगा। यह गरीबों और असुविधाग्रस्त लोगों के मामले में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में महत्व-पूर्ण है।

अभी तक शिक्षा ऐसे लोगों तक ही सीमित रही है जो कि इसे पूर्ण-कालिक आधार पर जारी रख सकते हैं। एक मुक्त शिक्षा प्रणाली जो कि गृहणियों, कारखाना श्रमिकों और ग्रामीण क्षेत्रों के किसानों की पहुंच में क्रमबद्ध शिक्षा का प्रावधान करती है, वह शैक्षिक अवसर के लोकतान्त्रिकरण की धारणा को नवीन अर्थ प्रदान करती है। इस विधेयक का समर्थन करके सभा एक ऐसे संस्थान की स्थापना करेगी जो कि उस कार्य-बल को अपनी शिक्षा जारी रखने को सम्भव बनायेगी जो कि खाली समय में शिक्षा प्राप्ति के अवसर प्राप्त कर सकते हैं और सामाजिक-आर्थिक प्रणाली के समग्रत: आधुनिकीकरण में सहयोग दे सकते हैं।

हम सभी जानते हैं कि वर्तमान ढांचे ने बहुत से लोगों को शिक्षा के लाभ से वंचित कर रखा है जो कि ज्ञान तो रखते हैं परन्तु उनकी औपचारिक शिक्षा नहीं हुई है या जो आर्थिक अथवा अन्य कारणों से पूर्ण-कालिक आधार पर उच्च शिक्षा जारी नहीं रख सकते हैं या जो अनेक विषयों को सीखने के इच्छुक हैं जो कि औपचारिक प्रणाली में ठीक नहीं बैठ पाते हैं।

12.27 म० प०

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

उनमें से बहुत से हो सकता है डिग्रियों या डिप्लोमाओं की प्राप्ति के इच्छुक न हों, परन्तु बिना किसी प्रकार की जल्दबाजी के कुछ विशेष क्षेत्रों में अपनी जानकारी को बढ़ाना चाहते हों। औपचारिक प्रणाली और विश्वविद्यालयों के आम क्रियाकलाप शिक्षा प्राप्त करने वालों को इन विभिन्न विशेषताओं की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते और न ही कर सकते हैं जो कि शिक्षा प्रक्रिया में स्पष्ट रूप से संगत हैं। शिक्षा प्राप्ति को एक विकल्प प्रदान करके, हमारी शिक्षा प्रणाली की इस गम्भीर खाई को पाटने हेतु हम राष्ट्रीय मुक्त विश्व-विद्यालय स्थापित कर रहे हैं। सभा के समक्ष रखे गये राष्ट्रीय मुक्त विश्व-विद्यालय की स्थापना करने के प्रस्ताव का लाभ यह है कि इससे मुख्यतया ज्ञान के प्रसार और विशेषज्ञता की प्रोन्नति सहित एक लचीली और मुक्त-सीमा प्रणाली विकसित की जा सकती है।

हमारी शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपर्ण आलोचना यह की जाती है कि यह जो पाठ्यक्रम और कार्यक्रम प्रदान करती है उसकी रोजगार के क्षेत्र में उपलब्ध नौकरियों के लिए आवश्यक ज्ञान और दक्षता से कोई संगति नहीं बैठती है। हमारे विश्व-विद्यालयों और महाविद्यालयों द्वारा आजकल पढ़ाये जा रहे पाठ्यक्रमों के पुनर्गठन का दृढ़ प्रयास भविष्य में शिक्षा और रोजगार के बीच के असन्तुलन को कम कर सकता है। हमारे विश्व-विद्यालयों और महाविद्यालयों से पढ़ाई करके निकली हुई एक बड़ी संख्या में लोग फिर भी अपने ज्ञान और दक्षता को बढ़ाने के अवसरों के अभाव की समस्या का निरन्तर सामना करते रहेंगे। हमारा विश्वास है कि मुक्त विश्व-विद्यालय जैसा विशेष तन्त्र उनमें से उनको जीवन में अपनी अयोग्यताओं को कम करने का एक और अवसर प्रदान करेगा जिनमें पढ़ाई प्रारम्भ करने की इच्छा और प्रेरणा है।

आज हमारे विश्व-विद्यालयों और महाविद्यालयों को जिस एक सर्वाधिक कठिन समस्या का सामना करना पड़ रहा है, वह है छात्रों की संख्या का निरन्तर बढ़ता हुआ दबाव। इस दबाव ने हमारी

उच्च शिक्षा के मानकों की प्रत्यक्ष गिरावट में कोई कम योगदान नहीं किया है। संख्या के इस दबाव के एक भाग को पत्राचार पाठ्यक्रम जैसे गैर-औपचारिक माध्यमों द्वारा खपाने के विगत में किए गये प्रयासों ने कोई उल्लेखनीय प्रभाव नहीं दिखाया है। स्पष्टतया, कारण यह है कि आजकल चल रहे पत्राचार पाठ्यक्रम किसी भी तरीके से औपचारिक कार्यक्रमों से भिन्न नहीं हैं। अत: उनकी प्रभावकारिता को औपचारिक शिक्षा की तुलना में भारी क्षति हुई है। दूसरे, दूरस्थ शिक्षा की विमुक्त विश्व-विद्यालय प्रणाली, पत्राचार-पाठ्यक्रमों से व्यापक रूप से श्रेष्ठ होगी और कुछ मामलों में तो उन औपचारिक कार्यक्रमों से भी अच्छी होगी जो नियमित कालेजों द्वारा चलाये जाते हैं। विमुक्त विश्व-विद्यालय जिस बहु-प्रचार वितरण प्रणाली को अपनायेगा वह और अधिक कुशलता का और वकालत, मार्गदर्शन, ग्रीष्म विद्यालय सम्पर्क कार्यक्रमों और प्रयोगशाला सुविधाएं जैसी सेवाएं यह उपलब्ध करा सकता है, जो कि प्रणाली तथा सीखने वाले के बीच और अधिक प्रभावी आन्तरिक-क्रियवाही सुनिश्चित कर सकता है। सबसे बढ़कर इसकी प्रक्रिया'ओं का लचीलापन जो देश, काल-बद्ध शिक्षा की सीमाओं को लांघ जाता है, मुक्त विश्व-विद्यालय प्रणाली को औपचारिक कार्यक्रमों से श्रेष्ठ ठहराता है।

मुक्त विद्यालय की परिकल्पना समग्रत: नूतन नहीं है। प्रथम मुक्त विश्व-विद्यालय की स्थापना ब्रिटेन में 1969 में की गई थी। तब से लेकर, बहुत से विकसित और विकासशील देशों में उल्लेखनीय सफलता के साथ इसको आजमाया गया है। पश्चिम में कनाडा, नीदरलैण्ड्स, स्पेन और पश्चिमी जर्मनी में तथा एशिया में चीन, जापान, इन्डोनेशिया, पाकिस्तान, श्रीलंका और थाईलैण्ड में मुक्त विश्व-विद्यालय हैं। भारत में भी प्रथम मुक्त विश्व-विद्यालय की स्थापना 1983 में आन्ध्र-प्रदेश में की गई थी। आज इस विश्व-विद्यालय में लगभग 28,000 छात्र हैं। कुछ अन्य राज्य भी मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने की योजना बना रहे हैं।

सभा के समक्ष जो प्रस्ताव लाया गया है, उसमें न केवल अनेक कार्यक्रम चलाने वाले मुक्त विश्व-विद्यालय की स्थापना की बात कही गई है, अपितु देश में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली को बढ़ावा देने में नेतृत्व की भूमिका निभाने का भी प्रावधान किया गया है। विधेयक में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रीय मुक्त विश्व-विद्यालय देश में विभिन्न दूरस्थ शिक्षा संस्थानों के कार्य में समन्वय स्थापित करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे एक ऐसा मानक बनाए रखें जो प्रतिष्ठित हो और भारत में इस प्रणाली के लिए विश्वसनीयता का एक उच्च स्तर स्थापित करे। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु, राष्ट्रीय मुक्त विश्व-विद्यालय ऐसे कार्यक्रम प्रारम्भ करेगा जो सावधानीपूर्ण तैयार किये गये। पाठ्यचर्या और विषय अध्ययन सामग्री को समर्थक प्रचार माध्यम एवं सम्पर्क कार्यक्रमों के साथ जिनकी शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं के साथ निश्चित रूप से संगति होगी। विश्व-विद्यालय मूल्यांकन की एक उच्च कुशलतापूर्ण और विश्वसनीय प्रणाली स्थापित करने का भी प्रयास करेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय मुक्त विश्व-विद्यालय दूरस्थ शिक्षा प्राप्ति की अन्य संस्थाओं को संसाधन समर्थन, प्रलेखन, प्रशिक्षण, सुव्यवस्थित तैयारी इत्यादि के माध्यम से देगा।

राष्ट्रीय मुक्त विश्व-विद्यालय का दृष्टिकोण पारम्परिक विश्व-विद्यालयों से सार्थक रूप में भिन्न रहेगा। उनकी तरह इसे अपने स्वयं के संकायों पर निर्भर नहीं करना पड़ेगा। यह देश की सर्वश्रेष्ठ मेधा को सूचीबद्ध करके, अपनी शैक्षिक सामग्री तैयार करने के लिए जहां कहीं यह उपलब्ध है, विशेषज्ञता को उपयोग में ला सकते हैं। यह व्यक्तियों और संस्थाओं/संगठनों को विषयगत एवं सहायक सामग्री तैयार करने के लिए भी बुला सकता है तथा शिक्षकों, मार्गदर्शिकों और ग्रीष्मकालीन

पाठ्यक्रमों के निदेशकों के चुनाव की भी पूर्णतया अपनी ही सुविधाओं पर निर्भर किए बिना, भारी स्वतन्त्रता ले सकता है। यह विश्व-विद्यालय आवश्यक सीमा तथा विश्व-विद्यालय प्रणाली के बाहर के लोगों की विशेषज्ञता और अनुभव का भी लाभ प्राप्त कर सकता है।

हमारा विश्वास है कि राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का देश की समस्त शिक्षा-प्रणाली पर सार्थक प्रभाव पड़ेगा। विश्व-विद्यालय द्वारा प्रस्तुत की गई सामग्री और प्रसार-प्रचार कार्यक्रम उन लोगों को भी उपलब्ध होंगे जिनको कि औपचारिक कार्यक्रमों में प्रवेश दिया गया है। शिक्षण-प्रशिक्षण के औपचारिक प्रणाली के कार्यक्रमों को अनेकों प्रकार से समृद्ध बनाया जायेगा। औपचारिक कार्यक्रमों के मूल्यांकन हेतु संदर्भ का एक ढांचा प्रदान करने के अतिरिक्त पाठ्यक्रमों, पाठ्यचर्या और शैक्षिक सामग्री के विविधीकरण द्वारा यह विद्यालय औपचारिक प्रणाली के पुनः अनुकलन पर पड़ेगा।

जो बात अधिक महत्त्वपूर्ण है, वह यह है कि मुक्त विश्वविद्यालय शैक्षिक प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में न केवल आदर्श उदाहरण पेश करके अपितु अधिकाधिक व्यक्तियों को इस प्रौद्योगिकी में प्रशिक्षित करके एक नये युग का सूत्रपात करेगा।

विधेयक में हमने राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के साथ कालेजों को संबद्ध करने की व्यवस्था की है। इस व्यवस्था द्वारा किसी भी संस्थान के समक्ष एक विकल्प होगा जिससे उसकी परिधि का विस्तार होगा। इस विकल्प की उपलब्धता उस शिक्षा-पद्धति के लिए एक चुनौती होगी जो हमारे विचार में परंपरागत संबद्ध विश्वविद्यालयों में उत्कृष्टता की भावना को बल देगी। मैं आशा करता हूं कि इस चुनौती से विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में समान लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु संरक्षक-आश्रित रवैये के स्थान पर रचनात्मक भागीदारी का विकास होगा।

भारत में किसी स्थान पर रहने वाले विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय में दाखिला दिया जाएगा। विश्वविद्यालय में प्रवेश के लिए पात्रता का मापदण्ड औपचारिक योग्यता और आयु में ढील देने की आवश्यकता को ध्यान में रखकर और इन विकल्पों पर सावधानीपूर्वक विचार करने के बाद तय किया जाएगा। विश्वविद्यालय यदि उचित समझेगा तो अपने राष्ट्रीय स्वरूप को व्यावहारिक रूप देने के लिए क्षेत्रीय केन्द्र स्थापित करेगा। हमें आशा है कि इस प्रकार राष्ट्रीय मुक्त विश्व-विद्यालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता में महत्त्वपूर्ण योगदान दे सकता है।

राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय डिग्री, डिप्लोमा और प्रमाण-पत्र प्रदान करने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करेगा। प्रत्येक कार्यक्रम की अपनी एक निश्चित अवधि होगी और अंक प्राप्त करने की प्रणाली इस प्रकार बनाई जाएगी विद्यार्थी कि अपनी सुविधानुसार शिक्षा जारी रख सकेंगे। इसकी अन्य विश्वविद्यालयों से प्रतिस्पर्धा रहेगी और विद्यार्थियों की संख्या में कमी आने दिए बिना अपना शिक्षा स्तर उच्च कोटि को बनाये रखेगा। मुक्त विश्वविद्यालय को अन्य विश्व-विद्यालयों की अपेक्षा एक लाभ यह भी प्राप्त होगा कि शिक्षा प्राप्ति के लिए उत्साही व्यक्ति ही इसमें दाखिला लेंगे।

मुझे पूरा विश्वास है कि सभा इस बात से पूर्णतया सहमत होगी कि राष्ट्रीय मुक्त विश्व-विद्यालय का नाम श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखा जाना बिल्कुल ठीक है। सर्वथा उपयुक्त है वह हमारी प्रधान मंत्री और विश्व की एक प्रमुख नेता होने के साथ-साथ एक ऐसी हस्ती थीं जिन्होंने जीवन-भर गरीबों और पिछड़े वर्गों की चिन्ता की और जो सतत् श्रेष्ठता की खोज करती

रहीं । मन और आत्मा के अपने अजेय स्रोतों का निरन्तर विकास करते हुए और उन्हें संवारते हुए तथा अनुभव से सदा सीखने के लिए तत्पर रहते हुए उनका व्यक्तित्व जिस प्रकार दिन प्रतिदिन निखरता चला गया उससे वह सतत् शिक्षा की प्रतीक बन गई थीं । जीवन-भर उन्हें भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा । उन्होंने उन सभी का सामना सफलतापूर्वक किया, तथा भारत का सम्मान, अखण्डता एवं एकता बनाए रखी क्योंकि उन्होंने आगामी घटनाओं को समझने में अत्यन्त समझदारी, साहस और बुद्धिमता का परिचय दिया, जिससे वह अपने उद्देश्य अथवा लक्ष्य से दूर हुए बिना एक नया दृष्टिकोण अपना सकीं और उन घटनाओं के अनुसार अपने आपको ढाल सकीं । श्रीमती इन्दिरा गांधी के मार्गदर्शन और नेतृत्व में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की बात सोची गयी । अत: उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय खोलना उपयुक्त है तथा यह सुनिश्चित करने का प्रत्येक संभव प्रयास किया जाना चाहिए कि यह संस्थान अपना स्तर श्रीमती गांधी के नाम के अनुरूप बना सके ।

इन शब्दों के साथ, महोदय, मैं विधेयक को सभा के विचारार्थ रखता हूं ।

**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालय और दूर-शिक्षा पद्धति के प्रारम्भ और संवर्धन के लिए तथा ऐसी पद्धतियों में स्तरमानों के समन्वय और अवधारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये ।"

अब श्री सैफुद्दीन चौधरी अपना संशोधन प्रस्तुत करेंगे ।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : महोदय, मैं प्रस्तुत करता हूं :

"कि देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालय और दूर-शिक्षा पद्धति के प्रारम्भ और संवर्धन के लिए तथा ऐसी पद्धतियों में स्तरमानों के समन्वय और अवधारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने वाले विधेयक को 14 सदस्यों वाली चयन समिति को* सौंपा जाये, नामवार :—

(1) श्रीमती अकबर जहां अब्दुल्ला

(2) श्री अमल दत्त

(3) श्री जगजीवन राम

(4) डा० कल्पना देवी

(5) श्री सुरेश कुरुप

(6) श्रीमती गीता मुखर्जी

(7) श्री कृष्ण चन्द्र पन्त

(8) श्री सी० जंगा रेड्डी

(9) श्री एस० जयपाल रेड्डी

*इन अनुदेशों के साथ कि वह अपना प्रतिवेदन अगले सत्र के प्रथम दिन तक दे दें । (86)

(10) डा० सुधीर राय

(11) श्री अमर राय प्रधान

(12) श्री एन० वी० एन० सोमू

(13) श्री पीयूष तिरकी तथा

(14) श्री सैफुद्दीन चौधरी।"

**श्री आनन्द गजपति राजू** (बोबिली) : उपाध्यक्ष महोदय, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना वास्तव में एक संगत योग्य कार्य है। परन्तु मैं इस सम्मानित सभा के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूं कि वर्ष 1983 में आन्ध्र प्रदेश ने एक मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की पहल की थी। केन्द्र में मुक्त विश्वविद्यालय खोलने के लिए उन्होंने आन्ध्र प्रदेश से कुछ प्रतिभाशाली व्यक्तियों को बुलाया है। अतः यह एक स्वागत योग्य कदम है। मुझे खुशी है कि केन्द्र में मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना में आन्ध्र प्रदेश ने भी योगदान किया है। महोदय, आजकल शिक्षा का विकास औपचारिक ढंग से हो रहा है। यह शिक्षा प्रणाली, गैर-समतावादी और केवल ऊंचे वर्ग के लोगों के लिए है और यह सभी के लिए खुली नहीं है। अतः लोगों के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने, मानव कुशलता का विकास करने और शिक्षा में अनौपचारिक दृष्टिकोण अपनाने के संदर्भ में मुक्त विश्वविद्यालय शैक्षणिक कुशलता को विकसित करने में मील का पत्थर सिद्ध होगा।

महोदय, वर्तमान शिक्षा प्रणाली में बहुत-से लोग पढ़ाई छोड़ जाते हैं। गरीब पिछड़े तबकों से आने वाले बुद्धिमान एवं कर्मठ बच्चों को आजकल की औपचारिक शिक्षा प्रणाली में कोई स्थान नहीं मिलता। अतः उस मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का स्वागत है जिसके द्वारा प्रतिभा को काम में लाया जाता है उसका विकास किया जाता है तथा उपयोग किया जाता है। शिक्षा के प्रति अनौपचारिक दृष्टिकोण न केवल उच्च शिक्षा के मामले में आवश्यक अथवा फायदेमन्द है। अपितु यह सभी शिक्षा-स्तरों के लिए लाभकारी होगा। अतः मुक्त विश्वविद्यालय का विस्तार न सिर्फ महाविद्यालयों तथा उच्चतर शिक्षा तक ही सीमित रखा जाना चाहिए अपितु इसका विस्तार विद्यालयों तक भी होना चाहिए जहां गरीब भाग्यहीन बच्चों को औपचारिक शिक्षा दे सकें।

मुक्त विश्वविद्यालय की उत्पत्ति निश्चित रूप में शिक्षा की पत्राचार प्रणाली से हुई है, जोकि 20वीं सदी से चली आ रही है।

संचार क्रान्ति के बाद संचार माध्यम का इस क्षेत्र में प्रवेश वास्तव में एक सराहनीय कदम है। मानवीय कुशलता का निर्माण करने की प्रक्रिया में मितव्ययता के साथ-साथ अधिक से अधिक लोगों को उसका लाभ पहुंचाने की आवश्यकता है तथा मुक्त विश्वविद्यालय एक ऐसी प्रणाली है जिसके द्वारा इन धारणाओं का उचित उपयोग और उनसे भली-भांति लाभान्वित हुआ जा सकता है।

अतः आज हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक आर्थिक रवैये का अभाव है और मैं कहूंगा कि कुछ हद तक इस अन्तर को मुक्त विश्वविद्यालय कम करेगा। मुक्त विश्वविद्यालय के पीछे जो दर्शन है वह निश्चित ही आकर्षणीय है परन्तु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है, मुक्त विश्वविद्यालय की कार्य-कुशलता एवं सक्षमता में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाना। इसके लिए आवश्यक उपकरण अवश्य ही अच्छी किस्म के होने चाहिए। अगर दोषपूर्ण उपकरण लगाए जाएंगे तो इससे मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

आजादी के पश्चात् से हमारी शिक्षा प्रणाली में केवल परिमाणात्मक वृद्धि हुई है। आवश्यकता गुणात्मक प्रयासों की है जिससे शिक्षा का स्तर बढ़ाया जा सके। यह तभी हो सकता है जब गुणात्मक पहलुओं को ध्यान में रखा जाये तथा प्रतिभावान व्यक्तियों को न सिर्फ शिक्षा क्षेत्रों से ही अपितु सर्व साधारण के सभी वर्गों से लिया जाये। इससे मानवीय कुशलता को बनाने एवं इसका विकास करने में मदद मिलेगी।

मुक्त विश्वविद्यालय के क्षेत्र में विस्तार करने की आवश्यकता है। इसकी भूमिका पर और अधिक जोर दिया जाना चाहिए। आन्ध्र प्रदेश सरकार में दो वर्षों तक शिक्षा का काम देखने का अनुभव होने के नाते मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि नए महाविद्यालय और नए शिक्षा संस्थान खोलने पर प्रतिबन्ध लगा देना चाहिए। हमने यह सुझाव इसलिए दिया था क्योंकि शिक्षा का स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है और अगर राज्य में कोई नई शिक्षा संस्थान खोले जाते हैं तो वे मुक्त विश्वविद्यालय के दायरे में ही होने चाहिए ताकि विद्यार्थियों को मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए शिक्षा प्राप्त करने का लाभ मिल सके तथा साथ ही शिक्षा का स्तर भी कम न हो जोकि पिछले कई वर्षों से बुरी तरह गिरता जा रहा है। इस समय मैं सुझाव देना चाहूंगा कि प्राचीन भारत में अपनायी जाने वाली 'गुरुकुल' प्रणाली को भी मुक्त विश्वविद्यालय में सम्मिलित किया जा सकता था क्योंकि इस पद्धति के बहुत से लाभ हैं तथा सर्वप्रथम लाभ था श्रेष्ठता की खोज करना तथा अच्छी मानव परिस्थितियों के प्रयास में खोज का सम्मिश्रण करना। अतः चीन तथा जापान की मास्टर पद्धति, मुक्त विश्वविद्यालय तथा गुरुकुल पद्धति को औपचारिक रूप देना चाहिए ताकि हमारी प्रणाली सर्वश्रेष्ठ हो तथा अन्य देशों में अपनायी जा रही पद्धतियों से किसी भी प्रकार से कम न हो क्योंकि मुक्त विश्वविद्यालय की शुरुआत पहली बार सन् 1969 में ब्रिटेन में की गई थी और अब यह काफी देशों में प्रचलित है तथा हम यह कामना करेंगे कि हमारी पद्धति न सिर्फ भारत में ही अपितु विश्व में सबसे अच्छी हो। अतः मुक्त विश्वविद्यालय को निरक्षरता को भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। आज हमारे देश में यद्यपि स्नातक स्नातकोत्तर एवं विद्यार्थियों की काफी संख्या है जिन्होंने इस शैक्षणिक पद्धति से शिक्षा प्राप्त की है, फिर भी हम उनमें कार्यात्मक निरक्षरता देखते हैं तथा वे लोग समाज की मांगों के अनुरूप खरे नहीं उतर पाते हैं, जिसकी उनसे आशा की जाती है।

अन्त में मैं इस सम्मानित सभा का ध्यान 'पंचतंत्र' की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। जिसमें इसी पूर्व भारत से सम्बन्धित पुरानी कथाएं हैं। 'पंचतंत्र' में राजकुमारों के सम्बन्ध में पांच कहानियां हैं जिसमें राजकुमारों को कुछ महीनों के समय में जीवन की वास्तविकताओं के बारे में शिक्षा दी जानी थी। इसमें जीवन की वास्तविकताओं को पांच कहानियों के रूप में उनके समक्ष रखा गया है। अतः अगर मुक्त विश्वविद्यालय के कार्यक्रम संक्षिप्त एवं मधुर हों और पांच कहानियों में समाप्त होने वाले हों तथा मानवीय निपुणता का विकास करने वाले भी हों, तब हम इस प्रणाली का निश्चित रूप में समर्थन करेंगे तथा यह विश्वविद्यालय निश्चित रूप में देश में निपुणता का विकास करने वाला होगा।

**प्रो० एन० जी० रंगा** (गुंटूर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारे शिक्षा मंत्री जी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि उन्हें इस विधेयक को पुरःस्थापित करने का अवसर मिला है तथा उन्होंने इतना मनोहर भाषण दिया है। मैं तेलुगूदेशम के वक्ता श्री राजू को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने बहुत ही लाभप्रद एवं रचनात्मक भाषण दिया। मैं उनसे सहमत हूं कि सम्पूर्ण भारत में मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की पहल करने के लिए आन्ध्र प्रदेश ने वाह-वाही लूटी है। परन्तु मुक्त

विश्वविद्यालय खोलने के पीछे बहुत बड़ा एवं लम्बा इतिहास है। जो इस मुक्त विश्वविद्यालय के लिए प्रेरणा स्रोत है। भारत में, यह तत्कालीन कांग्रेस के तत्वाधान में जिसमें वर्तमान राजनैतिक दलों, अखिल भारतीय दलों के सभी मौजूदा नेताओं ने अपना प्रशिक्षण प्राप्त किया था और अपने राजनैतिक जीवन की शुरुआत की थी, हमने इस तरह के शैक्षणिक दृष्टिकोण की आवश्यकता को समझा। अतः हमने बहुत-सी संस्थाएं खोलीं। उनमें से कुछ को 'सिटीजनशिप कालेजों' के नाम से जाना जाता था। कुछ अन्य मजदूर महाविद्यालय थे। मैंने स्वयं कई किसान महाविद्यालय, किसान संस्थान और किसान विद्यालय खोले। हमने ग्रीष्मकालीन विद्यालय और सप्ताहान्त विद्यालय भी चलाए। और इस प्रकार हमने उच्च-विद्यालयों और महाविद्यालयों से पढ़ाई छोड़ जाने वाले बहुत-से युवाओं के लिए राष्ट्रीय आन्दोलन में उनके द्वारा तथा उनके माध्यम से अन्यों द्वारा निभाई जाने वाली राजनीतिक भूमिका के लिए अपेक्षित प्रशिक्षण, प्रेरणा और ज्ञान प्राप्त करना संभव बनाया। इस प्रकार हमने प्रत्येक क्षेत्र में लाखों लोगों को प्रशिक्षित किया। इन सब प्रयासों से पूर्व गुरुदेव टैगोर द्वारा महान विश्व-भारती आरम्भ की गई थी। इससे ही इनमें से अधिकांश को इन खुली शैक्षिक संस्थाओं को आरम्भ करने की प्रेरणा मिली थी। इन मुक्त विश्वविद्यालयों को खोलने में पहल इंग्लैंड ने की है परन्तु उसे भी अधिक समय नहीं हुआ है। परन्तु अब इन्दिरा जी ने अपने जीवन के अन्तिम 1½ वर्ष में दूरदर्शन का विस्तार करते हुए इस प्रकार की संस्था चलाने के लिए महान व्यावहारिक योगदान किया। मैं नहीं जानता उन्होंने यह सब कैसे कर लिया, उन्होंने विभिन्न संबंधित विभागों के प्रशासनिक अधिकारियों को राजी किया और एक गतिशील ढंग से इतने सारे दूरदर्शन केन्द्रों की स्थापना हेतु वार्षिक बजट में रखी गई राशि से भी 25 करोड़ रुपये अधिक व्यय करना संभव बनाया। उन्होंने यह क्यों किया? इसके पीछे क्या विचार था? देश-भर में, न केवल कस्बों के बल्कि गांव के ऐसे लाखों लोगों के लिए, जिनसे शैक्षिक संस्थाएं अन्य किसी ढंग से संबंध स्थापित नहीं कर सकीं, वैज्ञानिक, ऐतिहासिक ज्ञान और जानकारी प्राप्त करना सभव बनाने हेतु वह उपग्रह का इस्तेमाल करना चाहती थीं। हमें यह साधन मिला है। अन्य विश्वविद्यालयों के महाविद्यालयों और विश्वविद्यालय स्तर पर जहां बड़ी-बड़ी इमारतें हैं, वहीं मुक्त विश्वविद्यालय के पास अपनी आरम्भिक पूंजी के रूप में उपग्रह और दूरदर्शन हैं।

जब ब्रिटिश शासकों ने महात्मा गांधी और देश के अन्य राष्ट्रीय नेताओं पर यह आरोप लगाया कि वे अपने लिए समर्थन जुटाने हेतु देश की आम जनता के अज्ञान से लाभ उठाने का प्रयास कर रहे हैं तो महात्मा गांधी ने उत्तर दिया हमारे लोग अज्ञानी नहीं हैं, वे व्यावहारिक दृष्टि से अनपढ़ हो सकते हैं परन्तु वे शिक्षित हैं, उन्होंने कत्थरुकली, हरिकथा, जंगम कथा और हमारी अन्य कई लोकप्रिय धार्मिक और सांस्कृतिक कलाओं जैसे शिक्षा और सांस्कृतिक शिक्षा के विकास और प्रसार के पारम्परिक तरीकों से सांस्कृतिक विरासत अर्जित की है। इन सबसे हमारे देशवासियों ने पुरुषों और स्त्रियों ने हमारी प्राचीन संस्कृति और इतिहास की जानकारी प्राप्त की है तथा परंपरागत विद्या अर्जित की है। इसके अतिरिक्त वे उन्होंने पुराण कलाक्षेपों से ज्ञान अर्जित किया और तर्कविद्या प्राप्त की। और यह हमारे गांवों में होता था। मैं नहीं जानता कि क्या हम उन विस्तृत पर्वतीय एकान्त स्थलों को छोड़ सकते हैं जहां आदिवासी लोग इन साधनों के बिना रहने के लिए बाध्य हैं। शेष भारत में हमारे पास ये सब साधन हैं, जिनके माध्यम से हमारे माता-पिता प्रकृति, प्राकृतिक शक्तियों, हमारे इतिहास तथा सम्पूर्ण विश्व के बारे में आवश्यक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और ये ही मुक्त विश्वविद्यालय का आधार होंगे। हमारी सरकार द्वारा विकसित की जा रही उपग्रह प्रणाली का, दूरदर्शन का और अन्य उपकरणों का इसमें योगदान होगा और ये लाभदायक सिद्ध

होंगे। इसके अतिरिक्त हमारे पास पारंपरिक विद्या है। सिनेमा भी हाल ही में सहायक सिद्ध हुआ है। परन्तु दुर्भाग्यवश इससे अपेक्षित सहायता नहीं मिली है और पिछले 15 या 20 वर्षों से वे किसी न किसी प्रकार पश्चिम की नकल करने में विशेष रूप से अमरीका पश्चिम की नकल करने में प्रतिस्पर्धा करते रहे हैं और रचनात्मक कार्यों की बजाए लोगों को परस्पर व्यवहार में हिंसात्मक तरीकों को अपनाने में सहायता करते रहे हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : और अधिकतम अपराध अमिताभ बच्चन द्वारा किए गये हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : केवल सिनेमा में।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : सिनेमा एक रचनात्मक भूमिका निभा सकता है और इसे निभानी चाहिए। हमें इसका लाभ उठाना है। ये साधन हैं परन्तु वे पर्याप्त नहीं हैं। पारम्परिक विश्वविद्यालय और महाविद्यालय पांच या दस प्रतिशत से अधिक युवाओं को शिक्षा नहीं दे सके हैं जो वास्तव में विश्वविद्यालय में शिक्षा पाने योग्य तो हैं परन्तु साथ ही वे महाविद्यालयों या विश्वविद्यालयों में इसलिए प्रवेश नहीं पा सके हैं क्योंकि वे इतने निर्धन हैं कि फीस भी नहीं दे सकते अथवा उन्हें छोटी आयु में ही जीविका कमाने के लिए लग जाना पड़ा है। इन लोगों के लिए यह मुक्त विश्वविद्यालय बहुत ही सहायक होगा। ऐसे लोगों के लिए न केवल इसके द्वार खुले हैं बल्कि शिक्षा के सभी अवसर उपलब्ध हैं।

हाल ही में हमने अपने युवाओं को तकनीकी शिक्षा प्रदान करने की आवश्यकता की ओर तथा उन्हें विभिन्न रोजगारों के लिए तैयार करने की ओर विशेष ध्यान देना आरम्भ किया है। हमारे यहां पोलिटेकनिक संस्थायें हैं परन्तु वे भी अत्यन्त महंगे हैं और कम हैं फिर भी इन पोलिटेकनिक में लाखों विद्यार्थी शिक्षा पा रहे हैं और उनकी शिक्षा पूरी होने के बाद उन्हें डिप्लोमा दिया जाता है। ऐसे लोगों में डिग्रीधारियों की तुलना में जो हीन भावना पैदा होती है उसे प्रशिक्षण द्वारा, शैक्षिक सुविधाओं द्वारा तथा इस मुक्त विश्वविद्यालय में उपलब्ध अवसरों द्वारा, जिनका वे पोलिटेकनिक संस्थाओं में पढ़ते हुए और तकनीकी डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त करने के बाद, विभिन्न व्यवसायों में जीविका अर्जित करते हुए लाभ उठायेंगे, दूर करने में सहायता करनी होगी। हम जल्दी ही पांच या दस वर्ष के अन्दर इन लाखों तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को सांस्कृतिक शिक्षा, गैर-तकनीकी शिक्षा तथा गैर पारंपरिक शिक्षा की अतिरिक्त सुविधा प्रदान कर सकेंगे। इस प्रकार इस विश्वविद्यालय से अत्यधिक संभावनाएं हैं, विशेषरूप से हमारे जैसे देश में, जहां हम सभी को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने में, निरक्षरता को पूर्णतया समाप्त करने में लज्जाजनक रूप से असफल रहे हैं तथा जहां हम इस शताब्दी के अन्त तक भी सभी के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। वहां इस प्रकार का विश्वविद्यालय होना अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार का केवल एक विश्वविद्यालय नहीं अपितु सम्पूर्ण भारत में कई विश्वविद्यालय खोलने होंगे। मैं चाहता हूं कि सभी राज्य इसे अपना लें जैसा कि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने इस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के तत्वावधान में एक राष्ट्रीय विश्वविद्यालय क्यों होना चाहिये।

**1.00 म० पू०**

हमें राज्य स्तर पर मुक्त विश्वविद्यालयों से सन्तोष क्यों नहीं करना चाहिये ? इसका कारण यह है कि केन्द्र के पास पर्याप्त पैसा है—राज्य सरकारों से अधिक।

इसके अतिरिक्त यहां संसद भी है। संसद सम्पूर्ण भारत का ख्याल रखती है, सम्पूर्ण भारत के लिए काम करती है। संसद एक ऐसी संस्था है जो केन्द्र सरकार को इसके लिए पर्याप्त पैसा अलग रखने के लिए राजी कर सकती है। इसलिए हमें इस राष्ट्रीय विश्वविद्यालय और राज्य स्तर पर मुक्त विश्वविद्यालयों की आवश्यकता है। मुझे प्रसन्नता है कि आन्ध्र प्रदेश सरकार को आन्ध्र मुक्त विश्वविद्यालय के उप कुलपति के लिए एक अत्यन्त सुयोग्य व्यक्ति मिल गया है और केन्द्र ने भी उसे इसके विश्वविद्यालय के लिए अच्छा पाया है। इस प्रकार यह एक ऐसा योगदान है जिस पर आन्ध्र को गर्व हो सकता है और केन्द्र भी इस योगदान के लिए आन्ध्र मुक्त विश्वविद्यालय का आभारी है।

मैं इस विश्वविद्यालय की पूर्ण सफलता की कामना करता हूं और इस दिशा में प्रारम्भ में महात्मा गांधी की प्रेरणा से पहल करने वाले आन्दोलन तथा दिसम्बर, 1933 में स्थापित अखिल भारतीय प्रौढ़ शिक्षा ने अधिकतम योगदान किया है।

मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और इस संस्था को आशीर्वाद देता हूं और अपने महान मित्र और महान नेता श्री गोविन्द बल्लभ पन्त के सुपुत्र को बधाई देता हूं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : वह पहले ही आपको आशीर्वाद दे चुका है।

**श्री हरद्वारी लाल** (रोहतक) : उपाध्यक्ष महोदय, सभा के समक्ष विधेयक पिछले जनवरी में प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्र के नाम अपने प्रथम प्रसारण में दिए गए एक और वायदे को पूरा करता है। मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं।

जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा है कि यह विधेयक इन्दिरा जी के अमर नाम पर बनाये गये विश्वविद्यालय के सम्बन्ध में है। यह स्मरण होगा कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का विचार सबसे पहले 1976 में आया था। वास्तव में यह मुक्त विश्वविद्यालय इन्दिरा जी का एक उपयुक्त स्मारक होगा। मेरे विचार में शिक्षा मंत्री इसे अपना सौभाग्य समझेंगे कि इन्दिरा जी के विचार को मूर्त रूप देने का अवसर उन्हें मिला है। उन्होंने तथा उनके प्रमुख सलाहकारों ने इस विधेयक को तैयार करने में असाधारण रूप से अच्छा कार्य किया है और इसके लिए वह सभा द्वारा धन्यवाद के पात्र हैं।

महोदय, मैंने देखा है कि माननीय सदस्यों ने बहुत सारे संशोधन पेश किये हैं। आरम्भ में, मैं उनमें से दो का उल्लेख कर रहा हूं परन्तु इसका अर्थ यह नहीं है कि मैं किसी का अपमान कर रहा हूं। एक सुझाव यह है कि इस विधेयक को सभा की प्रवर समिति को भेज दिया जाये। मैं इस सुझाव का विरोध करता हूं। उप कुलपति के अधिकारों से सम्बन्धित कुछ त्रुटियों के अतिरिक्त इस विधेयक के अन्य सभी उपबन्ध बिलकुल ठीक हैं और विश्वविद्यालय प्रशासन के बुनियादी तथा समय की कसौटी पर खरे उतरे सिद्धांतों के अनुरूप हैं।

दूसरा संशोधन प्रबन्ध बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में है। मैं जब बोर्ड से सम्बन्धित उपबन्ध की चर्चा करूंगा तब मैं उससे अपनी सहमति व्यक्त करूंगा। उसके बाद, मैं यह निवेदन करके शुरू करूंगा कि यह मुक्त विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा की एक सही वैकल्पिक प्रणाली नहीं है। मेरी राय में यह एक अच्छा पूरक होगा, हमारी शिक्षा के ढांचे का एक महत्वपूर्ण अंग होगा जिसमें ऐसे सुधार होंगे। जिन्हें वर्तमान विश्वविद्यालय भी यदि अपनायें, तो उन्हें बहुत लाभ होगा।

शिक्षा मंत्री ने कहा है कि वर्तमान विश्वविद्यालयों और कालेजों पर बहुत भार है और जिस आकार और प्रकृति के मुक्त विश्वविद्यालय की विधेयक में कल्पना की गई है, उससे निश्चय ही यह

दबाव कम होगा, और देश में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में निश्चय ही लाभ पहुंचेगा। हमें यह भी स्वीकार करना चाहिये कि यदि यह मुक्त विश्वविद्यालय उचित संख्या में क्षेत्रीय अध्ययन केन्द्रों को देश के विभिन्न भागों में खोलने में सफल होता है, यदि यह वर्तमान विश्वविद्यालयों और कालेजों का सहयोग प्राप्त करने में सफल रहता है, यदि यह विधेयक के खण्ड 5 में उल्लिखित बहुत से दूसरे क्रियाकलापों को भी हाथ में लेता है तो यह समाज के उपेक्षित वर्ग को भी अच्छी प्रकार की उच्च शिक्षा प्राप्त कराने में सक्षम हो पायेगा। लेकिन, महोदय, यदि एक बड़ा यदि है, हम एक मुक्त विश्वविद्यालय की ओर बढ़ रहे हैं, जो वास्तव में एक बहुत बड़ा काम है और मैं वास्तव में इस बात से सहमत नहीं हूं कि विधेयक के वित्तीय ज्ञापन में जिस विधि का उल्लेख किया गया है, वह जिस ढंग का मुक्त विश्वविद्यालय हम चाहते हैं, उसके लिए काफी होगा हमें इस मुद्दे पर बिलकुल स्पष्ट होना चाहिये।

मुझे यह लगता है कि मुक्त विश्वविद्यालय की वित्तीय आवश्यकताओं का मूल्यांकन कम किया गया है और जब तक हम इस विश्वविद्यालय को इससे अधिक नहीं देते— शिक्षा मंत्रालय के सीमित अनुदान से जितना देना सम्भव है उससे कहीं अधिक नहीं देते तब तक खला विश्वविद्यालय उस ढंग की संस्था नहीं बन सकेगी जिस ढंग की हमारी योजना है। दरअसल, मैं जो कह रहा हूं उसके पीछे ज्ञान और अनुभव है। मैंने स्वयं दो विश्वविद्यालयों का आरंभ से ही संगठन किया है। मैं ब्रिटेन के मुक्त विश्वविद्यालय से परिचित हूं। मुक्त विश्वविद्यालय के लिए धन की आवश्यकता उससे कहीं ज्यादा है जितनी शिक्षा मंत्री ने अपेक्षा की है और चूंकि हमारे वित्तीय साधन बहुत ही सीमित हैं— यह हम जानते हैं—और चूंकि हमें अधिक मात्रा में धन चाहिए इसलिए, मैं यह सुझाव दूंगा कि हमें कई मामलों में व्यय में कटौती करनी चाहिए और कई परियोजनाओं को बन्द कर देना चाहिए।

मैं इस सम्बन्ध में कुछ सुझाव दूंगा, मुक्त विश्वविद्यालय, निरन्तर शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा को अपने हाथ में ले सकता है, और बदले में हम उसे धन दे सकते हैं जो इस समय में हम प्रौढ़ शिक्षा पर व्यय कर रहे हैं।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : ठीक है।

**श्री हरद्वारी लाल** : दूसरे, राज्यों को इस बात के लिए तैयार किया जा सकता है कि वे अपने सही ढंग से नहीं चल पा रहे सरकारी और सहायता प्राप्त संस्थाओं को मुक्त विश्वविद्यालय को सौंप दें। ताकि मुक्त विश्वविद्यालय अपने क्षेत्रीय केन्द्रों और अध्ययन केन्द्रों को वहां शुरू कर सके और उसे इमारतों और उपकरणों पर अधिक व्यय न करना पड़े।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : ठीक है।

**श्री हरद्वारी लाल** : तीसरे, विश्वविद्यालय द्वारा चलाये जा रहे कोई 2000 पत्राचार पाठ्य क्रम को, जो अनियमित रूप से चलते हैं, स्वयं किया जा सकता है और वहां काम कर रहे कर्मचारियों को और उनकी इमारतों को मुक्त विश्वविद्यालय को दिया जा सकता है।

मेरा यह भी सुझाव है कि हमें अब और कोई समान विश्वविद्यालय नहीं स्थापित करने चाहिए सिवाय उनके जिन्हें सरकार, राष्ट्र के हित में, शीघ्र स्थापित करना बहुत आवश्यक समझती है।

उदाहरणार्थ, प्रधानमंत्री ने एक पूरा और एक आधा विश्वविद्यालय असम में स्थापित करने का वचन दिया है और कछार में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय और पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय का एक परिसर खोलने का वायदा किया है।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : ठीक है।

**श्री हरद्वारी लाल** : यह भी सुझाव है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय को सरकार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। और सत्र की कार्यसूची में पांडिचेरी विश्वविद्यालय के लिए भी विधेयक है। शिक्षा मंत्री से मेरा यह सुझाव है कि यह सब एक साथ ही लिए जाने चाहिए तथा पांडिचेरी विश्वविद्यालय विधेयक को पास करवाने में उन्हें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। फिर, यह मुक्त विश्वविद्यालय भी है। इसके लिए भी बड़ी धनराशि चाहिए।

इसके अतिरिक्त एक और बाधा भी हमें पार करनी है। हम सब अपनी-अपनी दुकान खोलकर बैठ जाते हैं। जब तक विभिन्न मंत्रालयों में आपस में तालमेल नहीं होगा, मुक्त विश्वविद्यालयों पर संकट आ जायेगा। मैं समझता हूं कि शीर्ष स्तर पर कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन नीचे के स्तर पर अवश्य मुश्किल होगी जब तक हम नियमों की संहिता को बनाकर उसे सख्ती से लागू नहीं करते।

मुक्त विश्वविद्यालय, जैसा कि प्रो० रंगा ने बताया है अपनी सफलता के लिए जन संचार के साधनों—रेडियो और दूरदर्शन—की कार्यकुशलता और सहयोग पर निर्भर करेगा। अभी न केवल उनकी कार्यकुशलता तथा सहयोग को सुनिश्चित करना है वरन् हमें दूरदर्शन का व्यापक विस्तार भी करना है। जैसाकि कुछ दिन पूर्व प्रधानमंत्री ने बताया है अभी तक हमने दूरदर्शन के विस्तार के प्रथम चरण को ही पूरा किया है।

जो भी हो, यदि ढंग से कार्यान्वित किया गया, मैं फिर दोहराना चाहूंगा, कि यदि ढंग से कार्यान्वयन किया गया तो यह विधेयक निश्चय ही हमें एक ऐसा मुक्त विश्वविद्यालय देगा जो लोगों की बड़ी उपयोगी सेवा करेगा। उनकी भी जो परम्परागत विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा के लिये नहीं जा सकते और उनकी भी जो, जैसा कि माननीय शिक्षा मंत्री ने कहा, हर वर्ष निरन्तर बढ़ते हुए ज्ञान के साथ-साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं यह भी सोचता हूं कि मुक्त विश्वविद्यालय देश भर में एक ऐसे आन्दोलन को जन्म देगा जो लोगों को आत्म सुधार के लिए ज्ञान प्राप्ति हेतु प्रेरित करेगा, और ये कार्यक्रम, यदि विवेकपूर्ण ढंग से तैयार किए गए और उचित ढंग से क्षेत्रीय भाषाओं में प्रस्तुत किए गए तो उनसे राष्ट्रीय एकता के संदर्भ में भी मदद मिलेगी।

लेकिन मैं मुक्त विश्वविद्यालय की प्रशंसा में गीत नहीं गाऊंगा। मुझे खेद है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता और इसके निश्चित कारण हैं। शिक्षा प्रदान करने की एक संस्था के रूप में हमें मुक्त विश्वविद्यालय का आवश्यकता से अधिक मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। इसमें उन चीजों का—अध्यापकों की महत्वपूर्ण थपकियों का तथा लोरियों का अभाव होगा जो छात्रों को उत्साहित करने और डराने के लिए आवश्यक हैं जिससे कि वे श्रेष्ठतम प्रयत्न कर सकें। इससे छात्रों के अनदेखे समूह में उस प्रतियोगी भावना का भी अभाव होगा जो शिक्ष में श्रेष्ठता प्राप्त करने के लिए एक शक्तिशाली प्रेरक है।

यह ठीक है कि मुक्त विश्वविद्यालय दूरदर्शन से चल सकेगा परन्तु दूरदर्शन से कक्षा के कमरे तथा छात्रावास का विकल्प नहीं है। साथ ही हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 21वीं सदी में भी उचित शिक्षा शिक्षकों और छात्रों, तथा स्वयं छात्रों के मस्तिष्कों के बीच टकराव का विषय रहेगी तथा समाज में साथ रहने की बात रहेगी।

अतः मैं कहूंगा कि मुक्त विश्वविद्यालय कक्षा के कमरे तथा छात्रावास का विकल्प नहीं है, मैं इस बात से सहमत हूं कि यह लोगों की अपने विशेष ढंग से उपयोगी सेवा करेगा।

साथ ही, हमें यह नहीं समझ लेना चाहिए कि इससे शिक्षा के समान अवसरों की उपलब्धि में मदद मिलेगी। हम शिक्षा के समान अवसर तभी ला सकते हैं जब हम ग्रामीण स्कूलों में सुधार करें और यदि हम वास्तव में एक बड़े पैमाने पर तथा सस्ती उपचारी शिक्षा की व्यवस्था कर सकें। केवल इस विश्वविद्यालय की स्थापना मात्र से ही हमारे लिए शिक्षा के अवसरों में समानता लाना सम्भव नहीं हो पाएगा।

अब इस विधेयक में कुलपति को दी गई शक्तियों के विषय में एक शब्द कहूंगा। मैं जानता हूं कि हमारी परिस्थितियों में, एक कुलपति के पास अपने मुश्किल कार्यभार को चलाने के लिए काफी विस्तृत शक्तियां होनी जरूरी हैं परन्तु इस विधेयक में जिन व्यक्तियों की व्यवस्था की गई है वे निश्चय ही बहुत अधिक हैं। विधेयक का एक उपबन्ध कुलपति को, शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार देता है हालांकि प्रबन्धक बोर्ड की सहमति आवश्यक है। लेकिन वर्तमान हर विश्वविद्यालय में कुलपति को प्रोफेसरों, रीडरों और प्राध्यापकों की नियुक्ति का अधिकार नहीं होता है। उच्चतम निर्णय लेने वाला निकाय ही नियुक्तिकर्ता होता है।

इसके बाद, मैं कुलपति की आपातकालीन शक्तियों पर आता हूं, कुलपति के पास आपातकालीन शक्तियां होनी आवश्यक हैं, लेकिन जब वह आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करता है तो उसे विश्वविद्यालय निकाय, जिसकी ओर से वह इन शक्तियों का इस्तेमाल करता है, की सहमति लेनी आवश्यक होती है। इस विधेयक में यह उपबन्ध है कि यदि विश्वविद्यालय निकाय के कुलपति के उस कार्य से सहमत नहीं होगा तो मामला कुलाध्यक्ष के पास जायेगा जिसका निर्णय अन्तिम होगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं। दरअसल कुलपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तभी अधिक सतर्कता के साथ करेगा यदि वह यह जानता है कि वह निकाय की जिसकी ओर से वह शक्ति का इस्तेमाल कर रहा है, उसका निर्णय अन्तिम है। अन्तिम फैसला लेने का अधिकार तत्सम्बन्धी निकाय के पास होना चाहिए और यदि ऐसी स्थिति हो तो कुलपति अपनी आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल करने में बहुत सतर्क रहेगा।

इसके बाद मैं बोर्ड की संरचना पर आता हूं। मुझे बहुत खुशी है कि विधेयक ने चुनाव की प्रणाली को त्याग दिया है। लेकिन मैं कुछ सुझाव दूंगा, उदाहरणार्थ, पदेन् सदस्यों का जहां तक सवाल है, केवल चार ही पदेन् सदस्य होने चाहिए—शिक्षा सचिव, वित्त सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सभापति जिनका होना आवश्यक है तथा सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव। जैसाकि एक संशोधन में उल्लेख है, या 5 सदस्य संसद की दोनों सभाओं के सभापतियों द्वारा नामांकित होने चाहिए और ये प्रबन्धक बोर्ड में होने चाहिए। बाकी छः या सात सदस्य, कुलाध्यक्ष द्वारा अपने विवेक से नामजद किये जाने चाहिए। वे उस तालिका में से किये जाने चाहिए जिनका निर्माण अलग-अलग रूप में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, शिक्षा मंत्रालय तथा विश्वविद्यालय की शैक्षिक परिषद द्वारा किया गया हो।

विधेयक में वार्षिक रिपोर्ट के लिए जो उपबन्ध है बहुत ही अच्छी बात है। परन्तु मेरी यह आशा है कि यह रिपोर्ट हमें समय पर मिला करेगी, उस तरह नहीं जैसाकि संघ लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट मिला करती है। मुझे याद है कि कुछ दिन पूर्व हमें संघ लोक सेवा आयोग की 1982-83 और 1983-84 की रिपोर्टों पर बहस करने को कहा गया। अब जहां ऐसी स्थिति हो सारी बात अवास्तविक हो जाती है।

लेकिन इन सब बातों से महत्वपूर्ण यह बात है कि विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों और उसके कार्य निष्पादन की जानकारी मिलती रहे। मैं यह अवश्य ही कहूंगा कि यदि यह विश्वविद्यालय एक धमाके के साथ अस्तित्व में नहीं आता और यदि इसका पहले कुछ वर्षों के दौरान कार्य वास्तव में अच्छा नहीं होता, तो इसका भी वही हाल होगा जो कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पत्राचार पाठ्यक्रमों का हुआ है। वहां, प्रवेश लेने वालों की संख्या बहुत कम हो गई है। अतः विश्वविद्यालय के पहले वर्ष ऐसे चाहिए कि ऐसा लगे कि विश्वविद्यालय हर प्रकार से उन्नति कर रहा है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का दिल से स्वागत करता हूं।

**डा० सुधीर राय** (बर्दवान) : श्रीमन्, मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना सम्बन्धी इस विधेयक का सदा स्वागत है क्योंकि हम इस विचार से सहमत नहीं हैं कि भारत उच्च शिक्षा के क्षेत्र में परिपूर्ण बिन्दु तक पहुंच चुका है। लार्ड कर्जन के दिनों से ही हम इस कहानी को सुनते आ रहे हैं कि विश्वविद्यालय और राजनीति के गढ़ बन गए हैं, और इसलिए, कोई नया विश्वविद्यालय या कालेज नहीं स्थापित किया जाना चाहिए। दरअसल, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अधिकारियों का भी यह सुझाव है कि इस समय कोई विश्वविद्यालय या महाविद्यालय स्थापित नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन यदि हम भारत की स्थिति की तुलना पश्चिम के दूसरे विकसित देशों के साथ करें तो हम देखते हैं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत काफी पिछड़ा हुआ है। मैं यहां पर प्राथमिक शिक्षा या माध्यमिक शिक्षा की बात नहीं कर रहा हूं बल्कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत पिछड़ा हुआ है।

खैर जो भी हो, हम एक नए मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना का स्वागत करते हैं, क्योंकि यह दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के दरवाजे तक विद्या को पहुंचाएगा, जो विभिन्न व्यवसायों में लगे हुए हैं और उन लोगों तक भी वित्तीय कठिनाई के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। अतः यह उम्मीद करना ठीक ही है कि नए विश्वविद्यालय की स्थापना विद्या को उनके दरवाजों तक पहुंचायेगी। परन्तु हमारा विचार है कि सरकार इस सम्बन्ध में दोहरी नीति अपना रही है। एक तरफ तो वे यह तर्क देते हैं कि श्रेष्ठ केन्द्र होने चाहिए जहां संभ्रांत व्यक्ति, उच्च आय वर्ग के लोग, अपने बच्चों को भेज सकें—अतः आधुनिक स्कूल होने चाहिए, अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालय खोले जाने चाहियें, श्रेष्ठ संस्थान और अधिक होने चाहियें तथा गरीब लोगों के लिए निम्न आय वर्ग के लोगों के लिए केवल मुक्त विश्वविद्यालय जैसे संस्थान तथा अनौपचारिक शिक्षा के केन्द्र होने चाहियें। सरकार सोचती है, जैसाकि एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है, कि ये नियमित औपचारिक विश्वविद्यालय के लगभग विकल्प होंगे। परन्तु हम देखते हैं कि इस मुक्त विश्वविद्यालय में छात्रों तथा अध्यापकों के बीच कोई भी तालमेल नहीं होगा; छात्रों में आपस में भी कोई तालमेल नहीं होगा। हमें याद रखना चाहिये कि शिक्षा का अर्थ है कि छात्रों तथा अध्यापकों तथा स्वयं छात्रों के बीच आपस में नियमित रूप से सम्पर्क रहना चाहिये। इसीलिये संस्कृत में एक कहावत है; 'तित विधि प्राणिपतिना, परिप्रेणेन, सेव्या, इसका अर्थ है कि छात्रों को अध्यापकों से प्रश्न अवश्य करने चाहिए। उन्हें उनका आदर करना चाहिए; उन्हें निष्ठावान होना चाहिए। केवल अपनी निष्ठा तथा प्रश्न करने की प्रवृत्ति से ही वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे।

भारत में हमारा क्या अनुभव है? हम देखते हैं कि भारत में आजकल लगभग 23 विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहे हैं। परन्तु ये पत्राचार पाठ्यक्रम अव्यवस्थित शिक्षा में बदल गए हैं क्योंकि छात्रों को पाठ्यक्रम समय पर नहीं मिलते हैं; उनकी उत्तर पुस्तिकाओं को ठीक से नहीं

जांचा जाता है तथा नियमित अध्ययन केन्द्र खोलने का कोई प्रबन्ध है। इसीलिए ये पाठ्यक्रम सस्ते डिप्लोमा देने के कारखाने बन गये हैं।

अब मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली के बारे में ग्रेट ब्रिटेन का क्या अनुभव है? वहां इसको बहुत सफलता प्राप्त हुई है। ग्रेट ब्रिटेन में इस मुक्त शिक्षा प्रणाली के जन्मदाता सर हराल्ड विलसन थे जो बाद में लेबर प्रधानमंत्री बने। सर हराल्ड विलसन अकसर सोवियत संघ जाते रहते थे और वह शिक्षा के क्षेत्र में सोवियत प्रयोग से बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने देखा कि रूस में लगभग 60 प्रतिशत इंजीनियर पत्राचार पाठ्यक्रमों के माध्यम से अपनी डिग्रियां प्राप्त करते हैं। इसी कारण समाज में और अधिक गतिशीलता लाने के लिए तथा कामकाजी लोगों के लिए शिक्षा के अधिक अवसर प्रदान करने के लिए उन्होंने एक मुक्त विश्वविद्यालय के विचार का सूत्रपात किया क्योंकि पुराने विश्वविद्यालय संभ्रांत तथा उच्च वर्ग के लोगों की पहुंच तक ही सीमित थे। लार्ड वाल्टर पेरी, जो आजकल हमारी राजधानी में हैं, ब्रिटिश मुक्त विश्वविद्यालय के पहले कुलपति थे। उन्होंने कहा था कि मुक्त विश्वविद्यालय एक औपचारिक नियमित विश्वविद्यालय का प्रतिस्थापक नहीं हो सकता क्योंकि मुक्त विश्वविद्यालय में नियमित कक्षायें नहीं चलायी जा सकतीं। इसीलिए उन्होंने कहा था कि मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी जाने वाली उपाधियां दूसरी बेहतरीन उपाधियां होंगी। परन्तु चूंकि ग्रेट ब्रिटेन में अधिकतर छात्र पेशेवर हैं इसलिए यह प्रणाली वहां पर सफल हो सकती है।

महोदय, यह लगभग एक सम्पन्न कार्य है क्योंकि यह विधेयक राज्य सभा द्वारा पहले ही पारित होने के बाद यहां आया है। इस सम्बन्ध में मैं कुछ बातें बताना चाहूंगा :—

1. जब कभी भी मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना की जाये तो हमें यह देखना होगा कि शिक्षा स्तर न गिरने पाये। यह तीसरे दर्जे के छात्रों के लिए एक दूसरे दर्जे का विश्वविद्यालय न बन जाये। इसका पाठ्यक्रम आधुनिकतम होना चाहिए और उसे जिम्मेदार शिक्षाविदों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए।

2. अध्यापकों की नियुक्ति योग्यता और अनुभव के आधार पर ही की जाए। विश्वविद्यालय को मान्यता इसके भवनों या उपकरणों की वजह से नहीं बल्कि इसके शिक्षकों की वजह से मिलती है। कलकत्ता विश्वविद्यालय ख्याति के शिखर पर इसलिए पहुंच सका क्योंकि उसके आशुतोष मुखर्जी जैसे विशिष्ट कुलपति थे तथा उनके बाद आने वाले कुलपति बेहतरीन अध्यापकों का चयन कर सके। इस विश्वविद्यालय में सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर सी० वी० रमन, आचार्य बी० एन० सील तथा कई अन्य प्रसिद्ध शिक्षक वहां थे। अतः शिक्षकों की भर्ती करते समय केवल योग्यता पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

महोदय, कुछ कुलपतियों की यह पुकार हम सुनते हैं कि अध्यापकों के सम्बन्ध में पुलिस द्वारा जांच होनी चाहिए तथा उनकी राजनैतिक गतिविधियों का विवरण भी देखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 1961 में बंगाल के मुख्यमंत्री, डा० बी० सी० राय ने कालेज तथा विश्वविद्यालय के अध्यापकों के एक शिष्टमंडल को आश्वासन दिया था कि अध्यापकों की कोई पुलिस जांच नहीं की जाएगी। आपको मालूम है कि देश के हमारे राज्य में अभी भी अध्यापकों के बारे में पुलिस जांच नहीं की जाती है। हम सोचते हैं कि अगर पुलिस जांच की जाती है तो इससे उन्हें राजनैतिक रूप से परेशान किया जाएगा। मेरा कहना है कि अध्यापकों की नियुक्ति सिर्फ योग्यता तथा अनुभव के आधार पर की जानी चाहिए।

3. शिक्षा संस्थाओं के प्रबन्ध में लोकतन्त्रीय तरीकों पर जोर दिया जाना चाहिए। कोठारी आयोग, गजेन्द्रगड़कर समिति तथा अन्य बहुत सी महत्वपूर्ण समितियों ने इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा संस्थाओं में लोकतांत्रिक ढंग से प्रबन्ध व्यवस्था होनी चाहिए। इसी बात को लेकर सर आशुतोष मुखर्जी ने लार्ड कर्जन के विरुद्ध एक मोर्चा लड़ा था। उन्होंने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को बनाए रखने की अपनी पूरी कोशिश की थी। लोकतांत्रिक प्रबन्ध व्यवस्था से हमारा क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि विश्वविद्यालय में अध्यापकों, अन्य कर्मचारियों तथा छात्रों का विश्वविद्यालय की प्रबन्ध व्यवस्था में प्रभावी दखल होना चाहिए। विश्वविद्यालय के निकायों में चुने गए प्रतिनिधियों का बहुमत होना चाहिए। दुर्भाग्य से केन्द्रीय सरकार इससे अलग सोचती है। विश्वभारती के आदर्श अधिनियम (माडल ऐक्ट) के अन्तर्गत, विश्वविद्यालय के निकायों में कोई भी चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं होता। विश्वविद्यालय निकायों में केवल नामांकित तथा पदेन सदस्य ही होते हैं। इसीलिए मेरा कहना यह है कि मुक्त विश्वविद्यालय में लोकतांत्रिक निकाय होने चाहिए जो अध्यापकों, गैर-अध्यापकों तथा छात्रों के दृष्टिकोण को प्रतिबिम्बित कर सकें।

इसके अतिरिक्त, क्षेत्रीय केन्द्र तथा अध्ययन केन्द्र देश के सभी भागों में स्थापित किए जाने चाहिए। क्षेत्रीय केन्द्रों तथा अध्ययन केन्द्रों को समान अवसर मिलने चाहिए। उनमे से कुछ केन्द्रों के साथ समान से अधिक तथा कुछों के साथ समान से निम्न व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए। सभी को समान अधिकार प्राप्त होने चाहिए। इन सभी केन्द्रों में क्षेत्रीय भाषा की शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। क्षेत्रीय केन्द्रों को देश के सभी भागों में स्थापित किया जाना चाहिए। यह मेरी प्रार्थना है।

इसके अतिरिक्त, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि इस मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली में ऐसे पाठ्यक्रमों पर जोर दिया जाना चाहिए जो छात्रों के लिए व्यवसाय चुनने में सहायक हों जैसे कि बी० एड०, ग्रंथालय विज्ञान, व्यापार प्रबन्ध, होटल प्रबन्ध, विदेश व्यापार, आंतरिक सज्जा, भू-विज्ञान, जीव-विज्ञान आदि, अर्थात् ऐसे विषय जिनमें हल्की प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती हो क्योंकि ऐसे विषयों में जिनमें उच्च प्रौद्योगिकी की आवश्यकता पड़ती है उनको नियमित विश्वविद्यालय में पढ़ाने की आवश्यकता होती है। अतः, परम्परागत विषयों पर जोर देने की बजाय इस मुक्त विश्वविद्यालय को मुख्यता उन लोगों की मदद करने की कोशिश करनी चाहिए जो पहले ही किसी व्यवसाय में लगे हों और अपने ज्ञान में निपुणता लाना चाहते हों।

अन्त में, मैं यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार द्वारा नियमित तौर पर धनराशि दी जानी चाहिए। हम देखते हैं कि केन्द्रीय सरकार के बजट का सिर्फ एक प्रतिशत ही शिक्षा पर खर्च किया जाता है जबकि कम से कम केन्द्रीय बजट का 10 प्रतिशत इस काम के लिए आबंटित किया जाना चाहिए। वित्तीय अभाव के कारण ही राज्यों के विश्वविद्यालय में अधिक कठिनाई आती है। इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं कि इस पर ध्यान दें अन्यथा सभी इस विषय पर कही गई सभी बातें सरकार की तरफ से नेकनीयती होते हुए थोथी लगेंगी।

इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

**श्री अजीज कुरेशी** (सतना) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इंदिरा गांधी ओपन-यूनिवर्सिटी बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और ऐसा करते हुए मैं कहना चाहूंगा कि जितनी खूबसूरत

शख्सियत हमारे शिक्षा मंत्री की है, उतने ही खूबसूरत और शानदार अल्फाज में उन्होंने इस बिल को यहां पर पेश किया है।

उपाध्यक्ष महोदय, ओपन-यूनिवर्सिटी हमारे लिए कोई नया विचार नहीं है। संसार में इससे पहले ब्रिटेन में ओपन-यूनिवर्सिटी का जन्म हुआ, उसके बाद 1974 में हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में दूसरी ओपन-यूनिवर्सिटी कायम हुई और अब पिछले दस-बारह सालों में कनाडा, अमरीका, रशिया, चाइना, फिलिपिन्स और दूसरी जगहों में ओपन-यूनिवर्सिटियो के जन्म हुए हैं। आज जब मैं इस बिल का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं तो मुझे स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के वे शब्द याद आ रहे हैं, जो उन्होंने संसार के करोड़ों गरीब, भूखे, अपढ़ जनता की तरफ इशारा करते हुए एक बार कहे थे :—

[अनुवाद]

"उन्हें भी जीने का तथा सुने जाने का हर अधिकार प्राप्त है।"

[हिन्दी]

मेरा ख्याल है कि उनका यह सपना हम इस ओपन-यूनिवर्सिटी के जरिए पूरा करने में सफल होंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यह आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्र भारत में पहली बार 17 जुलाई, 1968 को भारत के मंत्रिमंडल ने एक नेशनल एजूकेशन पालिसी का रिजोल्यूशन पारित किया था। उसके पहले भारत के अन्दर जो नेशनल एजूकेशन पालिसी का प्रस्ताव पास किया गया था, वह अंग्रेज सरकार द्वारा 13 में किया गया था। 1968 में जब हमने नेशनल एजूकेशन पालिसी का प्रस्ताव बनाया उस समय हमने वे मुद्दे निश्चित किए थे, जिनके आधार पर हमें भारत के शिक्षा-स्ट्रक्चर को बनाना था। उसके बाद 1980 में हमने एक वर्किंग ग्रुप एप्वाइंट किया और इस वर्किंग ग्रुप ने जो रिपोर्ट दी थी, उसके अन्दर उन्होंने कहा था:—

[अनुवाद]

"(क) उनके जीवन-स्तर को सुधारने तथा समाज के सामान्य उत्थान की प्रगति में उनकी सहभागिता प्राप्त करने के लिए शिक्षा के सभी समान अवसर उपलब्ध कराने की गारण्टी देना;

(ख) सभी युवाओं तथा व्यस्कों को, उनकी आयु का विचार किए बिना, एक सुव्यवस्थित विकास के ढांचे के अन्तर्गत उनसे सम्बन्धित समुदाय की आवश्यकताओं के अनुरूप आदर्श स्वायत्तता प्रदान करना;

(ग) एकीकरण, धर्मनिरपेक्षवाद और लोकतांत्रिक मूल्यों तथा श्रम के महत्व को प्रोत्साहित करना;

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा ख्याल है कि हमारे जो उद्देश्य हैं, जो आदर्श हमने इसके जरिए बयान किए हैं, इस ओपन-यूनिवर्सिटी के द्वारा हम उनको पूरा करने में सफल हो पाएंगे। ओपन-यूनिवर्सिटी, जैसा कि मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा है, वास्तविक रूप में समाज के उन कमजोर वर्गों के लिए जिनको तकदीर ने मौका नहीं दिया किसी कालेज और यूनिवर्सिटी में जाने का और उस

जमाने के आर्थिक हालात से मजबूर होकर वे अपने जीवन की इच्छाओं और कामनाओं को पूरा नहीं कर पाए और रोजगार के अन्दर लग गए, उनको मौका मिल पाएगा और वे अपने आपको समानता के साथ समाज के दूसरे वर्गों के मुकाबले में रख सकेंगे और आगे बढ़ने के लिए उनके लिए अवसर खुल जायेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं चाहूंगा कि यूनेस्को के एक डाइरेक्टर जनरल मि० एम० वाऊ ने ओपन-यूनिवर्सिटी के बारे में जो बात कही, उसको यहां पर रखूं :

[अनुवाद]

जैसा कि यूनेस्को के डाइरैक्टर-जनरल, मि० एम० वाऊ ने टिप्पणी की है :

"शिक्षकों ने वैकल्पिक आधारों की तलाश में, जो ज्ञान के प्रसार से शारीरिक, सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक दूरी को कम कर सकें, और विशेषकर शिक्षार्थी अन्तरिक्ष तथा काल दोनों में शिक्षा देने तथा इसके उद्देश्यों, विषय और स्वरूप में विविधता लाने में संचार माध्यमों के इस्तेमाल की सम्भावनाओं पर अपना चिन्तन शुरू कर दिया है। इसके परिणाम-स्वरूप बनने वाला बहु-संचार प्रणाली की विशेषता है, इसके बहुत ही विस्तृत प्रयोग, प्रवेश के लिए सीमाओं का न होना, अपेक्षाकृत लचीली अध्ययन प्रक्रियाओं तथा कम खर्चीली शिक्षा, इसमें व्यक्तिगत रूप से आमने-सामने बैठाकर शिक्षा देने की या बिल्कुल ही नहीं के बराबर आवश्यकता पड़ती है। इस प्रणाली में, सही स्थिति को बताने के लिए, शिक्षार्थियों को संस्थान में नहीं जाना पड़ता, इसके विपरीत स्वयं संस्थान, जैसा कि होना चाहिए, व्यापक रूप से फैले हुए विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप उन तक पहुंचता है।"

[हिन्दी]

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहूंगा कि ओपन-यूनिवर्सिटी जब यह काम करे, तो सबसे पहले हमारे शिक्षा मंत्री इस बात की पूरी-पूरी गारंटी दें और जिम्मेदारी लें कि इसके काम करने में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। दुर्भाग्य की बात है कि भारत के अन्दर जो यूनिवर्सिटीज बनी हैं, कहीं-कहीं उनकी मशरूम ग्रोथ हुई है, उनके अन्दर जगह-जगह पर पालीटिकल इन्टरफिरेंस इतना ज्यादा हो गया है कि यूनिवर्सिटीज को अपने आदर्श के मुताबिक काम करना सम्भव नहीं है। मैं चाहूंगा कि पहले यह गारंटी दी जाए कि सरकार द्वारा चाहे वह प्रान्त की सरकार हो या कोई और सरकार हो, किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा।

दूसरी बात यह है कि ओपन-यूनिवर्सिटी के काम करने की जो बात कही गई है, तो इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जब काम शुरू करे, तो मेरा सुझाव है कि इसके अन्दर शिक्षा प्रणाली आप चार तरीकों में बांट दें। जो तरीके मैं कह रहा हूं, वे नए नहीं हैं बल्कि केनाडा के अन्दर पाकिस्तान के अंदर और दूसरे देशों के अंदर इन तरीकों पर काम किया जा रहा है। ये हैं :

[अनुवाद]

(1) सामान्य शिक्षा (2) क्रियात्मक शिक्षा (3) शिक्षक शिक्षा (4) अनुसन्धान और विकास।

[हिन्दी]

फंक्शनल एजूकेशन की जब हम बात करते हैं, तो उसके अन्दर किसी क्लास के अन्दर एन्ट्री के

लिए कोई क्वालीफिकेशन नहीं रखी गई है और इसके अन्दर ये सबजैक्ट्स पढ़ाए जा सकते हैं :

[अनुवाद]

मुर्गी-पालन, वनस्पति सुरक्षा, ट्रैक्टर की देखभाल तथा मरम्मत, विद्युत तार लगाना, सब्जी उत्पादन, विपणन प्रबन्ध आदि ।

[हिन्दी]

इनमें हर व्यक्ति, जिसमें थोड़ी बहुत क्षमता है, एजूकेशन ले सकता है । उसके बाद जनरल एजूकेशन, टीचर्स एजूकेशन और रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट पर ध्यान दिया जाए ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे केवल यह कहना चाहूंगा कि यह ओपन यूनिवर्सिटी अपना पूरा रोल अदा करे उस नए समाज के निर्माण में जो अभी जन्म नहीं ले पाया है ।

[अनुवाद]

यह तथ्य है कि पुरानी व्यवस्था मर चुकी है परन्तु नई व्यवस्था का अभी तक जन्म नहीं हुआ है : यह जन्म लेने के लिए संघर्ष कर रही है । मुझे आशा तथा विश्वास है कि यह इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय देश में इस नई सामाजिक व्यवस्था को जन्म देने में बहुत ही शक्तिशाली भूमिका अदा करेगा ।

इन शब्दों के साथ, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री को यह विधेयक लाने के लिए धन्यवाद देता हूं ।

**प्रो० नारायण चन्द पराशर** (हमीरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं जो कि 5 अगस्त, 1985 को राज्य सभा द्वारा पारित करने के बाद इस सभा में पेश किया गया है ।

हमारे संविधान के अनुच्छेद 41 में, जिसमें प्रत्येक नागरिक के लिए शिक्षा के अधिकार को स्वीकार किया गया है, उल्लिखित आकांक्षाओं को पूरा करने में इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व-विद्यालय विधेयक बड़ा सहायक है । इस अनुच्छेद को पढ़कर सुनाना अच्छा होगा । अनुच्छेद 41 में यह उल्लेख :

> "राज्य अपनी आर्थिक सामर्थ्य और विकास की सीमाओं के भीतर काम पाने के, शिक्षा पाने के तथा बेकारी, बुढ़ापा, बीमारी और अंगहीन तथा अन्य अनर्ह अभाव की दशाओं में सार्वजनिक सहायता पाने के अधिकार को प्राप्त कराने का कार्यसाधक उपबन्ध करेगा ।"

यहां संविधान गारंटी देता है, संविधान के अनुच्छेद 41 में शिक्षा के अधिकार को मान्यता दी गई है कुछ ऐसे अभागे लोग हैं जो शिक्षा प्राप्त करने के लिए सौभाग्यशाली नहीं है या ऐसे क्षेत्र या विश्व-विद्यालय या कालेज के क्षेत्र के समीप पैदा नहीं हुए हैं और इस प्रकार उन्हें जीवन में कालेज की शिक्षा नहीं मिल सकी । इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक इस कमी को दूर करता है और उन्हें दूरदर्शन तथा अन्य पद्धतियों, जिन्हें विश्वविद्यालय शुरू करेगा, के द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए उन्हें पर्याप्त अवसर प्रदान करता है । जैसी कि कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है और तर्क दिया है तथा मैं भी कहना चाहता हूं कि इसे अन्य विश्वविद्यालयों के प्रतिस्थापी के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए । इसे अन्तिम अधिनियम के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए और यह भी नहीं समझा जाना चाहिए कि भविष्य में कोई विश्वविद्यालय नहीं खोला जाएगा, सभी विश्वविद्यालयों को जिन्हें

खोला जाना था उन्हें बन्द कर दिया जाएगा, पांडिचेरी को कोई विश्वविद्यालय नहीं दिया जाएगा या अन्य किसी राज्य को विश्वविद्यालय नहीं दिया जाएगा । मैं इसकी आलोचना करता हूं और यदि ऐसा किया जाता है तो मैं इसका विरोध करता हूं । मैं बताना चाहता हूं कि प्रत्येक राज्य तथा प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को अपना विश्वविद्यालय स्थापित करने का अधिकार है । इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय के खुलने के बाद देश में औपचारिक शिक्षा प्रणाली में किसी अन्य विश्वविद्यालय या कालेज को खोलने से इनकार नहीं किया जाना चाहिए । यह साफ-साफ बता दिया जाना चाहिए ताकि लोगों के मन से इस आशंका को हमेशा के लिए निकाल दिया जा सके ।

कुछ दिनों पहले शिक्षा की स्थिति संबंधी पत्र को संसद् के समक्ष लाकर माननीय शिक्षा मंत्री ने बहुत अच्छा काम किया है । यह देश में शिक्षा की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालता है । इसका एक आश्चर्यजनक पहलू यह है कि शिक्षा संस्थाओं की संख्या 2.3 लाख से बढ़कर 6.9 लाख हो गई है और अध्यापकों की संख्या 7.5 लाख से बढ़कर 32 लाख हो गई है । इस देश में यह बड़ा विकास और विस्तार है, और केन्द्र तथा राज्यों दोनों में व्यय जो 1951 में 114.3 करोड़ रुपया था वह 1982-83 के बजट में 5,185.9 करोड़ रुपया हो गया है । फिर भी यह आवश्यकता से अभी भी कम है, क्योंकि 1964 में शिक्षा आयोग ने कहा था कि हमारे कुल राष्ट्रीय उत्पाद का 6 प्रतिशत भाग शिक्षा पर व्यय होना चाहिए । अभी केवल इसपर 3 प्रतिशत ही व्यय हो रहा है । अतः यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसपर मंत्री जी को तुरन्त ध्यान देना चाहिए और योजना आयोग कहना चाहिए ।

इन्दिरा गांधी मुक्त विश्वविद्यालय एक ऐसा विश्वविद्यालय होना चाहिए जिसमें सभी भारतीयों को शिक्षा संबंधी सुविधा मिलनी चाहिए। विधेयक में इस तरह की व्यवस्था की जा रही है कि इसका क्षेत्राधिकार पूरा देश है अतः इसके कार्यान्वयन को प्रभावी बनाने के लिए मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । मेरे प्रश्नों में से एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मायना तथा प्रसारण मंत्री ने बताया है कि इनसेट बी से कार्यक्रमों को दूरदर्शन में प्रसारित करने के लिए दो नए राज्य अर्थात मध्य प्रदेश और राजस्थान को शामिल कर लिया गया है जिससे कि इनकी कुल संख्या 8 हो गई है । देश में इन कार्यक्रमों को केवल 8 राज्यों में दिखाया जा रहा है । शेष 14 राज्यों और कई संघ राज्य क्षेत्रों को अभी भी इसमें शामिल करना है। अतः अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में भी इन केन्द्रों की व्यवस्था करनी होगी ताकि उपग्रह के माध्यम से कार्यक्रमों को दूरदर्शन में प्रसारित किया जा सके। अतः वास्तव में इस विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ी धनराशि की आवश्यकता है । यदि सरकार इसको सफल बनाना चाहती है तो योजना आयोग को इसके लिए प्रथम प्राथमिकता देनी होगी । और अब जब कि इस विधेयक तथा इस विश्वविद्यालय के साथ इन्दिरा गांधी का नाम जोड़ा गया है तो यह और अधिक आवश्यक हो जाता है कि संसाधनों की कमी नहीं होनी चाहिए । यदि आप इसे ईमानदारी से करना चाहते हैं मैं आशा करता हूं कि आप ईमानदारी से अनुच्छेद 41 को पूर्णतया कार्यान्वित करना चाहते हैं, और इस मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से सभी सुविधाहीन वर्गों को शिक्षा प्राप्त करने के पूरे अवसर प्रदान करने में ईमानदार हैं तो योजना आयोग को इसकी सहमति देनी चाहिए तथा संसाधनों की कमी का बहाना नहीं किया जाना चाहिए ।

दूसरी ओर अन्य क्षेत्रों में तथा कम से कम विश्वविद्यालयों और कालेजों में शिक्षा में गुणात्मक सुधार की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए । इसलिए ये बातें साथ-साथ चलनी चाहिए । 6ठी पंचवर्षीय योजना में दूर शिक्षा कार्यक्रम में बहुत विस्तार की बात महसूस की गयी । जैसा कि बताया गया है कि देश में आजकल दो दर्जन विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहे हैं । एक विश्वविद्यालय ने

पत्राचार द्वारा एम० एस० सी० का पाठ्यक्रम शुरू किया है। आप इसे करीब-करीब एक क्रांतिकारी कदम कह सकते हैं। लेकिन माननीय मंत्री हमसे आज जो वायदा कर रहे हैं, यह उसकी अपेक्षा बहुत अधिक क्रान्तिकारी कदम है। मुक्त विश्वविद्यालय भारत में दूर दराज और सीमावर्ती राज्यों में सुविधाहीन वर्गों के लोगों के लिए आशा की नई किरण लाएगा। ज्ञान के क्षेत्र में यह एक नई बात है और मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री योजना आयोग तथा वित्त मंत्रालय को आश्वस्त करेंगे कि वे संसाधनों की कमी पर अग्रह न करें और वे अपने दृष्टिकोण में उदार बनें।

महोदय, मैं एक उद्देश्य को पढ़कर सुनाना चाहता हूं जो कि प्रथम अनुसूची में दिया गया है। उद्देश्य (घ) में यह उल्लेख है :

> "ज्ञान के नए क्षेत्रों में विद्या की अभिवृद्धि करने और उसे विशिष्टतया प्रोत्साहित करने की दृष्टि से विद्या के तरीकों और गति, पाठ्यक्रमों के मिश्रण, नामांकन की पात्रता, प्रवेश की आयु परीक्षाओं के संचालन और कार्यक्रमों के प्रवर्तन के संबंध में लचीली और मुक्त विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा की नव पद्धति के लिए उपबन्ध करेगा।"

इसका अन्तिम उद्देश्य यह है कि अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और मानव के व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा। अतः पहली बार विश्वविद्यालय के कार्य को एक ओर तो राष्ट्रीय एकता और दूसरी ओर छात्र के समूचे व्यक्तित्व के विकास से संबद्ध किया गया है।

चूंकि कुछ वक्ताओं द्वारा कुछ निराशाजनक बातों के बारे में बताया गया है कि अध्यापकों की अनुपस्थिति में छात्रों का सीधा सम्पर्क नहीं होगा इसलिए अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। मैं सुझाव देता हूं कि नवीनता के रूप में यदि आप अध्यापकों के लिए एक समान नाम पद्धति की बात सोच सकते हैं। तो यह शिक्षा व्यवसाय के लिए एक नई दिशा होगी। समूचे देश में कुछ स्नातक नियुक्त किए गए हैं जिन्हें पर्यवेक्षक आदि के रूप में जाना जाता है। हमारे पास घनिष्ठ अभियंता, वरिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, आदि हैं। इसी तरह हमारे पास सहायक प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और प्रोफेसर क्यों नहीं हो सकते ताकि लेक्चरार, रीडर और प्रोफेसर की श्रेणियों को खतम किया जा सके? यदि हमारे पास कालेजों और विश्वविद्यालयों में नियुक्त अध्यापकों के लिए एक समान नाम होंगे तो यह एक नवीनता होगी।

कुलपति की भक्ति के बारे में कुछ कहा गया है। यह अच्छी बात है कि एक व्यक्ति को कुलपति केवल एक ही बार बनाया जाये। मैं एक दिलचस्प सुझाव देना चाहता हूं कि आजकल देश में उपाध्यक्ष तथा विश्वविद्यालयों के कुलाधिपतियों के रूप में राज्यपाल की भूमिका बहुत विवादास्पद है। राज्यपाल के आचरण के बारे में सदन में, विधान मंडल में चर्चा नहीं की जा सकती। इसी तरह राष्ट्रपति के आचरण के बारे में भी यहां चर्चा नहीं की जा सकती। लेकिन जब वार्षिक प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किया जाता है तो उनपर चर्चा की जाती है। कुलाधिपति (चान्सलर) के रूप में राज्यपाल की भूमिका और कुलाध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति की भूमिका राज्य विधान सभाओं में चर्चा और आलोचना होगी। विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति को नियुक्त करने का औचित्य और लोगों के नामनिर्दिष्ट करने की सारी शक्तियां देना विवादास्पद होगा। इसलिए इनमे पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी। मैं इस सुझाव से सहमत हूं कि एक व्यक्ति को कुलपति केवल एक बार ही बनाया जाना चाहिए। अन्य विश्वविद्यालयों की तरह कुलपति ही एकमात्र नियुक्त करने का अधिकारी

नहीं होना चाहिए। एक कार्यकारी परिषद का प्रबन्ध बोर्ड के पास नियुक्त करने की शक्ति होनी चाहिए ताकि हिसा के समय कुलपति ही अकेला निशाना न बने और इसका अधिकार उन सभी लोगों को हो जो शिक्षाविद तथा विश्वविद्यालयों के प्रतिनिधि हैं।

महोदय, मैं आशा करता हूं कि यह विश्वविद्यालय, जो नई शिक्षा नीति के समय पर बनाया जा रहा है, न केवल भावी पीढ़ियों के लिए रूस के नए क्षेत्र खोलेगा अपितु इसके न केवल अपने कार्यक्रमों में बल्कि देश की अन्य शिक्षा संस्थाओं मे भी गुणात्मक सुधार भी लाएगा। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री को सदन के सामने यह विधेयक लाने के लिए बधाई देता हूं जो न केवल आशय का केन्द्र है बल्कि राष्ट्रीय एकता के लिए और देश की नई प्रणाली का व्यक्तित्व के समूचे विकास के लिए तथा एक विश्वविद्यालय है। महोदय आपको धन्यवाद।

**श्री पी० कुलन्दईवेलू** (गोविचेट्टिपालयम) : उपाध्यक्ष महोदय, मुक्त विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखकर भारत सरकार ने ठीक कदम उठाया है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन राष्ट्र के लिए बलिदान किया। वह राष्ट्रीय एकता के लिए शहीद हुई। महात्मागांधी के मार्गदर्शन और जवाहर लाल नेहरू तथा अन्य राष्ट्रीय नेताओं के अथक प्रयासों से धर्मनिरपेक्षवाद को राष्ट्रीय राज्य व्यवस्था का एक अभिन्न अंग बनाया गया। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने इस परम्परा को विरासत में पाते हुए भारत की अनेकता में एकता बनाए रखने के लिए सतत प्रयास किया। भारत के लिए उनके प्यार की कोई सीमा नहीं थी और भारत के लोगों ने भी पूरे दिल से उनमें प्यार विश्वास और आस्था की भावना व्यक्त की। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने यह विचार व्यक्त किया था कि :

> "राष्ट्र एक कलाकृति की तरह एक बहुरंगी आकृति है। मजबूती और सुन्दरता का पूरा प्रभाव डालने के लिए इसमें कई तत्व, कई बनावटें कई रंग शामिल हैं। भारत राष्ट्र के लोगों, वेशभूषा और भोजन संस्कृति, भाषा धर्म की एक बहुरंगी आकृति है फिर भी इस विविधता में भारतीयों को एक अमूर्त स्वरूप निहित हैं। हमारी विरासत ऐसी कई छोटी और बड़ी सरिताओं का संगम है, जो विभिन्न समय पर भारत की प्रगति रूपी नदी के साथ जा मिली। इन विभिन्न भागों से मिलकर के यह समूची आवृति बनी है। किसी भी छोटे से छोटे या तुच्छ काम की उपेक्षा या इसका परित्याग करने का मतलब होगा भारत को नष्ट करना है।"

उन्होंने ये विचार व्यक्त किए थे। महोदय, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि गरीबों की सम्पति क्या है। गरीबों की सम्पत्ति शिक्षा है। अतः आप इस मुक्त विश्वविद्यालय का प्रस्ताव लेकर इसलिए आए हैं ताकि दिल्ली से बहुत दूर रहने वाले लोगों को भी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिल सके। वे इस अवसर का लाभ उठा सकते हैं।

महोदय, अब मैं विधेयक मे कुछ कमियों के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। खण्ड 2 में आपने यह नहीं बताया है कि कुलाध्यक्ष कौन होगा। परिभाषा खण्ड में यह बताया जाना चाहिए कुलाध्यक्ष कौन है। क्या आप यह कहना चाहते हैं कि कुलाध्यक्ष अनन्त है ? क्या आपका यह कहने का मतलब है कि कुलाध्यक्ष अभाज्य है और इसलिए आपने इसकी परिभाषा नहीं दी है। आपने कुलाध्यक्ष में बहुत अधिक व्यक्तियां निहित कर दी हैं और विश्वविद्यालय में इसकी बात अंतिम रूप में मानी जाती है। विश्वविद्यालय में उन्हें इस प्रकार से महामानव बता जाने से स्थिति बिगड़ सकती है।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि इस विश्वविद्यालय की रचना क्या है ? मैंने कई विश्वविद्यालयों में देखा है कि विश्वविद्यालय में कुलाधिपति, कुलपति और प्रतिकुलाधिपति होते हैं। मैं इसमें केवल एक कुलपति और प्रतिकुलपति हो पाता हूं। यह कैसे हो सकता है।

**एक माननीय सदस्य** : कुलाधिपति के स्थान पर यहां कुलाध्यक्ष है।

**श्री पी० कुलन्दईवेलू** : मद्रास विश्वविद्यालय, कामराज विश्वविद्यालय और भरथियार विश्वविद्यालय में केवल कुलाधिपति, प्रति कुलाधिपति और कुलपति हैं। यहां मैं केवल एक कुलपति और एक प्रतिकुलपति ही देख रहा हूं। प्रति कुलपति का क्या कार्य है ? वास्तव में जब मैं तमिलनाडु में मंत्री था तो मैं कृषि विश्वविद्यालय में प्रतिकुलाधिपति था और राज्यपाल के बाद मेरा दर्जा था। लेकिन यहां कुलपति की शक्तियां प्रतिकुलपति से बहुत अधिक हो गई है। अतः यदि आप स्वतः कहते हैं कि प्रतिकुलपति का दर्जा मंत्री जी के समकक्ष है तब कुलपति को मंत्री की अपेक्षा अधिक शक्तियां प्राप्त होती हैं। मैं महसूस करता हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मंत्री के कुलपति होने का कोई प्रश्न नहीं है। उन्होंने यह कहा था कि कुलाधिपति के स्थान पर एक कुलाध्यक्ष था। उन्होंने यही कहा था।

**श्री पी० कुलन्दईवेलू** : लेकिन विधेयक में उसे स्पष्ट नहीं किया गया है। कुलपति और प्रतिकुलपति का अर्थ क्रमशः विश्वविद्यालय के कुलपति और प्रति कुलपति है। अगला मुद्दा यह है कि विधेयक में शिक्षा के माध्यम के बारे में कुछ भी नहीं जताया गया है। अतः मैं समझता हूं कि संविधान के अन्तर्गत अनुमोदित सभी भाषाए शिक्षा का माध्यम है। इसे ऐसा होना चाहिए। अब, विश्वविद्यालय के ये मुख्य अधिकारी अपनी शिकायतों को दूर कराने के लिए न्यायालय में नहीं जा सकते हैं। मान लीजिए यदि उसके अधिकारों में कमी की जाती है तो वह न्यायालय नहीं जा सकता और उसपर रोक लगी हुई है। तब ऐसी स्थिति में इस विधेय में कौन से उपचारात्मक उपायों का सुझाव दिया गया है ? इस बारे में कुछ नहीं बताया गया है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक द्वारा एक व्यक्ति के मूल अधिकारों का भी अतिलंघन किया जा रहा है।

महोदय, मुक्त विश्वविद्यालय में दाखिल किए जाने वाले छात्रों की संख्या के बारे में आपने इस विधेयक में स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बताया है। चीन में एक मुक्त विश्वविद्यायय है और उस विश्वविद्यालय में करीब 10 लाख विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। थाईलैंड में भी एक मुक्त विश्वविद्यालय है जहां करीब 4 लाख छात्र पढ़ रहे हैं। इस विधेयक में आपने यह भी नहीं बताया है कि आप मुक्त विश्वविद्यालय में कितने छात्रों को प्रवेश देने जा रहे हैं। राज्य सभा में भी आपने इस बात का जिक्र नहीं किया कि इस विश्वविद्यालय में कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा।

**शिक्षा मंत्री (श्री कृष्ण चन्द्र पन्त)** : क्या आप चाहते हैं मैं अब इसका अनुमान लगाऊं ?

**श्री पी० कुलन्दईवेलू** : यदि आप मुक्त विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो आपको यह जानकारी होनी चाहिए कि उसमें कितने छात्रों को प्रवेश दिया जा सकता है। क्या इसका यह अभिप्राय है कि आप इस विश्वविद्यालय में करोड़ों छात्रों का प्रवेश देने जा रहे हैं। आप कितने छात्रों को प्रवेश दिए जाने का सुझाव दे रहे हैं ?

**उपाध्यक्ष महोदय** : उनको इस बारे में यथा समय पता चल जाएगा। वे इस समय इसका अनुमान नहीं लगा सकते। यह समस्या है।

**श्री पी० कुलन्दईवेलू** : संविधान के अनुच्छेद 30 (1) और (2) के अन्तर्गत आपने अल्पसंख्यक वर्ग को मुक्त शिक्षा संस्थान खोलने का अधिकार दिया है। क्या उनके लिए शिक्षण संस्थान धर्म-स्थल हैं?

मैं माननीय मंत्री महोदय को यह सुझाव देना चाहता हूं कि वह संविधान से अनुच्छेद 0 उपखड (1) और (2) को हटाने के लिए कार्यवाही करें। अन्यथा शिक्षा संस्थानों पर साम्प्रदायिकता और धर्म का प्रभुत्व रहेगा।

महोदय, दूसरी बात यह है कि पहली कक्षा से ही आपको शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य बनानी होगी। बच्चों का विकास अच्छी तरह होना चाहिए। उनका शरीर गठन और स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए, अतः शारीरिक शिक्षा का अनिवार्य बनाया जाना चाहिए। इसके साथ ही व्यावसायिक शिक्षा में केवल उद्योग से संबंधित शिक्षा ही नहीं दी जानी चाहिए अपितु इसमें कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विषयों को भी सम्मिलित किया जाना चाहिए। यदि एक छात्र को डिग्री या डिप्लोमा सर्टिफिकेट मिलता है तो वह नौकरी ढूंढ सकता है अथवा अपना रोजगार खोल सकता है। महोदय, यह मुक्त विश्वविद्यालय श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में खोला जा रहा है और इसलिए इसका नाम इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय रखा जाएगा। महोदय तमिलनाडू में विधानसभा ने एक विधान पारित किया कि जीवित व्यक्तियों के नाम पर कुछ नहीं बनाया जाना चाहिए भले ही वे राजनैतिक

**2.00 म० प०**

नेता हों। कोई भी सार्वजनिक संस्था और भवन जीवित व्यक्तियों के नाम पर नहीं बनाया जाना चाहिए। आप यह मुक्त विश्वविद्यालय शहीद, श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर खोलने जा रहे हैं। मुझे यह अच्छा लगा और मैं इसका स्वागत करता हूं।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** (महबूब नगर) : उन नेताओं के बारे में क्या विचार है जो जीवित तो हैं लेकिन राजनीतिक दृष्टि से मृत हैं।

**उपाध्यक्ष महोदय** : राजनीतिक दृष्टि से मृत हैं।

**डा० फूलरेणु गुहा** (कन्टई) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे समक्ष ऐसा विधेयक पहली बार आया है। मैं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक, 1985 का हृदय से स्वागत करती हूं और मैं मंत्री महोदय को बधाई देती हूं कि उन्होंने हमारे समक्ष यह विधेयक रखा। निस्सन्देह हैदराबाद में 1982 से एक मुक्त विश्वविद्यालय चल रहा है।

मैं स्वर्गीया श्रीमती इन्दिरा गांधी की टिप्पणी उद्धृत करना चाहती हूं :

> "शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य बौद्धिक-क्षेत्र भावात्मक उत्तरदायित्व, सौन्दर्य बोध का ज्ञान बढ़ाना है।"

मुझे आशा है कि मुक्त विश्वविद्यालय केवल उनके नाम पर नहीं होगा अपितु उनकी आकांक्षाओं को साकार करेगा।

मुक्त विश्वविद्यालय का विचार हमारे देश के लिए नया है किन्तु कई अन्य विकसित और विकासशील देशों में यह प्रणाली अत्यन्त सफल रही है। मुझे आशा है इस विधेयक से सबसे अधिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीब और ऐसे लोगों को मिलेगा जो शिक्षा पाने से वंचित रहे हैं। मुक्त विश्वविद्यालय से उन लोगों को भी अवसर मिलेगा जो पढ़ना चाहते हैं और जिनमें पढ़ने के लिए उत्साह है। मुक्त विश्वविद्यालय दूर-दराज के क्षेत्रों में स्थित कई संस्थानों के कार्य में समन्वय स्थापित

करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि वे संस्थान अपना स्तर और विश्वास बनाए रखें। भारत के किसी भी क्षेत्र में रहने वाला कोई भी व्यक्ति इस विश्वविद्यालय में प्रवेश ले सकेगा। हमारे देश में शिक्षा के क्षेत्र में यह नया प्रयोग करने पर विचार किया जा रहा है।

मेरा विश्वास है कि केवल उपयुक्त शिक्षा से ही सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक विकास सम्भव हो सकता है। शिक्षा और विकास एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, दोनों साथ-साथ चलते हैं। भारत में इस समय कई स्थानों पर दी जा रही शिक्षा सन्तोषजनक नहीं है। जब कभी हम शिक्षा की बात करते हैं, हमें यह बात स्मरण रखनी चाहिए कि कई स्थानों पर हमारी प्रतिष्ठा में कमी आई है। मैं इस बात का जिक्र करना चाहती हूं कि भारत विश्व में ऐसा तीसरा बड़ा देश है जहां विश्व के किसी अन्य देश की तुलना में सर्वाधिक वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकीविद् पैदा हुए हैं किन्तु साथ ही मैं कहूंगा कि हमारे देश में काफी संख्या में ऐसे लोग हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त करना तो दूर स्कूल भी नहीं जा पाते।

मुझे आशा है कि मुक्त विश्वविद्यालय में पढ़ाई का खर्च अधिक नहीं होगा और निर्धन से निर्धनतम व्यक्ति भी इस प्रणाली का लाभ उठा पाएगा।

2.03 म० प०

[श्रीमती बसव राजेश्वरी पीठासीन हुईं]

हमारे यहां 2 : विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहे हैं परन्तु दुर्भाग्य से वे अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंचे हैं। शैक्षिक पाठ्यक्रम के विद्यार्थियों में अधिक उत्साह होगा क्योंकि वे अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए स्वेच्छा से पढ़ने आएंगे। मुक्त विश्वविद्यालय के अधिकारियों को पाठ्यक्रम सामग्री बड़े सोच-विचार कर तैयार करनी होगी। इस पाठ्यक्रम सामग्री में ऐसे विषय शामिल किए जाने चाहिए जिससे व्यक्ति के मन में राष्ट्रीय एकता, देश प्रेम, श्रम का महत्त्व केवल देश में ही नहीं अपितु विश्व में शांति बनाए रखने की भावना पैदा हो। ये सब बातें उनमें सम्मिलित की जानी चाहिए इस सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहती हूं कि पाठ्यक्रम सामग्री तैयार करते समय इस विश्व-विद्यालय को न केवल किसी एक राज्य के बल्कि सम्पूर्ण भारत के विद्वानों का सहयोग लेना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो हम विदेशी विद्वानों से भी परामर्श करें। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरे विचार से पाठ्यक्रम सामग्री ही इस शिक्षा पद्धति का वास्तविक आधार है। यदि प्रारम्भिक स्तर से ही पाठ्यक्रम उचित ढंग से तैयार नहीं किए जाएंगे तो मेरे विचार में इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य ही विफल हो जाएगा। मैं एक बात पूछना चाहती हूं। एक व्यक्ति जो केवल किसी एक विषय में ही विशेषज्ञता प्राप्त करना चाहता है, उसे एक वही विषय पढ़ने का अवसर क्यों न दिया जाए ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : यह सम्भव है।

**डा० फूलरेणु गुहा** : जहां तक मैं समझती हूं, इस विधेयक में यह सम्मिलित नहीं है और इसलिए मेरा सुझाव है कि इसे भी इसमें जोड़ा जाए ताकि कोई व्यक्ति केवल एक विषय में पढ़ सके। उसे डिग्री देना सम्भव नहीं होगा किन्तु उसे प्रमाण पत्र या डिप्लोमा दिया जा सकता है और मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि इस सुझाव पर विचार करें।

**श्री कृष्णचन्द्र पन्त** : ऐसी व्यवस्था है।

**डा० फूलरेणु गुहा** : महोदया, आम धारणा के विपरीत इस मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से वैज्ञानिक और तकनीकी विषयों में भी शिक्षा दी जा सकती है। हमारे पास समय नहीं है अन्यथा इसपर विस्तार से चर्चा की जा सकती थी। मैंने कई मित्रों से बातचीत की थी और उन्हें इसमें सन्देह है कि इस खुले विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा दी जा सकती है। किन्तु ऐसा सम्भव है और मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करती हूं कि यदि आवश्यक होतो वे यथा समय उन लोगों से बातचीत करें जिन्हें इस बारे में सन्देह है।

विश्वविद्यालय उन लोगों को भी अवसर प्रदान करेगा जिन्हें अपने जीवन में आज तक पढ़ने का मौका नहीं मिला और इसलिए यह एक बहुत स्वागत योग्य कदम है। सही मायनों में, मुक्त विश्वविद्यालय में ऐसे असंख्य लोगों को पढ़ने का अवसर मिलेगा, जिन्हें शिक्षा प्राप्त करने का मौका ही नहीं मिला।

मेरा सुझाव है कि ऐसे संस्थान उन स्थानों पर खोले जाने की आवश्यकता है जहां श्रमिक और किसान अधिक संख्या में रहते हैं। इस मुक्त विश्वविद्यालय की शाखाएं उन स्थानों पर खोली जाएं जहां श्रमिक, मजदूर और किसान रहते हैं।

इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहती हूं कि गृहणियों को भी इसमें शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि कई महिलाएं बहुत बुद्धिमान होती हैं किन्तु वे अपनी पढ़ाई करने से वंचित रह जाती हैं। इससे उनको भी अवसर मिलेगा और मैं इसका स्वागत करती हूं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : सभी महिलाएं बुद्धिमान होती हैं।

**श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** (हावड़ा) : तब हमें खाना बाहर ही खाना पड़ेगा।

**डा० फूलरेणु गुहा** : वे समझते हैं कि यदि औरत अपनी शिक्षा जारी रखती है या नौकरी करती है तो घर में खाना ही नहीं पकेगा। मैं कहना चाहती हूं कि यह सच नहीं है।

**श्री मधुसूदन बैरासे** (अकोला) : वह अविवाहित हैं और यह बात उन पर लागू नहीं होती।

**श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : पाक-कल भी एक विद्या है और यह बहुत महत्त्वपूर्ण भी है।

**डा० फूलरेणु गुहा** : यहीं पर मैं एक सुझाव देना चाहती हूं, क्योंकि हम बाद में इस पर चर्चा करने नहीं जा रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के खुलने के बाद इसके केन्द्र भारत के विभिन्न भागों में खोले जाने चाहिए। अन्यथा एक केन्द्र से पूरे देश में शिक्षा संचालन करना बहुत कठिन होगा।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : प्रत्येक राज्य का अपना केन्द्र होगा।

**डा० फूलरेणु गुहा** : यदि कोई राज्य ऐसा करता है तो वह अलग बात है। मैं उस बारे में नहीं कह रही हूं। मुक्त विश्वविद्यालय के बनने के कुछ समय बाद राज्यों और केन्द्र के बीच कुछ व्यवस्था की जानी चाहिए ताकि विभिन्न विश्वविद्यालयों के विभिन्न केन्द्र भी विकास कर सकें।

रेडियो और दूरदर्शन के बारे में मैं एक चेतावनी देना चाहता हूं। हमें इनकी सहायता लेनी पड़ती है क्योंकि ये जन सम्पर्क के प्रमुख माध्यम हैं। किन्तु मेरे विचार से दूरदर्शन रेडियो से अधिक शक्तिशाली है क्यों कि मैंने देखा है कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग दृश्य वस्तु में अधिक रुचि रखते हैं। ऐसा सम्भव नहीं है क्यों कि देश की आवश्यकता की पूर्ति हेतु हमारे यहां पर्याप्त दूर दर्शन केन्द्र नहीं हैं।

इसका यह तात्पर्य कदापि नहीं है कि रेडियो के माध्यम से शिक्षा प्रदान न की जाए। इसलिए आपके माध्यम से मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि जहां कहीं इन केन्द्रों की अधिकता हो, वहीं दूरदर्शन सुविधा पहले सुलभ कराई जाये। सामान्यतः दूर दर्शन सुविधा पहले वहां सुलभ करायी जाती है जहां प्रभावशाली व्यक्ति रहते हैं। मैं सूचना और प्रसारण मंत्री को, जो इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं, सुझाव देता हूं कि जहां कहीं मुक्त विश्वविद्यालय केन्द्र स्थापित किए जाएं वहां दूरदर्शन सुविधा पहले सुलभ कराई जाए न कि उन लोगों को जो विलासिता के लिए दूरदर्शन चाहते हैं।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : हर पंचायत घर के लिए एक टी० वी० सुलभ होगा।

**डा० फूलरेणु गुहा** : महोदया, जहां तक मेरी जानकारी है, मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रबन्ध बोर्ड और योजना बोर्ड नहीं हैं। प्रबंध बोर्ड और योजना बोर्ड का संचालन कौन करेगा? मंत्री महोदय हमें बताएं कि कौन-सी एजेन्सी अथवा कौन व्यक्ति प्रबन्धक बोर्ड का संचालन करेगा? मैं चाहती हूं कि मंत्री महोदय हमें यह बताएं कि प्रबन्धा बोर्ड का संचालन कौन सी एजेन्सी करेगी या कौन व्यक्ति करेगा। अन्त में महोदया, मैं यह कहना चाहती हूं कि पाठयक्रम के चयन में स्वतन्त्रता होनी चाहिए। छात्रों को चयन की स्वतन्त्रा होनी चाहिए अन्यथा ऐसे लोगों को अपनी शिक्षा जारी रखने में कठिनाई होगी जो अधिकांशतः विश्वविद्यालय से आते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है और मुझे उससे बहुत आशा है। मैं विधेयक का समर्थन करती हूं। मुझे पता है कि आरम्भ में यह कार्य इतना सुलभ नहीं होगा क्योंकि कुछ न कुछ आलोचना होगी। जब कभी हम कोई कार्य आरम्भ करते हैं तो उसमें आरम्भ में सैंकड़ों कमियां होती हैं। आरम्भ में यद्यपि कुछ कठिनाइयां होंगी किन्तु जब यह प्रणाली एक बार चालू हो जायेगी तो मुझे आशा है कि कालान्तर में इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय एक सफल विश्वविद्यालय सिद्ध होगा और शिक्षा पाने से वंचित देश के अधिकांश व्यक्तियों को विशेषकर महिलाओं को इस विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।

**श्री हुसेन दलवाई** (रत्नगिरि) : सभापति महोदया, वर्तमान समय में सामाजिक और नैतिक मूल्यों का अधःपतन, अराजकता, साम्प्रदायिकता, भ्रष्टाचार आदि सब चरित्र पतन के कारण हैं और इनसे हमारा समाज त्रस्त है और ये हमारी इस वर्तमान शिक्षा पद्धति की विफलता का प्रमाण हैं जो कि इस देश के युवा नर-नारियों को चरित्रवान और सुयोग्य बनाने के लिए आरम्भ की गई थी। वस्तुस्थिति यह है कि शिक्षा नीति में परिवर्तन करने के बारे में हम लोगों को गम्भीरतापूर्वक विचार करना होगा और इसी सन्दर्भ में हमारे वर्तमान प्रधान मंत्री ने आम चुनाव के बाद कार्यभार संभालने के बाद राष्ट्र के नाम अपने प्रथम प्रसारण में कहा था कि उन्होंने वर्तमान शिक्षा पद्धति का अध्ययन किया है और उसमें अनेक त्रुटियां हैं तथा उन्होंने अपनी सरकार से एक नई शिक्षा नीति तैयार करने को कहा है।

वह नई शिक्षा नीति अभी प्रस्तुत नहीं की गई है किन्तु मैं शिक्षा मंत्री महोदय को अवश्य बधाई दूंगा जिन्होंने इस सम्मानित सभा में भारत में मुक्त विश्वविद्यालय आरम्भ करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया है। मुक्त विश्वविद्यालय का विचार भारत में सर्वप्रथम 1971 में आया था जब भारत सरकार ने जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के तत्कालीन उप कुलपति श्री जी० पार्थसारथी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था। इस समिति में इस विषय पर चर्चा की गई तथा वह निष्कर्ष पर पहुंची कि इस देश में यथा शीघ्र एक मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया जाये। वस्तुतः मुक्त विश्वविद्यालय से वे लोग लाभान्वित होंगे जिन्होंने स्कूलों में शिक्षा ग्रहण नहीं की है।

इसके अतिरिक्त विकासशील देशों में कुछ प्रयोग भी किए गए हैं तथा उनका निष्कर्ष यह निकला है कि स्कूल से आने वाले छात्रों की संख्या में वृद्धि, स्कूल में स्थानों की कमी, औपचारिक शिक्षा के लिए अधिक शिक्षकों तथा अन्य सुविधाओं की आवश्यकता के कारण दूरस्थ शिक्षा ही शिक्षा के क्षेत्र में इस समय व्याप्त बुराइयां एकमात्र उत्तर है। और इस विचार से मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा मेरा यह सुझाव है कि माननीय मंत्री महोदय इस सभा को सूचित करें कि इसकी गारंटी कैसे दी जाएगी। इस विधेयक से प्रतीत होता है कि यह प्रणाली द्विस्तरीय होगी। शीर्षस्थ स्तर पर विश्वविद्यालय केन्द्र होगा तथा क्षेत्रीय स्तर पर अध्ययन केन्द्र होंगे।

किन्तु वास्तविकता यह है कि इस मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने के पीछे विचार यह है कि शिक्षा के क्षेत्र में अधिक लचीलापन होना चाहिए न कि कठोरता।

**प्रो० एन० जी० रंगा** : यह ठीक है।

**श्री हुसेन दलवाई** : एक माननीय सदस्य हमसे पूछ रहे थे कि इस मुक्त विश्वविद्यालय में कितने छात्रों को प्रवेश दिया जाएगा। मेरा सुझाव है कि इस विश्वविद्यालय में औपचारिक शिक्षा हेतु प्रवेश की या आयु की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए। ऐसा कोई नियम न बनाया जाये जिसके कारण विषयों के चयन में तथा आयु सीमा के सम्बन्ध में कोई कड़ाई की जाए। वर्तमान प्रणाली में यदि हमारे पास विज्ञान संकाय है तो हम एक विषय के रूप में इतिहास नहीं पढ़ा सकते हैं। इस नये विश्वविद्यालय में इसकी अनुमति होगी। छात्रों को चयन की अधिक छूट होगी जिससे जिन लोगों को जिस विषय विशेष में रुचि होगी इनको इस विश्वविद्यालय से वही विषय पढ़ने का सुयोग प्राप्त हो सकेगा।

एक और माननीय सदस्य ने अपने भाषण के आरम्भ में कहा था कि इस मुक्त विश्वविद्यालय को सभी प्रकार की निधियां दी जाएं और किसी अन्य विश्वविद्यालय के विस्तार के किसी अन्य प्रस्ताव को पास करने की अनुमति न दी जाए। इसके बाद उन्होंने अपनी बात बदल दी और कहा कि वह इसके पक्ष में नहीं हैं। मेरा उत्तर यह है कि वस्तुतः मुक्त विश्वविद्यालय परियोजना के बारे में कुछ सदस्यों को गलतफहमी है जबकि वास्तविकता यह है न तो हम मुक्त विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दे रहे हैं और न औपचारिक शिक्षा को बिल्कुल समाप्त कर रहे हैं। यह एक नई चीज है जिसे हम शुरू करना चाहते हैं और इसका अर्थ यह नहीं है कि विश्वविद्यालय शिक्षा या औपचारिक शिक्षा आगे नहीं चलेगी। हम इस नये राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को बढ़ावा देंगे और इसके साथ ही हम लोग पुरानी शिक्षा प्रणाली को भी चालू रखेंगे।

मैं शिक्षा मंत्री को, जो दूरदर्शी और स्पष्टवादी हैं, इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए बधाई देता हूं। इस समय उन्होंने इस विधेयक का संचालन किया है यद्यपि 1976 में तत्कालीन शिक्षा मंत्री ने इस सभा को आश्वासन दिया था कि मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक इस सभा में यथाशीघ्र पुरः स्थापित किया जाएगा। बहुत समय से हम लोग इस विधेयक की प्रतीक्षा में थे। इस मुक्त विश्वविद्यालय का नाम हमारी महान नेता स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखा गया है जिनके कुछ सिद्धान्त थे। उन्होंने अपने एक दीक्षांत भाषण में कहा था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग नर और नारी के भाग के लिए किया जाना चाहिए तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी हमारे जीवन के अंग बन जाने चाहिए। तदनुसार हम उस उद्देश्य की ओर अग्रसर हैं जिसकी श्रीमती इन्दिरा गांधी अपने जीवन में हिमायत करती रही हैं और इसी मंतव्य से यह विधेयक संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। मेरे विचार में इसे सफलता मिलेगी। मैं एक बार पुनः शिक्षा मंत्री को बधाई देता हूं जिन्होंने इस ऐतिहासिक और चिरकाल से प्रतीक्षित विधेयक को प्रस्तुत किया।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** (महबूब नगर) : मैं इस विधेयक का उन्मुक्त हृदय से स्वागत करता हूं। इसका स्वागत करते हुए मैं इतना ही कहूंगा कि यह और भी अच्छा होता यदि यह विधेयक बहुत पहले ही पुर:स्थापित किया गया होता। हम लोग कम से कम एक दशक पीछे हैं क्योंकि बहुत पहले 1976 में ही एक विशेषज्ञ समिति ने एक मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित करने की सिफारिश की थी।

जब कभी कोई नया नेता केन्द्र में अथवा राज्यों में प्रशासन की बाग-डोर सम्हालता है तब वह सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति की बात करता है। मेरे विचार से ये नये नेता हमारी शिक्षा पद्धति के वास्तविक दोषों के प्रति केवल अपनी छवि बनाने वाली प्रतिक्रिया ही व्यक्त करते रहे हैं। मुझे संदेह है कि वे लोग पक्षपातपूर्ण और परस्पर सहमति पर आधारित हमारी शिक्षा नीति से अनभिज्ञ हैं। ब्रिटिश दार्शनिक बर्टेन्ड रसल ने कहा था कि :

> "जीवन के उद्देश्यों के बारे में जिन दो व्यक्तियों में मतभेद हों उनसे यह आशा नहीं की जा सकती कि वे शिक्षा के बारे में परस्पर सहमत होंगे।"

किन्तु यह सौभाग्य की बात है कि हमारे देश में विविध विचारधारा वाले राजनीतिक दलों और विभिन्न पृष्ठभूमि वाले विशेषज्ञों में शिक्षा संबंधी प्राथमिकताओं के बारे में सहमति रही है।

विभिन्न विशेषज्ञ समितियों के प्रतिवेदनों में तथा इस सभा के संकल्प में प्रारम्भिक शिक्षा के प्रसार, माध्यमिक शिक्षा स्तर पर व्यवसायिक शिक्षा दिये जाने, उच्च शिक्षा में प्रतिबन्धित तथा चुन्निदा प्रवेश दिये जाने, देश की सम्भावित श्रम-शक्ति की आवश्यकताओं के अनुरूप व्यवसायिक शिक्षा के प्रसार करने जैसे शिक्षा नीति के महत्त्वपूर्ण पहलुओं पर जोर दिया गया है। वास्तविकता यह है कि सभी द्वारा स्वीकृत प्राथमिकताओं को तोड़-मरोड़ दिया गया है और बिगाड़ दिया गया है। यह सब कैसे हुआ और क्यों हुआ? हमारी केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों ने स्वीकृत राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर दृढ़ रहने के लिए कभी भी अपनी राजनैतिक इच्छा व्यक्त नहीं की। जैसा कि हमारे प्रमुख शिक्षा शास्त्री स्वर्गीय श्री जे० पी० नायक ने कहा था कि वह विभिन्न हितों के समक्ष झुक जाते हैं। विश्वविद्यालय की डिगरियों के पक्ष में विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा बल दिये जाने का परिणाम यह निकला कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए भगदड़ सी मच गई और स्कूली शिक्षा में एक तरह का गतिरोध उत्पन्न हो गया। जिसके परिणामस्वरूप, जैसा कि गांधी जी ने कहा था निरक्षरता की बुराइयां हमारे चारों तरफ फैल गई हैं। आप देखेंगे कि 77 प्रतिशत से अधिक छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं। पिछले दिन हमारे मंत्री महोदय ने देश में शिक्षा की दशा पर दो खण्डों में दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं जिससे हमारी शिक्षा पद्धति के उद्देश्यहीन और निष्क्रिय होने का ही पता चलता है।

प्रथम तथा छठी योजना के मध्य, प्रारम्भिक शिक्षा पर व्यय की राशि 56 प्रतिशत से घटकर 36 प्रतिशत रह गई है, जबकि वास्तविकता यह है कि उसी अवधि के दौरान उच्च शिक्षा व्यय की राशि 8 प्रतिशत से बढ़कर 16 प्रतिशत अर्थात् दुगुनी हो गई। इस दस्तावेज में हमारी शिक्षा पद्धति के दुःखद स्वरूप का भली प्रकार से निरूपण किया गया है।

**सभापति महोदया** : आपका समय समाप्त हो गया है। जनता पार्टी को सात मिनट आबंटित किये गये हैं और आप सात मिनट ले चुके हैं।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : भविष्य के लिए जिन प्राथमिकताओं का उल्लेख इस दस्तावेज में

किया गया है वे पुरानी प्राथमिकताओं की पुनरावृति मात्र ही हैं। इस अवसर पर मैं शिक्षा से संबधित सभी समस्याओं के विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं अपितु इस विधेयक के माध्यम से उनका संक्षेप में उल्लेख मात्र करना चाहता हूं। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं क्योंकि इससे उच्च शिक्षा क्षेत्र में जो अत्यधिक भार है उससे भविष्य में राहत मिलेगी। जैसा कि प्रतीत होता है, औपचारिक शिक्षा पद्धति अब टूट रही है। इस मांग को पूरा करने के लिए 1962 में पत्राचार पाठ्यक्रम आरम्भ किए गए थे। इस समय लगभग 29 विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं। किन्तु उनमें कुछ मूलभूत त्रुटियां थीं यथा—संरचनात्मक अनम्यता, पत्राचार सामग्री की संदेहजनक गुणवत्ता, सम्पर्क कार्यक्रमों का अभाव तथा विविध दक्षता का अभाव। इसके उपचार के रूप में हमने मुक्त विश्वविद्यालय की कल्पना की है। सर्वप्रथम हैराल्ड विल्सन ने 1962 में हवाई विश्वविद्यालय का विचार रखा था और वही विचार 1969 में मुक्त विश्वविद्यालय में रूप में उभर कर आया। हैराल्ड विल्सन प्रधान मंत्री के रूप में इसे अपनी शानदार उपलब्धियों में से एक मानते थे।

ब्रिटेन के मुक्त विश्वविद्यालय के चार्टर समारोह का अध्ययन बहुत उत्साहवर्धक है। प्रथम चान्सलर लार्ड ने उस अवसर पर कहा था—"सर्वप्रथम हम लोगों के लिए खुले हैं, हमारे लिए शिक्षा के एक स्तर से दूसरे स्तर तक पहुंचने सम्बन्धी सावधानीपूर्वक बनाए गए नियम नहीं हैं जिनको परम्परागत विश्वविद्यालय प्रवेश देने के आधार बनाते हैं। हम स्थान की दृष्टि से मुक्त हैं और ये वही स्थान हैं जहां हमारे पांव भूमि का स्पर्श करते हैं। शेष विश्वविद्यालय को अलग-अलग भागों में बांटा जाएगा और इसका कार्य वायुयान से संचालित किया जाएगा। आरम्भ से ही यह पूरे इंगलैंड पर उड़ते हुए कार्य करेगा। हम किसी प्रणाली से नहीं बंधे हैं। ब्रिटिश ब्रोडकास्टिंग कारपोरेशन पर हम निर्भर हैं, उनके आभारी हैं और साझेदार हैं। लेकिन प्रौद्योगिकी का विकास निरन्तर हो रहा है और मेरी भविष्यवाणी है कि शीघ्र ही रेडियो पर प्रसारण विश्वविद्यालय के सम्पूर्ण पाठ्यक्रम का एक छोटा-सा भाग ही रह जाएगा। हम नये-नये विचारों को ग्रहण करेंगे।" खुले दिल से अनेक विषयों में शिक्षा देने वाले ब्रिटेन के मुक्त विश्वविद्यालय ने न केवल व्यापक प्रगति की है बल्कि चीन, पाकिस्तान, थाईलैण्ड और दक्षिणी कोरिया जैसे 14 अन्य देशों ने भी इस प्रकार के विश्वविद्यालय चलाने की नकल की है। चूंकि मेरे माननीय मित्रों ने उस सम्बन्ध में बात की है जो चीन और तैवान में प्राप्त किया गया है, मैं उन तथ्यों और आंकड़ों पर सदन का समय बर्बाद नहीं करना चाहता हूं।

जैसा यहां संकेत किया गया है कि आन्ध्र प्रदेश में 1983 में मुक्त विश्वविद्यालय आरम्भ किया गया था और आंध्र प्रदेश में हमारा विश्वविद्यालय विशेष रूप में सफल रहा। इससे पहले ही 28,000 विद्यार्थियों को लाभ पहुंचा है जैसा माननीय मंत्री ने स्वयं कहा है। यह सुखद बात है कि इसके वर्तमान अध्यक्ष प्रो० जी० रामारेड्डी, जो उस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध थे, यहां बुलाए गए हैं ताकि हम उनके अनुभव और विशेषज्ञता से लाभ उठा सकें।

हमें मालूम है कि विभिन्न राज्यों में अपने मुक्त विश्वविद्यालय आरम्भ करने के लिए प्रयास जारी हैं। हमारे पास शीघ्र ही उतने मुक्त विश्वविद्यालय होंगे जितने इस देश में राज्य हैं। और क्षेत्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के प्रचुरोद्भव की इस पृष्ठभूमि में राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को अनेक मुश्किल जिम्मेदारियां सौंपी जानी चाहें। पहले तो यह देश में मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए एक मानक पाठ्यचर्या बनाने के लिए पहल कर सकता। दूसरा यह विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए मानक पाठ्य पुस्तकों का आयोजन करेगा, किन्तु इसके लिए राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों

पर उपलब्ध श्रेष्ठ प्रतिभा का उपयोग करना पड़ेगा। उदाहरणतः यह विभिन्न क्षेत्रों में सर्वोत्तम विशेषज्ञों द्वारा किए गए भाषणों के दृश्य और श्रव्य प्राप्त कर सकते हैं। हम प्रत्येक विषय में श्रेष्ठ अध्यापक को विद्यार्थी के द्वार पर ला सकते हैं, जिसके लिए आधुनिक दूर-संचार क्रांति को धन्यवाद देना होगा। जैसा पहले भी कहा गया है आकाशवाणी और दूरदर्शन को अधिकतम सीमा तक तैयार किया जाना चाहिए। मुक्त विश्वविद्यालय का बहु-माध्यम दृष्टिकोण हो जिसमें दूरदर्शन, रेडियो, श्रव्य कैसेट, विडियो कैसेट, मुद्रित पाठ्य पुस्तकों का विदेशी विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों द्वारा भी उपयोग किया जाना चाहिए।

मैं मुक्त विश्वविद्यालय के ढांचे के सम्बन्ध में अपना विश्लेषण अथवा आलोचना प्रस्तुत नहीं करना चाहता हूं जैसा विधेयक में प्रस्तुत किया गया है। यह अभी भी प्रारम्भिक स्तर पर ही है।

अब मैं वित्तीय सहायता के प्रश्न पर बात करता हूं। इस पूरी योजना का उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा यदि राशि उदारता से उपलब्ध नहीं करायी जाती। मैं नहीं जानता कि क्या ज्ञापन में उल्लिखित राशि सचमुच पर्याप्त होगी। मैं उस माननीय सदस्य से सहमत हूं जो इस विषय पर मुझसे पहले बोले हैं। मैं जानता हूं कि हमारे मंत्री श्री कृष्ण चन्द्र पन्त एक प्रबुद्ध और अनुभवी व्यक्ति हैं, किन्तु उन्हें इस सदन यह आश्वासन देना होगा कि वह राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को सर्वोच्च महत्त्व देंगे।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : धन आप उपलब्ध करायेंगे।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : संसद उपलब्ध करेगा। जी हां, संसद के सदस्य के रूप में।

अन्त में, मैं आशा करता हूं कि वित्तीय राशि के आयात में इस नई परिकल्पना को क्षति नहीं पहुंचेगी।

**श्रीमती चन्द्रेश कुमारी** (कांगड़ा) : अध्यक्ष महोदया, आपकी अनुमति से मैं विधेयक का समर्थन करने के लिए खड़ी होती हूं।

आरम्भ में, मैं माननीय प्रधान मंत्री तथा शिक्षा मंत्री को इस देश को प्रथम मुक्त राष्ट्रीय विश्वविद्यालय प्रदान करने के लिए बधाई देती हूं। ऐसा करके हमने देश की शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाने में पहला कदम उठाया है। मैं जानती हूं कि अनेक माननीय सदस्यों ने इसकी सफलता के सम्बन्ध में शंका प्रकट की है और इसके वांछित लक्ष्य की प्राप्ति में वे आशावादी नहीं हैं। किन्तु मुझे कहना चाहिए कि मैंने इस सम्बन्ध में एक आशावादी दृष्टिकोण अपनाया है। मुझे कहना चाहिए कि आरम्भ की गई प्रत्येक परियोजना में कुछ प्रारम्भिक कठिनाइयां होती हैं, और ज्यों हो हम समस्या से जूझते हैं कठिनाइयां हल होती जाती हैं।

इस उपाय से हम अपने विद्यार्थियों को अनुसंधान द्वारा सीखने, प्रयोगों और अनुभवों द्वारा स्वयं अपनी सहायता करने का प्रोत्साहन देते रहेंगे और इस प्रकार ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हमारे बच्चे विश्वविद्यालय से सीखने योग्य होंगे। सामान्यतः हम देखते हैं कि दूसरे विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी अपनी पुस्तकों की रट लगाते हैं और परीक्षाएं समाप्त होते ही वह अपना कार्य भूल जाते हैं। जब विद्यार्थी स्वयं ही अनुसंधान करेंगे तो वह अधिक जानकारी प्राप्त करेंगे। आधुनिक प्रौद्योगिकी से वह अधिक शिक्षा तथा अनुभव प्राप्त कर सकेंगे। यह विश्वविद्यालय उन हजारों लोगों

को जो छोटी आयु में शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके हैं, तथा जो दूर-दराज क्षेत्रों के हैं, अथवा वे लोग जो धन के अभाव से कॉलेज न जाने के कारण शिक्षा प्राप्त नहीं कर सके, अथवा वे लोग जिन्हें छोटी आयु में काम आरम्भ करना पड़ता है और कॉलेज नहीं जा सकते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं है। ऐसे लोगों को इस विश्वविद्यालय से लाभ होगा। इस विधेयक को इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक का उचित नाम दिया गया है। श्रीमती इन्दिरा गांधी न केवल अपने युग की सबसे महान नेता थीं अपितु उसे विश्व भर में सबसे अधिक प्यार किया जाता था, प्रशंसा की जाती थी और सम्मान किया जाता था। उन्होंने अपना जीवन इस देश के लिए समर्पित किया। उन्होंने इस देश के लिए अपने जीवन की बलि दे दी। हम इस विधेयक के लाने के लिए सचमुच सरकार के आभारी हैं और हम इस विधेयक के लिए और मुक्त विश्वविद्यालय को उनका नाम देने के लिए सचमुच सरकार का धन्यवाद देते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हीं के मार्ग-दर्शन तथा अनुदेश के अन्तर्गत 1971 में अन्तर्राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय का विचार आरम्भ हुआ। किन्तु यह दुर्भाग्य की बात है कि वर्ष 1977 में सरकार बदल गई और यह विचार विपक्ष द्वारा ताक पर रखा गया। अब श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में सरकार इस विधेयक को लाई है।

स्वतन्त्रता के बाद हमने शिक्षा में काफी प्रगति की है। उच्च कोटि के कुछ वैज्ञानिक, विद्वान् तथा इंजीनियर भारत के हैं। किन्तु फिर भी हम देखते हैं कि हम अपनी शिक्षा प्रणाली में दूसरे अनेक देशों से बहुत पीछे हैं। इसी कारण यह आवश्यक है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में परिवर्तन होना चाहिए और हमारे बच्चों को विशेष शिक्षा दी जानी चाहिए। भारत की जनता को जो उच्चतम धन हम दे सकते हैं वह है उचित शिक्षा और उन्हें यह शिक्षा दें कि वह राष्ट्र के जिम्मेदार नागरिक बन जाएं। हमारी शिक्षा प्रणाली में श्रम श्री महत्ता का अभाव है। एक मैट्रिक पास अपने हाथों से काम करना नहीं चाहेगा। यह अच्छी बात है कि इस मुक्त विश्वविद्यालय में कला, फिल्म और कारीगरी, बागवानी, कृषि तथा अन्य ऐसे विषयों को विशेष महत्त्व दिया गया है। इन विषयों से हमारे युवा स्वयं अपने लिए कार्य करना और स्वयं अपने लिए रोजगार उत्पन्न करना सीखेंगे। इस प्रकार हम किसी हद तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान कर सकेंगे।

हमने देखा है कि इस देश में जो शिक्षा सुविधाएं विकसित हुई हैं वे अधिकतर शहरी क्षेत्रों में ही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा संस्थाएं नहीं खुली हैं। आप देखेंगे कि ग्रामीण क्षेत्र का एक मैट्रिक-पास शहरी क्षेत्र के मैट्रिक पास के साथ मुकाबला नहीं कर सकता है। ग्रामीण क्षेत्र में दी गई शिक्षा कई प्रकार से अपर्याप्त और अधूरी है।

इस सम्बन्ध में मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि इस उद्देश्य के लिए ग्रामीण क्षेत्रों को अधिक महत्त्व दिया जाए और इस सम्बन्ध में, मैं दो सुझाव देना चाहूंगा कि प्रत्येक कालेज, चाहे प्राइवेट हो अथवा सरकारी, जो उचित ढंग से कार्य करता है अथवा जिसका प्रबन्ध उचित ढंग से हो रहा है उसे एक शिक्षा केन्द्र बनाया जाना चाहिए और इस मुक्त विश्वविद्यालय के साथ सम्बद्ध किया जाना चाहिए। इन अध्ययन केन्द्रों में वीडियो टेप, श्रव्य टेप, दूरदर्शन कार्यक्रम, रेडियो कार्यक्रम तथा कार्य करने के उपकरण दिए जाने चाहिए ताकि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को उनसे लाभ हो और वे अपने विषय में विशेषज्ञता प्राप्त करें। इसके अतिरिक्त मैं यह सुझाव देना चाहूंगा कि पूरे भारत में सभी हाई स्कूलों में बच्चों को इस विश्वविद्यालय में प्रवेश देने की सुविधा होनी चाहिए और इस विश्व-विद्यालय का पाठ्यक्रम इन स्कूलों में उपलब्ध होना चाहिए। केवल उस स्थिति में हम इस विश्व-विद्यालय को ग्रामीण क्षेत्रों में सभी बच्चों में प्रचार कर सकते हैं। अन्यथा क्या होगा कि केवल

शहरी क्षेत्रों के लोगों को इस विश्वविद्यालय के विषय में जानकारी होगी और किसी और को इस विषय में कुछ पता नहीं चलेगा।

अन्त में मैं शिक्षा मंत्री का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहती हूं कि यदि भारत के लोग इस विश्वविद्यालय से लाभ उठाना चाहते हैं तो प्राथमिक, माध्यमिक तथा हाई स्कूल शिक्षा में भारी परिवर्तन हो जाएगा। मुझे और राज्यों के विषय में कुछ मालूम नहीं, किन्तु मैं आपको हिमाचल प्रदेश के विषय में बता सकती हूं कि एक प्राथमिक विद्यालय में लगभग पांच कक्षाएं हैं जिनमें 250 विद्यार्थी हैं और वहां केवल एक अध्यापक पढ़ा रहा है। मैं माननीय मंत्री से जानना चाहूंगी : क्या यह बच्चे जिन्हें केवल एक अध्यापक पांच कक्षाओं को पढ़ा रहा है इस विश्वविद्यालय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं ? नहीं। अतः यह आवश्यक है कि प्राथमिक तथा बेसिक शिक्षा को अधिक महत्त्व दिया जाना चाहिए ताकि यह बच्चे जो योग्य हैं और जो अपने भावी जीवन में सफल हो सकते हैं और जो ऐसा कर सकते हैं और इस विश्वविद्यालय से लाभ प्राप्त कर सकते हैं और ऐसा केवल प्राथमिक शिक्षा के स्तर में सुधार करने से ही संभव है।

मैं यहां एक बात का उल्लेख करना चाहूंगी जो हिमाचल प्रदेश तथा इसके दूर-दराज क्षेत्रों से सम्बद्ध है और वह यह है कि प्राथमिक स्कूलों में आप अध्यापकों का अभाव पाएंगे। वहां कुछ ऐसे स्कूल हैं जो लगभग छः महीने बन्द ही रहते हैं क्योंकि वहां कोई अध्यापक नहीं है। मेरी इच्छा है कि नई शिक्षा नीति आते ही माननीय शिक्षा मंत्री इस बात की ओर विशेष ध्यान देंगे और जब नई शिक्षा नीति सामने आती है उस समय अध्यापकों के लिए नियमों अथवा विनियमों का प्रबन्ध करेंगे ताकि उनका स्कूल जाना सुनिश्चित हो सके। मुझे पूरा विश्वास है कि इस विश्वविद्यालय को केवल भारत में ही नहीं अपितु विश्व भर में सफलता प्राप्त होगी और विश्व भर के लोग इससे लाभ उठा सकेंगे। किन्तु मैं यहां यह सुझाव देना चाहूंगी कि इस विधेयक में यह उल्लेख किया गया था कि भारत में सभी विषयों में सभी सर्वोत्तम विद्वानों को पाठ्यक्रम तैयार करने के लिए कहा जाएगा, किन्तु मैं समझती हूं कि हमारे बहुत से प्रतिभाशाली विद्वान अमरीका, इंग्लैंड, कनाडा और अन्य देशों में गए हैं। उन्हें भी यहां बुलाया जाना चाहिए और इस विश्वविद्यालय के लिए पाठ्यक्रम तैयार करने में हमारी सहायता करें।

इन शब्दों के साथ, मैं फिर एक बार इस विधेयक को इस सूत्र में लाने के लिए बधाई देना चाहूंगी और महोदया, मुझे यह अवसर देने के लिए मैं आपको भी धन्यवाद देती हूं।

**कुमारी ममता बनर्जी** (जादवपुर) : महोदया, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। हाल ही में राज्य सभा द्वारा मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया है और विधेयक श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से है जो सभी लोगों के लिए स्वयं एक मुक्त विश्व-विद्यालय थीं।

श्रीमती गांधी शान्ति का प्रतीक थीं। वह देश में एकता स्थापित करने के आन्दोलन में सबसे आगे थीं। वह समाज के उपेक्षित वर्गों के उत्थान के आन्दोलन में भी सबसे आगे थीं। इन्दिरा जी ने राष्ट्रीय संगठन और एकता के लिए कार्य किया। अतः मैं इस विधेयक का स्वागत करती हूं और माननीय शिक्षा मंत्री को बधाई देती हूं जो हमारे प्रिय प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा घोषित नई शिक्षा प्रणाली को लागू करने के लिए अपनी ओर से बहुत कार्य कर रहे हैं।

इस नई शिक्षा नीति से हमारे समाज में पूर्ण परिवर्तन होगा। यह इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय

मुक्त विश्वविद्यालय राष्ट्रीय स्तर पर निश्चित रूप से राष्ट्रीय एकता और एक मर्म पाठ्यक्रम के निर्माण में सहायक होगा।

यह मुक्त विश्वविद्यालय केवल उन लोगों के लिए नहीं है जो दुर्भाग्यवश अपनी शिक्षा जारी नहीं रख सके हैं अथवा किसी व्यवसाय को आरम्भ करने से पूर्व शिक्षा का अवसर नहीं पा सके किन्तु इससे उन ग्रामीण लोगों को भी सहायता प्राप्त होगी जो इस मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे।

यह इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हमारी सामाजिक मांग और दृष्टिकोण के बीच सम्पर्क स्थापित करेगा और उनके आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से पिछड़े हुए लोगों को अपने स्तर में सुधार के अवसर देगा।

शिक्षा के क्षेत्र में आज देश में नये अवसर उपलब्ध हो रहे हैं। सरकार नई शिक्षा प्रणाली सम्बन्धी कदम उठा रही है जो नई आशा और नई सम्भावनाओं से भरपूर हैं। यह इस तरह आशावान है।

स्वतन्त्रता के समय देश में केवल 800 कालेज और 27 विश्वविद्यालय थे। इस समय 140 विश्वविद्यालय और 5246 कालेज हैं जिनमें 33.6 लाख छात्र शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं।

एक बार श्रीमती इन्दिरा गांधी ने कहा था कि मानव जाति बच्चों से शुरू हुई है और जो व्यक्ति बच्चों की परवाहकरता है वह मानव जाति की परवाहकरता है।

हमारी पूरे देश के लिए समान शिक्षा नीति नहीं है। प्रत्येक राज्य में हम अनुभव करते हैं कि बहुत-सी विविधताएं हैं। हम जानते हैं कि विविधता में एकता ही हमारा लक्ष्य है। परन्तु अभी तक हम समान शिक्षा नीति तैयार नहीं कर पाये।

अपने राज्य पश्चिम बंगाल के बारे में, मैं कह सकती हूं कि शिक्षा नीति पर सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टी का पूरा नियन्त्रण है। कलकत्ता विश्वविद्यालय अत्यन्त प्रसिद्ध विश्वविद्यालय है, परन्तु अब राजनीतिक दलों द्वारा उस विश्वविद्यालय के बन्द किए जाने की सम्भावना बन रही है क्योंकि बंगाल की शिक्षा नीति मार्क्सवादी नीति है। (व्यवधान)

पूरे विश्व में मुक्त विश्वविद्यालय चल रहे हैं। ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा, सोवियत संघ, पश्चिम जर्मनी, पाकिस्तान, श्रीलंका, थाईलैंड और अमरीका में मुक्त विश्वविद्यालय अच्छी प्रकार चल रहे हैं।

भारत में 1982 में आंध्र प्रदेश में मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था।

राज्य सभा में 5 घंटे के वाद-विवाद के बाद मंत्री महोदय ने बताया कि यह प्रणाली पत्राचार पाठ्यक्रमों से श्रेष्ठ होगी क्योंकि रेडियो, दूरदर्शन, वीडियो, श्रव्य (औडियो) कैसेट एवं स्वयं शिक्षक 'किट' उपलब्ध किए जाएंगे तथा बताया गया है कि विश्वविद्यालय देश के विभिन्न दूरस्थ शिक्षा केन्द्रों में समन्वय स्थापित करेगा तथा ऐसे मानदण्ड बनाए रखने का प्रयास करेगा जोकि सम्मानित होंगे।

विशेष रूप से ग्रामीण समाज तथा उपेक्षित क्षेत्रों के लिए मुक्त विश्वविद्यालय एक बहुत अच्छी योजना है। परन्तु नये शिक्षकों के बहुत ध्यानपूर्वक चयन की अत्यन्त आवश्यकता है।

मुक्त विश्वविद्यालय का केडर वही होना चाहिए जोकि अन्य विश्वविद्यालयों में है।

सरकार को क्षेत्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने चाहिए ताकि ग्रामीण लोगों को शिक्षित होने के अधिक अवसर उपलब्ध कराए जा सकें। ऐसे क्षेत्रीय विश्वविद्यालय सभी राज्यों में स्थापित होने चाहिएं।

यह वर्ष अन्तर्राष्ट्रीय युवा वर्ष है। हमारे प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी युवाओं के प्रतीक हैं। उन्होंने घोषणा की है कि स्वामी विवेकानन्द के जन्म दिवस को युवा दिन के रूप में मनाया जाना चाहिए। कृपया पश्चिम बंगाल में स्वामी विवेकानन्द के नाम पर एक विश्वविद्यालय स्थापित करें, ताकि हम युवा दिवस भली प्रकार मना सकें। विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय तथा मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित होने चाहिए, ये उत्तर भारत, दक्षिण भारत तथा देश के अन्य भागों में स्थापित किए जाने चाहिए। तब अधिक से अधिक लोगों को शिक्षा के अवसर मिल सकेंगे।

मैं यह भी कहना चाहूंगा कि एक आधारभूत शिक्षा नीति होनी चाहिए। श्रीमती इन्दिरा गांधी ने शिक्षित बेरोजगारों के लिए स्व-नियोजित की एक योजना घोषित की थी। बेरोजगारी हमारे देश की बड़ी समस्या है। हमें अपने देश के युवाओं के लिए आधारभूत शिक्षा नीति बनानी चाहिए ताकि, यदि वे वास्तव में रुचि रखते हैं तो वे इन विश्वविद्यालयों से डिग्री प्राप्त करने के बाद इधर-उधर घूमने के स्थान पर वहां से स्व-नियोजन के लिए प्रशिक्षण प्राप्त कर सकें। बैंकों से कहा जाना चाहिए कि वे शिक्षित बेरोजगारों को ऋण दें ताकि वे अपने काम शुरू कर सकें।

मैं यहां एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण देना चाहती हूं। विपक्ष के सदस्य राजनीतिक दृष्टि से मेरी निन्दा करना चाहते हैं। मैं ममता बनर्जी, संसद सदस्य हूं। मैंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एम० ए० किया है। मैंने एल० एल० बी० तथा बी० एड० किया है। मैंने उचित माध्यम से अमरीकी विश्वविद्यालय से पी० एच० डी० की है। मैं उन्हें यहां चुनौती देती हूं। यदि वे मुझे दोष देने की चेष्टा करते हैं तो यह अच्छी बात नहीं है। मैं चुनौती स्वीकार करने को तैयार हूं।

पश्चिम बंगाल में समुचित शिक्षा नहीं दी जा रही। वहां पर वे केवल मार्क्सवादी लेनिनवादी शिक्षा ही दे रहे हैं, आप कृपया मामले को गम्भीरता से देखें।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** (पंसकुरा) : सभापति महोदय, मैं अपने पूर्व वक्ता द्वारा कही गई बातों को स्पष्ट कर देना चाहती हूं क्योंकि मुझे चर्चाधीन विधेयक की सभी बातों पर बोलना है।

पहले तो मैं स्वयं यह चाहती थी कि यह विधेयक प्रस्तावित शिक्षा नीति की घोषणा के बाद लाया जाता जिस पर कि अभी चर्चा होनी है और निर्णय लिया जाना है, इसके विपरीत यह समझा जाता है कि प्रधानमंत्री ने शिक्षा नीति की घोषणा कर दी है। मैंने मंत्री महोदय द्वारा सभापटल पर रखे गए पत्रों को देखा है अर्थात वह दस्तावेज जिसकी पृष्ठभूमि में शिक्षा नीति पर चर्चा की जानी है उसे आत्मसात् करने का समय नहीं था यह विशाल दस्तावेज है और मैंने उसे गाड़ी में पढ़ा है। परन्तु मैं देखती हूं कि वर्तमान शिक्षा नीति की क्रियान्वित के सभी पहलुओं का गम्भीरतापूर्वक मूल्यांकन किया गया है, और वर्तमान परिस्थिति में प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकीकरण उच्च शिक्षा आदि सभी बातों पर गम्भीर टिप्पणियां की गई हैं। दस्तावेज से कोई सहमत अथवा असहमत भी हो सकता है परन्तु उसके द्वारा निश्चित रूप से बहुत सी महत्त्वपूर्ण बातें सामने लाई गई हैं जिसके बारे में उन्होंने स्वयं कहा है कि उन पर सहमति के लिए उन पर राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा करने की आवश्यकता है। दस्तावेज को पढ़ने के बाद मैं स्वयं समझती हूं कि जो कुछ बातें उन्होंने उठाई हैं, उनपर वास्तव में गम्भीर चर्चा आवश्यक है। यह हो जाने पर इस स्तर की संस्था की स्थापना करना उचित

होता । इस दस्तावेज से शिक्षा के सम्बन्ध में वर्तमान वित्तीय बाधाओं का पता चलता है, इसमें एक और तथ्य सामने लाया गया है कि हमारे देश में अधिक वित्तीय सहायता उच्च शिक्षा को दी गई है, यह सहायता वास्तव में अधिक नहीं है परन्तु सापेक्षतया अधिक है । उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा की तुलना में अधिक भाग्यशाली है । ऐसी परिस्थिति में उच्च शिक्षा के क्षेत्र में एक और गंभीर प्रयास करने के लिए जिस हेतु बहुत अधिक धन चाहिए, पूरी नीति स्वीकार की जानी चाहिए थी ।

महोदय, जैसाकि शिक्षा मंत्री ने बताया है कि इस मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य उन वर्गों को सहायता प्रदान करना है जिनको औपचारिक ढंग से उच्च शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाया । निःसंदेह प्रस्तावित विश्वविद्यालय का यह एक कार्य होगा । परन्तु प्रथम अनुसूची अर्थात् विश्वविद्यालय का उद्देश्य पढ़ने के बाद मुझे तो यही प्रतीत होता है कि इसे विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय चित्रित किया गया है । मैं कोई शिक्षाविद नहीं हूं पमन्तु पूरी सूची पढ़ने के बाद मैं यह बात कह रही हूं । कुछ वर्गों को, जिन्हें दुर्भाग्य से औपचारिक शिक्षा नहीं मिल पाई, शिक्षा की सुविधाएं देना ही मुक्त विश्वविद्यालय का उद्देश्य नहीं है । मैं यह बात क्यों कह रही हूं कि यह विश्वविद्यालयों का विश्वविद्यालय है क्योंकि प्रथम अनुसूची में निहित है :

> "नियोजन की आवश्यकताओं से सम्बन्धित तथा देश की अर्थव्यवस्था के, उसके प्राकृतिक तथा मानवीय साधनों के आधार पर, निर्माण के लिए आवश्यक उपाधि, प्रमाणपत्र और डिप्लोमा पाठ्यक्रमों को प्रोत्साहित करेगा और उन्हें विवध प्रकार का बनाएगा ।"

इसका अभिप्राय यह है कि इस विश्वविद्यालय को अनौपचारिकशिक्षा के एक भाग के सम्बन्ध में न केवल प्रमुख आयोजक तथा कार्यान्विक के रूप में लाया जा रहा है बल्कि जब भी आवश्यक हो, यह पूरे शैक्षणिक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकती है । इस विश्वविद्यालय से कालेज सम्बद्ध किए जा सकते हैं, वह अपने कालेज स्थापित कर सकता है, शायद वे अन्य स्थापित कालेजों को भी सम्बद्ध कर सकते हैं, परन्तु फिर भी यह एक सम्बद्ध विश्वविद्यालय होगा ।

साथ ही यह विश्वविद्यालय विकल्प के रूप में अन-औपचारिक शिक्षा के लिए वास्तविक केन्द्र होगा । इसका अभिप्राय यह है कि जहां तक शिक्षा के वैकल्पिक माध्यम अर्थात् अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम का प्रश्न है, यह विश्वविद्यालय प्रमुख रूप से मार्गदर्शन करने वाला होगा । इसका इतना विस्तार किया जा रहा है । अतः भली प्रकार यह कल्पना की जा सकती है कि निकट भविष्य में वित्तीय संसाधनों का बहुत बड़ा भाग इस विश्वविद्यालय को मिलेगा । अन्यथा इसका इतना अधिक विस्तार न किया गया होता ।

मेरे मित्र श्री जयपाल रेड्डी चाहते हैं इसे प्रथम श्रेणी की वित्तीय सहायता मिलनी चाहिए । मुझे इस पर आपत्ति नहीं है परन्तु प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा अन्तिम श्रेणी के लिए क्या अनुपात होगा । इस विश्वविद्यालय की जो स्थिति इस समय है उससे मुझे आशंका है । अतः मैं कुछ बातें जानना चाहूंगी । इस विश्वविद्यालय का अन्य स्थापित विश्वविद्यालयों के साथ क्या सम्बन्ध होगा अथवा क्या इसे पूरी शिक्षा प्रणाली के लिए आयोजना और संरचना का एक अन्य माध्यम बनाया जा रहा है जिसके लिए कि बहुत सी सरकारी ऐजेंसियां विद्यमान हैं ?

**3.00 म० प०**

मैं यह जानना भी चाहूंगी कि इस विश्वविद्यालय को, जिसे बड़ा लोकतंत्रीय उद्देश्य अर्थात् उपेक्षित वर्गों को शिक्षा के अवसर प्रदान करना, सौंपा जा रहा है और साथ ही देश की शिक्षा के

क्षेत्र में मार्गदर्शन का कार्य सौंपा जा रहा है, उसकी प्रत्येक एजेंसी में, प्रत्येक स्तर पर केवल नामांकित व्यक्तियों की ही व्यवस्था क्यों है। हर व्यक्ति को नामांकित किया जा रहा है। किसी भी स्तर पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था नहीं है। फिर शिक्षकों, छात्रों तथा अन्य व्यक्तियों के विचार कैसे उपलब्ध होंगे।

**सभापति महोदय** : कृपया समाप्त करें।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : मैं समाप्त कर रही हूं। बेशक सभी ने शिक्षा मंत्री को बधाई दी है और मैं भी चाहती थी कि सीधे बधाई और धन्यवाद दे सकूं फिर भी मैं सोचती हूं कि इतने बड़े महत्वाकांक्षी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले इसके सभी पक्षों पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए और यदि इस विश्वविद्यालय को इतनी प्रमुख भूमिका दी जानी है तो इसके निकाय यथासम्भव लोकतंत्रीय होने चाहिएं। मुझे उम्मीद है कि इन सभी पहलुओं पर विधेयक के प्रभारी मंत्री प्रकाश डालेंगे। इस समय मुझे इतना ही कहना है।

3.02 म० प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

**श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** (हावड़ा) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक को प्रस्तुत करने के लिए मन्त्री महोदय को वास्तव में बधाई देता हूं और मैं यह अनुभव करता हूं कि यदि विश्वविद्यालय सफल हो गया तो यह स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी की सर्वोत्तम यादगार होगी।

मुक्त विश्वविद्यालय की परिकल्पना पश्चिम की देन है और टैगोर के अनुसार शिक्षा के क्षेत्र में पश्चिम के पास जो कुछ भी सर्वोत्तम है, उसे हमें अपने देश मे लेने का अवश्य प्रयास करना चाहिए। इसी प्रकार पूर्व में जो कुछ भी श्रेष्ठ है वह पश्चिम को अवश्य जाना चाहिए। बंगला में अपनी एक प्रसिद्ध कविता में :

"पश्चिम आजे खुलैच्छे दार
सेठा होते साबे आने उपहार
दिबे आर नांई
मिलबे मिलीबे
जबेना फिरे—ऐई भ्रातेर
महामना बेर सागर तीरे।"

इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है, वह पश्चिम को दिया जाना चाहिए और विश्व के उस भाग में जो कुछ भी सर्वश्रेष्ठ है वह हमें ले लेना चाहिए।

सभापति महोदय, शिक्षा और भारतीय सभ्यता की इन्दिरा जी की जो परिकल्पना थी वह टैगोर की परिकल्पना के साथ मेल खाती है। शान्तिनिकेतन में, टैगोर जी के चरणों में बैठकर उन्हें प्रारम्भिक शिक्षा प्राप्त करने का लाभ मिला था और अपने बहुत-से भाषणों और सन्देशों में चाहे विश्व शान्ति के बारे में हो या शिक्षा के बारे में उन्होंने टैगोर महोदय को उद्धृत किया था। अतः मैंने इस बात पर बहुत विचार किया है कि विभिन्न विद्यालयों में इस मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से पठन कार्य कराने के अतिरिक्त इस देश के लिए इन्दिरा जी के विवेक एवं कल्पना, दूरदर्शिता के साथ पूर्ण न्याय करने के लिए टैगोर की विचारधारा के अध्ययन हेतु एक अलग विद्यालय होना

चाहिए। मेरी इच्छा है कि चाहे यह बात विधेयक में नहीं है, परन्तु फिर भी स्व० श्रीमती इन्दिरा गांधी महोदया की यादगार के अनुरूप इस विश्वविद्यालय से सम्बद्ध टैगोर की विचारधारा के लिए एक स्कूल की स्थापना के लिए मन्त्री महोदय कोई रास्ता ढूंढ़ निकालेंगे।

सभापति महोदय, मैं टैगोर की परिकल्पना की दो मिनट के लिए व्याख्या करके ही इस मुक्त विश्वविद्यालय के पहलू स्पष्ट कर सकता हूं। महा-विद्यालयों और विश्वविद्यालयों के अन्य छात्रों की तरह टैगोर महोदय व्यावसायिक शैली के छात्र नहीं थे। ब्रिटिश शासन के दौरान जब उन्होंने यह कहा था कि शैक्षिक संस्थानों की परिकल्पना एक कारागृह की तरह है तो उनकी व्यापक दूरदृष्टि थी। उन्होंने यह अनुभव किया था कि शिक्षा की उस रूपरेखा के अन्तर्गत बचपन से लेकर युवावस्था तक किसी व्यक्ति की असल मेधा को न तो उद्घाटित किया जा सकता है और न ही उसको उपयोग में लाया जा सकता है जो कि हर समय मिल के हथौड़े की तरह दिमाग में बजती रहती है। इसीलिए, नील-गगन में खुले दिमाग और दिल से उड़ती हुई चिड़िया की तरह खुले दिमाग के साथ प्रकृति के सत्य को पाने और पकड़ने के लिए टैगोर ने उसी जागृत दूरदृष्टि के साथ सोचा। और इसी प्रकार श्रीमती इन्दिरा गांधी ने भी उसी विचारधारा का लाभ उठाते हुए सोचा कि इस देश में जिस किसी भी प्रणाली को लागू किया जायेगा, अन्ततः वह उन पददलितों के हित में होगी जिनके हम हिमायती है। संघर्ष में, लड़ाई में, हम उन्हें उनकी आवश्यकतानुसार वास्तविक रूप में, हो सकता है कुछ न दे पाएं। इसीलिए, यह मुक्त विश्वविद्यालय इस दिशा में बड़े ही प्रभावी ढंग से कार्य कर सकता है, समाज को शिक्षा का वह भाग प्रदान कर सकता है जो कि निस्सन्देह, इस विधेयक में व्यापक रूप से स्पष्ट किया गया है और उस परम्परा को बनाए रखने के लिए, मैं मन्त्री महोदय को बधाई देता हूं।

जैसा कि गीता मुखर्जी महोदया ने अभी-अभी कहा है, सचाई की बात तो यह है कि हमें इन्दिरा जी की परिकल्पना के साथ अन्याय नहीं करना चाहिए अर्थात वह निकायों के यहां-वहां नामांकित ढ़ांचे के पूर्णतया विरुद्ध थीं। अत, मैं मन्त्री महोदय को यह सुझाव देना चाहूंगा कि विश्वविद्यालय की कुछ क्रियाशील समितियों को कुछ निर्वाचकीय स्वरूप प्रदान करने के और भी तरीकों और साधनों का पता लगाये जिससे कि विश्वविद्यालय में निर्वाचित निकाय हो। अन्यथा, योजना-बोर्ड, शिक्षा परिषद आदि सन्देह और शका उत्पन्न करेंगे कि विश्वविद्यालय के सेवानिवृत्त लोग या शिक्षा मन्त्रालय के सेवानिवृत्त व्यक्ति अथवा तथाकथित शिक्षाविद इसमें आकर पेंशन पाने के साथ-साथ, यहां अपना समय गुजारते रहेंगे। इतना ही नहीं, वे तो इन्दिरा जी की समग्र परिकल्पना को जहरीला बना देंगे। इसीलिए मैं मन्त्री महोदय से सचेत रहने की बात कहता हूं और यदि उन्होंने यह सब होने दिया तो, इन सेवानिवृत्त लोगों के आवेदन पत्रों की उनके कार्यालय में या विभाग में बाढ़-सी आ जाएगी, और वे इसमें घुस-पैठ करने जनता के मन में बैठी हुई समस्त परिकल्पना को दूषित कर देंगे।

महोदय, विधेयक के पूरे नाम में इसे 'इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय' कहा गया है। जैसा कि आप जानते हैं, इसे राष्ट्रीय विश्वविद्यालय होना चाहिए, परन्तु विश्व के विभिन्न भागों के छात्रों के लिए इसमें स्थान रखा जाना चाहिए जो कि भारतीय दर्शन के आदर्शों को विरासत में पाना चाहेंगे और उन्हें भी इस विश्वविद्यालय के माध्यम से दूरस्थ विश्वविद्यालय के अग के रूप में उन्हें भी सम्पर्क का अवसर प्राप्त होना चाहिए और वे देश होंगे गुट-निरपेक्ष आन्दोलन के सदस्य देश। अतः, मेरा मन्त्री महोदय को यह सुझाव है कि वह यह पता लगायें कि क्या समस्त प्रबन्धकीय निकाय में, प्रति वर्ष या प्रति दूसरे वर्ष, गुट-निरपेक्ष देशों का एक प्रतिनिधि इस निकाय

में प्रतिनिधित्व कर सकेगा। वह एक अन्य सुझाव होगा जिससे कि वह इन्दिरा गांधी की यादगार और इस विश्वविद्यालय की परिकल्पना को सफल बनाने में सहयोग देगा। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और यह अनुभव करता हूं कि मन्त्री महोदय मेरे सुझावों को स्वीकार कर लेंगे और अपने भाषण में अपनी विचारधारा को स्पष्ट कर देंगे।

**श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह** (औरंगाबाद) : सभापति महोदय, मैं इस कदम का स्वागत करता हूं क्योंकि यह उच्च शिक्षा को विश्वजनीन बनाने की दिशा में सही कदम है। मन्त्री महोदय ने बड़े ही सहज ढंग से यह स्पष्ट कर दिया है कि यह उनके लिए है जिसको जीवन की किसी अवस्था में औपचारिक प्रणाली द्वारा शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं मिलता। अब वे मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रदान की जा रही इस शिक्षा का लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि कई मित्रों ने कहा है, यह कोई नूतन परिकल्पना नहीं है। इसने पत्राचार पाठ्यक्रम का स्वरूप ले लिया था और मेरे मित्र बता चुके हैं कि 22 से 25 विश्वविद्यालय पत्राचार पाठ्यक्रम प्रणाली से शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। परन्तु उन्होंने कोई अधिक सफलता प्राप्त नहीं की है। इसका मुख्य कारण है इसका एक-सा स्वरूप और क्योंकि वे छात्रों तक पहुंचने के लिए केवल मुद्रित सामग्री पर ही निर्भर करते हैं और पाठों को तैयार करने के लिए उन्हें संकाय के सदस्यों के अलावा विद्वानों का लाभ भी नहीं मिलता। पत्राचार पाठ्यक्रम का विचार भी कोई नया नहीं है। 1938 में, पत्राचार द्वारा शिक्षा की एक अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् बनी थी और बाद में यह दूरस्थ शिक्षा की अन्तर्राष्ट्रीय परिषद् में परिवर्तित हो गई और इसके 44 संस्थान हैं तथा 50 देशों से 444 सदस्य हैं। इसका सम्मेलन, आस्ट्रेलिया में होने वाला है और रांची विश्वविद्यालय का प्रतिनिधि इसमें भाग लेने जा रहा है, इस विचार को एकदम से परित्यक्त नहीं किया गया है। अतः, उन्होंने पत्राचार पाठ्यक्रम के विचार को अभी तक पूर्णतया त्यागा नहीं है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली में पत्राचार पाठ्यक्रम एक मुख्य प्रणाली है, जिसके साथ-साथ रेडियो, वीडियो ओडियोकैस्टों जैसी अन्य तमाम सुविधाओं को भी इस उद्देश्यार्थ उपयोग में लाया जा रहा है।

युनाइटेड किंगडम मुक्त विश्वविद्यालय को एक आदर्श विश्वविद्यालय माना गया है और वास्तव में उसने इस प्रणाली को उच्च दर्जा और सम्मान प्रदान किया है क्योंकि यह एक विकसित देश है और पहली बार इसने एक नई शिक्षा प्रणाली की स्थापना की और राष्ट्रीय आकाशवाणी, दूरदर्शन नेटवर्क आदि को इस परियोजना का आन्तरिक अंग बनाया गया। एकल-आयामी स्वरूप से श्रेष्ठ यह प्रणाली बहु-प्रचार साधन दृष्टिकोण को अपनाती है और यह दृष्टिकोण कहीं उत्तम है और ब्रिटेन में इसको सफल करार देकर इसकी प्रशंसा की गई है।

मुक्त विश्वविद्यालय की सफलता, सामग्री की गुणवत्ता अर्थात छात्रों के लिए आप जो पठन सामग्री तथा कार्यक्रम भेजेंगे, उस पर निर्भर करती है। मेरे मित्र श्री हरद्वारी लाल का कहना है कि यह पारम्परिक संस्थानों का प्रतिस्थापक नहीं बन सकता है, जहां पर अध्यापक और छात्र आमने-सामने होते हैं। निःसन्देह, उस प्रकार का नियमित सम्बन्ध इस प्रणाली में अनुपस्थित है। परन्तु मेरे विचार से, एक बड़ी सीमा तक इसकी पूर्ति ग्रीष्म विद्यालयों और अध्ययन केन्द्रों द्वारा की जा सकती है, जहां पर छात्र और अध्यापक आमने-सामने होंगे। श्री हरद्वारी लाल का यह भी कहना था कि पांडिचेरी तथा अन्य कोई भी नया विश्वविद्यालय न खोला जाए। उन्होंने तो यह भी कहा था कि यह विश्वविद्यालय प्रणाली केवल अनुपूरक प्रणाली हो सकती है और उन्होंने पारम्परिक विश्वविद्यालयों पर बल दिया। मेरा उनसे कोई झगड़ा नहीं है, परन्तु वर्तमान पारम्परिक संस्थानों का

अनुभव यह है कि वे सभी षड्यन्त्रों, पक्षपात, भ्रष्टाचार और भेदभाव का शिकार हैं। इससे केन्द्रीय विश्वविद्यालय भी बचे हुए नहीं हैं। शिक्षा मंत्री महोदय द्वारा जो दस्तावेज सभापटल पर रखा गया है उसमें पारस्परिक विश्वविद्यालयों के स्थिति के बारे में यह टिप्पणी की गई है। अतः, हमें इस बारे में बहुत ही सावधान रहना पड़ेगा।

जैसाकि मंत्री महोदय ने कहा है मुक्त विश्वविद्यालय के अनेकानेक लाभ हैं। प्रथमतः, यह उन लोगों को शिक्षा प्रदान करेगा, जिनके पास औपचारिक प्रणाली का लाभ उठाने का अवसर नहीं है। दूसरे यह उन लोगों को अवसर प्रदान करेगा जिन्होंने कोई व्यवसाय अपना लिया है और यदि बाद में जीवन में अपनी निपुणता, योग्यता में सुधार लाना चाहते हैं तो वे इस प्रणाली का लाभ उठा सकते हैं और तीसरे, यह उन लोगों को भी सहायता प्रदान करेगा जो अपना व्यवसाय बदलना चाहते हैं। इस प्रकार यह एक व्यवसाय से दूसरे व्यवसाय में जाने की गतिशीलता प्रदान करेगा। अतः, इस प्रणाली के कुछ लाभ हैं और इसीलिए इसे द्वितीय अवसर प्राप्ति का विश्वविद्यालय कहा जाता है। यह व्यक्ति को जीवन भर उच्च शिक्षा के अवसर प्रदान करता है।

मैं आपको यह बताने में समय नहीं लूंगा जैसा अन्य माननीय सदस्यों ने कहा है कि यह विचार तो 1971 में ही बन गया था और पार्थसारथी समिति ने अपनी सिफारिशें 1976 में दी थीं।

तीन विश्वविद्यालयों में अभी भी मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली चल रही है, जैसे कामराज मदुरै विश्वविद्यालय, मैसूर विश्वविद्यालय और एस० एन० डी० टी० वुमेन्स कालिज बम्बई, जो कि कुछ-कुछ ब्रिटिश प्रणाली पर चल रहे हैं। डाक द्वारा पाठ, पढ़ाई-लिखाई या अध्ययन केन्द्रों और प्रसारण जो पत्राचार शिक्षण के पूरक हैं, इस प्रणाली की महत्वपूर्ण विशेषतायें हैं। विकसित और विकासशील देशों के अनुभव ने यह दिखा दिया है कि दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम शिक्षा की वैकल्पिक प्रणाली प्रदान कर सकते हैं, जो कि कम लागत भी होगी। मैं 'कम लागत' कहता हूं, क्योंकि एक आशंका है कि मुक्त विश्वविद्यालय पर भारी धनराशि बहाई जा सकती है। ब्रिटेन में किए गए एक अध्ययन से पता चलता है कि वहां पर पारम्परिक विश्वविद्यालय के मुकाबले मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली में प्रति स्नातक लगभग एक चौथाई लागत बैठती है और थाईलैण्ड में यह अनुपात एक : छः का है। इसलिए, ऐसी कोई शंका नहीं की जानी चाहिए कि भारत सरकार इस विश्वविद्यालय प्रणाली को भारी मात्रा में धन प्रदान करेगी और अन्य विद्यमान विश्वविद्यालय घाटे में रहेंगे।

जैसा कि मैंने प्रारम्भ में पहले ही कहा था, परिसर समस्याओं ने लगभग सुरसा का रूप धारण कर लिया है और इससे विश्वविद्यालयों में संसाधनों का भारी दुरुपयोग होता है और शिक्षा के स्तर में भी गिरावट आई हैं। इस मुक्त विद्यालय का एक उद्देश्य यह भी होगा कि यह गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्रदान करके अन्य विश्वविद्यालयों के स्तर में भी सुधार करेगा। इस प्रणाली की सफलता श्रेष्ठ व्यक्तियों तथा विशेषज्ञों को एक जगह पर लाने पर निर्भर करेगी। एक अवस्था पर यह विचार बनाया गया था कि पाठ्यक्रम मूल प्रलेख तैयार करने वालों और आकाशवाणी के निदेशकों द्वारा तैयार किए जाने चाहिएं क्योंकि वे ऐसे पाठ तैयार करने में विशेषज्ञता प्राप्त किए होते हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि मेरा यह मत है कि एक प्रकार की सलाहकार परिषद होनी चाहिए जिसमें विशेषज्ञ, बुद्धिजीवी, विभिन्न विधाओं के विद्वान्, उद्घोषक, मूल-प्रलेख तैयार करने वाले लोग आदि सम्मिलित हैं। वे एक साथ बैठकर पाठ तैयार कर सकते हैं जो कि छात्रों के लिए प्रसारित किए जा सकते हैं और कहीं अन्य भी भेजे जा सकते हैं।

दूसरे, मैं चाहूंगा कि यह विश्वविद्यालय पढ़ाई और संसाधन उत्पादन केन्द्र के रूप में विकसित हो। इस विश्वविद्यालय के लिए तैयार की गई पठन सामग्री का उपयोग अन्य विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों द्वारा भी किया जा सकता है। इस प्रकार उनका स्तर भी सुधर जाएगा। एक तरह से यह मुक्त विश्वविद्यालय एक उत्प्रेरक और गति प्रदान करने वाली संस्था के रूप में कार्य करेगा और अन्य लोगों के समक्ष उदाहरण रखेगा जिससे स्तर में गिरावट को रोका जा सकेगा और उनमें सुधार लाया जाएगा।

मैं एक बार फिर से कहना चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी ने यह विधेयक पेश किया है जिसका नाम श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखा गया है जिसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम में इससे अधिक उपयुक्त कोई और स्मारक नहीं बनाया जा सकता और मैं पूरे हृदय से इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से कहूंगा कि जब हम इस विश्वविद्यालय को सही ढंग से चला सकेंगे तभी इससे हमें सफलता मिलेगी तथा इसके लिए हमें दूसरे देशों से भी शिक्षा लेनी होगी। इस संदर्भ में, हमें अच्छे विशेषज्ञों एवं विद्वानों को लाने की आवश्यकता है ताकि हमें लाभ मिल सके। परन्तु सभी विद्वान विद्यार्थियों के लिए पाठ तैयार करने की स्थिति में नहीं हैं। अतः एक सलाहकार समिति होनी चाहिए जिसमें प्रचार माध्यमों के लिए पाठ तैयार करने के उद्देश्य से सभी लोग एक जगह बैठ सकें। एक अध्ययन केन्द्र या संक्षिप्त स्कूल (समरी स्कूल) मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली, जिसमें विद्यार्थी तथा अध्यापक का एक दूसरे से सीधा सम्पर्क नहीं होता है, की खामियां दूर करने का एक वैकल्पिक तरीका होगा।

**श्री डी० बी० पाटिल** (कोलाबा) : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या मैं इस विधेयक का स्वागत पूरे मन से करूं या आधे मन से। परन्तु मैं यह कहूंगा कि इस विधेयक का पूरे हृदय से स्वागत करने में असमर्थ हूं। मेरे पास इसके कारण हैं।

**प्रो० मधु दण्डवते** (राजापुर) : आप इसका स्वागत हृदय में घाव करके कीजिए।

**श्री डी० बी० पाटिल** : इसमें कोई संदेह नहीं है कि इस विधेयक का उद्देश्य कारीफेकाबिल है। परन्तु उद्देश्यों एवं कारणों के कथन में दिए गए उद्देश्यों पर विचार करते हुए वास्तव में हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि यह प्रणाली प्रभावी शैक्षिक अवसर प्रदान करने में समर्थ नहीं रही है। इस मुक्त विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य है, अवसरों का प्रभावी समीकरण स्थापित करना। मेरे कुछ अपने संदेह भी हैं कि क्या यह विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों, पर्वतीय इलाकों एवं पिछड़े क्षेत्रों तक पहुंचने की कोशिश करेगा जहां शिक्षा के सम्बन्ध में उन क्षेत्रों के लोगों की उपेक्षा की जाती है। अगर आप ग्रामीण इलाकों में और विशेष रूप से जहां आदिवासी रहते हैं, वर्तमान शिक्षा स्तर पर विचार करें तो आप पायेंगे कि वहां पर प्राथमिक शिक्षा एवं माध्यमिक शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। यह कोई छोटा-मोटा क्षेत्र नहीं है। यह देश का बहुत बड़ा हिस्सा है जहां उच्च शिक्षा के लिए बुनियादी आवश्यकताओं की व्यवस्था नहीं है। जब तक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा प्रदान करने की व्यवस्था नहीं हो जाती तब तक हम उस समाज को उच्च शिक्षा प्रदान करने की बात नहीं कर सकते जिसकी अभी तक उपेक्षा की जा रही हो। और अगर उस समाज को ये बुनियादी सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं तो मुझे आश्चर्य है कि जहां तक गरीब और कमजोर वर्गों का सम्बन्ध है, इस विधेयक में दिए गए सभी उपबंध एवं इस विधेयक के बारे में जो आशायें हैं वे सभी कार्यरूप में परिणित होंगे और उनका अच्छा परिणाम निकलेगा। दूर दराज के इलाकों में शिक्षा पहुंचाने का यह सिद्धांत

कोई नया नहीं है। यहां पर बैठे हुए बहुत से सदस्यगण एवं आप इस बात को जानते हैं। अतः मैं इस बात को दोहराना नहीं चाहता। उद्देश्यों तथा कारणों के कथन में यह बताया गया है :

> "(च) देश की विभिन्न कलाओं, शिल्पों और कुशलताओं में, उनकी क्वालिटी में सुधार करके और जनता के लिए उनकी उपलब्धता में वृद्धि करके शिक्षा और प्रशिक्षण के लिए उपबन्ध करेगा।"

अतः शिक्षा के कई अंगों में अध्ययन और प्रयोगों द्वारा कुशलता प्राप्त की जा सकती है। अतः कई विश्वविद्यालय जो काफी दूर स्थित हैं और मुक्त विश्वविद्यालयों के रूप में चलाये जा रहे हैं वे तकनीकी शिक्षा या हस्तशिल्प जैसे वेल्डिंग तथा ऐसे ही अन्य तकनीकी कार्यों की शिक्षा देने में वास्तविक रूप से सफल नहीं हैं और हम उनके कौशल के लिए भी कोई उपबंध नहीं कर रहे हैं। जब हमारे पास तकनीकी क्षेत्रों में कुशलतायें नहीं हैं तब हम स्व-रोजगार आदि जैसी चीजों की बात करते हैं। इस विधेयक की वजह से यह वास्तव में अमल में नहीं लाया जा सकता अतः इन सभी बातों पर विचार किया जाना चाहिए। मैं नहीं कहता कि तकनीकी शिक्षा नहीं दी जानी चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तकनीकी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। परन्तु अगर आप कहते हैं कि तकनीकी शिक्षा इन मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा दी जानी चाहिए, तो विद्यार्थियों को शिक्षा दिए जाने वाले स्थान पर ही प्रयोगात्मक कार्य कराने के लिए भी कुछ न कुछ व्यवस्था होनी चाहिए। अगर शिक्षा मंत्री के विभाग में ऐसा कोई विचार है तो क्या वह सभा को बतायेंगे कि विभिन्न गांवों से, शहरों से, क्षेत्रों से आने वाले विद्यार्थियों को प्रयोगात्मक शिक्षा किस प्रकार दी जाएगी? यह कहने से कोई फायदा नहीं है कि रोजगार दिलाने के लिए हम उन्हें प्रशिक्षण देंगे।

**प्रो० मधु दण्डवते** : प्रयोगात्मक शिक्षा भी यहां पर सैद्धांतिक रूप में दी जा सकती है।

**श्री डी० बी० पाटिल** : मेरे मित्र श्री मधु दण्डवते जी ने कहा है कि प्रयोगात्मक शिक्षा को भी सैद्धांतिक रूप में पढ़ाया जा सकता है। यदि ऐसा है तो मैं इस विधेयक का समर्थन करने की बजाय इसका विरोध करूंगा। इस तरह की शिक्षा देने कोई अर्थ नहीं है। उन निर्धन लोगों को अगर आप समुचित शिक्षा नहीं दे सकते जिनकी आप वर्षों से उपेक्षा करते आ रहे हैं तो यह उचित नहीं है। हमारे समाज के अधिकांश लोग आज भी निरक्षर हैं। सम्पूर्ण राष्ट्र में साक्षरता की प्रतिशतता क्या है? साक्षरता मुश्किल से 30 से 35 प्रतिशत है। जब हम उन लोगों को उच्च शिक्षा देने के बारे में बात कर रहे हैं जिनकी उपेक्षा की जाती रही है तो उन लोगों के बारे में क्या सोचा है जो निरक्षर हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिन सुविधाओं को दिलाने के लिए हम करोड़ों रुपए खर्च करते हैं वे उन व्यक्तियों को न मिलें जो पहले से ही उन्हें प्राप्त करने में असमर्थ हैं क्योंकि किसी महाविद्यालय अथवा किसी शिक्षा संस्थान में दाखिला लेने के लिए उन्हें अवसर ही उपलब्ध नहीं है। अतः मैं कहना चाहूंगा और माननीय शिक्षा मंत्री जी के ध्यान में इस बात को लाऊंगा कि कि मुक्त विश्व-विद्यालय के लिए, यह सही नहीं है, अगर आप उन लोगों को शिक्षा देने की बात कर रहे हैं जो कि उच्च शिक्षा के लिए सुविधायें प्राप्त करने का विरोध कर रहे हैं जहां तक शिक्षा के स्तर का सम्बन्ध है, वह अभी भी हमारे विश्वविद्यालयों में नहीं बनाए रखा जा रहा है। यह एक बात है तथा हमारे एक मित्र ने आंकड़े भी दिए हैं। मैं उन्हें दोबारा नहीं देना चाहता।

प्रारम्भिक शिक्षा पर जो खर्च होना चाहिए वह उससे कम है तथा उच्च शिक्षा पर होने वाले खर्च से यह बहुत कम है। प्राथमिक शिक्षा पर किए जाने वाले खर्च को कम किया जा रहा है तथा उच्च शिक्षा पर खर्च पिछले दो वर्षों में दुगुना बढ़ गया है। यदि ऐसा है तो किस की कीमत पर

ऐसा किया जा रहा है ? अगले पांच वर्षों में किसकी कीमत पर आप 15 करोड़ रुपए खर्च करने जा रहे हैं ? अगर इस विधेयक से उन लोगों को फायदा होगा जिन्हें पहले ही लाभ हो रहा है, तो मेरे विचार से इस विधेयक से कोई उद्देश्य पूरा नहीं होगा । अतः मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि जिन लोगों की अधिकतम उपेक्षा की जा रही है उनकी और अधिक उपेक्षा नहीं होनी चाहिए तथा उन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए ।

**श्री एन० टोम्बी सिंह** (आंतरिक मणिपुर) : सभापति महोदय, मैं इस विधेयक का पुरजोर समर्थन करता हूं । मैं इस तथ्य को भी अत्यन्त महत्व देता हूं कि इस विधेयक का नाम बहुत ही उपयुक्त रूप से स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखा गया है तथा श्री राजीव गांधी के नेतृत्व में इसे लाया गया है तथा श्री कृष्ण चन्द्र पन्त द्वारा बहुत ही कुशलता से संचालित किया गया है, जो कि मैं समझता हूं, युवा एवं वृद्ध व्यक्तियों के बीच एक ठोस कड़ी का काम करते हैं ।

**एक माननीय सदस्य** : अधिकांशतः युवा व्यक्तियों के साथ ।

**श्री एन० टोम्बी सिंह** : मैं आपसे असहमत नहीं होऊंगा । मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं । जैसा कि मैंने कहा है, पहली अनुसूची में यह कहा गया है कि "अपनी नीतियों और कार्यक्रमों के माध्यम से राष्ट्रीय एकता और मानव व्यक्तित्व के समन्वित विकास में वृद्धि करेगा ।" इस समय इसकी कल्पना इतनी अच्छी तरह से की गई है कि हमें आशा है कि यह विश्वविद्यालय देश के अन्य विश्वविद्यालयों की भांति नहीं होगा । अपितु यह अच्छे विश्वविद्यालयों में एक होगा अथवा यह 'यूनिवर्सिटी' होगी ।

**एक माननीय सदस्य** : 'यूनिवर्सिटी' की भांति ।

**श्री एन० टोम्बी सिंह** : ठीक है, अतः नई शिक्षा नीति के आरंभ करने से पूर्व उठाया गया यह सुविचारित कदम नई शिक्षा नीति के मूल दृष्टिकोण को घोषित करता है तथा इसे भली-भांति लागू किया जाना चाहिए । यह ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक मांसाहारी व्यक्ति शाकाहारी दुकान को चलाए । मैं यहां कहना चाहता हूं कि आपने इन उद्देश्यों में बताया है कि आप अध्यापकों के प्रशिक्षण की व्यवस्था करेंगे । सबसे महत्वपूर्ण बात उन व्यक्तियों की है जिनके द्वारा यह विश्व-विद्यालय चलाया जाएगा । प्रबन्ध बोर्ड, विद्या परिषद, आदि को कौन लोग चलायेंगे ?

इस विधेयक के उपबन्धों में विश्वविद्यालय के लोकतांत्रिक स्वरूप अथवा अन्य स्वरूप के बारे में काफी कुछ कहा जा चुका है । मुझे विधेयक में ऐसा कोई भी उपबन्ध दिखाई नहीं पड़ता जिसमें यह कहा गया हो कि ये निकाय लोकतांत्रिक नहीं होंगे । केवल एक ही मुद्दा है कि प्रबन्ध बोर्ड, वित्त समिति, विद्या-परिषद तथा ये सभी अन्य निकाय संविधि द्वारा गठित किए जायेंगे । इन निकायों के लोकतांत्रिक और अलोकतांत्रिक स्वरूप की देखभाल इन संविधियों द्वारा की जाएगी । मेरे विचार से माननीय मंत्री जी इस पहलू पर ध्यान देंगे । संविधियों को बनाते समय लोकतांत्रिक पहलू की उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए ।

इस विधेयक में यह बात कहीं भी नहीं बताई गई है कि बजट पारित करने के लिए कौन अधिकारी सक्षम होगा । इसमें बताया गया है कि वित्त समिति द्वारा विचार किए जाने के बाद वित्त अधिकारी प्रबन्ध निकाय को बजट प्रस्तुत करेगा । यह नहीं कहा गया है कि प्रबन्ध निकाय बजट पारित करेगा । इसमें कहा गया है कि प्रबन्ध बार्ड इसका मुख्य कार्यकारी निकाय होगा । मेरे विचार से मुख्य कार्यकारी निकाय द्वारा बजट की देखभाल करने में कोई असामान्य बात नहीं है । परन्तु

इसका भी उल्लेख नहीं किया गया है। आमतौर पर सीनेट की तरह कार्यकारी समिति से ज्यादा उच्च एक निकाय होना चाहिए था परन्तु इसमें इसका उपबन्ध नहीं किया गया है। मैं सुझाव देना चाहूंगा कि बजट कार्यकारिणी समिति से भी उच्च निकाय द्वारा पारित किया जाना चाहिए।

इस विधेयक के उपबन्धों में कहीं यह उल्लेख किया गया है कि विद्या-परिषद तथा योजना बोर्ड के बीच किसी विषय पर मतभेद होने पर मामला कार्यकारिणी समिति को सौंप दिया जाएगा, यह बात भी कुछ असंगत सी लगती है। अगर विद्या-परिषद तथा योजना बोर्ड के बीच कोई मतभेद है तो वह मामला किसी और निकाय को सौंपा जाना चाहिए न कि कार्यकारी समिति को। ये कुछ ऐसे पहलू हैं जिन पर ध्यान दिया जा सकता था।

भाषण समाप्त करने से पहले मैं कहूंगा कि नई शिक्षा नीति के आरम्भ होने से पूर्व इतना अच्छा और बहुप्रतीक्षित कदम उचित ढंग से क्रियान्वित किया जाना चाहिए और इसकी सफलतापूर्वक क्रियान्विति तभी सुनिश्चित की जा सकती है जब प्रबन्ध बोर्ड, वित्त समिति, विद्या-परिषद, योजना बोर्ड आदि जैसे विभिन्न निकायों को उपयुक्त व्यक्तियों द्वारा चलाया जाए।

मैं विश्वविद्यालय की सफलता की कामना करता हूं।

**श्री पी० जे० कुरियन** (इदुक्की) : अपने भाषण के आरम्भ में मैं श्रीमती गांधी को उद्धृत करता हूं। 14 नवम्बर, 1969 को जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय का उद्घाटन करते समय उन्होंने कहा था :

> "हमें अपने देश के सभी क्षेत्रों में सभी वर्गों के लोगों में, विशेषकर कमजोर वर्गों के लोगों में तथा उन लोगों में, जिन्हें सुविधाएं प्राप्त नहीं हैं, शिक्षा का प्रसार करना चाहिए।"

मुझे प्रसन्नता है कि माननीय शिक्षा मंत्री द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक से इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति में काफी सहायता मिलेगी।

मुक्त विश्वविद्यालय का विचार कोई नया नहीं है। वास्तव में सबसे पहले श्रीमती इन्दिरा गांधी ने 1974 में इस विचार को प्रकट किया था। जब वह प्रधान मंत्री थीं तब श्री जी० पार्थ सारथी की अध्यक्षता में, जो जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय के उप-कुलपति थे, एक समिति नियुक्त की गई थी। इस समिति ने इस विषय के सभी पहलुओं पर विचार किया था तथा एक मुक्त विश्वविद्यालय खोलने की जोरदार सिफारिश की थी ताकि उन सभी लोगों को जिन्होंने बीच में ही शिक्षा छोड़ दी थी तथा उन लोगों को जो आर्थिक तथा सामाजिक रूप से पिछड़े होने के कारण शिक्षा पाने से वंचित रह गये थे, शिक्षा प्रदान की जा सके। मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं। मैं चाहता हूं कि यह विधेयक और पहले लाया गया होता। महोदय, हमारी शिक्षा प्रणाली सदा ही संकटग्रस्त तथा बिल्कुल अस्त-व्यस्त रही है। स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अधिक विस्तार हुआ है। विश्वविद्यालयों की संख्या 27 से बढ़कर 114 हो गयी है और कालेजों की संख्या 800 से बढ़कर 5,000 हो गई है। महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। इनकी संख्या में दस गुणी वृद्धि हुई है। किन्तु इसके साथ ही यह बात भी महत्वपूर्ण है कि जिन लोगों को कालेजों में प्रवेश नहीं दिया जाता उनकी संख्या में भी वृद्धि हुई है। बीच में ही पढ़ाई छोड़ जाने वालों की संख्या में भी वृद्धि हुई है। मुझे विश्वास है कि यह विधेयक उन अभागे व्यक्तियों के लिए वरदान सिद्ध होगा जो कालेज में प्रवेश नहीं ले सके हैं, जिन्हें प्रवेश नहीं दिया गया है और जिन्होंने कालेज की पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी।

हम जानते हैं कि बहुत से विद्यार्थी, जैसा कि मंत्री महोदय ने कहा है, आर्थिक कारणों की वजह से और अन्य पारिवारिक परिस्थितियों की वजह से कालेज में नहीं जा सके हैं, विशेषकर वे विद्यार्थी जो आर्थिक दृष्टि से कमजोर थे और ग्रामीण क्षेत्रों के थे। इस विधेयक से ऐसे विद्यार्थियों को भी अवसर प्राप्त होगा। इसलिए यह विधेयक स्वागत योग्य है तथा समाजवादी समाज की स्थापना की ओर एक कदम है।

मुक्त विश्वविद्यालय का विचार नया नहीं है। इस क्षेत्र में हम लोग पहल करने वाले नहीं हैं। वस्तुतः 1969 में ही ग्रेट ब्रिटेन ने एक ऐसे विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। इसी प्रकार कुछ समाजवादी देश जैसे कि रूस तथा युगोस्लाविया में मुक्त विश्वविद्यालय खोले गये हैं। चीन में भी एक मुक्त विश्वविद्यालय है। इसी प्रकार एशिया के अन्य देशों में भी मुक्त विश्वविद्यालय हैं। इस क्षेत्र में हम लोग ही प्रथम नहीं हैं। किन्तु मेरा सुझाव है कि इस प्रकार का विश्वविद्यालय देर से खोलने के कारण हुई हानि को हम लोग लाभ में बदल सकते हैं। हमें पहले से ही स्थापित ऐसे विश्वविद्यालय के अनुभवों, असफलताओं तथा कमियों से सीखना चाहिए और उनसे अच्छे नियम बनाने चाहिए और इस विधेयक में उल्लिखित योजनाओं को बेहतर ढंग से कार्यान्वित करना चाहिए।

मुक्त विश्वविद्यालय की धारणा भारत में भी कोई नई नहीं है। आन्ध्र प्रदेश में एक मुक्त विश्वविद्यालय पहले से मौजूद है। इसी प्रकार अन्य विश्वविद्यालय भी हैं जो ब्रिटेन में विश्वविद्यालयों के ढंग पर पत्राचार पाठ्यक्रम चला रहे हैं। हमें नियम बनाते समय तथा इस विधेयक के उपबन्धों को कार्यान्वित करते समय उनके अनुभवों से लाभ उठाना चाहिए।

इस विधेयक के उद्देश्यों के सम्बन्ध में, मुझे यह कहते हुए प्रसन्नता है कि इस विधेयक का प्रारूप बहुत अच्छे ढंग से तैयार किया गया है तथा इसका उद्देश्य एक आदर्श मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना है। मैं अनुसूची में दिए गए अन्तिम उद्देश्य का उल्लेख विशेष रूप से करना चाहूंगा जो कि राष्ट्रीय अखण्डता के बारे में है। यह विश्वविद्यालय, जिसका नाम श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखा गया है, जिनका जीवन राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने तथा राष्ट्रीय अखण्डता में संवर्धन के प्रति समर्पित था और जिनकी मृत्यु भी इसी उद्देश्य के लिए हुई थी, अत्यन्त महत्वपूर्ण है और हमारी औपचारिक शिक्षा प्रणाली में इन बातों का अभाव भी था। औपचारिक शिक्षा पद्धति में ऐसी कोई योजना नहीं है। इस शिक्षा पद्धति में राष्ट्रीय एकता या भावनात्मक अखण्डता को विकसित करने की चेष्टा तक नहीं की गई है। हमारे विश्वविद्यालयों में अब क्या हो रहा है? इस समय हमारे विश्वविद्यालय ऐसे डिग्रीधारी स्तानक तैयार कर रहे हैं जिनको कुछ विषयों का थोथा ज्ञान होता है। वे लोग समाज में इस ज्ञान का उपयोग नहीं कर सकते हैं। उनमें से अधिकांश समाज के योग्य नहीं हैं। वे लोग ऐसे रोजगारों में लग जाते हैं, जिनका उससे कोई सरोकार नहीं होता है, जो कुछ उन्होंने पढ़ा है इन विश्वविद्यालयों में छात्रों के दिलों में स्वदेश प्रेम और उच्च सांस्कृतिक धरोहर के प्रति प्रेम अथवा अपने उन राष्ट्रीय नेताओं के प्रति निष्ठाभक्ति, जिन्होंने इस देश की स्वतन्त्रता के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया था, अथवा इस देश के निर्धन व्यक्तियों के प्रति उत्तरदायित्व की भावना नहीं पैदा की जाती है। मेरे विचार से हमारी वर्तमान शिक्षा पद्धति में यह एक कमी है। मुझे प्रसन्नता है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर स्थापित किए जा रहे इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य राष्ट्रीय अखण्डता की भावना को विकसित करना है। यह तभी किया जा सकता है जब पाठ्यक्रम भावात्मक एकता को बढ़ाने वाले होंगे। विद्यार्थियों के मस्तिष्क में भावनात्मक एकता पैदा करने वाले पाठ्यक्रम तैयार किए जाने चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय का क्षेत्राधिकार

पूरा भारत है। इससे इस विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों में 'हम एक हैं' की भावना विकसित होगी। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। इसी प्रकार ईमानदारी से किए गए प्रयासों से ही हम छात्रों के रुझान में परिवर्तन कर सकते हैं। यदि हम चाहें तो हम एक पीढ़ी को नया मोड़ दे सकते हैं उनमें इस देश के प्रति इस देश की परम्परागत उच्च संस्कृति के प्रति प्रेम उत्पन्न कर सकते हैं। किन्तु आज की शिक्षा से ऐसे स्तानक तैयार हो रहे हैं जिन्हें इस देश से कोई लगाव नहीं है और वस्तुत: उनका रुझान केवल विदेशी वस्तुओं के प्रति है और उन्हें भारत की प्रत्येक वस्तु से घृणा है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से खोले जा रहे इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य भावनात्मक अखण्डता के माध्यम से राष्ट्रीय अखण्डता की भावना को प्रोत्साहित करना होना चाहिए तथा इसमें ऐसे पाठ्यक्रम रखे जाने चाहिए कि जब कोई छात्र कालेज की शिक्षा पूरी करके बाहर आए तब उसका दिल देश प्रेम की भावना से ओत-प्रोत हो। उनके दिलों से साम्प्रदायिक भावना खतम करने का भी प्रयास किया जाना चाहिए। इस शिक्षा का उद्देश्य छात्रों में देश भक्ति की भावना को बढ़ावा देना होना चाहिए।

प्रमुख शिक्षा शास्त्री सर रिचर्ड विन्सटन का कथन है कि शिक्षा चरित्र निर्माण के अलावा कुछ नहीं है। हमने इस ओर ध्यान नहीं दिया। यहां तक कि कोठारी आयोग के प्रतिवेदन में भी यही बात कही गई है कि भारत के भाग्य का निर्माण शिक्षण-संस्थानों में होता है किन्तु हमने इस ओर कभी ध्यान ही नहीं दिया। ये सब बातें अत्यधिक महत्वपूर्ण हैं।

चूंकि हम एक नया प्रयास करने जा रहे हैं इसलिए हमें अपने सम्पूर्ण अनुभवों का लाभ उठाना चाहिए जिससे कि पहले से अच्छे शिक्षा ढंग से शिक्षा प्रदान कर सकें।

वस्तुत: मुक्त विश्वविद्यालय से घर में ही पढ़ने का वातावरण सृजित होना चाहिए। यह अच्छा ही है कि आप इसके लिए पास पत्राचार पाठ्यक्रम भी उपलब्ध करा सकते हैं। ज्ञान के प्रसार के लिए दूरदर्शन, रेडियो कार्यक्रमों की ओर प्रयोगात्मक विद्याओं की सहायता ली जानी चाहिए। हमें श्रीमती इन्दिरा गांधी की दूरदर्शिता को धन्यवाद देना चाहिए कि आज देश में दूरदर्शन का जाल बिछा हुआ है। मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा और ज्ञान देने के लिए इन सुविधाओं का पूरा-पूरा लाभ उठाया जा सकता है। किन्तु इतना ही पर्याप्त नहीं है। छात्रों द्वारा शिक्षकों से सम्पर्क स्थापित कर सकने के लिए कुछ योजनाएं और कुछ प्रक्रिया तैयार की जानी चाहिए। दोनों ओर से सम्पर्क कर सकने का प्रावधान होना चाहिए। मेरे विचार से मन्त्री महोदय ने इसके बारे में अवश्य विचार किया होगा।

हमारे देश में पांच हजार से भी अधिक कालेज हैं। शिक्षकों और छात्रों के बीच सहज सम्बन्ध बनाने के लिए हम लोग इन कालेजों, उन कालेजों के पुस्तकालयों और शिक्षकों का लाभ क्यों नहीं उठाते? कृपया इन सुविधाओं को मुक्त विश्वविद्यालय की योजना में सम्मिलित करने का प्रयास कीजिए जिससे कि आपको अतिरिक्त धन की आवश्यकता न पड़े। यदि आप ऐसा करेंगे तो आपको धन के बारे में कभी कोई चिंता नहीं होगी। हम लोग उपलब्ध सूचना प्रणाली का उपयोग कर सकते हैं तथा मुक्त विश्वविद्यालय के विचार को क्रियात्मक रूप दे सकते हैं।

इन सब बातों के कहने के बाद मैं इस विधेयक की कुछ कमियों पर भी प्रकाश डालना चाहता हूं। सर्वप्रथम हम स्वायत्तता को लेते हैं, किन्तु इसमें कोई स्वायत्तता नहीं है। उदाहरण के तौर पर खण्ड 8 के उपखण्ड 9 में सारी शक्तियां कुलाध्यक्ष में निहित हैं।

खण्ड 9 के संविधि 2 में नियुक्ति के पूर्ण अधिकार उपकुलपति में निहित हैं। उसे केवल प्रबन्ध बोर्ड का अनुमोदन प्राप्त करना होगा। वस्तुतः प्रबन्ध बोर्ड के पास नियुक्ति की शक्तियां होनी चाहिए थीं। पुनः खण्ड 26 के उपखण्ड (6) में यह प्रावधान है कि शिक्षा विभाग अर्थात् कुलाध्यक्ष कोई भी ऐसा निर्णय ले सकता है अथवा संविधि में ऐसा कोई संशोधन कर सकता है जिसके बारे में प्रबन्ध बोर्ड की राय भिन्न हो। दूसरे शब्दों में विभाग का एक अवर सचिव विश्वविद्यालय मामलों के सम्बन्ध में निर्णय ले सकता है और प्रबन्ध बोर्ड के निर्णय की अवहेलना कर सकता है। एक दूसरे संविधि के अन्तर्गत उपकुलपति बिना कोई जांच कराये किसी भी विद्यार्थी को अथवा कर्मचारी को बर्खास्त कर सकता है। मेरे विचार में यह ठीक नहीं है। उप कुलपति एक व्यक्ति ही तो है। यदि वह किसी व्यक्ति को निलम्बित करना चाहता है तो वह ऐसी पूरी जांच-पड़ताल के बाद करे। माननीय मंत्री महोदय से मेरा अनुरोध है कि यह इस तथा अन्य उपबन्धों की पुनः जांच करें और इन खण्डों में समुचित सशोधन करें ताकि हम एक आदर्श मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकें। मुझे इस बात की अत्यधिक प्रसन्नता है कि इस विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखा गया है जिन्होंने देश की एकता के लिए जीवन भर प्रयत्न किया और उसी के लिए अपने प्राणों को न्योछावर किया।

**श्री अमर रायप्रधान** (कूच बिहार) : जैसा कि प्रो० रंगा और श्री प्रिय रंजन दास मुंशी ने कहा है, मुक्त विश्वविद्यालय का विचार कोई नया नहीं है। गुरुदेव रविन्द्र नाथ ठाकुर ने बहुत समय पूर्व इस विचार का आधार बनाकर विश्व भारती की स्थापना की थी। विभिन्न विषयों पर पत्राचार पाठ्यक्रम चलाये जाते थे ! उस समय न रेडियो था और न दूरदर्शन। 1983 में आन्ध्र प्रदेश में एक मुक्त विश्वविद्यालय स्थापित किया गया था। मैं मुक्त विश्वविद्यालय के विचार का विरोध नहीं करता हूं। मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर विश्वविद्यालय खोले जाने का विरोध नहीं करता हूं। यदि माननीय मंत्री महोदय दिल्ली विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखने का प्रस्ताव करें मैं उसका भी विरोध नहीं करूगा, मैं उसका समर्थन करूंगा। जवाहरलाल नेहरू के नाम से एक विश्वविद्यालय है। एक दूसरा विश्वविद्यालय श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से होने दीजिए।

किन्तु मेरा मुद्दा यह है। इतनी जल्दबाजी में आपको इस विधेयक को पारित करने की इतनी जल्दी क्यों है ? आपकी नई शिक्षा नीति तैयार होने वाली है। वह अभी निर्माणाधीन है। क्या शिक्षा प्रणाली में प्रारम्भिक, माध्यमिक, कालेज और विश्वविद्यालय शिक्षा के बीच कोई अन्तर है ? आप विश्वविद्यालय शिक्षा को बिल्कुल अलग क्यों कर रहे हैं ? आप इस स्थिति को स्पष्ट करें। वर्तमान शिक्षा प्रणाली क्या है और आप इसे कैसे नया रूप देना चाहते हैं ? आप इसे अवश्य स्पष्ट करें। यह सच नहीं है कि हमारे देश में 66 प्रतिशत व्यक्ति अनपढ़ हैं और उन्हें अक्षर ज्ञान तक नहीं है। सरकार 6 वर्ष से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निशुल्क अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने मे असफल रही है। क्या यह सच नहीं है कि आप 1960 तक निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की संवैधानिक गारंटी को कार्यान्वित करने में असफल रहे हैं ? क्या यह सच नहीं है कि आप रोजगारोन्मुख शिक्षा लागू करने में असफल रहे हैं ? उन 22 विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट क्या है जिनके अपने पत्राचार पाठ्यक्रम हैं और जो देश के प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाने में असफल रहे हैं ? आपकी रुचि केवल नाम में है, शिक्षा में नहीं। आपकी रुचि केवल इसका नाम इन्दिरा गांधी के नाम पर रखे जाने में है। आपकी रुचि वास्तव में शिक्षा के प्रसार में नहीं है।

श्री कृष्ण चन्द्र पन्त : मैंने सोचा था कि आप विश्वविद्यालय के नामकरण के विरुद्ध नहीं हैं।

श्री अमर रायप्रधान : नहीं। परन्तु आप जल्दी में हैं।

यह ठीक है कि आपने यह उल्लेख किया है कि इस विश्वविद्यालय को क्यों स्थापित किया जा रहा है परन्तु आपने यह नहीं बताया कि क्षेत्रीय केन्द्र कहां कहां खोले जाएंगे। ऐसा क्यों है ? सौदेबाजी के लिए ! विभिन्न राज्यों के बीच झगड़ा हो। शिलांग कह सकता है कि उन्हें एक केन्द्र चाहिए, गोहाटी कह सकता है कि उन्हें अगरतला में एक केन्द्र चाहिए। इसी प्रकार से कलकत्ता, भुवनेश्वर, पटना, बम्बई, बंगलौर तथा मद्रास सभी कहेंगे कि उन्हें अपने स्थानों में केन्द्र की जरूरत है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था। जब इस विधेयक के पीछे ऐसा आदर्शवाद है तो आपको इन सभी अध्ययन केन्द्रों का नाम बताना चाहिए।

मुझे 'राष्ट्रीय' शब्द पर एतराज है। खण्ड 6 में कहा गया है :

"विश्वविद्यालय की अधिकारिता का विस्तार सम्पूर्ण भारत पर होगा।"

क्या आप भारत में ऐसे किसी भी विश्वविद्यालय का नाम बता सकते हैं जिसकी अधिकारिता का विस्तार हमारी आजादी के 38 वर्षों में, या इससे भी पहले, सम्पूर्ण भारत पर रहा हो ?

श्री जी० जी० स्वैल (शिलांग) : यह एक नया प्रस्ताव है।

श्री अमर रायप्रधान : चाहे यह नया है या पुराना, ऐसा प्रस्ताव क्यों लाया गया है।

शिक्षा एक समवर्ती विषय है। अतः आप राज्यों के अधिकार पर अतिक्रमण कर रहे हैं। (व्यवधान)।

जब सरकारिया आयोग द्वारा केन्द्र-राज्य सम्बन्धों की जांच चल रही है तो आपको इतनी जल्दी क्या है ? (व्यवधान) प्रश्न यह है कि विश्वविद्यालय दिल्ली राज्य में ही होगा अथवा सम्पूर्ण भारत में ? (व्यवधान)

खण्ड 7 के बारे में मैं सोचता हूं कि इस पर विलम्ब से कार्य किया जाना चाहिए। गुजरात तथा अन्य स्थानों का अनुभव होने के बाद भी आप इन सभी बातों को यहां क्यों रख रहे हैं ? हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष तथा समाजवादी देश है। अगर ऐसा है तो जाति, वर्ण, धर्म, या वर्ग जैसी बातों को यहां कहने का क्या औचित्य है ?

श्री जी० जी० स्वैल : बल देने के लिए।

श्री अमर रायप्रधान : जातियों और धर्ममतों के बीच बहुत से झगड़े हैं। अतः क्या आप उन लोगों का उल्लेख करेंगे जो असम समझौते के अन्तर्गत नागरिकताहीन हो जाएंगे ? इसको मजाक के तौर पर मत लीजिए। असम में लगभग 18 लाख लोग नागरिकताहीन हो जाएंगे। क्या वे इसके अन्तर्गत आएंगे ? क्या आप बता सकते हैं ? किस प्रकार से इन 18 लाख नागरिकताहीन लोगों को इसमें सम्मिलित किया जा सकता है ?

प्रो० मधु दण्डवते : अगर विश्वविद्यालय में मतदान हुआ तो उन्हें मतदान करने दिया जाएगा।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : कोई मतदान नहीं होता है। (व्यवधान)

श्री अमर रायप्रधान : धनराशि के सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय को चलाने के लिए 15 करोड़ रुपये पर्याप्त नहीं हैं। परन्तु क्या आप हमें बताएंगे कि देश में अन्य विश्वविद्यालयों पर आप कितनी धनराशि खर्च कर रहे हैं? वर्दवान विश्वविद्यालय तथा उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय जैसे पुराने विश्वविद्यालयों के लिए भी पूरे वर्ष का कुल प्रावधान एक करोड़ रुपये भी नहीं है। परन्तु यहां आप इस विश्वविद्यालय के लिए प्रति वर्ष 3 करोड़ रुपये खर्च करेंगे।

मैं इसके बारे में विस्तार में नहीं जाना चाहता परन्तु मैं इस मुक्त विश्वविद्यालय के विधेयक को खुले दिल से समर्थन नहीं दे सकता। (व्यवधान) मैं इस मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक का पूरे दिल से समर्थन नहीं कर सकता। (व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, मैं इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं माननीय मंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं कि आपने इस यूनिवर्सिटी का नाम श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखा है जोकि इस देश की गरीबों की मसीहा थीं। उन्होंने इस देश के करोड़ों गरीब आदमियों को ऊपर उठाने के लिए बहुत बड़ा प्रयत्न किया। आज आपने उनके नाम के ऊपर इस यूनिवर्सिटी का नाम रख कर इस यूनिवर्सिटी को सार्थक रूप दिया है।

हिन्दुस्तान में आज तक धनाभाव के कारण जिनको शिक्षा प्राप्त नहीं हो सकी उन तमाम लोगों को इस यूनिवर्सिटी के जरिये से आगे अध्ययन करने का अवसर प्राप्त हो सकेगा जिससे कि वह अपनी नॉलेज बढ़ा सकेंगे।

महोदय, देहाती क्षेत्र के जो गरीब लोग अब तक पढ़ाई करते हैं, सेकेण्डरी और प्राइमरी स्टेज पर उनके लिए अभी तक उस प्रकार की व्यवस्था नहीं है जिस प्रकार की व्यवस्था हमारे शहरों के अन्दर है। हमने कई जगह देखा है कि बड़े-बड़े पदों पर शहरी क्षेत्र के लोगों को ही प्राथमिकता दी जाती है। यहां तक कि बड़े-बड़े एग्जामिनेशन में भी उन्हीं लोगों को प्राथमिकता दी जाती है।

हमारे देहाती क्षेत्र में प्राइमरी और सेकेण्डरी एजुकेशन बहुत खराब हालत में है। जब तक आप उसको ऊपर नहीं उठायेंगे तब तक 80 प्रतिशत लोग जोकि गांवों में रहते हैं, उनको ऊंचा उठने का मौका नहीं मिलेगा। यह जरूर है कि वह देहाती कहीं बाबू, टीचर या पटवारी बन जायें, लेकिन उसके आगे उसको बढ़ने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए आपको निश्चित तरीके से ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे इस व्यवस्था को और ज्यादा महत्वपूर्ण तरीके से लागू कर सकें।

महोदय, इस ओपन यूनिवर्सिटी की वजह से नेशनल इंटीग्रेशन को लाभ मिलेगा, इसलिए ऐसी व्यवस्था करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि नेशनल इंटीग्रेशन के जरिये से सभी लोगों को नजदीक लाया जाए और सारे देश की एकता और अखंडता को मजबूत बनाया जाए।

अब मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का ध्यान सिलेक्शन कमेटी की तरफ दिलाना चाहूंगा। इसमें हमने देखा है कि बहुत अधिक पक्षपात होता है चाहे वह रीडर अथवा लेक्चरार किसी का भी सिलेक्शन हो। इसमें जो कमेटी बनायी जा रही है, उसमें भी पक्षपात होता है।

महोदय, वाइस चांसलर कितने आदमियों को नॉमीनेट करेगा? सिलेक्शन कमेटी में पहला वाइस चांसल मैम्बर होगा और चेयरमैन भी होगा।

[अनुवाद]

"(क) कुलपति;

(ख) प्रतिकुलपति या कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया सम्बन्धित विद्यापीठ का निदेशक;

(ग) कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया व्यक्ति; और

(घ) तीन विशेषज्ञ, जो विश्वविद्यालय से सम्बन्धित नहीं होंगे और जो कुलपति द्वारा ऐसी रीति से, जो इन अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की जाए, नामनिर्देशित किए जाएंगे।"

[हिन्दी]

एक आदमी ही ऐसा है जो विजिटर की तरफ से नॉमीनेट होगा, बाकी वाइस चांसलर की तरफ से नॉमीनेट होंगे। प्रो-वाइस-चांसलर भी वाइस चांसलर की तरफ से नॉमीनेट होगा। इस

**4.00 म० प०**

तरीके से पांच छः आदमी तो कुल वाइस चांसलर के अपने आप हो जाते हैं और एक आदमी केवल विजिटर का होगा जो दूसरा आदमी हो सकता है। इसलिए आपने पूरे अधिकार वाइस चांसलर को दे दिए कि चाहे वह प्रोफेसर को सेलेक्ट करे, चाहे रीडर को करे, चाहे लेक्चर को करे। आपने देखा होगा जिस यूनिवर्सिटी में जिस प्रान्त का प्रोफेसर चला जाता है और मैम्बर होकर बैठ जाता है वह समझता है कि हिन्दुस्तान के तमाम आदमी सब बेकार हैं केवल मेरे प्रान्त के आदमी को ही लिया जाए। इसलिए इस मामले में भी बहुत बड़ा खतरा है कि वाइस चांसलर को आपने सारे अधिकार दे दिए कि सेलेक्शन कमेटी में सारे के सारे मैम्बर्स उसकी तरफ से नामिनेटेड होंगे तो इससे इस तरह का पक्षपात पैदा होने का बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री के जरिए से माननीय शिक्षा मंत्री से यह कहना चाहता हूं, वह इस समय यहां हैं नहीं, उनसे वह मेरी यह बात कह देंगे कि जिस प्रकार के ये झगड़े तमाम यूनिवर्सिटीज में चलते चले आ रहे हैं वह सारे झगड़े, आपने जो वाइस चांसलर को सारे अधिकार दे दिए, उससे इस ओपेन यूनिवर्सिटी में भी होंगे। आज चाहे जवाहर लाल यूनिवर्सिटी हो चाहे बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी हो या दूसरी और कोई यूनिवर्सिटी हो, उनमें आपस में जिस तरह से ग्रुपबाजी के जरिए से लड़ाई झगड़े होते हैं और यूनिवर्सिटी का ऐटमास्फेयर खराब होता है उसी तरह की स्थिति यहां इस यूनिवर्सिटी में भी हो जाएगी। इसलिए इस सम्बन्ध में भी आप विशेष तौर से ध्यान दीजिए।

दूसरा एक प्वाइंट और कहना चाहता हूं, एक प्रावधान आपने और रखा है जिसमें रीडर को, लेक्चरर को या वहां के एम्पलायी को बिना नोटिस दिए निकाल देंगे। यह क्लाज 19 में पैरा 4 में रिमूवल आफ एम्पलाईज आफ यूनिवर्सिटी, इस तरह से रखा है। इसमें बिना कारण बताए हुए, या बिना नोटिस दिए हुए आप किसी रीडर, लेक्चरर या एम्पलायी को अलग कर सकते हैं और इसके साथ-साथ एक और प्रावधान रखा है जिसके तहत आपने किसी को सस्पेंड किया है तो बिना उसकी एन्क्वायरी किए हुए उसको डिसमिस कर देंगे। यह निश्चित तरीके से बिलकुल गलत और गैर-कानूनी है। इसके सम्बन्ध में आप सलाह कर लीजिए और इस बात को देखिए ताकि कोई ऐसा कदम न उठ जाए जिससे कि लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ हो और वह आपके खिलाफ हाई

कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में जाते फिरें। इसलिए इसके सम्बन्ध में उचित व्यवस्था होनी चाहिए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके इस बिल का समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

**श्रीमती वैजयन्तीमाला बाली** (मद्रास दक्षिण) : सभापति महोदय, इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक पर अपने विचार व्यक्त करने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूं। हमारे माननीय शिक्षा मंत्री इस इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक को ला करके निकट भविष्य में एक नयी शिक्षा नीति को तैयार करने जा रहे हैं। हमारे गतिशील प्रधान मंत्री ने भी हमें कई बार बताया है कि हमारी शिक्षा प्रणाली में पूर्णतया फेर-बदल होना चाहिए। मैं समझती हूं कि हमारी शिक्षा प्रणाली में आमूल परिवर्तन किया जाना चाहिए क्योंकि यह पुरानी पड़ चुकी है और निस्सन्देह यह राष्ट्रीय एकता के अनुरूप नहीं है। मेरा सुझाव है कि सातवीं योजना में शिक्षा के विकास के लिए और अधिक धनराशि आवंटित की जानी चाहिए। सभी लड़कियों को मैट्रिक तक मुफ्त शिक्षा की सुविधा देने के साथ-साथ मैं महसूस करती हूं कि शिक्षा के स्तर पर अधिक जोर दिया जाना चाहिए।

हमें ब्रिटिश शिक्षा प्रणाली विरासत में मिली है जिसका उद्देश्य हमारे शिक्षित वर्ग को केवल बाबू बनाना था।

**4 04 म० प०**

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

इससे किसी और उद्देश्य की पूर्ति नहीं हुई। अब जनसंख्या में तेजी से हुई वृद्धि के कारण हमारे स्कूलों तथा कालेजों में बहुत भीड़ हो गई है जिसके परिणामस्वरूप हमारे यहां अर्द्ध-शिक्षित तथा कम योग्यता वाले स्नातक तैयार हो रहे हैं। शिक्षा का स्तर गिर गया है और इससे बिलकुल भी उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती है।

दूसरे, महोदय, इससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। प्रवेश के लिए अमीरों तथा गरीबों दोनों से धन देने की आशा की जाती है। अमीर लोग सरलता से अपने बच्चों के लिए धन देकर उन्हें अच्छे स्कूलों तथा कालेजों में प्रदेश दिला देते हैं परन्तु मध्यम वर्ग तथा गरीब वर्ग के लोग इससे बुरी तरह से प्रभावित होते हैं क्योंकि वे अपने बच्चों को प्रवेश नहीं दिला पाते हैं। गरीब व्यक्ति दर-दर भटकता रहता है। वे विधायकों, संसद सदस्यों, मंत्रियों, पुलिस आयुक्तों, जिलाधीशों तथा ऊंचे पदों पर आसीन व्यक्तियों से सिफारशी पत्र लेने के लिए जाते हैं। इसके बावजूद भी स्कूलों तथा कालेजों के लालची अधिकारीगण उनकी तरफ ध्यान नहीं देते, वे इन सिफारिशों को नहीं मानते और गरीबों से धन ऐंठने की कोशिश करते हैं। इसका केवल हल तथा जवाब इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्व-विद्यालय जैसे खुले विश्वविद्यालयों की स्थापना करना है तथा प्रत्येक को चाहे वह किसी भी वर्ग, मत या धर्म का हो, इन विश्वविद्यालयों में, अपने ऊपर तथा अपने अभिभावकों पर किसी प्रकार का बोझ डाले बिना, प्रवेश लेने का अवसर प्रदान करना है। उनके लिए विश्वविद्यालयों के द्वार हमेशा खुले रहने चाहिए। जब कभी वे शिक्षा पाना चाहें उन्हें मना नहीं किया जाना चाहिए। महोदय, मैं महसूस करता हूं कि स्कूल के छोटे बच्चों पर पुस्तकों तथा आंकड़ों का अधिक बोझ लाद दिया गया है जिससे उनकी आंखों की दृष्टि तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ रहा है और उनके कोमल दिमाग पर

बहुत अधिक बोझ डाला जा रहा है। महोदय, इसका मुझे केवल एक ही हल नजर आता है कि इन छोटे बच्चों की शिक्षा में परिवर्तन किया जाये। उन्हें समूहों में बांट दिया जाना चाहिए। उन्हें उनके रुझान के अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें केवल वही विषय पढ़ाये जायें जिनमें वे रुचि लेते हों तथा उन चीजों को न पढ़ाया जाए जिनका उन्हें बड़े होने पर लाभ न हो। बच्चे की रुझान का पता लगाया जाना चाहिए। केवल तभी ऐसे विषयों को पढ़ाया जा सकता है।

अमरीकी प्रणाली एक बहुत ही अच्छी प्रणाली है। क्योंकि सारे साल कठिन परिश्रम करने तथा अन्तिम परीक्षा में जाने के समय बोझ तथा तनाव महसूस करने की बजाय विद्यार्थियों को पूरे वर्ष की प्रगति के आधार पर आंका जाता है। मुझे विश्वास है कि इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय शिक्षा प्रणाली में एक नए किस्म का आदर्श स्थापित करेगा जिसकी देश में आज बहुत सख्त आवश्यकता है।

चूंकि यह विश्वविद्यालय इस नए तरीके तथा नए दृष्टिकोण के साथ तथा जाति, पन्थ या धर्म का विचार किए बिना ज्ञान देगा, इसलिए मुझे इस इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक का समर्थन करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

***श्री के० रामचन्द्र रेड्डी** (हिन्दूपुर) : सभापति महोदय, शिक्षा और प्रगति का आपस में सम्बन्ध है। ये दोनों आपस में जुड़े हैं तथा इन्हें अलग-अलग नहीं किया जा सकता है। दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। जहां ज्ञान तथा शिक्षा पर्याप्त मात्रा में है, जहां बौद्धिक शक्ति का विकास होता है वहां पर निरन्तर प्रगति होती है। जापान तथा सिंगापुर द्वारा की गई आश्चर्यजनक प्रगति इसके सजीव उदाहरण हैं। यह देश, जिसमें 50 करोड़ अशिक्षित लोग हैं, पहले क्यों प्रगति नहीं कर सका, इसका कारण शिक्षा का न होना ही है। यह सार्वभौमिक सत्य है।

इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक शिक्षा की नई संकल्पना का एक चुनौती है। यह एक ऐसे रास्ते पर चल रही है जोकि अभी तक अनजाना और जो नया होने के कारण आकर्षक है। इस अनजाने पथ पर चलते हुए बहुत से आश्चर्यजनक तथा अप्रत्याशित अनुभव होंगे। शिक्षा के प्रचार में नये तरीकों की खोज में लगे लोगों के लिए यह एक नया मार्ग सामने आया है। इस मुक्त विश्वविद्यालय के खुलने से इस क्षेत्र में शोध छात्रों को असीमित अवसर उपलब्ध हो जायेंगे।

मुक्त विश्वविद्यालय की संकल्पना में एक नयापन है। इस नये सिद्धांत पर प्रयोग एक बहुत ही अनुपम बात है।

सरकार तथा माननीय शिक्षा मंत्री इसके लिए बहुत ही बधाई के पात्र हैं।

यह विधेयक इस बात की घोषणा करता है कि ज्ञान की प्राप्ति करना अब केवल उन कुछ लोगों तक ही सीमित नहीं रहेगा जो बुद्धिमान हैं, जो एकमात्र रूप से उच्च वर्ग से सम्बन्धित हैं अथवा जो अमीर घरों में जन्मे हैं।

यह विधेयक उन सभी लोगों को शिक्षा प्राप्त करने तथा ज्ञान बढ़ाने के अवसर प्रदान करेगा जो जीवन के दिन प्रतिदिन के कार्य-कलाप में बहुत व्यस्त हैं तथा यह विधेयक उनके ज्ञान प्राप्त करने की प्यास का बुझाने में सहायक होगा।

*तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

शिक्षा से नम्रता आती है। नम्रता से क्षमता का विकास होता है। क्षमता से सही और गलत, अच्छे और बुरे में भेद करने का ज्ञान आता है। यह ज्ञान के क्षेत्र को और आगे बढ़ाने में सहायक होता है। शिक्षा का यही चरम लक्ष्य है।

सही शिक्षा मनुष्य में विद्यमान पशुवृत्ति पर नियंत्रण करने में सहायक होती है। यह व्यक्ति को मानव बनाती है।

कवि टिक्कना आन्ध्र महाभारत में कहते हैं "अगर दूसरे ऐसा व्यवहार करते हैं जो आपको अच्छा नहीं लगता तो आपको वह व्यवहार दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। सभी धर्मों का यही सार है।" इस बात को ध्यान में रखते हुए देश में शिक्षा देने के प्रयास किए जाने चाहिए। हमारी शिक्षा का यही उद्देश्य होना चाहिए, इस आदर्श को ध्यान में रखकर दी गई शिक्षा हमारे विद्यार्थियों के भाग्य का मार्गदर्शन करेगी। समय परिवर्तनशील है। परिवर्तन प्रकृति का स्वभाव है। समाज में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। नई शिक्षा प्रणाली तथा नये तरीके बदलते हुए समय के अनुरूप होने चाहिए। अभी तक शिक्षा तथा ज्ञान के क्षेत्र में शायद ही कोई प्रयोग किया गया हो।

पुराने समय में विद्यार्थी गुरुकुलों में रहते हुए तथा खाने पीने और रहने आदि जैसी सुविधाओं की परवाह न करके शिक्षा ग्रहण करते थे। वे अपने शिक्षकों की पूरी निष्ठा से सेवा करते थे तथा शिक्षा ग्रहण करने के लिए समर्पित थे। उन्होंने अपने गुरुओं द्वारा ली गयी कठोर परीक्षाओं का सामना किया और वे उनमें सफल हुए। वे ही वास्तविक छात्र थे और वास्तविक शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। यही कारण था कि अध्यापकों को हमारे तीन देवगणों—विष्णु, ब्रह्मा और महेश्वर के समान माना जाता था। उनके व्यक्तित्व के अनुरूप उन्हें अत्याधिक सम्मान दिया जाता था।

आज के छात्र अपने अध्यापकों का सम्मान नहीं करते। वर्तमान शिक्षा पद्धति छात्रों में सामाजिक चेतना और जागरूकता पैदा करने में असफल रही है। यह पद्धति छात्रों में नैतिक मूल्य उत्पन्न नहीं कर सकती है। यह पद्धति छात्रों में अनुशासन, नैतिकता और मानवीय गुणों को नहीं ला सकती है। आधुनिक शिक्षा इन सभी क्षेत्रों में असफल रही है। अब इन गुणों के विकास के लिए इस विधेयक से शुरुआत की गई है।

इस विधेयक में व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण का ध्यान रखा गया है। अब व्यावसायिक शिक्षा में गुणात्मक सुधार की आशा की जा सकती है। इस सम्बन्ध में आन्ध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय की उपलब्धि आश्चर्यजनक है। आन्ध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय इस क्षेत्र में अग्रणी रहा है और अनुकरणीय है। आन्ध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम व्यावसायिक शिक्षा में शिक्षण के आधुनिक तरीकों का प्रतीक बन गया है। आंध्र प्रदेश मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा किए गए प्रयास प्रशंसनीय और अनुकरणीय हैं।

पिछले तीन-चार दशकों में देश में कालेजों, विश्वविद्यालयों और छात्रों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। कालेजों की संख्या 800 से बढ़कर 50,000 हो गई है। इसी तरह विश्वविद्यालयों की संख्या मात्र 27 से बढ़कर 140 हो गई है। छात्रों की संख्या बढ़कर 35 लाख तक पहुंच गई है। औपचारिक शिक्षा के माध्यम से इन सभी छात्रों को शिक्षा देना असंभव है। तथापि रेडियो और टेलीविजन की सहायता से अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ऐसा संभव है। केवल मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से ही इतना बड़ा काम किया जा सकता है। लाखों छात्रों को शिक्षा देना

आम विश्वविद्यालयों के वश की बात नहीं है। इतना बड़ा काम केवल मुक्त विश्वविद्यालयों के जरिये ही हो सकता है।

मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से ज्ञान और अनुसंधान के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए निम्न सुझावों को मानना आवश्यक है :

(1) केवल वे व्यक्ति ही, जो शिक्षा के प्रति समर्पित हैं तथा पूरे हृदय से शिक्षण कार्य करने के लिए राजी हैं, प्रोफेसर पद पर नियुक्त किए जाने चाहिए।

(2) छात्रों को अनुशासन, गहरी रुचि से शिक्षा प्राप्त करना और अध्यापकों का सम्मान करना सिखाया जाना चाहिए।

(3) मुक्त विश्वविद्यालय की सफलता के लिए, यह आवश्यक है कि जो इसका संचालन करते हैं उन्हें निष्पक्ष, उत्साही और शिक्षा के प्रति समर्पित होना चाहिए।

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इतना अच्छा विधेयक सभा में जल्दबाजी में पेश किया जा रहा है। यह उचित नहीं है। खण्ड 8 के उपखण्ड 9 और खण्ड 9 के उपखण्ड 3 पर पुनर्विचार करना आवश्यक है। इन उपबंधों से 'कुलाध्यक्ष' और उपकुलपति को असीमित अधिकार मिल सकते हैं। वे तानाशाही रवैया अपना सकते हैं और विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा छात्रों को परेशान कर सकते हैं। इन उपबंधों पर पूर्णतया पुनर्विचार करना आवश्यक है। विधेयक की अनुसूचियां वास्तविक विधेयक से लम्बी हैं, यह तो 'शरीर से पूंछ लम्बी' वाली कहावत को चरितार्थ करती है।

इन सभी अनुसूचियों की जांच कराना आवश्यक है।

सरकार को यह विधेयक तुरन्त पारित करने में कठोर रुख नहीं अपनाना चाहिए। इसके प्रत्येक पहलू पर विचार करने के लिए यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाना चाहिए।

सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

**श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** (कन्नानौर) : सभापति महोदय, प्रस्तावित इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय हमारी शिक्षा पद्धति की प्रगति में महत्त्वपूर्ण कीर्ति-स्तम्भ के समान है और शिक्षा में सुधार लाने की ओर एक ठोस कदम है। जिसका वायदा हमारे प्रिय प्रधान मंत्री ने हमसे किया था।

तथापि भारत जैसे विशाल और बहुभाषी देश में मुक्त विश्वविद्यालय की धारणा एक बड़ी चुनौती है।

मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति के उद्देश्य वास्तव में प्रशंसनीय हैं क्योंकि उनमें ऐसे लोगों को उच्चतर शिक्षा देने की व्यवस्था है जो विभिन्न सामाजिक-आर्थिक कारणों से पारम्परिक शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत शिक्षा प्राप्त करने से वंचित रह गए हैं। यह पद्धति दूर-दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, ग्रहिणयों तथा काम करने वाले लोगों, जिन्हें पढ़ने के अवसर नहीं मिल पाए हैं, की पहुंच में है। मुक्त विश्वविद्यालय में पारंपरिक शिक्षा प्रणाली की अपेक्षा अधिक लोगों को अवसर मिलता है क्योंकि इसमें आयु, योग्यता, उपस्थिति आदि जैसी कठोरतायें नहीं आतीं।

महोदय, मुक्त विश्वविद्यालय कक्षा-प्रणाली की अपेक्षा अधिक संख्या में छात्रों को शिक्षा

प्रदान कर सकता है। यह भी आशा की जाती है कि इस प्रणाली से शिक्षा-स्तर में समानता आने की भी बहुत आशा है। इस योजना की सफलता के लिए शिक्षा, संचार और सूचना तथा प्रसारण मंत्रालयों के बीच नजदीकी तथा सुदृढ़ समन्वय आवश्यक है। प्रसारण पर निर्भर रहने से हमें राष्ट्रीय संदर्भ में यह पता लगा सकते हैं कि यह कितनी कारगर सिद्ध हुई है।

महोदय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से भी उदार और प्रभावी सहयोग आवश्यक है। इस संबंध में मैं यह सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, जिसकी विभिन्न क्षेत्रों से भारी आलोचना की गई है, का नवीकरण करने के लिए आगे आना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का लोकतन्त्रीकरण करने के लिए प्रभावी उपाय करने चाहिए। यह बात भी दिमाग में रखनी होगी कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग में अधिक विख्यात शिक्षाविद् और विद्वान आएं।

महोदय, मुझे संदेह है कि क्या मंत्रालय ने नई योजना की वित्तीय जटिलताओं की गहराई से जांच की है या नहीं। सातवीं पंचवर्षीय योजना में मुक्त विश्वविद्यालय योजना के लिए 15 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गई है। मुझे संदेह है कि इस राशि से इस योजना पर होने वाले अत्यधिक व्यय की पूर्ति हो पाएगी, विशेषकर तब जबकि इस योजना के क्षेत्राधिकार में विज्ञान और प्रौद्योगिकी शिक्षा प्रदान करना भी है, जिसके लिए प्रयोगशाला आदि सुविधाएं उपलब्ध कराना आवश्यक है।

यह देखना रहता है कि क्या मुक्त विश्वविद्यालय योजना के अन्तर्गत ज्ञान का प्रसार करने के लिए कार्यक्रम तैयार करने की जिम्मेदारी शिक्षा विभाग संभालेगा या प्रसारण विभाग या दोनों विभाग मिलकर यह जिम्मेदारी संभालेंगे। यह भी देखना है कि जो स्थिति आज है, रेडिया और टेलीविजन पर कार्यक्रमों का अत्यधिक बोझ है और इस कारण तथा चूंकि मुक्त विश्वविद्यालय में अधिकतर श्रमिक वर्ग और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के आने की संभावना है, विश्वविद्यालय के कार्यक्रम के प्रसारण के लिए समय आवंटित करने पर गहराई से विचार करने की आवश्यकता है।

चूंकि मुक्त विश्वविद्यालय में सुदूर क्षेत्रों के लोग प्रवेश लेंगे, इसलिए शिक्षा पद्धति तथा अध्यापकों की कार्य-कुशलता का बहुत महत्व है। मंत्री महोदय को इस पद्धति के अन्तर्गत ज्ञान के प्रसार के लिए पर्याप्त संख्या में अध्यापकों को प्रशिक्षण देने के लिए गम्भीरता से विचार करना होगा क्योंकि अतीत में पर्याप्त संख्या में कुशल तथा प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी के कारण शिक्षा-स्तर में बहुत गिरावट आई है। शिक्षा के विकास सम्बन्धी किसी भी योजना में शिक्षा के माध्यम का बहुत महत्व होता है। चूंकि इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य मुख्यतः सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से पिछड़े ग्रामीणों को शिक्षा प्रदान करना है, अतः शिक्षा के माध्यम पर अधिक बल देना होगा। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि शिक्षा का माध्यम मातृभाषा या राष्ट्रीय भाषा हो, तो यह अधिक प्रभावी होगा। तथापि अंग्रेजी के महत्व को नकारा नहीं जा सकता क्योंकि यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत भाषा है जोकि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सहायक है। शिक्षाशास्त्री और शिक्षाविद् हमें बताएंगे कि हमारे देश में उच्चतर शिक्षा की वर्तमान पद्धति व्यक्ति और समाज की आवश्यकताओं के अनुरूप नहीं है। ऐसी शिकायत मिली है कि हमारे देश में पिछले 35 वर्षों से जो शिक्षा पद्धति प्रचलित है उस पर ब्रिटिश साम्राज्यवादी का प्रभाव है, जिस कारण छात्रों को कभी भी रोजगार के अवसर नहीं मिल पाते। हमारे अनुभवों से भी यह भूल सिद्ध हो गई है। तथापि इस मुक्त विश्व-

विद्यालय पद्धति का आरम्भ कर सरकार को रोजगारोन्मुख पाठ्यक्रमों पर बल देना चाहिए तथा उच्च शिक्षा सामाजिक मांगों से जुड़ी होनी चाहिए ।

मुक्त विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्रो० जी० राम रेड्डी ने प्रेस वालों को इंटरव्यू में यह बात स्पष्ट की कि विश्वविद्यालय उन व्यक्तियों को भी नवीनतम ज्ञान देगा जिन्होंने कई वर्ष पहले अपनी व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त की थी। प्रोफेसर रेड्डी ने व्यावसायिक शिक्षा में सुधार लाने की जो यह योजना बनायी है, यह वास्तव में ही प्रशंसनीय है ।

यह बताना आवश्यक नहीं कि शिक्षा पद्धति किसी भी राष्ट्र का मूलाधार होती है और शिक्षा के क्षेत्र में लाए गए किसी भी परिवर्तन से राष्ट्र के समूचे विकास पर दूरगामी प्रभाव पड़ेंगे । तथापि हमारे देश में लोगों की नजर प्रायः उन परिवर्तनों पर है जो नई शिक्षा नीति बनाकर लाए जा रहे हैं, जिसका वायदा हमारे प्रिय प्रधान मंत्री ने इस वर्ष के शुरू में राष्ट्र के समक्ष अपने प्रसारण में किया था । हमें विश्वास है कि मुक्त विश्वविद्यालय पद्धति खोलना नई शिक्षा नीति बनाने की ओर एक साहस भरा कदम है जिससे हमारे देश की सामाजिक आवश्यकताएं पूरी होंगी जिसका लक्ष्य समाजवादी, लोकतान्त्रिक गणराज्य बनाना है ।

अपना भाषण समाप्त करने से पूर्व मैं 1947 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दीक्षान्त समारोह के दौरान पंडित जी द्वारा दिए गए भाषण से कुछ शब्द उद्धृत करना चाहता हूं। उन्होंने कहा था :—

> "विश्वविद्यालय का उद्देश्य मानवता, सहनशीलता, तर्क, नए विचारों और सत्य की खोज होना चाहिए । इसका उद्देश्य मानव जाति को उच्चतर आदर्शों की ओर ले जाना होना चाहिए । यदि विश्वविद्यालय अपने कर्त्तव्यों का सही ढंग से पालन करते हैं तो इससे देश का भी भला होगा और जनता का भी ।"

मैं मंत्री महोदय को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस सत्र के दौरान इतना प्रगतिशील विधेयक पेश किया है ।

**श्री के० एस० राव** (मछलीपटनम) : महोदय, शिक्षा नीति की इस कारण निरन्तर आलोचना होती रहती है, क्योंकि हममें से अधिकांश लोगों का विचार है कि हम उसी पुरानी प्रक्रिया को उसी पुराने पाठ्यक्रम को चला रहे हैं जो ब्रिटिश शासन के दौरान चल रहा था। किंतु जब कभी केन्द्र में अथवा राज्यों में शिक्षा मंत्री का परिवर्तन होता है, वे सदा यह आश्वासन देते हैं कि वह शिक्षा नीति में परिवर्तन करने जा रहे हैं, किंतु किसी न किसी कारण से अपेक्षित परिवर्तन वांछित मात्रा तक नहीं किया जाता है ।

आज करोड़ों विद्यार्थी शिक्षा संस्थाओं में जा रहे हैं, किंतु वे इस आत्मविश्वास के साथ बाहर नहीं आते हैं कि वे स्वयं कुछ कर सकते हैं, यद्यपि उनमें डाक्टर की उपाधि अथवा स्नातकोत्तर होने का अहं होता है। जैसा मैंने कहा, उनमें स्वयं कोई नया कार्य आरंभ करने की क्षमता नहीं है। अतः विद्यार्थियों में असन्तोष और बेरोजगारी की समस्या बहुत गम्भीर बन चुकी है। ऐसा इस कारण नहीं कि वास्तव में रोजगारी के पर्याप्त अवसर नहीं हैं, बल्कि इस कारण है कि उनके पास देश में विभिन्न कार्यों को करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण अथवा ज्ञान नहीं है। जब कभी विपक्ष अथवा सत्तारूढ़ दल के सदस्यों द्वारा कोई प्रश्न पूछा जाता है, तो सम्बन्धित मंत्री कहते हैं कि संसाधनों की कमी है। किंतु यदि हम इस मामले की ओर गम्भीर रूप से ध्यान देंगे तो देखेंगे कि संसाधनों की यह कमी इस कारण है

क्योंकि लोगों में आय पैदा करने की क्षमता कम हो गई है। यदि हम इस मामले की गहराई से जांच करेंगे, तो हम देखेंगे कि शिक्षा प्रणाली उस प्रकार से लोग तैयार नहीं करती जो इस देश में संसाधनों को पैदा कर सकते हों। माननीय वित्त मंत्री इस समय सदन में उपस्थित हैं। मैं अनुरोध करता हूं कि शिक्षा मंत्रालय को पर्याप्त निधि का आबंटन किया जाए. जिसके बिना अन्य मंत्रालयों से सम्बद्ध विभिन्न समस्याओं का समाधान भी नहीं होगा।

सौभाग्यवश दूरदर्शन का अर्थात दृश्य शिक्षा का महत्त्व समझा गया है जिसे मैं समझता हूं कि स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी ने आरम्भ किया और संचार साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान करने पर हमारे प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी द्वारा पर्याप्त बल दिया गया है। पद ग्रहण करने के कुछ दिन पश्चात् प्रधान मंत्री ने आश्वासन दिया है कि वह शिक्षा नीति में एक क्रान्ति ला देंगे। मुझे संदेह है कि इस प्रकार की क्रान्ति औपचारिक शिक्षा से लायी जा सकती है, इसका कारण शिक्षा पर आने वाली भारी लागत है। उदाहरणत: जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय में एक व्यक्ति पर 30,000 रुपए खर्च होने का अनुमान है और यदि उसमें 20 लाख लोग हों तो इसपर 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे, अथवा देश का पूरा बजट इसी में चला जाएगा। मैं नहीं जानता कि क्या हमारे संसाधन शिक्षा नीति में क्रान्ति लाने की अनुमति देंगे। किंतु मुक्त विश्वविद्यालय का यह विचार एक वरदान है और मैं बहुत प्रसन्न हूं कि भारत सरकार शिक्षा प्रदान करने के लिए संचार संसाधनों का प्रयोग करके मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली का प्रयोग करने की सोच रही है जिससे शिक्षा की लागत प्रति व्यक्ति एक हजार रु० आएगी। इससे शिक्षा के स्तर को कम किए बिना, शिक्षा की आधुनिक आवश्यकताओं के अनुकूल औपचारिक शिक्षा के स्वरूप में परिवर्तन आएगा। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह देश के लोगों और इस सदन के सदस्यों के समक्ष इस बात पर बल दें कि यह केवल विधेयक के सदन में प्रस्तुत करने की ही बात नहीं किंतु इसके बहुत से लाभ होंगे। निधि के संबंध में मेरा कहना है कि 1500 करोड़ रु० एक छोटी राशि है जिससे मैं समझता हूं कि वास्तविक लक्ष्य पूरा नहीं होगा।

इस मुक्त विश्वविद्यालय से न केवल शिक्षा पर आने वाले व्यय में कमी होगी, बल्कि यह शिक्षा के स्वरूप को भी बदल देगा। इस प्रकार वह शिक्षा उपलब्ध होगी जिसकी आज हमें आवश्यकता है। मैं माननीय शिक्षा मंत्री से अनुरोध करता हूं कि मुक्त विश्वविद्यालयों में उसी प्रकार का पाठ्यक्रम न अपनाएं, अपितु देश में यह सर्वेक्षण करें कि किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, किस क्षेत्र में व्यवसायिक लोगों का अभाव है, किस प्रकार के शिल्पों की शिक्षा दी जानी चाहिए, इत्यादि।

महोदय, यह अच्छी बात है कि वे लोग जो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में, महिलाएं, घरेलू स्त्रियां, औद्योगिक मजदूर तथा अन्य लोगों को इस मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षा प्राप्त करने की सुविधा प्राप्त होगी। आजीविका कमाने के दौरान जब कभी उन्हें खाली समय मिलेगा, वे अपनी शिक्षा में सुधार कर सकेंगे, वे प्रौद्योगिकी में नवीनतम प्रगति के विषय में जान सकेंगे और इस देश के लिए अत्यन्त लाभदायक हो सकते हैं। मैं फिर एक बार माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह देख लें कि इस दूरदर्शन प्रौद्योगिकी का उचित रूप में प्रयोग हो और इसे गांवों में आम लोगों तक पहुंचाया जा सके, और ग्रामीण क्षेत्रों में व्यापक रूप में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, विशेषकर प्रत्येक गांव में एक टी० वी० उपलब्ध किया जाना चाहिए। यदि आवश्यकता हो तो इस मामले में कुछ स्वैच्छिक संघठनों को भी सहायता के लिए लाया

जा सकता है। मैं माननीय सूचना और प्रसारण मंत्री से निवेदन करता हूं कि वह यह देख लें कि दूरस्थ शिक्षा के कार्यक्रम के प्रसारण के लिए कुछ समय निर्धारित किया जाए। वह इस मुक्त विश्वविद्यालय के लिए अलग से एक चैनल देकर इन्सैट-दो की सेवाओं का प्रयोग कर सकते हैं ताकि इस मुक्त विश्वविद्यालय के लिए विशेष छुट्टियों को कुछ विशेष समय दिया जा सके। (इसलिए भी क्योंकि आजकल पंचदिवसीय सप्ताह है)। इस प्रकार इसका असीम लाभ उठाया जा सकता है।

बजट व्यवस्था के संबंध में मैंने पहले ही माननीय मंत्री से अनुरोध किया है। मैंने स्वैच्छिक संगठनों को भी शामिल करने के संबंध में चर्चा की है। मैं प्रशिक्षण के संबंध में कुछ कहना चाहूंगा। पर्याप्त प्रशिक्षण के बिना विश्वविद्यालय आरम्भ करना फिजूल है। कर्मचारियों को पर्याप्त प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि यह शीघ्रता से लोगों का ध्यान आकर्षित कर सके। मैं इस विधेयक का हार्दिक रूप से तथा आनन्दपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं मंत्री जी तथा प्रधान मंत्री को बधाई देता हूं और मुझे आशा है कि इस आश्वासन को उसी रूप में नहीं लिया जाएगा, जैसा कि पहले लिया जाता था।

[हिन्दी]

**श्री उमाकांत मिश्र** (मिर्जापुर) : सभापति जी, मैं, मैं तो क्या सारे सदस्यों ने इस विधेयक का पूर्णतः स्वागत किया है, कुछ ने हाफ हार्टेडली, कुछ ने फुल हार्टेडली, लेकिन आमतौर से सभी ने इसका हृदय से समर्थन किया है।

सभापति जी, यह विश्वविद्यालय इस देश में एक नए प्रकार का विश्वविद्यालय है। श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से पहला शिक्षण संस्थान खुल रहा है और इस देश में किसी विश्वविद्यालय के साथ "राष्ट्रीय" पहली बार जोड़ा जा रहा है। अभी तक प्रदेश के नाम से, राज्य के नाम से, धर्म के नाम से, संप्रदाय के नाम से, आदमी के नाम से विश्वविद्यालय हैं, लेकिन राष्ट्रीय विश्वविद्यालय के नाम से अभी तक यहां कोई संस्थान नहीं था। इस तरह से यह मुक्त, ओपन यूनिवर्सिटी है। वैसे तो क्षेत्र स्तर पर गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर ने शांति-निकेतन, विश्व भारती आदि संस्थान खोले थे, कुछ और भी खुले थे, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर इस तरह का विश्वविद्यालय यह पहला है। इसलिए हम लोग इसका हृदय से स्वागत करते हैं। इस बारे में दो-तीन बातें मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहना चाहता हूं।

यह विश्वविद्यालय श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से खुल रहा है। इन्दिरा गांधी मार्ग, भवन, रेल, नहर, ये सब और बात है, लेकिन इन्दिरा गांधी विश्वविद्यालय एक दूसरी बात है। इससे देश की जनता यह अपेक्षा करती है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के विचार और आदर्शों के अनुसार इस विश्वविद्यालय में शिक्षा दी जाएगी। हम लोग भी यही अपेक्षा करते हैं और देश की जनता भी यही अपेक्षा करती है। इन्दिरा गांधी इस देश की ऐसी व्यक्ति थीं जिन पर इस शताब्दी के सभी महापुरुषों का प्रभाव और उनके विचारों का समन्वय था। कुछ महापुरुषों के वे प्रत्यक्ष सम्पर्क में आई थीं, जैसे—महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के मार्गदर्शन में वे रहीं, पंडित जवाहर लाल नेहरू, सरदार पटेल, श्री गोविन्द वल्लभ पन्त, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डा० अम्बेडकर, गुरू रवीन्द्र नाथ टैगोर, ऐसे लोगों के सम्पर्क में वे प्रत्यक्ष आईं, वे इस शताब्दी के महापुरुष थे। राजनीतिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में भी महापुरुष थे, उनके सम्पर्क में वे प्रत्यक्ष रूप से आई थीं और इनके आदर्शों और विचारों, कार्यक्रमों, कार्यकलापों, आचरण, सबका प्रभाव श्रीमती

इन्दिरा गांधी पर पड़ा था। कई चीजों और महापुरुषों के वे अप्रत्यक्ष रूप से सम्पर्क में आई थीं, जैसे महात्मा गांधी पर रामायण का प्रभाव था, गीता का प्रभाव था, कुरान शरीफ का प्रभाव था, तथा बाइबल एवं धम्मपद का प्रभाव था। यह प्रभाव इन्दिरा गांधी पर भी पड़ा। इसी तरह से फ्रांस के रोम्यो, लियो, टाल्सटाय और रसकिन का भी प्रभाव था, इस तरह से प्राचीन काल से और अर्वाचीन काल के जितने भी विचारक, राजनेता, शिक्षा शास्त्री, सबका प्रभाव उन पर पड़ा था। महात्मा गांधी ने एक नए धर्म, मानव जीवन का एक नया रास्ता, एक नई प्रणाली का निर्माण किया, उसका प्रभाव भी उनपर था। इसी तरह से पंडित जवाहरलाल जी थे, उन पर एक तरफ महात्मा गांधी का प्रभाव था और दूसरी तरफ कार्ल-मार्क्स और लेनिन का प्रभाव था, दोनों का प्रभाव उनके ऊपर था। इन दोनों से प्रभावित होकर पंडित जवाहर लाल नेहरू का व्यक्तित्व बना था और उनका प्रभाव भी श्रीमती इन्दिरा गांधी पर पड़ा था। इस तरह से प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस युग के जो मनीषी, विचारक, राजनेता, शिक्षा शास्त्री जितने भी थे, चाहे रवीन्द्र नाथ टैगोर हों, चाहे डा० राधाकृष्णन हों, सभी का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा था। इस तरह से श्रीमती इन्दिरा गांधी के नेतृत्व में इस युग के, शताब्दी के आदर्शों और विचारों का समन्वय था। इसलिए हम लोग यह अपेक्षा करते हैं कि सौ वर्ष के महान विचारों और आदर्शों का जो समन्वय उनके अन्दर था, उन विचारों और आदर्शों के अनुसार ही शिक्षा इस विश्वविद्यालय में दी जाएगी, तभी श्रीमती इन्दिरा गांधी का नाम सार्थक होगा। जनता की यह अपेक्षा है कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम से इस विश्वविद्यालय में उन्हीं आदर्शों की शिक्षा दी जाएगी। इस विश्वविद्यालय के लिए उच्च-स्तर का पाठ्यक्रम तैयार किया जाए। इस देश में धर्म-निरपेक्ष लोग पैदा हों जो धार्मिक, जातीय और प्रादेशिक कट्टरता से रहित हों तभी श्रीमती इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की सार्थकता होगी। हम चाहते हैं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी के आदर्शों, नीतियों और कार्यक्रमों को एक पाठ्यक्रम तैयार होना चाहिए। उसका ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में प्रसार किया जाए जिससे जनता यह विश्वास रख सके कि ये श्रीमती इन्दिरा गांधी के आदर्श हैं। संक्षेप में, मैं यह कहना चाहूंगा कि इस विश्वविद्यालय के कार्यक्रमों और पाठ्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ दें। वे लोग शिक्षा से वंचित रहते हैं। बड़े-बड़े इंटैलिजैंट लोग गांवों में पड़े रहते हैं। साधनों, पैसों और आवागमनों की कमी से ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता रखते हुए भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यह कहना चाहूंगा कि ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को अधिक शिक्षा दी जानी चाहिए। एक मैं और कहना चाहूंगा। किसी भी विश्व-विद्यालय में आप शिक्षा दें लेकिन इस देश के प्राचीन ज्ञान से नाता मत तोड़ें। सिर्फ पुराण, उप-निषद और वेद ही नहीं हैं बल्कि प्राचीन ज्ञान देने वाले सुश्रुत, चरक, धनवन्तरी, नागार्जुन वराहमोहीर और आर्य भट्ट भी हैं। अणु और परमाणु शक्ति का विकास आइन्सटीन ने किया है लेकिन अणु और परमाणु शब्द की चर्चा सबसे पहले कणाद मुनि के वैशेशीक दर्शन में देखने को मिलती है। आज अणु और परमाणु का विकास विध्वंस और निर्माण दोनों के लिए हो रहा है। प्राचीन ज्ञान से नाता टूट गया तो उससे हम वंचित रह जायेंगे और किसी भी विश्वविद्यालय में हम प्राचीन ज्ञान से जुड़े नहीं रहेंगे जिसे हमारे महान तपस्वियों ने महान तपस्या के बाद दिया है। अंत में मैं यह कहना चाहता हूं कि ज्ञान और भाषा से कोई सम्बद्ध नहीं है। किसी भी भाषा के द्वारा उच्च से उच्च ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। कबीरदास जी कोई भी भाषा नहीं जानते थे किन्तु महाज्ञानी थे। श्रीमती इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों की शिक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाए। जर्मन, फ्रैंच, अरबी और फारसी वगैरह सिखाई जाए लेकिन भारत की भाषाओं को समृद्ध बनाने के लिए, भारत की वाणी और गौरव को बढ़ाने के लिए, भारतीय ज्ञान और संसार के ज्ञान की शिक्षा-दीक्षा भारतीय भाषाओं के माध्यम से दी जाए और भारतीय भाषाओं

का गौरव बढ़ाया जाए। भाषा सीखने मेंज्यादा समय लगता है। अपनी भाषा के जरिए ज्ञान प्राप्त करने में आसानी होती है। जितनी देर में भाषा सीखते हैं उतनी देर में ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। इन शब्दों के साथ मैं श्रीमती इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय बिल का समर्थन करता हूं।

**डा० गौरी शंकर राजहंस** (झंझारपुर) : सभापति महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मेरा कहना है कि इन्दिरा जी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती थी क्योंकि वह गरीबों, लाचारों, ग्रामीणों और गांव में रहने वाली महिलाओ की शिक्षा के लिए सोचती थीं। ओपन-यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट इंग्लैंड से सारी दुनिया में गया। इस बारे में एक बड़ी बात कही जाती है कि पहले छात्र अरीस्टोटल के पास जाते थे लेकिन ओपन-यूनिवर्सिटी शुरू होने के बाद अरीस्टोटल छात्रों के पास जाने लगे। और यह डिस्टैन्ट यूनिवर्सिटी का कन्सैप्ट तेजी से सारी दुनियां में पहुंच गया। श्रीमन्, एक बात मैं यहां जरूर कहना चाहता हूं कि ओपन-यूनिवर्सिटी का कन्सैप्ट अपने देश में लोगों को ठीक से पता नहीं है। एकदम नया कन्सैप्ट है। जिस तरीके से ब्लेकमनी को डिस्कस करने से पहले, वित्त मंत्री जी ने हम सबको उस सब्जैस्ट पर बैकग्राउन्ड मैटीरियल दिया था और उसके बाद डिस्कसन हुई थी, मैं चाहता था कि ओपन यूनिवर्सिटी के कन्सैप्ट का भी विस्तृत बैकग्राउन्ड मैटीरियल देकर इस विषय पर बहस होनी चाहिए थी जिसमें यह बताया गया हो कि दुनिया के किस भाग में क्या होता है, उसका क्या सिस्टम है, कैसी स्थिति है और अपने देश में क्या किया जाएगा। इस सदन में डिस्कसन होने के बाद भी, मैं कहना चाहूंगा कि यह इतना बड़ा सवाल है, नेशनल लेवल पर इसे डिस्कस किया जाना चाहिए। मैंने कनाड़ा में ओपन यूनिवर्सिटी का सिस्टम देखा है। वहां दो भाषाओं में ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ाई होती है—इंग्लिश और फ्रेंच। जिस तरह से यहां हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस बिल में कहीं भी इस बात का जिक्र नहीं है कि ओपन यूनिवर्सिटी में किस भाषा के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी ? यदि इस विषय पर आप मौन हैं तो शायद आपकी नियत में कुछ खोट है और आप अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देने का विचार रखते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यदि आप अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा देंगे तो आपका ओपन यूनिवर्सिटी का पूरा कन्सैप्ट फेल होकर रह जाएगा। आपके सामने दूर देहात में रहने वाली उस महिला का लक्ष्य होना चाहिए जिसकी शादी बहुत कम उम्र में हो गई थी और जो मैट्रिकुलेट के बाद नहीं पढ़ सकी और अब उसके आगे की शिक्षा प्राप्त करना चाहती है। यदि आप अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देंगे तो इससे उसे कोई लाभ नहीं पहुंचेगा, उसका काम नहीं चलेगा। आपको रीजनल लैंग्वेज में शिक्षा देनी होगी। इसके लिए हर स्टेट में आपको रीजनल औफिसेस स्थापित करने होंगे। मैं चाहता हूं कि आप इस विषय को बहुत गम्भीरता के साथ लें।

ओपन यूनिवर्सिटी में, श्रीमन्, किसी फौरमर एजूकेशन की जरूरत नहीं होती है। मैंने देखा कि ओपन यूनिवर्सिटी में एक इंजीनियर, एम० ए० की और पी० एच० डी० की इकानौमिक्स में परीक्षा देता है और उसे एक्सैप्ट किया जाता है। अपने देश में यदि कहा जाए कि एक डाक्टर इकानामिक्स में, एम० ए० की परीक्षा देगा तो लोग हंसेंगे। यदि कहा जाए कि वह एल० एल० बी० की परीक्षा देगा तो लोग हसेंगे। ओपन यूनिवर्सिटी का कन्सैप्ट ऐसा होना चाहिए जो लोगों को बताए कि इसके लिए किसी फौरमर एजूकेशन की जरूरत नहीं है क्योंकि सारी दुनिया में यही होता है और खासकर इस एजूकेशन को आप देहातों में रहने वाली महिलाओं के लिए सुलभ कराइए। मैंने देखा है कि हमारे देश में ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने किताबें पढ़कर के और मैगजीन्स पढ़कर के काफी ज्ञान प्राप्त कर लिया है, वे केवल मैट्रिक पास हैं, यदि हिन्दी माध्यम से पोलिटिकल साइंस में, सोश्योलोजी में उनको परीक्षा देनी पड़े तो वे आसानी से परीक्षा देकर पास हो सकती हैं।

एक बात मुझे श्रीमन् और कहनी है। ओपन यूनिवर्सिटी में ऐसे कोर्सेज होने चाहिए जो हमारे दैनिक जीवन से मिले-जुले हों। अभी हमारे एक सदस्य कह रहे थे कि यदि महिलाएं ओपन यूनिवर्सिटी में एक्जामिनेशन दें तो कुकिंग वर्थ करेगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कुकिंग का भी कोर्स होना चाहिए। उसका होम साइंस का पाठ करना चाहिए। कुकिंग और पेन्टिंग मिलाकर एक महिला बी० ए० की परीक्षा दे सके, ऐसा मैंने विदेशों में होते हुए देखा है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि ओपन यूनिवर्सिटी के कन्सैप्टर को आप जीवन के करीब लाइए। उसे ऐसा बनाइए कि जो अभागा, पैसों के अभाव में या अपौट्यूनिटी के अभाव में उचित शिक्षा ग्रहण नहीं कर सका, उसे उचित शिक्षा मिल सके और वह किसी भी माने में अपने को अन्य किसी यूनिवर्सिटी के ग्रेजूएट से कम न समझे, एम० ए० में अपने को इन्फीरियर न समझे। यह एक बहुत गम्भीर मामला, गम्भीर विषय है इसलिए मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी से कहूंगा कि गम्भीरतापूर्वक सोच-विचार कर इसे व्यावहारिक रूप प्रदान करें ताकि जिन लोगों के लिए इस सिस्टम को शुरू किया जा रहा है, उनको इसका फायदा मिल सके। धन्यवाद !

[अनुवाद]

**श्री सोमनाथ रथ** (आस्का) : अध्यक्ष महोदय, मैं विधेयक का समर्थन करता हूं। पत्राचार पाठ्यक्रम एक प्रकार से शिक्षा जारी रखना है और इससे प्रत्येक को शिक्षा प्राप्त करने में सहायता मिलती है। किन्तु पारम्परिक विश्वविद्यालय वर्ष में एक बार परीक्षाओं का आयोजन करते हैं। किंतु यह विश्वविद्यालय समय-समय पर विद्यार्थियों की योग्यता का आंकलन करेगा। पारम्परिक विश्व-विद्यालयों द्वारा जो वर्ष में एक बार परीक्षाओं का आयोजन करते है अनेक दुराचार पैदा हुए हैं। यह विश्वविद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा को लोगों के द्वार पर ले जाएगा और श्रमिकों, घरेलू स्त्रियों तथा कृषकों की सहायता करेगा। प्रतियोगिता के कारण प्रत्येक विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की भीड़ को भी कम किया जा सकेगा।

कहा जाता है कि किसी देश का विकास उस देश की शिक्षा प्रणाली पर निर्भर करता है और इसलिए शिक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और स्वतन्त्रता के पश्चात् भारत में यह देखने के लिए कि शिक्षा प्रणाली किस प्रकार की होनी चाहिए कई समितियां तथा आयोग नियुक्त किए गए हैं। किंतु अभी तक कोई विशिष्ट प्रणाली नहीं अपनायी गई है और देश भर में एक समान राष्ट्रीय पाठ्यक्रम आवश्यक है। इसे शीघ्र ही अपनाया जाना चाहिए। कुछ विश्वविद्यालयों में प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क लिया जाता है, सरकार इसके विरुद्ध है, किंतु इसकी इच्छाओं को कार्यान्वित नहीं किया जा सका क्योंकि कुछ विश्वविद्यालयों में सीनेट तथा सिंडिकेट से सदस्य गैर-सरकारी कालेजों के साथ मिले हुए होते हैं। यदि विश्वविद्यालय स्वयं ही इन गैर-सरकारी कालेजों को असम्बद्ध कर दें तो प्रति व्यक्ति प्रवेश शुल्क वसूल करने का प्रश्न ही नहीं उठेगा। इसके लिए कोई कानून आवश्यक नहीं है। विश्वविद्यालय परीक्षाओं का आयोजन करने के पश्चात् केवल मात्र परिणाम घोषित करने वाली संस्थाएं नहीं होनी चाहिएं, विश्वविद्यालय एक ऐसी संस्था होनी चाहिए जो अपने अधिकार-क्षेत्र की कला, सांस्कृतिक परम्परा, और इतिहास के बारे में अनुसंधान कराये और उस क्षेत्र के कवियों तथा लेखकों की कृतियों का अन्य विभिन्न भाषाओं में अनुवाद कराये ताकि देश को लाभ हो सके तथा भारत की अखण्डता में सहयोग मिले।

इस मुक्त विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती इन्दिरा गांधी के नाम पर रखे जाने से इसे एक प्रतिष्ठा प्राप्त हुई है। भारत के राष्ट्रपति को इसका कुलाध्यक्ष बनाकर इसका गौरव बढ़ाया गया है

जैसा कि विधेयक में विचार किया गया है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य इस प्रकार है :—

> "विश्वविद्यालय दूर स्थित स्थानों में शिक्षा और अनुवर्ती शिक्षा के विविध माध्यमों से उक्त उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्रयास करेगा और उच्चतर शिक्षा के विद्यमान विश्वविद्यालयों/संस्थाओं के सहयोग से कृत्य करेगा और नवीनतम वैज्ञानिक ज्ञान का और शिक्षा की ऐसी उच्च क्वालिटी देने के लिए जो समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप हों, नई शैक्षणिक प्रौद्योगिकी का पूर्ण उपयोग करेगा।"

अध्यापकों को प्रशिक्षण देने की भी व्यवस्था है। यह सचमुच स्वागत योग्य है, किंतु मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि इस विधेयक में ऐसा कोई उल्लेख नहीं है कि शिक्षा किस भाषा में दी जाएगी।

जब हम ग्रामीण क्षेत्रों, कृषकों, श्रमिकों तथा घरेलू स्त्रियों की बात करते हैं तो यह सोचना होगा कि शिक्षा सभी क्षेत्रीय भाषाओं में दी जाए।

मैं उन शब्दों का उल्लेख करते हुए समाप्त करना चाहता हूं जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने शिक्षा के विषय में कहे थे और इसे किस प्रकार लागू किया जाना चाहिए क्योंकि हम उन्हीं के नाम पर विश्वविद्यालय का नाम रख रहे हैं। उन्होंने कहा था :

> "किसी देश की मानव शक्ति इसकी सबसे बड़ी सम्पत्ति है। व्यवहार तथा प्रवीनता से एक राष्ट्र बनता है, शिक्षा इन दोनों की कुंजी है। हमारे पूर्वजों ने शिक्षा का यह अर्थ नहीं निकाला कि एक व्यक्ति को इससे क्या सीखना है किंतु यह कि शिक्षा उसे किस प्रकार का व्यक्ति बनने में सहायता दे सकती है। यह ज्ञान का संचयन नहीं है अपितु अवबोधन और संवेदना हेतु इसके प्रयोग की क्षमता प्राप्त करना है।"

अब यह विश्वविद्यालय इन उद्देश्यों को आगे बढ़ाएगा।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा) : मैंने विधेयक पर विचार किए जाने के प्रस्ताव पर एक संशोधन पेश किया है। मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को एक प्रवर समिति को भेज दिया जाए। मेरा विचार श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किए जा रहे मुक्त विश्वविद्यालय की प्रक्रिया को निलम्बित करना नहीं है। बहुत से सदस्यों ने इसका स्वागत किया है। मुझे इस विश्वविद्यालय का नाम श्रीमती इंदिरा गांधी के नाम पर रखे जाने के सम्बन्ध में कतई आपत्ति नहीं है। मैंने सत्तारूढ़ दल के सभी सदस्यों के भाषण सुने हैं और मैं उनकी भावना को समझता हूं। उनका कहना है कि यह श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में एक उपयुक्त स्मारक होगा, परन्तु मैं सरकार की इस विचारधारा से पूर्णतया सहमत नहीं हूं कि कोई विश्वविद्यालय बिना किसी प्रकार की स्वायत्तता के श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति के अनुरूप होगा। हो सकता है वे यह सोच रहे हों कि यह उनके विचारों से कतई मेल खाता है। परन्तु उस बात पर मैं बिल्कुल असहमत हूं। जैसा कि स्वयं विधेयक में उल्लिखित है और विपक्ष के कई सदस्यों ने भी कहा है कि उसका कार्य संचालन लोकतान्त्रिक ढंग से नहीं होगा, क्योंकि हरेक व्यक्ति नामांकित होगा। मुझे मन्त्री महोदय के उत्तर को पढ़ने का सौभाग्य मिला है और मैं यह भी जानता हूं कि मेरे विचार के लिए प्रस्ताव का उत्तर भी क्या होगा। वह यह कह सकते हैं कि यह उलझन में डालने वाली आलोचना है। यदि हम विश्वविद्यालय को जन्म से ही निर्बल रखेंगे और यदि हमारे देश के सभी बौद्धिक संसाधनों और विशेषज्ञों की भागीदारी के साथ लोकतन्त्र नहीं पनप सकता है तो मेरा विश्वास है यह एक निष्फल प्रयोग होगा। मैं जानता हूं कि सम्भवतया यह प्रश्न पूछा जाएगा कि सी० पी० आई० (एम०) शिक्षा संस्थानों में लोकतन्त्र की बात

कैसे कर सकती है। यह ध्यान दिलाया जायेगा कि जब 1978 में वामपंथी मोर्चा सत्ता में आया तो इसने पश्चिम-बंगाल के विश्वविद्यालयों का प्रबन्ध अपने हाथ में ले लिया। अब चर्चा चल रही है और मुझे उसका उत्तर देना पड़ेगा। जब उन्होंने विश्वविद्यालयों विशेषकर कलकत्ता विश्वविद्यालय का प्रबन्ध अपने हाथ में लिया, तो हुआ क्या था ? मैं उस समय वहीं पर था। मैं छात्र-संघ का महा-सचिव था। मुझे आशा है कि उस बात में श्री प्रियरंजन दास मुंशी मुझ से सहमत होंगे। 80 प्रतिशत और सीनेट को नामांकित किया गया था और उसके 20 प्रतिशत का चुनाव किया गया था। वह अपना चार वर्ष का कार्य-काल पूरा करने के बाद भी बने रहे और 5½ वर्षों तक चलते रहे। वे अपनी बैठकों में उपस्थित नहीं होते थे और हर प्रकार की समस्या उत्पन्न करते थे। फिर विश्वविद्यालय को चलाने के लिए सरकार को विश्वविद्यालय का प्रबन्ध अपने हाथ में लेना पड़ा। उसके बाद सरकार एक विधेयक लेकर आई जिसे विधान सभा ने पारित कर दिया। अब प्रणाली को बदल दिया गया है। क्योंकि अब 80 प्रतिशत को चुना जाता है और 20 प्रतिशत को नामांकित किया जाता है। इतना तो अपरिहार्य है। वामपंथी मोर्चा सरकार के अधीन लोकतन्त्र को इस प्रकार फैलाया जा रहा है।

**श्री प्रियरंजन दास मुन्शी** : केवल इस अपवाद के साथ, कि जब कभी यह चुना हुआ निकाय किसी ऐसे कुलपति के नाम की सिफारिश करता, जो उनकी राय के अनुरूप नहीं होता तो वे उसे तंग करते हैं।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : यदि आप मुझे समय दें तो मैं उसका भी उत्तर दूंगा···(व्यवधान)।

**सभापति महोदय** : आप अपने संशोधन तक ही सीमित रहिए। आप इस विधेयक को प्रवर समिति के पास भेजना चाहते हैं। उसी तक सीमित रहिये।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : बहुत-सी बातें कही गई हैं और अफवाहें भी बहुत गर्म हैं, और सीनेट के 100 से अधिक सदस्यों में से दो-तिहाई सदस्य दिल्ली आ रहे हैं और वे मन्त्रालय के नेताओं के साथ कानाफूसी कर रहे हैं कि वे इस प्रकार की कार्यवाही कर रहे हैं। यह तो पश्चिम-बंगाल के शिक्षा के क्षेत्र में विप्लव पैदा कर देगा। मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि यदि वे ऐसा करते हैं तो उन्हें यह याद रखना चाहिए कि वहां के लोग आशुतोष मुखर्जी और टैगोर की परम्परा का अनु-पालन कर रहे हैं जिन्होंने स्वायत्तता को त्यागने सम्बन्धी ब्रिटिश शासनकाल में प्रत्येक विचार को अस्वीकार कर दिया था और वे स्वतन्त्रता को बहुत महत्व देते थे। वे इसके लिए लड़े। मेरे माननीय मित्र ने उन कुछेक अड़चनों का उल्लेख किया था जो कि कुलपति के कार्यकाल में बाधा बन रही हैं। क्या मैं उनसे पूछ सकता हू कि आखिर क्यों और वह बात उनके मुक्त विश्वविद्यालय विधेयक में भी है—कोई कुलपति बिना किसी कारण के बिना किसी प्रकार की उचित जांच के किसी को भी नौकरी से निकाल देता है। वर्तमान कुलपति के बिना किसी प्रकार का आरोप-पत्र दिए चार या पांच कर्म-चारियों को नौकरी से निकाल दिया···(व्यवधान)।

**श्री प्रिय रंजन दास मुन्शी** : उससे पहले रोबिन पोद्दार ने क्या कहा था ?

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : आपको पता नहीं है। आप रिकार्ड देखिए।

**सभापति महोदय** : कृपया अपने को अपने संशोधन तक ही सीमित रखिए।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : सरकार एक विशेष दिशा में देख रही है। वे यह कहकर इसे उचित ठहराने का प्रयास कर सकते हैं कि विश्वविद्यालय के विभिन्न निकायों का चुनाव इसके कार्यकरण के

मार्ग में अड़चनें खड़ी कर सकता है। आज क्या हो रहा है ? जवाहर लाल विश्वविद्यालय में छात्र हड़ताल पर हैं। वे यह मांग कर रहे हैं कि उन्हें विश्वविद्यालय द्वारा निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार मिलना चाहिए। और केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की समीक्षा समिति ने क्या कहा था ? उनका कहना था कि सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालय अव्यवस्था की स्थिति में हैं···(व्यवधान)।

**सभापति महोदय** : कृपया देखिए आप अपना समय समाप्त कर चुके हैं।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : महोदय, मैंने अभी पूरा समय नहीं लिया है। यह बड़ा ही महत्वपूर्ण मामला है।

**सभापति महोदय** : मैं आपको पांच मिनट से अधिक का समय दे चुका हूं। आपको केवल पांच मिनट का ही अधिकार है, कृपया अब समाप्त कीजिए।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : महोदय, अपने द्वितीय संशोधन को प्रस्तुत करते समय मैं समय नहीं लूंगा। परन्तु एक मुद्दा उठाया गया है। और मैं उस मुद्दे का समर्थन करता हूं वह यह कि राष्ट्रपति को विश्वविद्यालय का कुलाध्यक्ष नहीं होना चाहिए। जहां तक प्रबन्धक बोर्ड की बात है, मेरा संशोधन यह है कि कुल सदस्यों का पांचवां भाग नामांकित होना चाहिए, जो कि अपरिहार्य है, परन्तु शेष सदस्य शिक्षा से सम्बद्ध विभिन्न वर्गों, यथा विशेषज्ञ, कर्मचारी, अध्यापकों में से चुने जाने चाहिए। मैं यह नहीं जानता कि इस विश्वविद्यालय में छात्रों को किस प्रकार लिया जायेगा, इस पर अभी विचार किया जाना है। और फिर कुलपति की नियुक्ति कैसे की जानी चाहिए ? अब प्रावधान यह रखा गया है कि दो व्यक्ति तो प्रबन्धक-बोर्ड द्वारा नामांकित होने चाहिए और एक कुलाध्यक्ष द्वारा और उन्हें किसी के नाम की सिफारिश करनी चाहिए। मैंने यह सुझाव दिया है कि प्रबन्धक बोर्ड साधारण बहुमत द्वारा कुलपति का चुनाव करेगा। इसी प्रकार विभिन्न निकाय बनाए जाने चाहिए। मेरा सुझाव यह है कि सभी जगह व्यावहारिक रूप से लोकतान्त्रिक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए।

**5.00 म० प०**

श्री प्रियरंजन दास मुन्शी जी ने टैगोर महोदय का उल्लेख करते हुए कहा है कि छात्र पक्षियों की तरह नीले आकाश में उड़ेंगे। ठीक है, मुझे उसपर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु यदि आप पक्षियों के गले में जंजीर डाल देंगे तो वे उड़ेंगे कैसे ? अत: लोकतन्त्र और जंजीरों में बांधना साथ-साथ नहीं चल सकता है। यहां पर बड़ी सुन्दर बातें कही गई हैं कि मुक्त विश्वविद्यालय के माध्यम से शिक्षा गांवों तक और गरीबों के द्वार तक पहुंच जायेगी। मुझे इसपर कोई आपत्ति नहीं है, परन्तु वह पहुचेगी कैसे। जो लोग प्राथमिक पाठशालाओं में नहीं जा सकते हैं, क्या उन्हें ऐसा कोई अवसर प्राप्त होगा ? उन्हें कोई अवसर नहीं प्राप्त होगा। जिन्हें कुछ शिक्षा प्राप्त हुई है और जो नौकरी करते हैं और अपना अध्ययन जारी रखना चाहते हैं हो सकता है उनको इससे सहायता मिले। मूलत: यह उस जनता के लिए नहीं है जो अभी तक अनपढ़ हैं और जिनके पास कमाई की सुविधाएं नहीं हैं। जब उन्हें किसी प्रकार की कमाई ही नहीं होती है तो वे पढ़ेंगे क्या खाक ? क्या कोई ऐसा तन्त्र होगा जो उनको वित्त प्रदान करेगा जिससे वे दिल्ली में केन्द्र से पत्र-व्यवहार कर सकें तभी तो उन्हें नियमित उत्तर मिलता रहेगा, पठन-सामग्री मिलेगी और वे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं ? मेरी समझ में यह नहीं आ रहा कि यह सफल कैसे होगा।

वाद-विवाद की लगभग समाप्ति के समय मेरा मंत्री महोदय से यह विनम्र निवेदन है कि उन्हें प्रबन्ध व्यवस्था के लोकतन्त्रीकरण के मेरे सुझाव को स्वीकार कर लेना चाहिए। उस स्थिति में

मैं प्रवर समिति को इसे भेजने सम्बन्धी अपने संशोधन को वापिस लेने के लिए तैयार हूं। अन्यथा मैं अपने संशोधन पर बल दूंगा।

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : इस वाद-विवाद में सत्ताइस माननीय सदस्यों में भाग लिया है।

**प्रो० मधु दण्डवते** : जिन्होंने उसमें भाग नहीं लिया है वे भी माननीय सदस्य हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : सम्भवतया वे अधिक माननीय हैं, क्योंकि वे धीर और शान्त हैं।

**श्री अमल दत्त** : और उन्होंने समय भी नहीं लिया है। उस पर भी विचार किया जाना चाहिए।

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : मैं उन सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देना चाहता हूं, जो इस विधेयक पर ज्ञानपूर्ण बोले हैं. क्योंकि उन्होंने विधेयक और उसके उपबन्धों का अध्ययन किया है। यद्यपि यह एक भारी भरकम विधेयक है, परन्तु फिर भी उन्होंने इसका गहन अध्ययन करने का कष्ट उठाया है। उन्होंने जो सुझाव दिए हैं, उसके लिए मैं उन्हें हार्दिक धन्यवाद देता हूं। उनमें से अनेकों का शिक्षा क्षेत्र में कई वर्ष का अनुभव है। इसलिए उन्होंने जो कुछ कहा है, उसमें भारी वजन है। उन्होंने जो मुद्दे उठाए हैं उन सभी को समेटना मेरे लिए सम्भव नहीं है। उनमें से कुछ ने मेरा व्यक्तिगत उल्लेख किया है जिसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं। परन्तु मुद्दे व्यापक विषयों वाले हैं और उन्होंने सामान्य शिक्षा नीति को लिया है। कुछ ने मुक्त विश्वविद्यालय के साथ औपचारिक प्रणाली और अनौपचारिक प्रणाली को विद्यालय स्तर पर सम्बद्ध करने की बात कही है और मेरे लिए इन सबको अपने उत्तर में समेटना सम्भव नहीं होगा, जो कि संसदीय कार्य मंत्री महोदय के अनुसार बहुत लम्बा नहीं होना चाहिए।

धन का प्रश्न उठाया गया था। जबकि मैं उस शीर्षक पर बाद में बोलूंगा, मुझे प्रसन्नता है वित्त मंत्री महोदय यहां पर उपस्थित हैं।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : इस बात पर हम सभी आपका समर्थन करते हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : और इससे मेरा काम और आसान हो जाता है, क्योंकि उन्होंने स्वयं आपको सुना है और यदि मुझे आपके विचारों से उनको अवगत कराना होता तो ऐसा लगता जैसे कि मैं बिचौलिया के रूप में इसमें रुचि ले रहा हूं परन्तु उन्होंने आपको इस बारे में बोलते सुना है।

**वित्त और वाणिज्य मंत्री (श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह)** : इससे पता चलता है कि लोग वित्त मंत्री महोदय से कितने दुःखी हैं, जितना कि आप मुझे देखकर प्रसन्न हुए हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : अतः यह एक ऐसा मुद्दा है। जिस पर बोलने की मुझे आवश्यकता नहीं।

बोलने वाले सभी सदस्यों ने कहा है कि वे विधेयक को हार्दिक समर्थन नहीं दे सकते, परन्तु मैं यह अनुभव करता हूं कि वे हार्दिक रूप से उसका विरोध भी नहीं कर सकते हैं और जब यह चर्चा के लिए आयेगा तो विरोध करने के बजाय अधिकतर सदस्य उसका समर्थन करेंगे। अतः, मैं सांकेतिक विरोध को स्वीकार करता हूं और समर्थन के लिए उन्हें धन्यवाद देता हूं।

सामान्य शिक्षा नीति से सम्बद्ध मुद्दे उल्लेख के अधिकारी हैं, विशेषकर श्री जयपाल रेड्डी द्वारा उठाया गया यह मुद्दा कि प्रधान मंत्री द्वारा नीति की घोषणा के बाद, हमें सभी देशवासियों को

विश्वास में लेकर चलना चाहिए। मेरे विचार से उन्होंने 'सर्वसम्मति' शब्द का प्रयोग किया है, यद्यपि उन्होंने इस शब्द के और अधिक कठिन समानार्थक शब्द का प्रयोग किया था। वह जानते हैं कि हमने अब जिस दस्तावेज को प्रस्तुत किया है वह शिक्षा की स्थिति सम्बन्धी प्रतिवेदन है और उनके दिमाग में जो बात है उसी प्रकार का वाद-विवाद और चर्चा कराने का हमारा उद्देश्य है ? और इसलिए मैं सोचता हूं कि वह यह मानेंगे कि वास्तव में इस बार हमारा दृष्टिकोण यह नहीं रहा है अन्तिम नीति दस्तावेज अभी प्रस्तुत किया जाये और बात यहीं समाप्त कर दी जाये, अपितु उस आधार पर एक दस्तावेज प्रस्तुत करने का प्रयास है जिसके बारे में विभिन्न विचारों का पता चल सके और उन्हें नीति-दस्तावेज में सम्मिलित किया जा सके और तब वह नीति दस्तावेज देश के विभिन्न वर्गों की विचारधाराओं का प्रतिनिधित्व करेगा।

राज्यों को भी स्वाभाविक रूप से सम्बद्ध किया गया है और आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस मास की 29 तारीख को राज्यों के शिक्षा मंत्री स्पष्ट रूप से इस विषय पर विचारार्थ दिल्ली आयेंगे। अतः, इस मास की समाप्ति से पहले सच्ची ईमानदारी से प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाएगी और मैं समझता हूं कि यहां पर की गई टिप्पणियां इस प्रक्रिया का एक भाग हैं।

बहुत से सुझाव दिए गए हैं और मैंने उनको ध्यान में धर लिया है तथा मैं उनमें से कुछ पर विचार करूंगा, परन्तु मैं फिर भी कहता हूं कि सभी पर विचार करना असम्भव है। इस विधेयक में 100 से अधिक संशोधन रखे गये हैं। यदि उन संशोधनों पर किसी चर्चा की अनुमति दी जाती है तो फिर मैं उनमें से कुछ पर उसी समय विचार प्रकट करूंगा।

यह एक महत्वपूर्ण उपाय है। जैसा कि प्रो० रंगा ने कहा है, इसे प्रस्तुत करना मैं अपना अहोभाग्य समझता हूं, विशेषकर मेरे लिए बड़े ही व्यक्तिगत संतोष की बात है कि यह विश्वविद्यालय श्रीमती इंदिरा गांधी की स्मृति में एक स्मारक होगा।

**प्रो० एम० जी० रंगा** : हम सभी के लिए।

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : हम सभी के लिए और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि मेरे जितने भी मित्र बोले हैं···

**प्रो० मधु दण्डवते** : हम सभी का स्मारक ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मेरे विचार से प्रो० मधु को प्रो० रंगा की बात को हल्के ढंग से नहीं उड़ाना चाहिए। प्रो० रंगा भारी उत्तरदायित्व के साथ बोलते हैं और मैं समझता हूं कि सभा में हमें उन्हें सम्मानजनक दृष्टि से देखना चाहिए।

महोदय, यह एक ऐसा कदम है जिसके दूरगामी प्रभाव होंगे। इसमें बहुत सम्भाव्यता बड़ी है और मैं समझता हूं कि बहुत से सदस्यों ने उस तथ्य का उल्लेख किया है कि यह हवा के एक ताजा झोंके की तरह, नवीनता लिए हुए है और यह कि इसने उनके लिए प्रगति के नए मार्ग और नए द्वार खोल दिए हैं जिनकी उच्च शिक्षा तक पहुंच नहीं हो सकती थी। अनेक कारणों से अधिकतर आर्थिक कारणों से उन्हें अल्प ही रोजगार पकड़ना पड़ा था, वे दूर-दराज इलाकों में रहते थे, वे कृषि के क्षेत्र में या अन्य क्षेत्रों में कार्य करते आ रहे हैं अथवा अध्यापक हैं या गृहणी का कार्य संभाला हुआ है। उन्हें स्वयं को शिक्षित बनाने की इच्छा है, परन्तु उनके पास अवसर नहीं था और कक्षाओं में नहीं जा सकते थे। कुछ ऐसे भी जो कुछ क्षेत्रों में अपने ज्ञान को बढ़ाना चाहते हैं। जैसा कि श्रीतती फूल-रेणु गुहा ने कहा है, कि उन्हें बिना उपाधि लिए, किसी क्षेत्र-विशेष में ज्ञानवर्धन का अवसर क्यों न

प्रदान किया जाए। विधेयक में ऐसा प्रावधान है। और इसलिए इसमें पूर्ण लोच है और यह उत्तेजक संभावनायें प्रस्तुत करता है। इसका विशेष लक्ष्य दूरस्थ क्षेत्र हैं, जिनमें जनता के सुविधा-विहीन वर्गों को पढ़ाई की सुविधा देना है। यह हमारे शैक्षिक ढांचे की खाई को पाटता है।

अत. मैं यह अनुभव करता हूं कि इस विधान का समर्थन वास्तव में उन लाखों लोगों का समर्थन है जो इससे लाभान्वित होंगे। हमारे पास अन्य देशों के उदाहरण हैं। किसी ने चीन का उल्लेख किया था। चीन में इस समय 10 लाख लोग मुक्त विश्वविद्यालय में शिक्षा पा रहे हैं। 400,000 थाईलैण्ड में हैं। अत: संभावनायें अत्यधिक हैं परन्तु यदि आप मुझसे इसमें प्रवेश लेने वाले लोगों की ठीक संख्या के बारे में पूछे तो मैं यह कहूंगा कि इस प्रश्न का वास्तव में आज उत्तर नहीं दिया जा सकता।

**श्री एस० जयपाल रेड्डी** : यह इस पर निर्भर करता है कि आप कितना धन उपलब्ध कराते हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : यह शिक्षा के स्तर पर भी निर्भर करेगा। यह हमारे द्वारा स्थापित प्रणाली की विश्वसनीयता पर भी निर्भर करेगा। इस प्रकार की उच्च स्तरीय प्रणाली की स्थापना ही इसकी मुख्य विशेषता है और हमें इसी ओर ध्यान देना है। मेरे विचार में इससे अधिकतम लाभ वही लोग उठा सकेंगे जो उठाना चाहेंगे, जो स्वत: शिक्षित होने के इच्छुक हैं, जो पढ़ने के अभिलाषी हैं। इस प्रणाली की दूसरी विशेषता यह है कि पढ़ने के अभिलाषी इसके अन्तर्गत वही पढ़ सकेंगे जो वे पढ़ना चाहेंगे। और इस सारी प्रणाली की यही मुख्य विशेषता है। अध्ययन में अरुचि रखने वाले विद्यार्थी एक अच्छी संस्था में भी नहीं पढ़ सकते इसी प्रकार इस संस्था से भी वही विद्यार्थी लाभ उठा सकेंगे जो लाभ उठाने के इच्छुक होंगे। पढ़ने वालों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना होगा। यह प्रणाली वर्तमान औपचारिक प्रणाली से अधिक लचीली बनानी होगी और यही इसकी असली शक्ति होंगी। यह प्रणाली आसान नहीं होगी परन्तु इसमें सभी संभावनायें मौजूद हैं इसका व्यापक दृष्टिकोण सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्र को व्यापक बनाता है और इसमें लचीलापन है जो कि विकास की वर्तमान स्थिति के लिए अत्यन्त आवश्यक है। इसके अन्तर्गत लोग अपनी गति अनुसार, सुविधानुसार पढ़ सकेंगे। यह आवश्यक नहीं होगा कि त्रिवर्षीय पाठ्यक्रम तीन वर्षों में ही पूरा किया जाए। यह प्रमापीय प्रणाली होगी। इस प्रकार आप प्राप्तांकों को जोड़ते हुए लम्बी अवधि तक पढ़ सकते हैं। औपचारिक प्रणाली में ये सभी लाभ उपलब्ध नहीं हैं और इसीलिए यह अधिक लोगों के लिए, विशेष-रूप से पहले से कार्यरत व्यक्तियों के लिए अधिक सुविधाजनक है।

कुशलता प्राप्त करने के बारे में कुछ कहा गया था और मेरे विचार में एक सदस्य ने पूछा था कि कुशलता कैसे प्रदान की जा सकती है ? कुशलता, निश्चय ही प्रदान की जा सकती हैं। मुझे इसमें कोई विरोधाभास दिखाई नहीं देता है। पूरे देश की वर्तमान संस्थाओं का लाभ उठाना होगा, कोई महाविद्यालय का, कोई इंजीनियरिंग महाविद्यालय का तथा कोई प्रयोगशाला का लाभ उठा सकेगा। इस प्रकार विभिन्न क्षेत्रों के विद्यार्थियों को ये सभी सुविधायें देना संभव होगा। परन्तु प्रदान कुशलता का चयन करने में सावधानी बरतनी होगी और उन्हीं कुशलताओं का चयन करना होगा जो इस प्रणाली द्वारा, इस संगठन द्वारा प्रदान की जा सकती हों। जिन देशों में यह प्रणाली सफलतापूर्वक चली है वहां इससे जो वास्तविक लाभ प्राप्त हुए हैं वे केवल ये नहीं हैं कि इससे सबको समान अवसर मिले हैं, उन लोगों को भी उच्च शिक्षा पाने का अवसर मिला है जो आज तक इससे वंचित रहे हैं, बल्कि यह है कि औपचारिक प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा पाने वाले विद्यार्थियों को भी

इससे अच्छी सामग्री प्राप्त हुई है। यह प्रणाली दूरस्थ लोगों को शिक्षा प्रदान करने तथा उम्र-भर शिक्षा पाते रहने के क्षेत्र में अग्रणी रही है। इस प्रकार इसने संपूर्ण पत्राचार प्रणाली को सुदृढ़ बनाया है। हरद्वारी लाल जी ने पूछा था : 'पत्राचार पाठ्यक्रम क्यों नहीं ?' यह वास्तव में पत्राचार पाठ्यक्रमों को भी सुदृढ़ करेगी। अतः इस संस्था को दूर शिक्षा के संपूर्ण क्षेत्र में मुख्य भूमिका निभानी है और मैं तो यह कहूंगा कि मुक्त विश्वविद्यालय के विकास का निर्देशन करने वाले दो मुख्य तत्वों का लचीलापन और नवीनता के कारण संपूर्ण प्रणाली पर इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा।

मुझे यह पक्की आशा है कि यह कुछ उन विचारों में भी परिवर्तन करने में सक्षम होगी जिनमें औपचारिक शिक्षा प्रणाली में प्रगति हेतु परिवर्तन करना अत्यन्त आवश्यक है।

मुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश के मामले में अत्यन्त लचीला होगा। विश्व के कई विश्वविद्यालयों में कोई प्रवेश अर्हता नहीं है। कोई भी प्रवेश ले सकता है। कुछ विश्वविद्यालयों में आयु सीमा है। ब्रिटेन की मिसाल दी गई थी। ब्रिटेन में पहले आयु सीमा थी जिसे उन्होंने अब कम कर दिया है। अब लार्ड पैरी यहां है। जैसा कि किसी ने कहा है वह ब्रिटेन मुक्त विश्वविद्यालय के भूतपूर्व उप-कुलपति हैं। लार्ड पैरी ने आज ही मुझे बताया है कि हमने जब उच्च आयु सीमा निर्धारित की थी, इसका कारण यह था कि आयु चाहे 21 अथवा 22 वर्ष अथवा 25 वर्ष जो भी हो, शिक्षा पाने के लिए ऐसे लोग आने चाहिए जो वास्तव में उत्साही हों।" अब इसे कम करके 18 कर दिया गया है। अब यह उच्च शिक्षा के लिए वैकल्पिक अवसर प्रदान करेगी। उन्होंने पहले वाले विचार को प्राथमिकता दी। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समस्या के विभिन्न पहलू हैं जिन पर आपको विचार करना होगा। हमारे दृष्टिकोण में, मैं व्यक्तिगत रूप से अनुभव करता हूं कि इसे एक वैकल्पिक प्रणाली बनाना आवश्यक है जिसका स्पष्ट कारण यह है कि नीचे से उच्च शिक्षा का दबाव इतनी तेजी से बढ़ा आ रहा है कि यदि हम इसे वैकल्पिक प्रणाली नहीं बनाते तो उच्च शिक्षा पर अत्यधिक दबाव पडेगा और इससे स्वयं प्रणाली खतरे में पड़ जाएगी। अतः हमें अपनी स्थिति और परिस्थितियों को ध्यान में रखकर सोचना है।

इसमें दूसरा लचीलापन पाठ्यक्रम संबंधी है। आप केवल वही विषय नहीं ले सकते जो परस्पर मिलते-जुलते हों। आप विज्ञान और कला दोनों विषयों को एक साथ ले सकते हैं। लार्ड पैरी ने मुझे बताया कि वे बी० एस० सी० अथवा बी० कॉम की उपाधि नहीं देते। वे केवल बी० ए० की उपाधि देते हैं क्योंकि कोई रसायन शास्त्र के साथ इतिहास भी ले सकता है। वे सबको बी० ए० कहते हैं और विद्यार्थी द्वारा लिए गए विषयों के आधार पर आप समझ सकते हैं कि उसने किस में विशेषज्ञता प्राप्त की है। इस प्रकार इसमें काफी लचीलापन है, जो लगभग पूर्ण है, विद्यार्थियों को दिए गए विषयों पर निर्भर है। इस प्रकार पाठ्यक्रमों में तथा पाठ्यक्रमों के संयोजन में लचीलापन अत्यन्त प्रशंसनीय है।

तीसरा लचीलापन मूल्यांकन प्रणाली में है, जो कि अत्यन्त कठिन है और जिसका कई देशों में अच्छा विकास हुआ है और यहां हमारे देश में अभी विकास किया जाना है। ऐसी मूल्यांकन प्रणाली का विकास करना, जो मुक्त विश्वविद्यालय की हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सके और परीक्षा प्रणाली तथा हमारी शेष प्रणाली, जिसमें औपचारिक प्रणाली सम्मिलित है, के सम्बन्ध में अपनाए जाने वाले दृष्टिकोण के बारे में दिशा निर्देश कर सके, एक चुनौती है।

कुछ व्यापक मुद्दे भी उठाए गए हैं। कई माननीय सदस्यों ने विशिष्ट बातें उठाई हैं। मैं उनमें से कुछ का सरसरी तौर पर जिक्र करूंगा।

डा० गौरी शंकर राजहंस ने गुणात्मक पहलू का जिक्र किया था। जैसा कि अभी कोई कह रहे थे कि इस प्रयोग की सम्पूर्ण सफलता हमारे द्वारा प्रदान की जाने वाली शिक्षा के स्तर पर निर्भर करती है और मैं इससे सहमत हूं। मेरे विचार में हम सब इससे सहमत होंगे कि यह प्रयोग और यह संस्था शेष प्रणाली से प्रतिस्पर्धा के आधार पर ही सफल हो सकती। आखिर अधिकांश युवाओं के लिए महाविद्यालयो और विश्वविद्यालयों में जाना आसान है। परन्तु यह दूर शिक्षा है। पाठ्य सामग्री इतनी अच्छी होनी चाहिए कि इसे प्राप्त करने वाला व्यक्ति तत्काल समझ जाए। निस्संदेह, आमने-सामने शिक्षा देने के कार्यक्रम की भी गुंजाइश है परन्तु अधिकांशत: उसे उपलब्ध कराई गई सामग्री से ही समझना होगा। जहां तक संभव है रेडियो और दूरदर्शन तथा अन्य संचार माध्यमों जैसे दृश्य श्रव्य आदि से भी यथासंभव सहायता ली जाएगी। परन्तु हमें इन तकनीकों का विकास करना है। प्रो० दण्डवते जानते हैं कि अधिकांशत: प्रतिभाशाली अध्यापक कक्षा में प्रभावी ढंग से स्वयं को व्यक्त कर सकते हैं, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वे पत्राचार पाठ्यक्रमों अथवा मुक्त विश्वविद्यालयों के लिए सामग्री भी उतनी ही अच्छी तरह तैयार कर सकें। यह एक नई तकनीक है, एक नया रास्ता है, एक नया तरीका है जिसका विकास किया जाना है और लोगों का पता लगाया जाना है। परन्तु इस प्रणाली को एक लाभ प्राप्त है और पत्राचार पाठ्यक्रमों से वह इसी दृष्टि से श्रेष्ठ है। इस प्रणाली के अन्तर्गत देश से या देश के बाहर से, शिक्षा प्रणाली से या शिक्षा प्रणाली के बाहर से किसी भी व्यक्ति का चयन किया जा सकता है और उसे सामग्री उपलब्ध कराने के लिए कहा जा सकता है। इस प्रकार इसे एक संकाय तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं है जबकि पत्राचार पाठ्यक्रम को एक विश्वविद्यालय विशेष तक अथवा उस विश्वविद्यालय के एक संकाय तक सीमित रहना जरूरी है। पाठ्यक्रम लचीले नहीं होते हैं। समय-सारणी निश्चित होती है। अत: पत्राचार पाठ्यक्रमों तक और विश्वविद्यालय के अन्य हालातों तक सीमित रहना आवश्यक होता है। मुक्त विश्वविद्यालय के मामले में ऐसा नहीं है। मुक्त विश्वविद्यालय कहीं अधिक लचीला है। अधिकांश विश्वविद्यालयों में पत्राचार पाठ्यक्रम अकिंचन बनकर रह गया है। अच्छे अध्यापक पत्राचार पाठ्यक्रमो में नहीं जाते, उन्हें पत्राचार पाठ्यक्रमों में जाना पसन्द नहीं। धीरे-धीरे उनकी विश्वसनीयता समाप्त हो गई है। परन्तु यह कोई असाधारण बात नहीं है। लार्ड पैरी मुझे बता रहे थे, ब्रिटेन में पत्राचार पाठ्यक्रम मे प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियो मे से 95 छोड़ जाते हैं, मुक्त विश्वविद्यालय में प्रवेश लेने वाले 100 विद्यार्थियों में से केवल 25 छोड़ जाते हैं। पत्राचार पाठ्यक्रम में और मुक्त विश्वविद्यालय में बीच में पढ़ाई छोड़ जाने वालों की संख्या में इतना अधिक अन्तर है। अत: हमें पत्राचार पाठ्यक्रमों और मुक्त विश्वविद्यालय के बीच अन्तर और मुक्त विश्वविद्यालय के लाभ को स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए। मुक्त विश्वविद्यालय को बहु-संचार माध्यमों का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त आमने-सामने शिक्षा देने की व्यवस्था है और अध्ययन केन्द्र आदि भी, जिसके बारे में सदस्य जानते हैं, आरम्भ किए जाएंगे। पत्राचार पाठ्यक्रम में यह विशेषता बिल्कुल नहीं है, अर्थात आमने-सामने शिक्षा और इसके द्वारा महाविद्यालयो में उपलब्ध प्रयोगशालाओ का लाभ उठाना। इससे यह सुदृढ़ होती है। आज ब्रिटेन विश्वविद्यालय में यही प्रयोग हो रहा है और थाईलैंड में यह प्रयोग अत्यन्त सफल रहा है। ये दोनों सफल रहे हैं। मैंने स्वयं थाईलैण्ड विश्वविद्यालय को और इसकी तीव्र प्रगति को देखा है।

प्रो० रंगा ने इस तथ्य का उल्लेख किया है कि भारत में मुक्त विश्वविद्यालय प्रणाली में आंध्र प्रदेश अग्रणी रहा है। इस देश का एकमात्र मुक्त विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश मे है। मैं जानता हूं कि दो या तीन और नामों का उल्लेख किया गया था। अन्य मुक्त विश्वविद्यालय भी हैं परन्तु

वास्तव में वे उस प्रकार के विश्वविद्यालय नहीं है जैसा कि आंध्र प्रदेश में है या जैसा कि मैंने अभी परिभाषित किया है। आंध्र प्रदेश का एक और महत्वपूर्ण योगदान वह व्यक्ति एक विख्यात शिक्षाविद् डा० राम रेड्डी है जो इस राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय को स्थापित कर रहा है। उन्होंने अन्य देशों के मुक्त विश्वविद्यालयों का अध्ययन किया है, उन्होंने इस देश में भी इसे स्थापित किया है और यह प्रयोग सफल रहा है। वह अब यहां यह विश्वविद्यालय स्थापित कर रहे हैं। अतः श्री रामचन्द्र रेड्डी अथवा मेरे मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी जब चयन समिति चाहते हैं तो मेरा उनसे यह अनुरोध है कि क्या वास्तव में इस समय उससे कोई सहायता मिलेगी·····

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** (कटवा): प्रथम उपकुलपति केन्द्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जा सकता है परन्तु उसके बाद एक सामान्य नियम के तौर पर एक विधिवत निर्वाचित चयन समिति होनी चाहिए।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त**: मैं पूर्ण गम्भीरता से कह रहा हूं कि क्या इस समय यह उचित नहीं होगा कि हम इसी प्रकार चलने दें और फिर कुछ समय बाद इस विश्वविद्यालय के कार्यकरण की समीक्षा करें क्योंकि यह बिल्कुल नई बात है और देश में इसके बारे में सर्वाधिक जानने वाला व्यक्ति इसे स्थापित कर रहा है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी**: मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त**: इसलिए मुझे अत्यन्त खुशी है कि आपको कोई आपत्ति नहीं है। मैं समझता हूं कि इस समय प्रवर समिति इस काम में मदद नहीं कर सकती।

प्रो० रंगा ने दूसरी बात इस प्रकार के विश्वविद्यालय को देश भर में फैलाने की बात कही थी। मैं पूरी तरह इस विचार का समर्थन करता हूं कि मुक्त विश्वविद्यालय विभिन्न राज्यों में स्थापित हों। कुछ राज्य पहले से ही इस बारे में विचार कर रहे हैं। बिहार और महाराष्ट्र भी ऐसा करने की सोच रहे हैं। निश्चय ही विभिन्न राज्यों में मुक्त विश्वविद्यालयों का होना अच्छी बात होगी।

श्री हरद्वारी लाल ने कई बातें रखीं और उनमें सबसे महत्त्वपूर्ण बात धन के विषय में थी। शिक्षा के क्षेत्र में उनका विस्तृत अनुभव है और जो उन्होंने कहा उससे हम यह समझते हैं कि इतना धन काफी नहीं होगा। ठीक है, हम उनकी चिन्ता को समझते हैं परन्तु हमने शुरुआत की है। मैं इस समय यह सुझाव देकर कि यह राशि काफी नहीं है, मैं वित्त मंत्री पर और अधिक दबाव नहीं डालना चाहूंगा।

**श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह**: धन्यवाद।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त**: मैं समझता हूं कि धन के मामले में केवल यही प्रत्याभूति मेरे पास है कि प्रधान मंत्री शिक्षा में व्यक्तिगत रुचि ले रहे हैं और उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में प्रत्येक उपयोगी परियोजना को सहायता पहुंचायी है। मुझे सभी उपयोगी परियोजनाओं के लिए वित्त मंत्री का व्यक्तिगत समर्थन भी, उनकी अपनी कठिनाइयों के बावजूद, प्राप्त हैं। अतः मैं समझता हूं कि मैं निश्चित होकर सदन को यह बता सकता हूं कि यदि यह विश्वविद्यालय चल निकला तो मैं निःसंदेह अपने साथियों को इसे अधिक सहायता देने के लिए मना सकूंगा, यदि ऐसी जरूरत पड़ी। मैं भी सरकार का एक अंग हूं और जो अन्य कठिनाइयां हैं उन्हें भी अच्छी तरह समझता हूं।

मैं सदन को बताना चाहूंगा कि श्री सत्येन्द्र नारायण सिन्हा द्वारा रखी गई बात पूरी तरह तर्कसंगत है अर्थात् मुक्त विश्वविद्यालय की प्रणाली में प्रारम्भिक निवेश औपचारिक प्रणाली की अपेक्षा अधिक होता है। लेकिन अन्ततः, उसे चलाने की लागत काफी कम होती है। प्रारम्भिक व्यय तब और भी कम हो जाता है यदि पहले से ही विद्यमान सुविधाओं का उपयोग किया जाये। बहुत से सम्माननीय सदस्यों ने देश भर में पहले से ही विद्यमान महाविद्यालयों आदि के इस्तेमाल करने की आवश्यकता की ओर ध्यान आकृष्ट किया। मैं पूरी तरह इस दृष्टिकोण से सहमत हूं और पूरी तरह उसका समर्थन करता हूं। ऐसा करके हम बहुत हद तक प्रारम्भिक व्यय को कम कर सकते हैं और इसलिए हम भरसक प्रयत्न करेंगे कि व्यय कम हो।

कर्मचारियों की संख्या कम होगी परन्तु अंशकालिक अध्यापकों, प्रोफेसरों, रीडरों आदि की संख्या, जोकि अध्ययन केन्द्रों में आयेंगे और जो कक्षाएं लेंगे तथा सारे देश में ऐसी ही अन्य लोगों की संख्या काफी अधिक होगी।

किसी ने यह प्रश्न उठाया था कि आपने हमें यह नहीं बताया कि क्षेत्रीय केन्द्र कहां स्थित होंगे, क्या प्रत्येक राज्य में एक होगा और कुछ अन्य मित्रों ने भी यही प्रश्न उठाया कि अध्ययन केन्द्र कहां स्थित होंगे ? जहां कहीं छात्रों की संख्या अधिक होगी और जहां कहीं आवश्यकता होगी, अध्ययन केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। हम प्रत्येक जिले में स्वतः ही एक केन्द्र नहीं स्थापित कर सकते, इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अतः हमें यह देखना होगा कि कहां लोग अधिक इच्छुक हैं और उन स्थानों पर अध्ययन केन्द्र स्थापित करने होंगे। उसी प्रकार, कुछ निश्चित अध्ययन केन्द्रों के साथ-साथ नियन्त्रक क्षेत्रीय केन्द्र भी तदनुसार स्थापित करने होंगे। मैं समझता हूं, कि इस बात का यही एक विवेकपूर्ण तरीका होगा और मुझे आशा है कि मेरे सम्माननीय मित्र भी इस बात से सहमत होंगे।

श्री हरद्वारी लाल ने समन्वय की जिस आवश्यकता के बारे में कहा। मैं उन्हें आश्वासन दे सकता हूं कि हमारा लक्ष्यपूर्ण समन्वय करना होगा। प्रो० रंगा, श्री जयपाल रेड्डी और अन्य सदस्यों ने व्यापक प्रचार साधनों, विशेषकर दूरदर्शन, आकाशवाणी और शिक्षा फैलाने के अन्य साधनों के प्रभावशाली सहयोग की आवश्यकता की ओर ध्यान दिलाया है।

स्पष्टतः सम्पूर्ण कार्यक्रम के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में से यह एक है और हम इस बात को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करेंगे। मैं श्री रंगा से सहमत हूं कि श्रीमती इन्दिरा गांधी, जिनके साथ इलैक्ट्रोनिक्स के इस विशेष क्षेत्र में कार्य करने का अवसर पहले मुझे मिला है, की दूर-दृष्टि ने हमें आज इस योग्य बनाया कि हम इस विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकें, क्योंकि आकाशवाणी और दूरदर्शन प्रणाली के इस विस्तार ने ही हमें इस योग्य बनाया है कि मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना करने का साहसिक कदम हम उठा सके।

यह सत्य है कि लिखित सामग्री अभी भी रीढ़ का काम करेगी, लेकिन क्रमशः अधिकाधिक रूप से हम 'कैसेटों' आदि का इस्तेमाल करेंगे और जिस सीमा तक हम दूरदर्शन का विस्तार कर सकते हैं उस सीमा तक लम्बी दूरी की इस शिक्षा प्रणाली की प्रभाविकता बढ़ेगी। उसके अतिरिक्त, दूरदर्शन का प्रयोग केवल उन क्षेत्रों में होना चाहिए जहां आकाशवाणी की सेवाएं नहीं पहुंच सकतीं। हमें इन सब पहलुओं पर विचार करना है और तरीके निकालने हैं।

जहां तक प्रोफेसरों इत्यादि की नियुक्ति सम्बन्धी कुलपति की शक्तियों का प्रश्न है वह

प्रबन्धक बोर्ड की पूर्ण स्वीकृति के बाद ही होता है। ऐसा नहीं है कि वह इसको अकेले करता है। इसलिए मैं समझता हूं कि श्री हरद्वारी लाल जी इस मुद्दे को देख लेंगे। उन्होंने इस बात का स्वागत किया है कि विधेयक में चुनावों का परित्याग है, हालांकि अन्य दोस्तों ने, जिन्होंने इस बहस में बोला, जरूर इस बात का खण्डन किया है। वे उनसे (श्री हरद्वारी लाल जी से) सहमत नहीं हुए।

उसके बाद, श्री हरद्वारी लाल जी ने एक महत्वपूर्ण बात कही वह यह कि इस विश्वविद्यालय की सफलता का पहले कुछ वर्षों में ही फैसला हो जायेगा। यदि पहले कुछ वर्षों में ही इसकी विश्वसनीयता स्थापित हो जाती है तो यह विश्वविद्यालय अवश्य सफल होगा। इसलिए, इसे शुरू के कुछ वर्षों में सफल बनाने के लिए हम अपना पूरा प्रयत्न करेंगे।

कई मित्रों ने सुझाव दिया कि हमें औरों के अनुभव का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें विशेषकर इस क्षेत्र में विदेशों में किए जा रहे प्रयोगों का लाभ उठाने में नहीं चूकना चाहिए। आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि नवम्बर में जब मुक्त विश्वविद्यालय की आधारशिला रखने का हमारी योजना है हम एक कर्मशाला आयोजित करने जा रहे हैं और विदेशों से तथा कई जाने-माने विश्वविद्यालयों से विशेषज्ञों को बुलाने जा रहे हैं ताकि हम उनके अनुभव का लाभ उठा सकें। मैं इस विचार से पूर्णतया सहमत हूं और हम पहले से ही इस पर काम कर रहे हैं।

श्री सुधीर राय, श्रीमती गीता मुखर्जी और श्री सैफुद्दीन चौधरी ने लोकतान्त्रिक सिद्धान्त की बात की। पहली बात यह है कि इस विधेयक में, विश्वविद्यालय को प्रारम्भ करने के लिए विभिन्न निकायों के नामांकन का प्रावधान है। उसके बाद प्रबन्धक बोर्ड द्वारा परिनियम तैयार किए जाएंगे और इन परिनियमों के अनुसार ही अन्य निकायों का गठन होगा। ऐसा नहीं है कि यह हर किसी को अन्तिम रूप से नामांकित कर दिया जायेगा। यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए। पहले समूह के निकायों के लिए व्यक्तियों को नामांकित करना ही होगा अन्यथा उन्हें कौन चुनेगा, अतः यह आवश्यक है। इसके बाद क्या होता है यह प्रबन्धक बोर्ड द्वारा निश्चित किया जायेगा। मैं समझता हूं कि इस समय उन्हें यह सलाह देना कि किस तरह चलें, उचित नहीं होगा।

मैं अपने माननीय मित्र श्री सैफुद्दीन चौधरी को बताना चाहूंगा, जो यह कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद राज्य विधानमण्डल द्वारा कलकत्ता विश्वविद्यालय विधेयक पारित किया गया और उन्होंने सारे छः विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालय निकायों को समाप्त कर दिया था। बाद में वे इन विधेयकों को लाये और आज वह इन विधेयकों को प्रमाण के रूप में हवाला दे रहे हैं। एक कलकत्ता विश्वविद्यालय है जो पश्चिम बंगाल विधानमंडल के अधिनियम के अनुसार कार्य कर रही है और उसी सांस में वे यह कहते हैं कि विश्व भारती विधेयक एक गलत विधेयक है और वह यह भूल जाते हैं कि विश्व भारती विधेयक संसद द्वारा पारित किया गया था।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : यह एक बिलकुल अलग मामला है। लेकिन इसमें जरा भी लोकतन्त्र नहीं है.....

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : यदि विधान सभा के निर्णय के पीछे एक लोकतन्त्रीय स्वीकृति है तो निश्चय ही संसदीय निर्णय के पीछे भी एक लोकतन्त्रीय स्वीकृति है।

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : लोकतन्त्र की स्वीकृति के बल पर ही आप बहुमत में हैं। लेकिन आप को ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो लोकतन्त्र के लिए ही हानिकारक हो।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो देश के लिए हानिकारक हो। हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे जो विश्वविद्यालय के लिए हानिकारक हो।

**श्री सत्यगोपाल मिश्र** : यहीं दो सरकारों के बीच—पश्चिम बंगाल की सरकार और केन्द्र की सरकार—के बीच अन्तर है।

(व्यवधान)

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मेरे मित्र कहते हैं कि इन दो सरकारों के बीच अन्तर है। वह लोकतन्त्र की बात करते हैं और वह जंजीरों में होगी। यदि वे दिल्ली आएं और यहां शासन करना शुरू करें तो उन्हें पता चलेगा कि अब तक यहां लोकतन्त्र है और हम जंजीरों में बंधे नहीं हैं। (व्यवधान) मि० चौधरी, आप कहते हैं कि लोकतन्त्र बन्धन में है। खैर, आप जवान हैं और आपको अभी सीखना है।

श्रीमान, अब उसके बाद उन भाषाओं का उल्लेख किया गया जिनका मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा प्रयोग किया जायेगा। हम अभी शुरुआत ही कर रहे हैं और स्पष्ट है कि शुरू में हम केवल कुछ ही भाषाओं का प्रयोग करेंगे। शुरू में हम हिन्दी और अंग्रेजी का प्रयोग करेंगे और जैसे-जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम देखेंगे कि हम और क्या कर सकते हैं। यही कारण है कि विधेयक में पढ़ाई के माध्यम के विषय में कोई उल्लेख नहीं है। यह बिल्कुल एक व्यावहारिक चीज है। हम किसी भी भाषा को अलग रखना नहीं चाहते, उन्हें विकसित करने तथा विभिन्न भाषाओं में अनुवाद करने में समय लगेगा। अतः व्यावहारिक कारणों से ही इस मुद्दे का कोई उल्लेख नहीं है।

इसके बाद, श्री कुलन्दइवेलु द्वारा कही बात का मैं संक्षेप में उल्लेख करूंगा। उन्होंने कुलाध्यक्ष के बारे में कहा, जिन्हें कि परिभाषा में शामिल नहीं किया गया था। लेकिन मैं यह बताना चाहूंगा कि यह विधेयक के खण्ड 8(1) में शामिल है। इसलिए उनके द्वारा की गई आलोचना भी कुछ मेरी समझ में नहीं आती। एक और महत्वपूर्ण मुद्दा, जिसको मैंने अंशतः पहले ही निपटा दिया है श्रीमती गुहा द्वारा उठाया गया है। उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी को मुक्त विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ाया जा सकता। जैसाकि मैं पहले ही समझा चुका हूं, हम देश भर के महाविद्यालयों की प्रयोगशालाओं का उपयोग करेंगे। मेरी प्रौद्योगिकी की पृष्ठभूमि रही है और मैंने यह अनुभव किया है कि लम्बी दूरी से पढ़ाने की कुछ अपनी सीमाएं हैं। उन क्षेत्रों को निश्चित करते समय इस बात को ध्यान में रखना होगा, जहां हम मुक्त विश्वविद्यालय का उपयोग कर सकते हैं। किसी सन्देह के लिए कोई स्थान नहीं है। इस बारे में हम बहुत सतर्क रहेंगे। मैं समझता हूं कि मैंने लगभग सारे मुद्दों पर विचार कर लिया है।

श्रीमती गीता मुखर्जी ने भी कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे उठाये। मैं केवल यही कह सकता हूं कि उनके सामान्य दृष्टिकोण को देखते हुए मैं उनसे तहे-दिल से समर्थन की आशा रखता हूं। मैं उनसे इस प्रकार के समर्थन की आशा करता, क्योंकि हमारी कोशिश है ग्रामीण लोगों, दूर-दराज के क्षेत्रों के लोगों तथा उन लोगों की मदद करना है जिनको ज्यादातर आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा का लाभ नहीं मिल पाया है, और क्योंकि उन्होंने कोई कार्य करना प्रारम्भ कर दिया है और ऐसी ही और भी बातें हैं जिनके कारण उन्हें शिक्षा का अवसर नहीं मिला। मैं जानता हूं कि दिल ही दिल में वह इस कदम की सफलता का स्वागत करती होंगी।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : जहां तक सामान्य विचार की बात है, मुझे कोई आपत्ति नहीं। मैं तो उस बड़े धरातल को लेकर चिन्तित हूं जो आपने लिया है। इस विश्वविद्यालय का उद्देश्य यह लगता है कि वास्तव में यह इन विश्वविद्यालयों द्वारा तैयार किए जा रहे हर क्षेत्र में आपका दखल है, यदि ऐसा है, तो हमें साफ-साफ बताइए।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मेरा अपना निदान यह है कि आपका दिल तो हमारे साथ है, लेकिन आप गलत जगह पर बैठी हैं।

**श्रीमती गीता मुखर्जी** : मेरा दिल सही बात की ओर है और मैं सही स्थान पर बैठी हूं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : यह बहुत खतरनाक है।

[हिन्दी]

**श्री बाल कवि बैरागी** (मन्दसौर) : सभापति जी, गीता चाहे कहीं भी बैठे, रहेगी कृष्ण की ही, इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें।

[अनुवाद]

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : प्रो० जैकब ने कुलाध्यक्ष की परिनियम सम्बन्धी निर्णय लेने की शक्ति के विषय में कहा, उन्होंने मुझे इस विषय में चेतावनी दी है। जब विधेयक राज्य सभा में लाया गया तो संसद के सामने सभी परिनियमों को रखने के लिए इसमें कोई खण्ड नहीं था। मैंने इस आशय का एक संशोधन प्रस्तुत किया कि सारे परिनियम और अध्यादेश संसद के सामने रखे जायें। मैं समझता हूं कि संसद को इन सबके बारे में मालूम होना चाहिए। जहां प्रत्यायोजित विधान की बात आती है, कोई कारण नहीं कि संसद को ठीक-ठीक मालूम न हो कि इस पर कैसा अमल किया गया है। अतः कोई खतरा नहीं है, यदि संसद की पीठ पीछे कुछ किया जाता है तो वह यहां आयेगा और यह देखना आपका काम है कि यह कैसे कार्य कर रहा है।

यह एक नया प्रयोग है और सभा ने इसके प्रति जो उत्साह दिखाया है, उससे मैं बहुत आशान्वित हुआ हूं।

**प्रो० मधु दण्डवते** : क्या आपके समाप्त करने से पूर्ण मैं एक स्पष्टीकरण पूछ सकता हूं। पहली बात तो यह है कि यह एक स्वागत योग्य कदम है लेकिन चूंकि औपचारिक एवं अनौपचारिक शिक्षा के बहुत से अभिकरण होंगे, इसलिए इस सुझाव पर विचार करेंगे कि एक समन्वय समिति बनाई जाए या उस समन्वय समिति में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का भी एक प्रतिनिधि शामिल किया जाए ताकि वे भी इस प्रक्रिया में मदद कर सकें ?

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : समन्वय की बात वैध है। मेरे विचार में एक प्रकार का समन्वय रखना जरूरी होगा, परन्तु एक और पहलू है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने पिछले वर्षों में अपने रवैये, दृष्टिकोण, परम्पराएं तथा प्रथाएं विकसित की हैं और मैं समझता हूं कि नये विश्वविद्यालय के बनने के समय संभवतः हमें बिना किसी औपचारिक बन्धन के कुछ समय तक विकसित होने देना चाहिए। यह एक मुक्त विश्वविद्यालय है जिसे लचीला होना होगा तथा इसे अनेक क्षेत्रों में नये रिकार्ड कायम करने होंगे जोकि इस देश में माने हुए अनेक शिक्षा शास्त्रियों के अनुभवों के विपरीत होंगे। अतः हमें कुछ हद तक इसे स्वतन्त्रता प्रदान करनी होगी, जोकि एक औपचारिक समन्वय निकाय की अपेक्षा बेहतर प्रतीत होती है न सिर्फ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के साथ अपितु अन्य

उच्च शिक्षा संस्थाओं के साथ भी विशेष रूप से उन संस्थाओं के साथ जिनमें पत्राचार पाठ्यक्रमों की व्यवस्था है, निस्सन्देह समन्वय रखना आवश्यक है। समन्वय रखना आवश्यक होगा, परन्तु इस समय मैं इसे औपचारिक रूप में रखूंगा। बाद में हम देखेंगे कि क्या करना चाहिए।

मैं एक बार फिर सदस्यों द्वारा इसका समर्थन किए जाने के लिए उनका धन्यवाद करता हूं। हमें बहुत-सी प्रारम्भिक कठिनाइयां होंगी और मैं सदन से आशा करता हूं कि वह इस विशेष विधेयक में सक्रिय दिलचस्पी ले, क्योंकि इसका इस देश की शिक्षा प्रणाली पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अतः अगर वे समझें कि कुछ परिवर्तन किए जाने हैं या जहां उन्हें लगे कि निदेश ठीक नहीं है तो मैं किसी भी समय सदन के दोनों पक्षों के सदस्यों के सुझावों का स्वागत करूंगा।

**सभापति महोदय** : मैं श्री सैफुद्दीन चौधरी द्वारा विचार करने के प्रस्ताव के सम्बन्ध में पेश किए गए संशोधन संख्या 86 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 86 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालय और दूर-शिक्षा पद्धति के प्रारम्भ और संवर्धन के लिए तथा ऐसी पद्धतियों में स्तरमानों के समन्वय और अवधारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाये।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय** : अब सभा विधेयक पर खण्डवार विचार करेगी।

**खण्ड 2—(परिभाषाएं)**

**सभापति महोदय** : श्री डी० बी० पाटिल के दो संशोधन संख्या 9 तथा 10 हैं।

**श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा)** : मैं प्रस्ताव करता हूं—

पृष्ठ 2,—

पृष्ठ 24 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"और ऐसे प्रादेशिक केन्द्रों के क्षेत्रों की परिभाषा तथा सीमांकन प्रबन्ध बोर्डों द्वारा किया जायेगा।" (9)

पृष्ठ 2, पंक्ति 35-36,—

"ऐसी सलाह देने" के स्थान पर "ऐसा मार्ग दर्शन करने" प्रतिस्थापित किया जाये। (10)

महोदय, प्रादेशिक केन्द्र को परिभाषित करने पर एक माननीय सदस्य ने सन्देह व्यक्त किया कि क्या इन प्रादेशिक केन्द्रों को पूरे देश में खोला जाएगा अथवा नहीं। मेरा संशोधन यह है कि प्रादेशिक केन्द्रों की परिभाषा तथा सीमांकन प्रबन्ध बोर्डों द्वारा किया जाएगा।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : महोदय, इस बात का उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं। संशोधन संख्या 9 के बारे में मैं बता चुका हूं कि अध्ययन केन्द्र और प्रादेशिक केन्द्र किस प्रकार से बनेंगे। संशोधन संख्या 10 में 'मार्गदर्शन' समाविष्ट है तथा मैं नहीं जानता कि वे "ऐसा मार्गदर्शन करने" शब्द को क्यों लाना चाहते हैं। "सलाह" में यह बात आ गई है।

**सभापति महोदय** : मैं श्री डी० बी० पाटिल द्वारा खण्ड 2 में पेश किए गए संशोधन संख्या 9 तथा 10 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 9 तथा 10 सभा में मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खण्ड 3—(विश्वविद्यालय की स्थापना तथा निगमन)**

**श्री डी० बी० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

**(11)

पृष्ठ 3,—

पंक्ति 15 के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"या मान्यता दे सकेगा।" (12)

**श्री डी० बी० पाटिल** :

पृष्ठ 3, पंक्ति 15,—

"रख सकेगा" शब्दों के पश्चात्,

"अथवा महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए सम्बद्ध कर सकेगा" शब्द अन्तःस्थापित किया जाये। (68)

पृष्ठ 3, पंक्ति 13,—

"स्थानों पर" के पश्चात्,

"अथवा भारत से बाहर, जहां से किसी महाविद्यालय को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए सम्बद्ध किया जाता है" शब्द अन्तःस्थापित किये जाएं। (69)

खण्ड 3, उपखण्ड (2) में यह उल्लिखित है कि कालेजों की स्थापना बहुत से राज्यों में की जाएगी। लेकिन इसमें महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार देने के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं है। मेरा संशोधन इसी सम्बन्ध में है और अन्य संशोधन इसी के परिणामस्वरूप लाए गए हैं।

**यह संशोधन विधेयक के हिन्दी पाठ पर लागू नहीं होता।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : खण्ड 3 विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालयों की स्थापना के लिए स्थान निश्चित करने के बारे में है और यह मान्यता के बारे में नहीं है जैसा कि खण्ड 5 में उल्लिखित है।

**सभापति महोदय** : मैं श्री बी० डी० पाटिल द्वारा पेश किए गए खण्ड 3 से सम्बन्धित संशोधन संख्या 11, 12, 68 और 69 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 11, 12, 68 और 69 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 3 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 3 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खण्ड 4—(विश्वविद्यालय के उद्देश्य)**

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** (कुरनूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 25,—

"के लिए" **शब्दों के पश्चात्**, निम्नलिखित शब्द **अन्तःस्थापित किए जाएं** :—

"विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए" (1)

**श्री डी० बी० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3 पंक्ति 25,—

"के लिए" **के पश्चात्**, निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये** :—

"विशेषकर सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा दूरस्थ, ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लाभ के लिए" (13)

**डा० सुधीर राय** (बर्दवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 3, पंक्ति 27 और 28,—

"वृद्धि करना", **शब्दों के पश्चात्** निम्नलिखित **अन्तःस्थापित किया जाये** :—

"विशेषकर उन विद्यार्थियों के लाभ के लिए, जो समाज के कमजोर वर्गों से सम्बन्धित हैं, और जो देश के दूरस्थ क्षेत्रों में रहते हैं।" (81)

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : मेरा संशोधन बहुत सीदा-सादा-सा है। इसका उद्देश्य माननीय मंत्री द्वारा उल्लिखित उद्देश्य को ही स्पष्ट करना है। मैंने केवल यही उल्लेख किया है कि "के लिए" शब्दों के पश्चात, "विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए" शब्द अन्तास्थापित किए जाएं क्योंकि यही लोग बहुत समय से विश्वविद्यालय शिक्षा के अवसर से वंचित रहे हैं।

अब पहली बार हम सस्ती और बेहतर विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा देने की व्यवस्था करने का प्रयास कर रहे हैं। इसलिए इस विधेयक में यह बात स्पष्ट कर दी जानी चाहिए कि यह विधेयक ग्रामीण जनता को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसलिए हमने कहा है कि "के लिए" शब्दों के पश्चात "विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए" शब्द अन्तःस्थापित किया जाए मेरे विचार से मंत्री महोदय को इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

**श्री डी० बी० पाटिल** (कोलाबा) : मेरा संशोधन विश्वविद्यालय के उद्देश्य के सम्बन्ध में है। मैंने उल्लेख किया है कि "के लिए" के पश्चात "विशेषकर सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा दूरस्थ ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लाभ "के लिए" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं। मैंने एकदम स्पष्ट कर दिया है कि इसके अन्तर्गत जो जनसंख्या शामिल की जाएगी वह सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ी हुई तथा दूरस्थ ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली होनी चाहिए। इस पर ध्यान दिया जाना चाहिए।

**डा० सुधीर राय** (बर्दवान) : महोदय, मुक्त विश्वविद्यालय का लाभ देश के दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों तथा समाज के कमजोर वर्गों को मिलना चाहिए।

**सभापति महोदय** : माननीय सदस्य श्री कृष्ण चन्द्र पन्त महोदय, पहली अनुसूची में यहां उल्लिखित उद्देश्यों का विस्तार से वर्णन है और जब हम ऐसे वर्गों की बात करते हैं जो इस लाभ से वंचित रहे हैं, तो उनमें मेरे माननीय बंधु द्वारा उल्लिखित दूर-दराज और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग शामिल हो ही जाते हैं।

**सभापति महोदय** : अब मैं सभी संशोधनों को सदन में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 1, 13, 81 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 4 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 4 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 5—(विश्वविद्यालय की शक्तियां)**

**श्री डी० बी० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 22 के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"विश्वविद्यालय की स्थापना से तीन वर्षों की समय-सीमा के भीतर प्रबन्ध बोर्ड द्वारा यथा परिभाषित प्रत्येक क्षेत्र में और ऐसे प्रादेशिक केन्द्र स्थापित किए जायेंगे तथा बनाए रखे जायेंगे।" (14)

पृष्ठ 4,—

पंक्ति 24 के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"और इस प्रकार से स्थापित किए गए, बनाए रखे गए या मान्यता दिए गए ऐसे अध्ययन केन्द्रों की संख्या प्रत्येक प्रादेशिक केन्द्र में यथासंभव समान होगी।" (15)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 17 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु ऐसी संस्था की मान्यता तब तक वापस नहीं ली जाएगी, जब तक कि संबंधित संस्था को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाता है।" (16)

**डा० सुधीर राय** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5, पंक्ति 35,—

"कुलाध्यक्ष" के स्थान पर "प्रबन्ध बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जाए। (82)

**श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 39 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(xxix) विश्वविद्यालय का एक प्रकाशन बोर्ड गठित करना, जो अनुसंधान तथा शिक्षा से सम्बन्धित आवश्यक पुस्तकें, सावधि पत्रिकायें और अन्य दस्तावेज समय-समय पर प्रकाशित करे, जिनका पूर्ण प्रतिलिप्याधिकार विश्वविद्यालय के पास हो।" (88)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 39 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :

"(xxix) वयस्कों की, विशेषकर 15 से 35 वर्ष तक की आयु के लोगों की, निरक्षरता को समाप्त करने के काम में अधिकाधिक विद्यार्थियों और अध्यापकों को लगाने की दृष्टि से सुनियोजित वयस्क शिक्षा कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक दक्षतापूर्ण तंत्र की स्थापना करना।" (89)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 39 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(xxix) विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में उपयोग के लिए बढ़िया किस्म की पुस्तकें, विनिबन्ध तथा सन्दर्भ सामग्री तैयार करने हेतु विख्यात शिक्षाविदों की वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा अनुसन्धान और अध्ययन सम्बन्धी पुस्तकें, सावधि पत्रिकायें और अन्य दस्तावेज प्रकाशित करवाने की व्यवस्था करना तथा ऐसे प्रकाशनों का प्रतिलिप्याधिकार अपने पास रखना।" (90)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 39 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(xxix) पुरातत्व-विज्ञान के विकास तथा संग्रहालय-विज्ञान के शिक्षण हेतु कारगर कदम उठाना।" (91)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 39 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(xxix) राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम आयोजित करना और राष्ट्रीय एकता से सम्बन्धित वास्तविक समस्याओं को उजागर करना।" (92)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 39 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(xxix) मानविकी और समाज शास्त्र के अनुसन्धान तथा देश के सामाजिक और आर्थिक जीवन के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण विषयों के अध्ययन को बढ़ावा देना।" (93)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 39 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(xxix) टैगोर, गांधी, नेहरू और इन्दिरा गांधी के दर्शन शास्त्रों के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना।" (94)

पृष्ठ 5,—

पंक्ति 39 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(xxix) दीर्घकालिक सहयोग सम्पर्क स्थापित करने, संयुक्त अनुसंधान परियोजनाओं, संयुक्त प्रकाशनों, शैक्षिक/व्यवसायिक/प्रशासनिक कर्मचारियों के आदान-प्रदान के कार्यक्रमों को बढ़ावा देने तथा विज्ञान, इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी के क्षेत्रों में पारस्परिक सहयोग पर आधारित परियोजनायें शुरू करने के लिए परस्पर निर्धारित क्षेत्रों में, अन्य देशों के, विशेषकर गुट-निरपेक्ष देशों के विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ सहयोग के कार्यक्रम शुरू करना।" (95)

बड़ी सीधी-सी बात है। विश्वविद्यालय की शक्तियों में एक इस महत्वपूर्ण पहलू को छोड़कर हर बात का उल्लेख है कि विश्वविद्यालयों के दस्तावेज इस पर आधारित होंगे। छात्र अध्ययन के मामले में इससे अर्थात विश्वविद्यालय के प्रकाशन बोर्ड से पत्र व्यवहार करेंगे और प्रकाशित पुस्तकें तथा पत्रिकायें तथा अनुसन्धान कार्यों के लिए अन्य जरूरी दस्तावेजों का प्रकाशन किया जाएगा। साथ ही साथ मन्त्री जी ने जिस अवधारणा को स्पष्ट किया है वह विधेयक में देखने को नहीं मिलती। इसलिए मैंने कहा कि आप योजनाबद्ध प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम लागू करने के लिए कुशल सरकारी तन्त्र की स्थापना करें ताकि प्रौढ़ अशिक्षा, खासकर 15 से 35 वर्ष की आयु के बीच के लोगों में, अशिक्षा को समाप्त करने के लिए अधिक से अधिक विद्यार्थी और शिक्षक इसमें भाग ले सकें। यह शिक्षा ग्रामीण क्षेत्रों की जरूरतों को पूरा करेगी। सर्वश्रेष्ठ शिक्षाविदों को उच्च स्तर की पुस्तकें, मोनोग्राफ तैयार करने तथा विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में काम आने वाली संदर्भ सामग्री तैयार करने तथा पुस्तकों और पत्रिकाओं के प्रकाशन की व्यवस्था के लिए वित्तीय सहायता दी जाए तथा पुरातत्व विज्ञान के विकास और संगीत शास्त्र के शिक्षण और अनुसन्धान के लिए कारगर उपाय किए जाएं। देश में पुरातत्व सम्बन्धी खोज होने पर इंदिरा जी ने वहां की अपनी यात्राओं के दौरान इन्हीं दो पहलुओं पर अर्थात पुरातत्व और संगीत तथा संगीत-शास्त्र पर हमेशा

जोर दिया था। इस विधेयक में इसका भी कहीं उल्लेख नहीं मिला। मैं आशा करता हूं कि यदि इस विधेयक में संशोधन द्वारा या उसके उपबन्धों में संशोधन सम्भव हो तो इसे विधेयक में शामिल किया जाए। टैगोर अध्ययन, गांधी अध्ययन, नेहरू अध्ययन तथा इंदिरा गांधी अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाना भी बहुत महत्वपूर्ण है। यदि ये नहीं हैं तो यह बेकार है।

इसके बाद जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय है। यदि आप वहां जाएं तो वहां सब कुछ पाएंगे लेकिन जवाहर लाल नेहरू से सम्बन्धित कुछ नहीं पायेंगे। अतः इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय को भी उन मूल उद्देश्यों को लेना चाहिए जिनके लिए वह संघर्ष करती रहीं। जब तक इन स्कूलों को और इन अध्ययनों को इस विश्वविद्यालय का अनिवार्य कार्य नहीं बनाया जाता तब तक "इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय" का कोई अर्थ नहीं होगा।

अन्त में, एक और महत्वपूर्ण पहलू, अन्तर्राष्ट्रीय सौहार्द, विश्व-शांति और गुट-निरपेक्षता के बारे में, जिसके लिए वह संघर्ष करती रहीं, इस प्रक्रिया के द्वारा गुट-निरपेक्ष देशों के विद्यार्थी शोध कार्य हेतु इस मुक्त विश्वविद्यालय से सम्पर्क स्थापित कर सकते हैं।

इसके बाद मैं खेलकूद तथा शारीरिक शिक्षा अध्ययन स्कूल की आवश्यकता पर बल दूंगा। पूरे देश में, आजादी के बाद से देश के किसी भाग में किसी विश्वविद्यालय में शारीरिक शिक्षा का स्कूल नहीं है। मैं नहीं जानता कि इस देश में खेलकूद स्कूल की विचारधारा को अच्छा क्यों नहीं माना जाता। स्वयं इन्दिरा गांधी ने इस देश के अधिकांश खेलकूद परिसरों का और जवाहर लाल नेहरू अन्तर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट का, जिसने विश्व को साथ-साथ ला खड़ा किया है, उद्घाटन किया था। अतः मैं महसूस करता हूं कि इस खण्ड को भी शामिल किया जाना चाहिए।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : संशोधन संख्या 88 के बारे में स्वत्वाधिकार स्वतः है। मेरे मित्र 5(1) (xi) देख सकते हैं जो यह बताता है :

> "शिक्षा सामग्री जिसके अन्तर्गत फिल्में, कैसेट, टेप, वीडियो कैसेट और अन्य मृदु सामग्री है, तैयार करने के लिए व्यवस्था करना।"

अतः यदि आवश्यक समझा गया तो प्रशासन बोर्ड की स्थापना को इसमें शामिल किया जाएगा। समर्थकारी खंड पहले से ही मौजूद है।

जहां तक संशोधन संख्या 89 का सम्बन्ध है यह प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम से सम्बन्धित है। ये मुक्त विश्वविद्यालय के चार्टर में मुख्य रूप से सम्मिलित नहीं हैं बल्कि ये विस्तार कार्यक्रम के अंग हैं जिनकी व्यवस्था की गई है। अतः इसे भी पहले से ही शामिल किया गया है।

जहां तक संशोधन संख्या 90 का सम्बन्ध है, इस संशोधन में उल्लिखित वित्तीय सहायता प्रदान करने का कार्य मंत्रालय, आई० सी० एस० एम० आर०, यू० जी० सी० या इस प्रकार के निकाय का है। यह कार्य इस विश्वविद्यालय का नहीं है।

जहां तक संशोधन संख्या 91 का सम्बन्ध है, जो पुरातत्व के विकास और उसकी शिक्षा तथा उसमें शोध के बारे में है, इस विधेयक में इस प्रकार के किसी विषय का उल्लेख नहीं किया गया है, इस पर विचार किया जा सकता है। परन्तु मैं नहीं समझता कि हम इतने सारे विषयों में से केवल दो विषयों का उल्लेख कर सकते हैं।

जहां तक संशोधन संख्या 92 का संबंध है, यह अनुसूची I में शामिल है। यह अच्छा विचरा है लेकिन इसे पहले से ही अनुसूची I में शामिल किया गया है।

जहां तक संशोधन संख्या 93 का सम्बन्ध है, मैं समझता हूं कि यह किसी हद तक प्रतिबन्धात्मक है, क्योंकि इसमें केवल मानविकी और सामाजिक विज्ञान का उल्लेख है। केवल इन दोनों क्षेत्रों में अनुसंधान करने की आज्ञा क्यों दी जानी चाहिए। अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं दी जानी चाहिए, प्रौद्योगिकी में क्यों नहीं दी जानी चाहिए आदि-आदि ? अतः यह प्रतिबन्धात्मक संशोधन है।

जहां तक संशोधन संख्या 94 का सम्बन्ध है यह 'शक्ति' खण्ड में सही नहीं बैठता है।

जहां तक संशोधन संख्या 95 का सम्बन्ध है इस तरह का कार्यक्रम विश्वविद्यालय आरम्भ कर सकता है यदि वह इसे ठीक समझता है; और इस सुझाव को ध्यान में रखा जाएगा।

**सभापति महोदय :** मैं खण्ड 5 के सभी संशोधनों को एक साथ मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 14, 15, 16, 82, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 और 95 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए।**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड 5 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 5 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 6—अधिकारिता**

**सभापति महोदय :** श्री डी० बी० पाटिल, क्या आप प्रस्ताव कर रहे हैं।

**श्री डी० बी० पाटिल :** जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 1

"भारत पर" के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"और भारत से बाहर स्थित महाविद्यालय के ऊपर भी होगा, जिसे विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए सम्बद्ध किया जाए।" (17)

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** क्या मैं श्री पाटिल को स्पष्ट कर सकता हूं कि जो उद्देश्य उनके मन में है उसे खंड 5 के प्रावधान में पूरा किया गया है जिसके द्वारा विश्वविद्यालय देश के बाहर महाविद्यालयों को सम्बद्ध कर सकता है। यह पहले ही मौजूद है।

**सभापति महोदय :** मैं श्री डी० बी पाटिल के संशोधन को सभा के मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 17 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड 6 विधेयक का अंग बना।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 6 विधेयक में जोड़ दिया गया।

**खंड 7—विश्वविद्यालय का सभी वर्गों, जातियों और पंथों के लिए खुला होना**

**सभापति महोदय** : अब श्री अय्यप्पु रेड्डी।

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** (कुरनूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्तियां 10 और 11

"या समाज के कमजोर वर्गों, शब्दों का लोप किया जाए।" (2)

**सभापति महोदय** : अब श्री डी० बी० पाटिल।

**श्री डी० बी० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 3,—

"वर्ग के हों" के पश्चात् निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए :—

"अथवा किसी ऐसे राष्ट्र के व्यक्ति हों, जहां के किसी महाविद्यालय विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों के लिए सम्बद्ध किया गया है।" (18)

पृष्ठ 6, पंक्ति 11,—

अनुसूचित जनजाति के पश्चात् "या पिछड़े वर्गों" अन्त:स्थापित किया जाए। (19)

**सभापति महोदय** : संशोधन संख्या 98 के बारे में श्री मूल चन्द डागा उपस्थित नहीं हैं। अब श्री अय्यप्पु रेड्डी।

**6.00 म० प०**

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : खंड 7(2) में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है वे इस प्रकार हैं :

"उपधारा (1) की कोई बात विश्वविद्यालय को स्त्रियों या समाज के कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों या व्यक्तियों की नियुक्ति या प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।"

यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि "समाज के कमजोर वर्गों" शब्दों का प्रयोग पहली बार किया गया है। अब, मैं सभा का ध्यान संविधान के अनुच्छेद 29(2) की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जो इस प्रकार है :

"राज्य द्वारा घोषित अथवा राज्य निधि से सहायता पाने वाली किसी शिक्षा-संस्था में प्रवेश से किसी भी नागरिक को केवल धर्म, मूलवंश, जाति, भाषा अथवा इनमें से किसी के आधार पर वंचित न रखा जाएगा"

संविधान के अनुच्छेद 15(4) में यह कहा गया है :

"इस अनुच्छेद की या अनुच्छेद 29 के खंड (2) की किसी बात से राज्य को सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए किन्हीं नागरिक वर्गों की उन्नति के लिए या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित आदिम जातियों के लिए कोई विशेष उपबन्ध करने में बाधा न होगी।"

संविधान में "सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े हुए नागरिक" शब्दों का प्रयोग किया गया है। उच्चतम न्यायालय द्वारा कई निर्णयों में इस शब्दावली की व्याख्या की गई है। इसकी कानूनी व्याख्या और अर्थ है। अब इस धारा में "कमजोर वर्गों" शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। उसकी व्याख्या नहीं की गई है और उसका दुरुपयोग किए जाने की सम्भावना है या इसे रद्द किए जाने की सम्भावना है क्योंकि इसकी कोई संवैधानिक व्याख्या नहीं है। यह विधेयक पूरे भारत में लागू होगा। केवल संवैधानिक शब्द "सामाजिक और शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े वर्गों" शब्दों का प्रयोग करना बेहतर है। क्योंकि भारत में कमजोर वर्ग का अर्थ भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न है। कर्नाटक में कुछ लोगों को कमजोर वर्गों का समझा जाता है जबकि आंध्र प्रदेश में उन्हें कमजोर वर्ग का नहीं समझा जाता है।

**प्रो० मधु दंडवते** (राजापुर) : वहां कांग्रेस के लोग कमजोर हैं।

**संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद)** : क्या मैं एक मिनट के लिए सभा की कार्रवाई के बीच में बोल सकता हूं? चूंकि कार्य सूची में बहुत सी मदें हैं जिन्हें आज पूरा करना है इसलिए मैं सुझाव देता हूं कि सभा का समय 1½ घंटा बढ़ा दिया जाए।

**सभापति महोदय** : क्या सभा बचे हुए कार्य को पूरा करने के लिए सभा का समय 1½ घंटा बढ़ाने के लिए सहमत है।

**कई माननीय सदस्य** : जी, हां।

**सभापति महोदय** : अतः सभा का समय 1½ घंटा बढ़ाया जाता है अर्थात सभा 7.30 बजे तक बैठेगी।

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : मैं इस विचार का विरोध नहीं कर रहा हूं। जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वे कानूनी दृष्टि से सही नहीं हैं। बल्कि मैं माननीय मंत्री से अपने संशोधन को स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं और यदि आवश्यक हो तो सामाजिक तथा शिक्षात्मक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा सांविधिक उपबन्ध करके की जा सकती है।

**श्री डी० बी० पाटिल** : खंड 7(2) इस प्रकार है :

"उपधारा (1) की कोई बात विश्वविद्यालय को स्त्रियों या समाज के कमजोर वर्गों और विशिष्टतया अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों या व्यक्तियों की नियुक्ति या प्रवेश के लिए विशेष उपबन्ध करने से निवारित करने वाली नहीं समझी जाएगी।"

यहां 'और विशिष्टतया' महत्वपूर्ण हैं। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को यहां शामिल किया गया है क्योंकि जहां तक अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति का सम्बन्ध है, उन्हें संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है। संवैधान के अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत अन्य पिछड़े वर्गों को भी संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है लेकिन वे संरक्षण अभी तक अन्य पिछड़े वर्गों को नहीं दिए गए हैं। अनुसूचित

जातियां और अनुसूचित जनजातियां तथा अन्य पिछड़े वर्ग सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं क्योंकि हिन्दू धर्म के अन्तर्गत उन्हें ज्ञान प्राप्त करने की मनाही थी, केवल उसी कारण वे सामाजिक और शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को विशेष रूप से अनुच्छेद 340 के अन्तर्गत शामिल किया है, मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे संशोधन को स्वीकार कर लें।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : अनुच्छेद 46 में स्पष्ट रूप से कमजोर वर्गों का उल्लेख किया गया है। श्री अय्यप्पु रेड्डी ने संविधान में अर्थात नीति निदेशक सिद्धांतों में उल्लिखित अन्य वर्गों का भी उल्लेख किया है और मैं समझता हूं कि यह नीति निदेशक सिद्धांतों में सम्मिलित शब्दावली के साथ ठीक नहीं होगा जिसे हम अमल में लाने की कोशिश कर रहे हैं। अतः जहां तक आम सहमति का सम्बन्ध है, हमारे यहां मुक्त विश्वविद्यालय है जो सभी की जरूरतों को पूरा करता है। मैं नहीं जानता कि कोई इतने संकीर्ण ढंग से क्यों सोचता है। बात सिर्फ इतनी है कि कमजोर वर्गों के लिए संविधान में प्रावधान है और उसे यहां भी शामिल किया गया है तथा यह सभी के लिए है।

**सभापति महोदय** : अब मैं खण्ड 7 के सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन 2, 18 और 19 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 7 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 7 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 8**—(कुलाध्यक्ष)

**सभापति महोदय** : अब हम खंड 8 पर आते हैं। श्री डी० बी० पाटिल के तीन संशोधन—20, 21 तथा 70 हैं।

**श्री डी० बी० पाटिल** (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 6, पंक्ति 20,—

"और" के स्थान पर, "या" प्रतिस्थापित किया जाए। (20)

पृष्ठ 6, पंक्ति 24=25,—

"या ऐसी अन्य अवधि के भीतर, जो कुलाध्यक्ष अवधारित करे" शब्दों का लोप किया जाए। (21)

पृष्ठ 7, पंक्ति 3,—

"आदेश द्वारा" शब्दों के पश्चात्, "उसके कारण बताते हुए" शब्द अंतःस्थापित किए जाएं। (70)

**सभापति महोदय** : अब मैं खंड 8 के सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 20, 21 तथा 70 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 8 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 8 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 9 विधेयक में जोड़ दिया गया

खण्ड 10

सभापति महोदय : अब हम खण्ड 10 पर आते हैं। इसमें तीन संशोधन हैं। संख्या 22, 23 तथा 71। श्री डी० बी० पाटिल।

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7, पंक्ति 33,—

"जिसका" के पश्चात्, "दोनों सम्बद्ध पक्षों की सुनवाई करने के बाद" अन्त:स्थापित किया जाए। (22)

पृष्ठ 7, पंक्ति 48 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"परन्तु सम्बन्धित प्राधिकारी को कुलाध्यक्ष के समक्ष अभ्यावेदन करने का अधिकार प्राप्त होगा।" (23)

पृष्ठ 7,—

अन्तिम पंक्ति के पश्चात्, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए—

"परन्तु यह और कि उस व्यक्ति को जो कुलपति के कृत्य से पीड़ित है, इस खंड के उप-खंड (3) और उप-खंड (4) में उल्लिखित दो उपायों में से किसी एक को अपनाने का हक होगा।" (71)

श्री संफुद्दीन चौधरी (कटवा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 7,—

पंक्ति 19 से 21 तक के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"10(1) कुलपति को प्रबन्ध बोर्ड द्वारा सामान्य बहुमत प्रणाली के द्वारा नियुक्त किया जाएगा और उसकी सेवा की शर्तें, उपलब्धियां तथा अन्य निबन्धन ऐसे होंगे जो परिनियमों द्वारा विहित किए जायें।" (75)

सभापति महोदय : अब मैं खंड 10 के सभी संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 22, 23, 71 तथा 75 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 10 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 10 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 11 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**खण्ड 16—विश्वविद्यालय के प्राधिकारी**

**श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** (हावड़ा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8,—

पंक्तियों 23 और 29 का लोप किया जाए। (96)

**सभापति महोदय** : अब मैं श्री प्रिय रंजन दास मुंशी द्वारा प्रस्तुत संशोधन मतदान के लिए रखता हूं :

**संशोधन संख्या 96 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 16 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 16 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 17—प्रबन्ध बोर्ड**

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 35-36 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"(2) प्रबन्ध बोर्ड मूलतः एक निर्वाचित निकाय होगा, जिसमें अध्यापकों, कर्मचारियों तथा छात्रों सहित विभिन्न सम्बद्ध हितों का वास्तविक प्रतिनिधित्व होगा। प्रबन्ध बोर्ड में सदस्यों का नाम-निर्देशन अपेक्षित मामलों में किया जाएगा, किन्तु नाम-निर्दिष्ट सदस्यों की कुल संख्या बोर्ड की कुल सदस्य संख्या के पंचम भाग से अधिक नहीं होगी। प्रबन्ध बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य परिनियमों द्वारा विहित किए जाएंगे।" (76)

**श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 36 के अन्त में, निम्नलिखित जोड़ा जाए :—

"परन्तु प्रबन्ध बोर्ड में दो सदस्य लोक सभा से और एक सदस्य इन्दिरा गांधी स्मारक न्यास से होगा और उन्हें पूर्ण मताधिकार प्राप्त होगा।" (104)

**सभापति महोदय** : अब मैं खंड 17 के संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 76 तथा 104 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 17 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 17 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 18—(अनुवर्ती संशोधन)**

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 8,—

पंक्ति 43-44 तक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(2) विद्या परिषद् का गठन मूलतः लोकतांत्रिक निर्वाचन के सिद्धांतों पर आधारित होगा। विद्या परिषद में अपेक्षित मामलों में नाम-निर्देशन इसकी कुल सदस्य संख्या के पंचम भाग से अधिक नहीं होगा। विद्यापरिषद के गठन की विशिष्टियां तथा उसके सदस्यों की पदावधि परिनियमों द्वारा विहित की जायेगी।" (77)

**सभापति महोदय** : अब मैं श्री चौधरी द्वारा प्रस्तुत खंड 18 में संशोधन को मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 77 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खंड 18 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 18 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खंड 19—(योजना बोर्ड)**

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 5 और 6 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(2) योजना बोर्ड का गठन और उसकी शक्तियां तथा कृत्य विश्वविद्यालय के अन्य निर्वाचित निकायों के मामले में अपनाये जाने वाले सिद्धांतों अनुरूप होंगे।" (78)

**सभापति महोदय** : अब मैं श्री चौधरी द्वारा प्रस्तुत किए गए खंड 19 में संशोधनो को मतदान के लिए रखता हूं।

संशोधन संख्या 78 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 19 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड 19 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खंड 20 विधेयक में जोड़ दिया गया।

खण्ड 21—(अध्ययन के विद्यापीठ)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 13 और 14 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—

"(2) अध्ययन के विद्यापीठों का गठन, उसकी शक्तियां और कृत्य विश्वविद्यालय के अन्य निर्वाचित निकायों के गठन में अपनाये जाने वाले सिद्धांतों को कायम रखते हुए परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।" (79)

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9,—

पंक्ति 14 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"परन्तु विश्वविद्यालय द्वारा स्थापित अध्ययन विद्यापीठों की संख्या में निम्नलिखित अध्ययनों के लिए विद्यापीठ शामिल होंगे :—

(i) अन्तर्राष्ट्रीय सदभावना, विश्व शान्ति और गुट-निरपेक्ष सम्बन्धी विद्यापीठ;

(ii) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विद्यापीठ;

(iii) पर्यावरण विज्ञान अध्ययन विद्यापीठ;

(iv) टैगोर दर्शन शास्त्र अध्ययन विद्यापीठ;

(v) गांधी दर्शन शास्त्र अध्ययन विद्यापीठ;

(vi) नेहरू दर्शन शास्त्र अध्ययन विद्यापीठ;

(vii) इन्दिरा गांधी दर्शन शास्त्र अध्ययन विद्यापीठ;

(viii) इलैक्ट्रोनिक्स और उपकरण विज्ञान अध्ययन विद्यापीठ;

(ix) महिला शैक्षणिक विकास अध्ययन विद्यापीठ; और

(x) खेल-कूद तथा शारीरिक शिक्षा अध्ययन विद्यापीठ।" (97)

मैं नहीं जानता कि मंत्री महोदय के लिए संविधि में इस प्रावधान को सम्मिलित करना मुमकिन होगा जिसके द्वारा इन्दिरा गांधी के आदर्शों तथा शिक्षा के बारे में उनके दृष्टिकोण को विभिन्न

क्षेत्रों में सुरक्षित रखा जा सकता है। क्योंकि जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जाता हूं तो मैं देखता हूं कि वहां पर जवाहरलाल नेहरू के आदर्शों के अलावा सभी कुछ है तथा नकली साम्यवादियों ने वहां पर तबाही मचा रखी है। वे नेहरू जी के आदर्शों को नष्ट कर रहे हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : मैं अपने माननीय मित्र की चिन्ता को समझता हूं। विभिन्न संकायों में अध्ययन विद्यापीठों की बजाय, हम जांच करेंगे क्या प्रतिष्ठित भारतीयों के नाम पर हमारे यहां 'पीठ' होनी चाहिए। हम इस समस्या को किस प्रकार से लेंगे इसको देखा जाएगा।

**श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : मैं खण्ड 21 के संशोधन संख्या 97 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

**सभापति महोदय** : क्या सभा माननीय सदस्य को संशोधन वापस लेने की अनुमति देती है।

**कुछ माननीय सदस्य** : जी हां।

**संशोधन संख्या 97 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

**सभापति महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या 79 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 79 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 21 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 21 विधेयक में जोड़ा दिया गया।**

**खण्ड 22—(वित्त समिति)**

**श्री सैफुद्दीन चौधरी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 9,—

**खण्ड 22 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये :—**

"22. वित्त समिति का गठन उसकी शक्तियां और कृत्य विश्वविद्यालय के अन्य निर्वाचित निकायों के गठन में अपनाये जाने वाले सिद्धान्तों को कायम रखते हुए परिनियमों द्वारा विहित किये जायेंगे।" (80)

**सभापति महोदय** : अब मैं संशोधन संख्या 80 को मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 80 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 22 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 22 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खण्ड 23 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड 24 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड 25—(अब बनाए गए परिनियम)**

**श्री डी० बी० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 10, पंक्ति 29,—

"या अनुमति रोक सकेगा" **का लोप किया जाए ।** (24)

पृष्ठ 10,

पंक्ति 35 से 38 तक का **लोप किया जाए ।** (25)

पृष्ठ 10,—

पंक्ति 39 से 45 तक का **लोप किया जाए ।** (26)

महोदय, जो प्रावधान किए गए हैं उन्हें देखते हुए, और यह सुझाव भी दिया गया है कि यह प्रावधान विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का अतिक्रमण करने वाला है । यहां पर कहा गया है कि यह लोकतांत्रिक निकाय नहीं है क्योंकि यह मनोनीत निकाय है । कुलाध्यक्ष को बहुत ज्यादा अधिकार प्राप्त हैं । इस तरह के अधिकारों से प्रबन्ध बोर्ड की कार्यवाही रद्द नहीं की जानी चाहिए । अत: मैं आशा करता हूं कि मेरे संशोधनों को स्वीकार कर लिया जायेगा ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : महोदय जब तक कुलाध्यक्ष को ये अधिकार प्राप्त नहीं होंगे तब तक कोई निश्चयात्मकता नहीं होगी । आखिरकार संसद इसके लिए वित्त व्यवस्था की अनुमति देती है, सरकार इसमें पैसा खर्च करती है तथा कुलाध्यक्ष को कुछ अधिकार तो देने ही होंगे । आपकी तरफ से सरकार इन अधिकारों का इस्तेमाल करती है ?

**सभापति महोदय** : श्री डी० बी० पाटिल द्वारा प्रस्तुत किए **खण्ड 25 के संशोधन संख्या** 24, 25 तथा 26 को सभा के मतदान के लिए रखता हूं ।

**संशोधन संख्या 24, 25 व 26 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 25 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 25 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड 26 और 27 विधेयक में जोड़ दिए गए ।**

**खण्ड 28**

**श्री डी० बी० पाटिल** (कोलाबा) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

पृष्ठ 11,—

(i) पंक्ति 19,—

"यथाशीघ्र" का लोप किया जाए ।

(ii) पंक्ति 20,—

"यथाशीघ्र उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष" शब्दों के स्थान पर, "प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तुरन्त पश्चात् के सत्र में उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष" प्रतिस्थापित किया जाए । (27)

महोदय, यह संशोधन सभा के हित में है । यह कहा गया है कि विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन यथाशीघ्र संसद् के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाएगा । उसकी बजाय, मैंने कहा है "प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तुरन्त पश्चात् के सत्र में" कि आम तौर पर वार्षिक प्रतिवेदन कभी समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाते । उन्हें बड़े विलम्ब से प्रस्तुत किया जाता है और उस समय उन वार्षिक प्रतिवेदनों पर चर्चा करने का कोई फायदा नहीं होता । अतः मुझे आशा है कि इस संशोधन को स्वीकार किया जाएगा ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : महोदय, मान लीजिए प्रतिवेदन सत्र के मध्य में प्राप्त होता है, तो क्या हमें अगले सत्र तक इन्तजार करनी चाहिए ? इस प्रकार आप वास्तव में सभा में प्रतिवेदन रखने में विलम्ब करेंगे । यदि आपका संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है.....(व्यवधान) हम विलंब क्यों करें ? यदि आपका संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो प्रतिवेदन पेश करने में "यथाशीघ्र" आपके संशोधन से जल्दी होगा ।

**श्री डी० बी० पाटिल** : वार्षिक प्रतिवेदन कभी समय पर प्रस्तुत नहीं किए जाते । अतः मैंने यह रोक लगाई है, जिससे प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तुरन्त पश्चात् के सत्र में रखा जा सके ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : नहीं, मैं समझता हूं कि 'यथाशीघ्र' ठीक होगा ।

**सभापति महोदय** : ठीक है । अब मैं श्री डी० बी० पाटिल द्वारा प्रस्तुत खण्ड 28 के संशोधन संख्या 27 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

**संशोधन संख्या 27 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 28 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 28 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड 29—(वार्षिक लेखे, आदि)**

**श्री डी० बी० पाटिल** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11,—

(i) पंक्ति 32,—

"यथाशीघ्र" का लोप किया जाये ।

(ii) पंक्ति 32 और 33,—

"उसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष" के स्थान पर "प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तुरन्त पश्चात के सत्र में उसे संसद् के दोनों सदनों के समक्ष" प्रतिस्थापित किया जाये। (28)

**सभापति महोदय** : अब मैं श्री डी० बी० पाटिल द्वारा प्रस्तुत खण्ड 29 के संशोधन संख्या 28 को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 28 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 29 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 29 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खण्ड 30 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खण्ड 31—(माध्यस्थम् अधिकरण)**

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** (कुरनूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11, पंक्तियां 42 से 45 तक,—

"किसी भी पक्षकार के अनुरोध पर, माध्यस्थम-अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य, सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले अधिनिर्णायक से मिलकर बनेगा।" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं :—

"मध्यस्थता-अधिकरण को भेजा जाएगा, जिसमें कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति होगा। (3)

**श्री डी० बी० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 11, पंक्ति 43

"अनुरोध पर" के पश्चात् "तथा अन्य पक्षकार की सहमति से" अंत:स्थापित किया जाए। (29)

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : महोदय, मुझे आशा है कि मंत्री महोदय मेरा संशोधन स्वीकार करेंगे। इस तीन सदस्यीय अधिकरण से हमेशा असुविधा और विलम्ब होगा। अब एक माध्यस्थम अधिकरण का चयन करना होगा। अधिकरण में एक ही व्यक्ति की नियुक्ति करने में ही बुद्धिमानी है और मैंने यह सुझाव दिया है कि एक व्यक्ति का चयन कुलाध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए। इसमें यह प्रावधान है कि एक व्यक्ति का चयन कर्मचारियों द्वारा एक व्यक्ति का चयन प्रबन्ध बोर्ड द्वारा और एक व्यक्ति का चयन कुलाध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। नामनिर्देशन में ही बहुत-सा समय लगेगा। और उसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह होगा कि ऐसे व्यक्तियों का चयन किया जाए जो प्रबन्ध बोर्ड का समर्थन करते हैं और यहां तक कि उन्हीं कर्मचारियों का चयन किया जाएगा जो प्रबंध बोर्ड का समर्थन करेंगे। अंतत: मध्यस्थ का चयन कुलाध्यक्ष द्वारा ही किया जाएगा। अत: उनका निर्णय ही मान्य होगा। अत: अच्छा यही है कि माध्यस्थम अधिकरण के लिए एक ही व्यक्ति का चयन किया

आए, जिससे अधिकरण मामलों का सरलता से और तेजी से निपटान कर सके और उस एक व्यक्ति का मार्गनिर्देशन कुलाध्यक्ष द्वारा किया जाए ।

**श्री डी० बी० पाटिल :** मैंने यह सुझाव दिया है कि माध्यस्थम अधिकरण अन्य पक्षकार की सहमति से ही बनाया जाना चाहिए । इसी में नियोजक का हित है क्योंकि यदि अधिकरण बनाया जाता है तो उसी का निर्णय अन्तिम माना जाएगा क्योंकि उप-खण्ड 54 में यह उल्लेख किया गया है कि माध्यस्थम्-अधिकरण का निर्णय अंतिम होगा और पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा तथा अधिकरण द्वारा निर्णीत मामलों के सम्बन्ध में किसी न्यायालय में कोई वाद नहीं लाया जाएगा । जब कभी किसी कर्मचारी के साथ विवाद हो और विश्वविद्यालय अधिकरण बनाने के लिए कहे और यदि अधिकरण कर्मचारी की सहमति से बनाया जाए तो अधिकरण का निर्णय कर्मचारी के लिए बाध्यकारी होगा भले ही वह अधिकरण के निर्णय से सहमत न हो और फिर भी विवाद का निपटारा हो जाएगा । तब वह अदालत की शरण नहीं ले सकता । अतः इसका गठन कर्मचारी की सहमति से किया जाना चाहिए । यह कर्मचारी के हित में होगा ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** हम चाहेंगे कि ये विवाद जल्दी निपटें । और श्री पाटिल ने जो सुझाव दिया है उससे इस प्रावधान विशेष के माध्यम से हम जो प्रभाव डालना चाहते हैं वह खतम हो जाएगा ।

**श्री डी० बी० पाटिल :** पांडिचेरी विश्वविद्यालय अधिनियम में भी ऐसा प्रावधान है कि अन्य पक्षकार की सहमति ली जाए ।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त :** लेकिन यहां हम चाहते हैं कि मामलों का निपटारा शीघ्र हो । यह अलग तरह का विश्वविद्यालय है, जिसमें मुख्यालय में केवल उपकुलपति और थोड़े से कर्मचारी होंगे और शेष पूरे देश में फैले होंगे । हम नहीं चाहते कि समूचे देश में नियोजक और कर्मचारी के संबंधों के बारे में बार-बार विवाद होते रहें । आपको इस विश्वविद्यालय के भिन्न स्वरूप को समझना चाहिए ।

एक अन्य संशोधन के सम्बन्ध में, जो श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी द्वारा पेश किया गया, मेरा सुझाव है कि यदि तीन सदस्यीय अधिकरण में कर्मचारियों का प्रतिनिधि होगा तो उनमें विश्वास की एक भावना पैदा होगी । यदि अधिकरण में एक ही व्यक्ति नियुक्त किया जाता है तो इससे उनका प्रतिनिधि भी नहीं रहेगा । इस प्रकार उनके मामले में उनका प्रतिनिधित्व करने वाला कोई नहीं होगा । मैं समझता हूं यह कर्मचारियों के हित में नहीं है ।

**सभापति महोदय :** यदि सभा सहमत हो तो मैं खण्ड 31 के सभी संशोधनों को एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं ।

**संशोधन संख्या 3 और 29 मतदान के लिए रखे गए और अस्वीकृत हुए ।**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 31 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 31 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 32 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 32 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खण्ड 33 —(विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों और निकायों के गठन के बारे में विवाद)**

**श्री डी० बी० पाटिल** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12, पंक्ति 22,—

"जिसका विनिश्चय अन्तिम होगा" का लोप किया जाये। (30)

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : क्या श्री पाटिल ने अपने संशोधन की जटिलताओं पर विचार किया है ? यदि यह संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है और कुलाध्यक्ष को मामला निर्दिष्ट करने की बात बनी रहती है तो क्या होगा ? उन्होंने संशोधन से होने वाली कठिनाइयों पर विचार नहीं किया है।

**श्री डी० बी० पाटिल** : विवाद का निपटारा न्यायालय में होगा।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : वह भिन्न मामला है। इसका निपटारा यहां नहीं होगा।

**सभापति महोदय** : मैं अब श्री डी० बी० पाटिल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 30 सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 30 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 33 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 33 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**सभापति महोदय** : श्री प्रिय रंजन दास मुंशी, क्या आप खण्ड 34 के अपने संशोधन को पेश कर रहे हैं ?

**श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : जी नहीं, महोदय।

**सभापति महोदय** : अब मैं खण्ड 34 से खंड 37 एक साथ सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 34 से 37 विधेयक का अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खण्ड 34 से 37 विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**खंड 38—(कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति)**

**सभापति महोदय :** श्री डी० बी० पाटिल, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं?

**श्री डी० बी० पाटिल :** जी हां महोदय। मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 12,—

पंक्ति 4 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"परन्तु ऐसा आदेश संसद के दोनों सदनों के समक्ष तुरन्त रखा जाएगा।" (31)

**सभापति महोदय :** अब मैं श्री पाटिल द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या 31 सभा में मतदान के लिए रखता हूं :

**संशोधन संख्या 31 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि खंड 38 विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 38 विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**खण्ड 39—(संक्रमणकालीन उपबंध)**

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** (कुरनूल) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 13, पंक्ति 13,—

"होंगे", शब्द के पश्चात्, निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं :—

"जिसमें कम से कम तीन सदस्य लोक सभा के और दो सदस्य राज्य सभा के शामिल होंगे" (4)

**डा० सुधीर राय** (बर्दवान) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 13, पंक्ति 12,—

"होगा" के स्थान पर, "हो सकता है" प्रतिस्थापित किया जाये। (83)

**सभापति महोदय :** श्री मूल चन्द डागा यहां नहीं हैं। ये संशोधन पेश नहीं किए जाएंगे। कोई और बोलना चाहता है?

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :** यह एक सरल संशोधन है। प्रबन्ध बोर्ड में 15 से अधिक सदस्य नहीं होने चाहिए। मेरा यह सुझाव है कि कम से कम तीन सदस्य लोक सभा से और 2 सदस्य राज्य सभा से होने चाहिए। यह विश्वविद्यालय सम्पूर्ण भारत के लिए है। प्रबन्ध बोर्ड में कम से कम तीन सदस्य लोक सभा से और 2 सदस्य राज्य सभा से होने चाहिए।

आशा है कि माननीय मन्त्री इस संशोधन को आसानी से स्वीकार कर लेंगे।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : संसद सदस्यों को इसमें शामिल करने के सर्वोत्तम तरीके पर हम विचार करेंगे ।

वार्षिक प्रतिवेदन यहां आएंगे । जैसा कि मैंने बताया सभी संविधियां और अध्यादेश भी यहां आएंगे । इसके अलावा, जैसा कि मैं कह चुका हूं, हम विचार करेंगे कि इसमें दिलचस्पी रखने वाले माननीय सदस्यों को कैसे इसमें शामिल किया जाए । लेकिन अभी मैं संशोधन स्वीकार नहीं कर सकता, क्योंकि इससे देरी होगी । इसे दूसरे सदन में वापस नहीं भेजा जा सकता । हमें इसे पारित करना होगा ।

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : माननीय मंत्री अगर आश्वासन दें तो मैं इस पर आग्रह नहीं करूंगा ।

**सभापति महोदय** : कोई आश्वासन नहीं ।

अब मैं खण्ड 39 से सम्बन्धित सभी संशोधनों को मतदान के लिए रखता हूं ।

**संशोधन संख्या 4 और 83 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए ।**

**सभापति महोदय** : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 39 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 39 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

**खण्ड 40—(परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का राजपत्र में प्रकाशित किया जाना और संसद के समक्ष रखा जाना)**

**श्री डी० बी० पाटिल** (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 13, पंक्ति 26,—

"अध्यादेश" के पश्चात्, "आदेश" अन्तःस्थापित किया जाये । (32)

**सभापति महोदय** : मैं श्री पाटिल द्वारा पेश किए गए संशोधन संख्या 32 मतदान के लिए रखता हूं ।

**संशोधन संख्या 32 मतदान के लिए रखा गया और अस्वीकृत हुआ ।**

**सभापति महोदय** : अब प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 40 विधेयक का अंग बने ।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।**

**खण्ड 40 विधेयक में जोड़ दिया गया ।**

प्रथम अनुसूची

**श्री शांताराम नायक** (पणजी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 14,—

पंक्ति 33 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(चच) लोगों के मन में, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में व्याप्त अन्धविश्वास को समाप्त करने की दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करने वाली शिक्षा की व्यवस्था का प्रबन्ध करेगा ।" (6)

**श्री डी० बी० पाटिल** (कोलाबा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 14,—

पंक्ति 11 के पश्चात, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"परन्तु शारीरिक विकलांग तथा मन्दबुद्धि वाले व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी करने पर विशेष बल दिया जाएगा ।" (33)

पृष्ठ 14, पंक्ति 13,—

"जैसे" के पश्चात, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"जिनको हिन्दू धर्म की चार वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा रखा गया है और" (34)

पृष्ठ 14, पंक्ति 12,—

"दूरस्थ" के पश्चात,

"और ग्रामीण तथा पर्वतीय" अन्तःस्थापित किया जाये । (35)

पंक्ति 41 के पश्चात, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"(ट) जनता के सबसे निर्धन वर्ग के लोगों में, जो रहन-सहन के निम्नतम स्तर को भी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं, आत्म सम्मान की भावना जागृत करेगा ।" (36)

पृष्ठ 14,—

पंक्ति 33 के पश्चात, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"(चच) उन क्षेत्रों में, जहां नगरीय तथा औद्योगिक विकास के लिए भूमि के अधिग्रहण के कारण कृषकों तथा कृषि-श्रमिकों की आजीविका के साधन छीन लिए गए हैं, उन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विशेष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करेगा ।" (72)

**सभापति महोदय** : अगर कोई संशोधन पर बोलना चाहता है तो वह बोल सकता है ।

**श्री शांताराम नायक** : श्रीमती इन्दिरा गांधी की स्मृति में यह विधेयक लाया गया है । अगर मेरे छोटे से संशोधन को स्वीकार कर लिया गया तो यह श्रीमती इन्दिरा गांधी की सच्ची यादगार होगा । लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने में श्रीमती गांधी की बहुत रुचि थी । आजकल गांवों के लोग बहुत अन्धविश्वासी होते हैं । अपने और अपने परिवार के थोड़े से फायदे के

लिए वे लोग अपने बच्चों तक की बलि चढ़ा देते हैं। भारत में इस तरह का अन्धविश्वास व्याप्त है। अतः मैं चाहता हूं कि लोगों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा किया जाए। हमें ग्रामीण लोगों में अन्ध-विश्वास की भावना समाप्त करनी चाहिए। आज ही मैंने एक पत्रिका में कुछ पढ़ा है। उससे मुझे मालूम हुआ कि आज भी अगर किसी संसद सदस्य को कहीं एक मकान अलाट किया जाता है तो वह उसे नापता है और अगर वह यह पाता है कि उस माप की संख्या शुभ नहीं है तो वह उस मकान को नहीं लेता है। जब पढ़े लिखे लोगों का यह हाल है तो आप सोच सकते हैं कि गांवों में आज क्या स्थिति होगी। अतः मेरा अनुरोध है कि मेरा संशोधन स्वीकार किया जाए।

**श्री डी० बी० पाटिल** : महोदय मेरा संशोधन संख्या 33 इस प्रकार है :

"परन्तु शारीरिक विकलांग तथा मन्दबुद्धि वाले व्यक्तियों की आवश्यकताएं पूरी करने पर विशेष बल दिया जाएगा।"

यह स्वतः स्पष्ट है। मुझे इस पर तर्क-वितर्क करने की जरूरत नहीं है। मेरा संशोधन संख्या 34 निम्नलिखित है :

"जिनको हिन्दू धर्म की चार वर्ण व्यवस्था के अन्तर्गत सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा रखा गया है और"

पिछली बार मैंने अपने संशोधन पर बहस की थी। इसे विशेष दर्जा दिया जाए।

मेरा संशोधन संख्या 72 इस प्रकार है :

"(चच) उन क्षेत्रों में, जहां नगरीय तथा औद्योगिक विकास के लिए भूमि के अधि-ग्रहण के कारण कृषकों तथा कृषि-श्रमिकों की आजीविका के साधन छीन लिए गए हैं, उन विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए विशेष पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करेगा।"

**सभापति महोदय** : इन्हें पहले परिचालित किया जा चुका है अतः आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है।

**श्री डी० बी० पाटिल** : मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हो सकता है कि बहुत से सदस्यों ने पढ़ा न हो। (व्यवधान)। ठीक है।

जहां तक संशोधन संख्या 72 का सम्बन्ध है, मेरा यह कहना है कि औद्योगिक और शहरी विकास के लिए किसानों की ज़मीनें ले ली जाती हैं। इसके बदले में उन्हें जो मुआवजा दिया जाता है वह इतना कम होता है कि उनका पुनर्वास नहीं किया जा सकता। जब जमीन ली या अर्जित की जाती है तो उन्हें लगातार आश्वासन दिया जाता है कि उन्हें पुनः बसाया जाएगा, रोजगार दिया जाएगा, वहां उन्हें प्रशिक्षण दिया जाएगा तथा उनकी विशेष देखभाल की जाएगी। लेकिन उनमें यह भावना घर कर गई है कि भूमि अर्जित कर लिए जाने पर उनकी कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती है और उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है। अतः माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि इस सम्बन्ध में विशेष प्रयास किए जाएं। जहां तक खुले विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, यह कहा जाता है कि खुला विश्वविद्यालय आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों अर्थात् हरिजनों और गिरिजनों के लिए है।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : महोदय, जहां तक श्री नायक के संशोधन संख्या 6 का सम्बन्ध है, अगर मैं शिक्षा के उद्देश्यों का उल्लेख करूंगा तो उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण को बढ़ावा देने की बात अवश्य होगी। इसलिए मैं उनके आग्रह को समझ सकता हूं। लेकिन खण्ड 2 में वे पाएंगे कि विश्वविद्यालय

वैज्ञानिक जानकारी का पूरा उपयोग करेगा और इसलिए'''(व्यवधान)। जी हां, मैं उसे समझ रहा हूं। हम यहां शिक्षा के उद्देश्यों की ही चर्चा नहीं कर रहे बल्कि हम हर बात का उल्लेख कर रहे हैं। इस विश्वविद्यालय के विशेष स्वरूप को देखते हुए हम उस सिद्धान्त के सार को शामिल कर रहे हैं जिसको हमने यहां पेश किया है। शब्दों पर विवाद करने की आपको जरूरत नहीं है।

जहां तक संशोधन संख्या 33, 34 और 35 का सम्बन्ध है यदि पाटिल जी पहली अनुसूची के खण्ड 1(ख) को देखेंगे और उन्हें वहां 'सुविधा रहित समूह' शब्द मिलेगा। उन्होंने तीन तरह के 'सुविधा रहित समूहों' का उल्लेख किया है। और ये तीनों खण्ड 1(ख) में शामिल हैं।

संशोधन संख्या 36 में यह उल्लेख है :

"जनता के सबसे निर्धन वर्ग के लोगों में, जो रहन-सहन के निम्नतम स्तर को भी प्राप्त करने की स्थिति में नहीं हैं, आत्म-सम्मान की भावना जागृत करेगा।"

भारत के सम्बन्ध में मेरा अनुभव यह है कि यहां गरीब से गरीब आदमी में भी बहुत आत्म-सम्मान की भावना है। उनमें इसकी कमी नहीं है। मेरे ख्याल से यह कहना गलत होगा कि गरीबों में आत्म-सम्मान की भावना नहीं होती।

जहां तक संशोधन संख्या 72 का सम्बन्ध है। जब आप ऐसे लोगों की बात करते हैं जिनकी जमीन शहरी तथा औद्योगिक विकास के लिए ले ली गयी है तो मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्हें मुआवजे और पुनर्वास की जरूरत होती है न कि अध्ययन की। जोर इसी बात पर दिया जाना चाहिए। जहां तक खुले विश्वविद्यालय का सम्बन्ध है, जो कुछ शिक्षा यहां दी जाएगी वह उन्हें उपलब्ध होगी।

**श्री शांताराम नायक** : महोदय, मैं प्रथम अनुसूची से सम्बोधित संशोधन संख्या 6 को वापस लेने के लिए सभा की अनुमति चाहता हूं।

**संशोधन संख्या 6 सभा की अनुमति से वापस लिया गया।**

**सभापति महोदय** : अब मैं श्री डी० बी० पाटिल के द्वारा पेश किए गए संशोधनों को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 33 से 36 और 72 मतदान के लिए रखे गए तथा अस्वीकृत हुए।**

**सभापति महोदय** : अब मैं प्रथम अनुसूची को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

प्रश्न यह है :

"कि प्रथम अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**प्रथम अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गयी।**

**द्वितीय अनुसूची**

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 15, पंक्तियां 13 और 14,—

"जिनमें से दो प्रबन्ध बोर्ड द्वारा नामनिर्दिष्ट किये जायेंगे" शब्दों के स्थान पर, निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जायें :—

"जिनमें से एक होगा, भारत के मुख्य न्यायाधिपति द्वारा नामनिर्दिष्ट उच्चतम न्यायालय का एक न्यायाधीश और एक होगा लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा इस प्रयोजनार्थ नामनिर्दिष्ट लोक सभा का एक सदस्य ।" (5)

**श्री डी० बी० पाटिल** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 25,—

पंक्ति 15 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(2क) विश्वविद्यालय द्वारा अनुशासन और उचित आचरण सम्बन्धी विस्तृत नियम बनाए जाएंगे तथा प्रत्येक छात्र को नियमों और अनुपूरक नियमों, यदि कोई हों, की एक प्रति दी जाएगी ।

(2ख) प्रवेश के समय, प्रत्येक छात्र से इस आशय की एक घोषणा पर हस्ताक्षर करने की अपेक्षा की जाएगी कि वह अपने आपको विश्वविद्यालय के कुलपति तथा अन्य प्राधिकारियों की अनुशासनिक अधिकारिता में समर्पित करेगा ।" (7)

पंक्ति 12 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु यह और कुलाध्यक्ष समिति द्वारा सिफारिश किए गए व्यक्तियों में से किसी भी व्यक्ति को स्वीकार न करने के कारण लिखित रूप में बताएगा ।" (37)

पृष्ठ 15,—

पंक्ति 13 और 14,—

"होगे, जिनमें से दो" का लोप किया जाए । (38)

पृष्ठ 15, —

पंक्ति 24 से 27 तक का लोप किया जाए । (39)

पृष्ठ 16, पंक्ति 42,—

"व्यक्तियों" के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"जो संस्था के प्रमुख से निम्न पद के न हों" (40)

पृष्ठ 17, पंक्ति 5,—

"कुलपति को" के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"सम्बन्धित प्राधिकार के प्रमुख के परामर्श से" (41)

पृष्ठ 17,—

पंक्ति 17, के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु इस प्रकार नियुक्त हुआ व्यक्ति अल्पविधि के लिए पुनःनियुक्त नहीं किया जाएगा।" (42)

पृष्ठ 17, पंक्ति 24,—

"कुलपति की सिफारिशों पर" शब्दों का लोप किया जाए। (43)

पृष्ठ 17,—

26 से 30 तक पंक्तियों का लोप किया जाए। (44)

पृष्ठ 17, पंक्ति 31,—

"कुलपति की सिफारिश पर," शब्दों का लोप किया जाए। (45)

पृष्ठ 17, पंक्तियां 35 और 36,—

"या जब तक कि कुलपति की पदावधि का अवसान नहीं होता है, जो भी पूर्वतर हो," शब्दों का लोप किया जाए। (46)

पृष्ठ 18,—

पंक्तियां 23-24 का लोप किया जाए। (47)

पृष्ठ 18, पंक्तियां 25 और 26,—

"ऐसे अभ्यार्थी की दशा में जो विश्वविद्यालय के बाहर से नियुक्त किया जाता है," शब्दों का लोप किया जाए। (48)

पृष्ठ 20, पंक्ति 21,—

"स्टाक की जांच," शब्दों के पश्चात्, (एक वर्ष में कम से कम एक बार" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं। (49)

पृष्ठ 20, पंक्ति 26,—

"अध्ययन केन्द्र", शब्दों के पश्चात्, "या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं। (50)

पृष्ठ 21, पंक्ति 29,—

"के पश्चात्," शब्दों के पश्चात्, "उन्हें" शब्द अन्तःस्थापित किया जाए। (51)

पृष्ठ 21,—

पंक्ति 43 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"(4) प्रबन्ध बोर्ड की बैठक एक मास में कम से कम एक बार होगी।" (52)

पृष्ठ 21, पंक्ति 45,—

"छह" के स्थान पर "आठ" प्रतिस्थापित किया जाए। (53)

पृष्ठ 22,—

पंक्ति 16 के पश्चात्, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"परन्तु योजना बोर्ड की सलाह प्रबन्ध बोर्ड पर बाध्यकर नहीं होगी, किन्तु प्रबन्ध बोर्ड उस सलाह को न मानने के कारण अभिलिखित करेगा !" (54)

पृष्ठ 22, पंक्ति 23,—

"दो बार" के पश्चात्, "छह बार" प्रतिस्थापित किया जाए । (55)

पृष्ठ 22,—

पंक्ति 23, के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए ।—

"(6) योजना बोर्ड के छह सदस्य बोर्ड के अधिवेशनों के लिए गणपूर्ति करेंगे ।" (56)

पृष्ठ 22, पंक्ति 31,

"वर्ष में कम से कम तीन बार" शब्दों के स्थान पर "एक मास में कम से कम एक बार" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं । (57)

पृष्ठ 22, पंक्ति 37 और 38,—

"समिति द्वारा नियत की गई अधिकतम सीमा के भीतर" शब्दों का लोप किया जाए। (58)

पृष्ठ 22,—

"पंक्तियां 39 से 42 तक का लोप किया जाए । (59)

पृष्ठ 23, पंक्ति 4,—

"कुलपति" के स्थान पर "प्रबन्ध बोर्ड" प्रतिस्थापित किया जाए । (60)

पृष्ठ 23, पंक्तियां 16 और 17,—

"अन्तिम आदेशों के लिए कुलाध्यक्ष को प्रस्तुत करेगा" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"सिफारिशें अस्वीकार करने के कारण बताते हुए उसे चयन समिति को नई सिफारिशों के लिए वापिस भेजेगा ।" (61)

पृष्ठ 24, पंक्ति 25,

"आधार पर", शब्दों के पश्चात् ऐसी जांच करने के नियमों में "निर्धारित पद्धति के अनुसार" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं । (62)

पृष्ठ 24, पंक्ति 31,—

"खंड (2) या" शब्दों और अंक का का लोप किया जाए । (63)

पृष्ठ 24, पंक्ति 37,

"आदेश दिया जाए" शब्दों के स्थान पर, "उसे आदेश हस्तगत किया जाए" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएं । (64)

पृष्ठ 24,—

पंक्ति 51 के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु यह भी कि ऐसे त्यागपत्र को स्वीकार करने में अनावश्यक विलम्ब नहीं किया जाएगा और यदि विलम्ब किया जाता है तो उसके कारण अभिलिखित किए जायेंगे।" (65)

पृष्ठ 25, पंक्ति 4,—

"ठीक समझे" शब्दों के पश्चात् "ऐसे अधिकारियों को जो वह इस निमित विनिर्दिष्ट करें" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएं। (66)

पृष्ठ 25,—

पंक्ति 15 के पश्चात् निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाए :—

"परन्तु छात्र या छात्रों का परीक्षा या परीक्षाओं का परिणाम ऐसी परीक्षा या परीक्षाओं के होने से पूर्व छात्र या छात्रों के कृत्य या व्यवहार के कारण रद्द नहीं किया जाएगा।" (67)

पृष्ठ 15, 14 से 16,—

"और एक कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति समिति का संयोजक होगा" के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए—

"और उन तीनों में से एक व्यक्ति बैठक का नाम संयोजक नाम-निर्दिष्ट किया जाएगा।" (73)

पृष्ठ 24,—

पंक्ति 20 के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए :—

"परन्तु यदि प्रबन्ध बोर्ड का यह मत है कि उस मामले की परिस्थितियों में उस अध्यापक, शैक्षणिक कर्मचारीवृन्द के सदस्य या अन्य कार्मचारी को निलंबित करना उचित नहीं है, तो वह ऐसे आदेश को रद्द कर सकता है।" (74)

पृष्ठ 15,—

पंक्तियों 13 से 19 तक के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए :—

"(3) खण्ड (2) में विनिर्दिष्ट समिति में पांच सदस्य होंगे, जिनमें से दो सदस्य प्रबन्ध बोर्ड द्वारा, दो सदस्य विद्या परिषद द्वारा और एक सदस्य कुलाध्यक्ष द्वारा नाम-निर्देशित किए जायेंगे, तथा कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति समिति का संयोजक होगा।" (84)

पृष्ठ 23, पंक्ति 8,—

"कुलपति" के स्थान पर, "विद्या परिषद" प्रतिस्थापित किया जाए। (85)

**श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 15,—

(i) पंक्ति (13),—

"तीन" के स्थान पर, "पांच" प्रतिस्थापित किया जाए।

(ii) पंक्ति 14,—

"जाएंगे" के पश्चात्, "एक लोक सभा के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और एक इन्दिरा गांधी स्मारक न्यास का नामनिर्देशिती होगा" अन्त स्थापित किया जाए। (109)

पृष्ठ 15,—

पंक्ति 16, के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए :—

"परन्तु इस प्रकार चुने गए या नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पास स्नातकोत्तर उपाधि होगी और शिक्षा के क्षेत्र में वे विशिष्ट ख्याति प्राप्त होंगे।" (110)

पृष्ठ 23,—

पंक्ति 9 के पश्चात, निम्नलिखित अन्त:स्थापित किया जाए :—

"(ङ) इन्दिरा गांधी स्मारक न्यास से एक व्यक्ति।" (111)

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी :** प्रबन्ध बोर्ड को पैनल के दो सदस्यों का चयन करना होगा और कुलाध्यक्ष पैनल के लिए एक सदस्य को मनोनीत करेगा। तीन सदस्यों की यह समिति (पैनल) कुलपति का चयन करेगी या कुलपति के लिए नामों की सूची तैयार करेगी। प्रबन्ध बोर्ड को कुलपति के चयन के लिए पैनल तैयार करने हेतु सम्बद्ध करना वांछनीय नहीं है, क्योंकि कुलपति, जोकि प्रबन्ध बोर्ड का चेयरमैन है, और प्रबन्ध बोर्ड के सदस्यों में निहित स्वार्थ होना स्वाभाविक है और उनमें से अधिकांश कुलपति के पद के आकांक्षी हैं, अत: यह नितान्त आवश्यक है कि उन्हें इस 'पैनल' के गठन से सम्बद्ध न किया जाए। मैंने यह सुझाव दिया था कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीन द्वारा चयन किए गए एक न्यायाधीश; माननीय अध्यक्ष द्वारा चयन किए गए एक लोक सभा सदस्य और कुलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत एक सदस्य—इन तीनों का एक पैनल (समिति) बनाया जाए। इसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और संसद, इन तीनों के सदस्य सम्मिलित होंगे और कुलपति के लिए नामों की सूची तैयार करेंगे। क्योंकि यह एक महत्त्वपूर्ण विश्वविद्यालय है अत: जो व्यक्ति इस पैनल को तैयार करें उन्हें सभी का सम्मान प्राप्त होना चाहिए और मैं आशा करता हूं कि माननीय सदस्य इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे।

**श्री प्रिय रंजन दास मुंशी :** मैं माननीय सदस्य के अभिप्राय को जानता हूं। लेकिन मैं उनसे केवल इतना ही अनुरोध करना चाहता हूं कि तीन सदस्यों वाला यह पैनल संकट पैदा करेगा और कुलपति का चयन एक कठिन कार्य है। माननीय सदस्य एक क्षण के लिए मेरी इस बात से सहमत होंगे कि हो सकता है कि इस विधेयक का प्रारूप तैयार करते समय किसी ने भी इस पहलू पर विस्तार से विचार न किया हो।

जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय अलीगढ़ और विश्व भारती विश्वविद्यालयों की सीनेट में लोक सभा का एक प्रतिनिधि है। इस सभा को इससे जोड़ना एक आदर की बात है। इन्दिरा जी इस सभा की कई वर्षों तक नेता रही हैं।

कुलपति के चयन में, मेरा प्रस्ताव है कि इसमें 3 के स्थान पर 5 सदस्य होने चाहिए। एक सदस्य का चयन लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा किया जाना चाहिए और एक सदस्य इन्दिरा गांधी स्मारक न्यास से होना चाहिए जोकि इस बात को सुनिश्चित करे कि किसी भी ऐसे व्यक्ति का चयन न हो जो इस विश्वविद्यालय को वास्तविक शर्तों को पूरा न करता हो। मेरा उद्देश्य यही है। अन्य सदस्य, जो चुने जाएं, कम-से-कम स्नातकोत्तर हों, उनका उच्च शैक्षिक स्तर हो और देश में शिक्षा के क्षेत्र में उनकी ख्याति हो। अन्यथा राजनैतिक या अन्य उद्देश्यों से लोगों को मनोनीत करने से, विश्वविद्यालय का समूचा उद्देश्य ही समाप्त हो जाएगा।

मैं महसूस करता हूं कि माननीय मंत्री इस भावना को समझते हुए, इस सुझाव को किसी न किसी तरह इस विधेयक में सम्मिलित करने की कोशिश करेंगे।

**श्री डी० बी० पाटिल** : मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि क्या वह मेरे किसी भी संशोधन को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : अगर माननीय सदस्य ने आरम्भ में ही यह कह दिया होता तो समय की काफी बचत हो जाती।

जहां तक श्री अय्यप्पु के संशोधन का सम्बन्ध है, प्रबन्ध बोर्ड न्यायाधीश या संसद सदस्य को नियुक्ति कर सकता है। इसे शामिल किया गया है। लेकिन अगर उनका संशोधन स्वीकार कर लिया जाता है तो एक शिक्षाविद् की नियुक्ति नहीं की जा सकेगी। उनके संशोधन का वास्तविक प्रभाव यह होगा।

**श्री ई० अय्यप्पु रेड्डी** : माननीय मंत्री ने मेरी समस्या को अच्छी प्रकार से नहीं समझा है। मैंने यह कहा है कि कुलाध्यक्ष एक शिक्षाविद् का भी चयन कर सकता है। न्यायाधीश का चयन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जायेगा। एक सदस्य का चयन माननीय अध्यक्ष द्वारा किया जायेगा। मैं नहीं समझता कि इस सभा में शिक्षाविदों की कमी है। सभा में कई एक सम्माननीय शिक्षाविद् हैं और माननीय अध्यक्ष उनमें से किसी का भी चयन कर सकते हैं।

**श्री कृष्ण चन्द्र पन्त** : जहां तक श्री प्रिय रंजन दास मुंशी के दो संशोधनों का सम्बन्ध है, पहले में तो वह सदस्यों की संख्या को तीन से बढ़ाकर 5 करना चाहते हैं। लेकिन अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के अधिनियम में भी यह संख्या तीन ही है। यह संख्या तीन है न कि पांच।

जहां तक उनके संशोधन संख्या 110 का सम्बन्ध है, मैं इसे पढ़ता हूं :

> "परन्तु इस प्रकार चुने गए या नामनिर्दिष्ट सदस्यों के पास स्नातकोत्तर उपाधि होगी और शिक्षा के क्षेत्र में वे विशिष्ट ख्याति प्राप्त होंगे।"

इससे परिहार्य मुकदमेबाजी हो सकती है क्योंकि विशिष्ट ख्यातिप्राप्त का अर्थ है कि अगर किसी को अस्वीकार किया जाता है तो वह न्यायालय में जा सकता है और पूछ सकता है कि "क्यों" ?

दूसरे, मैं सोचता हूं कि इसे विश्वविद्यालय निकायों और कुलाध्यक्ष पर छोड़ा जा सकता है कि वे इन लोगों का चयन करें, सही व्यक्ति का चयन करें क्योंकि 'विशिष्ट ख्याति प्राप्त' से व्यक्ति-परक निर्णय होगा, जिस पर आपत्ति की जा सकती है।

**सभापति महोदय** : अगर सभा सहमत हो.....

**श्री प्रिय रंजन दास मुंशी** : श्रीमन्, मैं अपने संशोधन वापस लेना चाहता हूं।

**संशोधन संख्या 109 से 111 सभा की अनुमति से वापस लिए गए।**

**सभापति महोदय** : अगर सभा सहमत हो तो, दूसरी अनुसूची के सभी संशोधन, मैं एक साथ ही सभा में मतदान के लिए रखूं।

**संशोधन संख्या 7, 37 से 67 और 73, 74, 84, 85 मतदान के लिए रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि दूसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**दूसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई।**

**खण्ड 1 और अधिनियमन सूत्र विधेयक में जोड़ दिये गये।**

**विधेयक का नाम**

**श्री डी० बी० पाटिल** : श्रीमन्, मैं प्रस्ताव करता हूं :

पृष्ठ 1, बृहत् नाम में पंक्ति 3 में,—

"अवधारण के लिए" शब्दों के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये :—

"विशेषकर सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा दूरस्थ, ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लाभ के लिए।" (8)

श्रीमन्, मैं इस संशोधन का प्रस्ताव सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों तथा दूरस्थ, ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लाभ के लिए कर रहा हूं। वाद-विवाद के दौरान एक माननीय सदस्य ने क्षेत्रीय केन्द्रों की स्थापना के बारे में आशंका व्यक्त की और माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में बताया है कि उन सभी स्थानों पर क्षेत्रीय केन्द्र खोले जायेंगे जहां छात्र पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होंगे। शहरी क्षेत्रों में बहुत से छात्र उपलब्ध हो जाएंगे लेकिन दूरदराज, ग्रामीण और पहाड़ी क्षेत्रों में जो शहरी क्षेत्रों से बहुत दूर हैं, आगे आने वाले छात्रों की संख्या पर्याप्त या संतोषजनक नहीं हो सकती। इससे छात्रों की कम संख्या होने के कारण उन क्षेत्रों की, जो पहले से ही उपेक्षित हैं, फिर से उपेक्षा की जाएगी। इसलिए मैंने इन क्षेत्रों पर यह कह कर विशेष बल दिया है कि कानून के उपबन्धों को लागू करते समय सामाजिक तथा शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े वर्गों और दूर-दराज, ग्रामीण तथा पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वालों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : विधेयक का पूरा नाम इस प्रकार है :

"देश की शिक्षा व्यवस्था में मुक्त विश्वविद्यालय और दूर-शिक्षा पद्धति के प्रारम्भ और संवर्धन के लिए तथा ऐसी पद्धतियों में स्तरमानों के समन्वय और अवधारण के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना और निगमन के लिए विधेयक"

यदि मैं माननीय सदस्य के संशोधन को स्वीकार करता हूं तो इससे यहां दी गई परिभाषा का क्षेत्र संकुचित हो जाएगा। इसलिए मैं समझता हूं कि बेहतर यही है कि इसे उतना ही व्यापक बना रहने दिया जाए जितना कि यह है। अन्य स्थानों पर हमने इस पहलू की चर्चा की है, यह इसके लिए स्थान नहीं है।

**सभापति महोदय** : अब मैं श्री डी० बी० पाटिल के संशोधन को सभा में मतदान के लिए रखता हूं।

**संशोधन संख्या 8 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**श्री कृष्ण चन्द्र पंत** : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

**6.45 म० प०**

## प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक

**[अनुवाद]**

**सभापति महोदय** : अब हम प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक लेंगे।

**नौवहन और परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी)** : **महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं :**

"प्रकाश स्तम्भ अधिनियम, 1927 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए"

महोदय, मैं नहीं समझता कि विधेयक के मुख्य प्रयोजनों पर मुझे विस्तार से बताने की आवश्यकता है। उद्देश्यों और कारणों के कथन में इन्हें पूरी तरह से ही बताया गया है।

1927 तक भारत में प्रकाश स्तम्भ प्रशासन की पद्धति प्रशासन और वित्त के भिन्न तरीकों के साथ स्थानीय प्रबन्ध के रूप में ही थी। भारत में प्रकाश स्तम्भ के निमन्त्रण, रखरखाव और व्यवस्था से सम्बन्धित कानून में संशोधन करने तथा इसे समेकित करने के लिए भारतीय विधानमंडल द्वारा प्रकाश स्तम्भ अधिनियम, 1927 पारित किया गया था। यह अधिनियम 1 अप्रैल, 1929 से

लागू हुआ। इस अधिनियम के उपबन्धों के अनुसार उन प्रकाश स्तम्भों को, जो सामान्य जहाजरानी के लाभ के लिए हैं, "सामान्य" प्रकाश स्तम्भ के रूप में वर्गीकृत किया गया है जबकि उन प्रकाश-स्तम्भों को, जो उन जलयानों के लाभ के लिए हैं जोकि एक विशेष जगह तक जाते हैं, "स्थानीय" प्रकाश स्तम्भ के रूप में स्वीकृत किया गया हैं। "सामान्य" प्रकाश स्तम्भों को प्रबन्ध की शक्ति केन्द्रीय सरकार में निहित है जबकि "स्थानीय" प्रकाश स्तम्भों के प्रबन्ध की जिम्मेदारी समुद्री क्षेत्र से सम्बन्धित राज्य सरकारों, पत्तन न्यासों आदि की है। "प्रकाश स्तम्भ" विषय से सम्बन्धित मामले दीप घर और दीप पोत विभाग के माध्यम से मेरे मन्त्रालय द्वारा निपटाये जाते हैं। इस विभाग का प्रभुत्व अधिकारी महानिदेशक, दीप घर और दीप पोत है जो भारत में दीप घरों और दीप पोतों का मुख्य निरीक्षक भी है। "सामान्य" प्रकाश स्तम्भों के प्रशासन के प्रयोजन के लिए भारत की तट रेखा को 6 प्रकाश स्तम्भ जिलों में बांटा गया है जिसका प्रत्येक जिला दीप घर और दीप पोत निदेशक के नियन्त्रण में है तथा जिसके जामनगर, बम्बई, कोचीन, मद्रास, कलकत्ता और पोर्ट ब्लेयर में मुख्यालय हैं।

प्रकाश स्तम्भ अधिनियम में बताई गई भारत सरकार की नीति यह है कि प्रकाश स्तम्भ सेवा को आत्म-निर्भर होना चाहिए और "सामान्य" प्रकाश स्तम्भों के रख-रखाव तथा व्यवस्था पर खर्च नौवहन पर लगाये जाने वाले प्रकाश-शुल्क से किया जाना चाहिए। प्रकाश स्तम्भ अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत भारत के पत्तनों में आने और जाने वाले जलयानों से प्रकाश-शुल्क तदनुसार वसूल किया जाता है। प्रकाश-शुल्क की वर्तमान दरें इस प्रकार हैं :

(क) पाल जलयानों के अलावा समुद्र में जाने वाले सभी जलपोत — 1.50 रु० प्रति टन

(ख) पाल जलयान — 6 पैसे प्रति टन

1976 के अधिनियम संख्या 37 द्वारा यथासंशोधित धारा 10 की उपधारा (1) केन्द्रीय सरकार को अधिक से अधिक 1.50 रुपए प्रति टन की वह दर निर्धारित करने का अधिकार देती है। जिसपर प्रकाश शुल्क देय होगा। तदनुसार प्रकाश स्तम्भों की दरें 24-8-1978 से उपर्युक्त अधिकतम सीमा तक बढ़ाई गई थीं। और प्रकाश शुल्क (लाइट ड्यूज) से वर्तमान वार्षिक राजस्व 9 करोड़ रुपए का है। हालांकि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह तथा लक्षद्वीप के दूर-दराज के द्वीप समूह सहित पूरे देश की तट रेखा के साथ-साथ बढ़े हुए नौचालन साधनों की स्थापना तथा रख-रखाव/परिचालन की लागत में सभी तरह से वृद्धि के कारण दीप घर तथा दीप पोत विभाग की वित्तीय स्थिति खराब हो गई है। इसलिए अधिनियम की धारा 10(1) में संशोधन करने का प्रस्ताव है, ताकि धारा (9) में उल्लिखित प्रयोजनों के लिए व्यवस्था करने के लिए ऐसी दरें, जो आवश्यक हैं, निर्धारित करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सरकारी राजपत्र में अधिसूचना द्वारा शक्ति प्रदान की जा सके। जिस पर प्रकाश शुल्क (लाइट ड्यूज) देय होगा। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई इस प्रकार की प्रत्येक अधिसूचना के लिए भी प्रस्तावित संशोधन में व्यवस्था है जिसे संसद के प्रत्येक सदन में रखा जाएगा और यदि अधिसूचना में कोई संशोधन करने के लिए दोनों सदन सहमत हो जाते हैं तो उक्त अधिसूचना उस प्रकार संशोधित किए गए रूप में ही लागू होगी।

अधिनियम में एक नई धारा 8-क अन्तःस्थापित करने का भी प्रस्ताव है जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि प्रकाश स्तम्भों की ओर समुद्र तट पर बड़े वृक्षों के लगाने, भवन निर्माण, आदि के द्वारा प्रकाश स्तम्भों के निर्बाध रूप से निरन्तर कार्य करने में कोई रुकावट न आए।

प्रकाश शुल्क लगाने के प्रयोजन के लिए पोत का टन भार अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार व्यापार पोत अधिनियम, 1958, के अन्तर्गत अर्थात शुद्ध पंजीकृत टन भार माना जा रहा है। अत: रेल पर ले जाये जाने वाले माल या डेक पर डिब्बों में ले जाये जाने वाले माल पर कोई प्रकाश शुल्क नहीं लगाया जा सकता है। माल को डिब्बों में ले जाने और डेक माल के रूप में डिब्बे ले जाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को देखते हुए इस प्रकार के डेक माल के सम्बन्ध में प्रकाश शुल्क की वसूली न करने के कारण राजस्व की हानि को दूर करने के लिए अधिनियम में उपयुक्त उपबन्ध करना आवश्यक हो गया है। इसलिए अधिनियम की धारा 12(1) में आवश्यक संशोधन करने का प्रस्ताव है।

अधिनियम में प्रस्तावित शेष संशोधन प्रक्रियात्मक किस्म के हैं तथा उनका अधिक महत्व नहीं है।

**सभापति महोदय** : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि प्रकाश स्तम्भ अधिनियम 1927 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

अब श्री पूर्ण चन्द्र मलिक बोलेंगे।

***श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** (दुर्गापुर) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने इस प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) विधेयक को समुद्र में जाने वाले पोतों तथा अन्य पाल पोतों पर शुल्क बढ़ाने के प्रयोजन से और प्रकाश स्तम्भों के कार्यकरण का पर्यवेक्षण करने और उसे सुधारने के लिए उपयुक्त अधिकारियों को नियुक्त करने हेतु अधिक शक्तियां देने के लिए पेश किया है। यह उचित है कि कीमतों में निरन्तर हो रही वृद्धि और मुद्रास्फीति के देखते हुए प्रकाश स्तम्भों के लिए शुल्क को बढ़ाया जाना चाहिए। शुल्क की वर्तमान दर बहुत कम है और इसका लाभ अधिकांशत: विदेशी नौवहन कम्पनियों तथा भारतीय नौवहन कम्पनियों के मालिक उठा रहे हैं। इसलिए सरकारी राजस्व को बढ़ाने और प्रकाश स्तम्भों के कर्मचारियों को बेहतर सेवा सुविधायें देने के लिए प्रकाश स्तम्भों के लिए शुल्क और कर बढ़ाने में सरकार की कार्यवाही उचित ही है।

लेकिन महोदय, इस समय लिया जाने वाला व्यय शुल्क भी भली भांति वसूल नहीं किया जा रहा है। इसका कारण यह है कि इस समय कर्मचारियों की संख्या अपर्याप्त है। अत: मेरी मांग यह है कि प्रकाश स्तम्भों की संख्या में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। हमारे देश के तटीय क्षेत्रों में कई हजारों मछुये हैं जो अपने जीवन निर्वाह के लिए मछली पकड़ने के लिए अपनी छोटी नावों में समुद्र में जाते हैं। हमने देखा है कि प्रकाश स्तम्भों की कमी के कारण उनमें से कई खराब मौसम में मार्ग भूल जाते हैं और समुद्र में खो जाते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता। कई मछुए मर जाते हैं। पश्चिम बंगाल के 24-परगना जिले में बक्खाली नामक एक स्थान है जो सुन्दरवन क्षेत्र में है। यह बंगाल की खाड़ी में एक बहुत महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र है। इस क्षेत्र में लगभग 2000 मछली पकड़ने की नौकाएं हैं जो मछली पकड़ने हेतु समुद्र में जाती हैं। हमें समाचार प्राप्त हुए हैं कि उनमें से कई लोग खराब मौसम के कारण रास्ता भूल गए तथा कईयों ने जानें भी गंवाई हैं। इसी तरह की स्थिति देश के कई अन्य

*बंगाली में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

भागों में विद्यमान है । यदि और प्रकाश स्तम्भों का निर्माण किया जायेगा तो एक ओर तो इन हजारों मछुआरों को लाभ होगा तथा दूसरी ओर तटीय क्षेत्रों में इन मछली पकड़ने वाली नौकाओं और अन्य छोटे पाल जलयानों पर कम शुल्क लगा करके सरकार अपना राजस्व भी बढ़ा सकती है ।

इस विधेयक का उद्देश्य ऊंची इमारतों के निर्माण को विनियमित करना तथा प्रकाश स्तम्भों के सामने बड़े पेड़ों के लगाने को रोकना है ताकि प्रकाश स्तम्भों के कार्यकरण में बाधा और रुकावट न आ सके । इस उद्देश्य को सभी का समर्थन मिलना चाहिए ।

मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या विधेयक में उल्लिखित सभी चार प्रकाश स्तम्भ जिलों में कर्मचारियों के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण सुविधाएं तथा आधुनिक उपकरण उपलब्ध हैं । इस पहलू पर ध्यान देना आवश्यक है और प्रकाश स्तम्भों को देखने के लिए पर्याप्त कर्मचारियों को नियुक्त किया जाना चाहिए ।

मैं माननीय मंत्री से यह भी जानना चाहता हूं कि प्रकाश स्तम्भों के बारे में संसद की प्राक्कलन समिति द्वारा की गई कितनी सिफारिशों को अभी तक कार्यान्वित किया गया है ? विशेष रूप से कलकत्ता पत्तन के बारे में प्राक्कलन समिति ने यह सुझाव दिया है कि कलकत्ता में आधुनीकृत प्रकाश-स्तम्भ कार्यशाला को तुरन्त स्थापित किया जाये । प्राक्कलन समिति ने इस तरह की कई सिफारिशें की थीं । इसलिए मैं जानना चाहता हूं कि उनमें से कितनी कार्यान्वित की गई हैं । मैं माननीय मंत्री से आशा करता हूं कि वह तथ्यों की सप्लाई करेंगे ।

सभापति महोदय, हमें याद रखना चाहिए कि प्रकाश स्तम्भ हमारे समुद्री व्यापार और हमारे देश की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं । इसलिए हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रकाश स्तम्भों के मजदूर और कर्मचारी अपनी व्यावसायिक विशेषज्ञता में निरन्तर सुधार कर सकें । यह बहुत आवश्यक है लेकिन मुझे कहते हुए दु ख होता है कि यह कभी-कभी होता है । अपेक्षित लोगों को भर्ती नहीं किया जा रहा है और इन स्थापनाओं का अपेक्षित आधुनिकीकरण नहीं किया गया है । अधिक तथा उन्नत किस्म के प्रकाश स्तम्भों का निर्माण नही किया जा रहा है । सरकार को इस स्थिति से अवगत होना चाहिए ।

महोदय, हाल ही में दो भारतीय जलयानों के लापता होने से हमें बहुत दुःख हुआ है । यह समाचारपत्रों में छपा था और हमारे माननीय मंत्री भी जानते हैं कि हाल ही में दो जलयान लापता हो गए थे, जिनका कुछ भी पता नहीं लग सका । बाद में हमने देखा कि इन जलयानों के मालिकों को मुआवजा दिया गया था । परन्तु उन 45 नाविकों का क्या हुआ जो उन जलयानों में थे ? उनके परिवार उन पर आश्रित थे । किसी ने भी उनके लिए चिन्ता व्यक्त नहीं की और उन्हें किसी प्रकार का मुआवजा नहीं दिया गया । मैं माननीय मंत्री से अपील करता हूं कि वह इस घटना की जांच करें ।

महोदय, इस विधेयक का उद्देश्य बहुत प्रशंसनीय है । मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वह प्रकाश स्तम्भों के बारे में प्राक्कलन समिति द्वारा की गई सिफारिशों को लागू करें । कई सिफारिशों को अभी भी कार्यान्वित करना है । मैं पुनः यह भी कहना चाहता हूं कि पश्चिम बंगाल के 24-परगना जिले में बक्खाली में एक प्रकाश स्तम्भ का निर्माण किया जाए जोकि एक महत्वपूर्ण पर्यटक केन्द्र है और जहां 2000 मछली पकड़ने की नौकाएं प्रतिदिन समुद्र में जाती हैं तथा वहां मछुओं की जान खतरे में हैं क्योंकि वे गहरे समुद्र में डूब जाते हैं । हमारे देश में मछुआ समुदाय तथा गरीब मछुओं के हित में भारतीय द्वीपों पर और पूरे देश में सभी तटीय क्षेत्रों पर और अधिक

प्रकाश स्तम्भों का निर्माण किया जाना चाहिए। इसके साथ महोदय मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

**7.00 म० प०**

**श्री जियाउर्रहमान अंसारी** : महोदय, वर्तमान विधेयक का बहुत सीमित क्षेत्र है। फिर भी, माननीय सदस्य ने प्रकाश स्तम्भों तथा दीप पोतों के, जोकि पाल-जलयानों की सुरक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कार्यकलाप बढ़ाने के लिए इस विधेयक को पेश करने के लिए सरकार की प्रशंसा की है। उन्होंने इसकी भी प्रशंसा की है कि हम ऊंची इमारतों के बनाने, बड़े वृक्षों के लगाने आदि के कार्य को विनियमित कर रहे हैं जोकि प्रकाश स्तम्भों के कार्यकरण के रास्ते में बाधक हो सकते हैं और कुछ रुकावटें पैदा हो सकती हैं।

जहां तक अधिक संख्या में प्रकाश स्तम्भों के निर्माण करने के प्रश्न का सम्बन्ध है हम इस प्रयोजन से इस विधेयक के माध्यम से प्रस्ताव कर रहे हैं कि सरकार की प्रकाश-शुल्क बढ़ाने का अधिकार दिया जाना चाहिए। वर्तमान स्थिति यह है कि हम किसी भी तरह से इन प्रकाश स्तम्भों तथा दीप पोतों का कुछ ऋण और कुछ अनुदानों द्वारा रख-रखाव कर रहे हैं। जब तक हम प्रकाश-शुल्क को नहीं बढ़ाएंगे, और राजस्व नहीं बढ़ेगा तब तक हमारे लिए वर्तमान प्रकाश स्तम्भों तथा दीप पोतों को बढ़ाना या उनका रख-रखाव करना मुश्किल होगा।

ये प्रकाश स्तम्भ और दीप पोत पाल पोतों और पाल जलयानों तथा उन पोतों की, जो गहरे समुद्र में जाते हैं, सुविधा के लिए हैं।

जहां तक उन मछुओं की सुविधाओं का सम्बन्ध है जो छोटी नौकाओं के साथ गहरे समुद्र में जाते हैं तो यह राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है कि वे उनके हितों को देखें, परन्तु, हालांकि यदि प्रकाश स्तम्भ हों तो इनसे भी उनको लाभ होगा। मई, 1951 में प्राक्कलन समिति की प्रकाश स्तम्भों के बारे में प्रमुख सिफारिशें लागू कर दी गई हैं, और इस विधेयक के पारित किए जाने के पश्चात् हम प्रकाश स्तम्भों के कार्य में सुधार करने की स्थिति में होंगे।

**श्री पूर्ण चन्द्र मलिक** (दुर्गापुर) : मैं प्राक्कलन समिति 1956-57 की सिफारिशों के विषय में कह रहा था।

**श्री जियाउर्रहमान अंसारी** : मेरे पास प्राक्कलन समिति का वर्ष 1951 से सम्बन्धित प्रतिवेदन है। मुझे 1956-57 के प्रतिवेदन के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक पर सदन में विचार किए जाने की सिफारिश करता हूं।

**सभापति महोदय** : प्रश्न यह है :

"प्रकाश स्तम्भ अधिनियम, 1927 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**सभापति महोदय** : सदन अब विधेयक पर खंडवार विचार आरम्भ करेगा।

प्रश्न यह है :

"कि खंड 2 से 9 विधेयक के अंग बनें।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

**खंड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिए गए।**

**खंड 1, अधिनियमन सूत्र और विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिया गया।**

**श्री जियाउर्रहमान अंसारी :** मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**सभापति महोदय :** प्रश्न यह है :

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

**प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।**

---

**7.05 म० प०**

## स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ विधेयक

[अनुवाद]

**सभापति महोदय :** अब हम मुद्दा संख्या 11, स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ विधेयक पर चर्चा करेंगे।

**वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) :** श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की ओर से मैं प्रस्ताव करता हूं :*

"कि स्वापक औषधियों से सम्बन्धित विधि का समेकन तथा संशोधन करने के लिए स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों से सम्बन्धित संक्रियाओं के नियंत्रण और विनियमन के लिए तथा उनसे संबंधित विषयों के लिए कड़े उपबन्ध करने के लिए विधेयक पर विचार किया जाए।"

अफीम तथा अन्य स्वापक औषधियों (भांग को छोड़कर) पर भारत में पहले ही मुख्यत: तीन केन्द्रीय कानूनों यानी अफीम अधिनियम, 1857, अफीम अधिनियम, 1878 और अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1980 द्वारा सांविधिक नियंत्रण रखा गया है। चरस, गांजा आदि पैसे भांग द्रव्य समूह पर राज्य सरकारों द्वारा लागू किए गए कानूनों द्वारा नियंत्रण रखा जाता है। कई वर्षों से राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अवैध मादक द्रव्यों के व्यापार तथा मादक द्रव्यों के दुरुपयोग में वृद्धि से वर्तमान नियमों में बहुत-सी त्रुटियां पाई गई हैं। कुछ मुख्य त्रुटियां ये हैं, कम दण्ड का प्रावधान विशेषकर मादक-द्रव्यों के अवैध व्यापार के सम्बन्ध में, जो तस्करी सुसंगठित गिरोहों की चुनौतियों को स्वीकार करने में पर्याप्त रूप से प्रभावी नहीं हैं, मन:प्रभावी पदार्थों पर, जिनमें नई औषधियों का दुरुपयोग आता है, प्रभावशाली नियंगण के लिए व्यवस्था का अभाव, स्वापक औषधियों और मन:प्रभावी पदार्थों से सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रीय समझौतों को, जिनपर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं, लागू करने के लिए पर्याप्त व्यवस्था का अभाव है।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत।

महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि हाल के वर्षों में भारत स्वापक औषधियों के अवैध व्यापार के लिए पारागमन देश बन गया है। भौगोलिक रूप से भारत दो अवैध औषधियां उत्पन्न करने वाले देशों के बीच फंस गया है, यानी निकट तथा मध्य पूर्व तथा दक्षिण पूर्व एशिया और यहां से ये औषधियां हमारे देश के रास्ते चोरी-छिपे विशेषकर पश्चिमी देशों को ले जाई जाती हैं। विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हाल ही की सूचनाओं से पता चलता है कि देश में इन औषधियों से दुरुपयोग में वृद्धि हुई है। अतः यदि इन औषधियों के अवैध व्यापार तथा उसके दुरुपयोग में हुई वृद्धि का मुकाबला करने के लिए कठोर कदम नहीं उठाए जाते हैं, स्थिति और भी खराब हो सकती है। महोदय, सरकार वर्तमान कानूनों में त्रुटियों और अपर्याप्तताओं को दूर करने और विशेषकर स्वापक औषधियों के व्यापार को रोकने के लिए निवारक दण्ड की व्यवस्था करने के प्रति पूर्ण रूप से अभिज्ञ है। माननीय सदस्यों को याद होगा कि बढ़ते हुए अवैध व्यापार की स्थिति पर एक ध्यानाकर्षण सूचना के दौरान 7-8-1985 को सभा में चर्चा हुई थी और आश्वासन दिया गया था कि इस सत्र के दौरान एक व्यापक विधेयक संसद के समक्ष लाया जाएगा। वर्तमान विधेयक भी संसद के दिए गए उस आश्वासन की पूर्ति है।

विधेयक का उद्देश्य स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थों से सम्बद्ध एक व्यापक विधेयक लागू करना है, जो अन्य बातों के साथ-साथ स्वापक औषधियों से सम्बन्धित वर्तमान नियमों को संघटित करेगा और उनका संशोधन करेगा, औषधियों पर वर्तमान नियंत्रण को कठोर बनाएगा, विशेषकर अवैध व्यापार के अपराधों के लिए दण्ड में व्यापक रूप में वृद्धि करेगा, मन:प्रभावी पदार्थों पर प्रभावशाली नियन्त्रण के लिए प्रबन्ध करेगा और स्वापक औषधियों तथा मन:प्रभावी पदार्थों सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलनों की सिफारिशों को, जिनमें भारत भी साझेदार बन गया है, लागू करने के लिए प्रबन्ध करेगा। यह विधेयक अफीम तथा अन्य स्वापक औषधियों से सम्बद्ध वर्तमान तीन अधिनियमों यानी, अफीम अधिनियम, 1857, अफीम अधिनियम, 1878 तथा अनिष्टकर मादक द्रव्य अधिनियम, 1930 को रद्द कर देगा।

विधेयक की योजना के कार्यक्रम के अन्तर्गत अफीम पोस्त की खेती, अफीम का उत्पादन ऐल्केलाइड का निर्माण, चिकित्सा तथा वैज्ञानिक उद्देश्यों के लिए अफीम तथा ऐल्केलाइड (क्षारोद) का निर्यात पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियन्त्रण तथा विनियमन जारी रहेगा। केन्द्रीय सरकार का नियंत्रण उत्पाद अन्य उत्पादिक स्वापक औषधियों पर भी होगा। इसके अतिरिक्त विधेयक केन्द्रीय सरकार को मन:प्रभावी पदार्थों, जिनका आज दुरुपयोग होने लगा है, के विभिन्न प्रयोगों पर नियंत्रण का अधिकार देता है। सभी स्वापक औषधियों तथा मन:प्रभावी पदार्थों का भारत में आयात तथा भारत से बाहर निर्यात का विनियमन तथा उस पर नियन्त्रण होगा।

राज्य सरकारों को मुख्य रूप से केवल स्वापक औषधियों के सम्बन्ध में राज्यों के भीतर क्रियाकलाप जैसे उन्हें अपने पास रखना, लाना-ले जाना, क्रय-विक्रय करना, अन्तर्राज्यीय यातायात, उपयोग आदि पर नियन्त्रण तथा उनके विनियमन का अधिकार दिया गया है। मोटे तौर पर वर्तमान विधेयक के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार के बीच नियन्त्रण क्षेत्र का बंटवारा उसी प्रकार बनाए रखा गया है।

भांग संवर्ग के औषधि समूह चरस, गांजा आदि को राज्यों के अन्दर लाने ले जाने को इस विधेयक द्वारा पहली बार केन्द्रीय अधिनियम के अन्तर्गत लाया जा रहा है। इस विधेयक की योजना के अन्तर्गत राज्यों को तथा अन्य परिचालनों के लिए गांजा बनाने के लिए तथा उसके अन्य उत्पाद

तैयार करने के लिए भांग की खेती पर नियंत्रण तथा उसे विनियमित करने का अधिकार दिया जाएगा। फिर भी चरस पर पूरी तरह प्रतिबन्ध लगा रहेगा। मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि जहां हमने प्रस्तावित विधान में चरस के अतिरिक्त गांजा सम्मिलित किया है, वहां हमने भांग को इस विधेयक की परिधि से बाहर रखा है।

विधेयक में एक उपबन्ध रखा गया है, जो राज्य के ऐसे कानूनों अथवा नियमों की विधि मान्यता की रक्षा करता है अथवा जिनमें भांग की खेती अथवा किसी भी स्वापक औषधि अथवा मन:प्रभावी पदार्थ के उपयोग या व्यापार पर इस प्रस्तावित विधेयक से अधिक प्रतिबन्ध लगाया गया हो या अधिक सजा का प्रावधान किया गया हो।

दण्ड के संबंध में हमने आंत्रिक तथा अन्तर्राष्ट्रीय दोनों प्रकार के अवैध व्यापार के लिए कठोर दण्ड देने के उपबन्ध किए हैं। विधेयक में ऐसे अपराधों के लिए 10 वर्ष के कठोर कारावास के न्यूनतम दण्ड की व्यवस्था की है जिसे 20 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है और न्यूनतम जुर्माना एक लाख अथवा दो लाख रुपये तक किया जा सकता है। इस प्रकार के बार-बार किए जाने वाले अपराधों के संबंध में प्रस्तावित विधेयक में 15 वर्ष के कठोर कारावास के न्यूनतम दण्ड की व्यवस्था की गई है जिसे 30 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है और साथ ही डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना भी हो सकता है जिसे 3 लाख रुपये तक बढ़ाया जा सकता है।

जबकि उपर्युक्त दण्ड विभिन्न स्वापक औषधियों (चरस अथवा हशीश समेत) तथा मन:-प्रभावी पदार्थों के लिए दिए जा सकेंगे, भांग तथा गांजा की खेती करने पर प्रस्तावित विधेयक में 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए कठोर कारावास तथा 50,000 रुपये के अधिकतम जुर्माने की व्यवस्था है। इसी प्रकार के बार-बार किए गए अपराधों के सम्बन्ध में कठोर कारावास 10 वर्ष तक तथा जुर्माना 1 लाख रुपए तक बढ़ा दिया जा सकता है।

दण्ड के संबंध में हमने स्वापक औषधियों का दुरुपयोग करने वालों तथा स्वापक औषधियों के आदी लोगों के लिए एक अलग उपाय की व्यवस्था की है। कोकीन, मारफिया अथवा हीरोइन अथवा किसी अन्य अधिसूचित स्वापक औषधि अथवा मन:प्रभावी पदार्थ के उपभोग अथवा अपने व्यक्तिगत उपयोग के लिए इन्हें गैरकानूनी तौर पर अपने पास छोटी मात्रा में रखने पर एक वर्ष का कारावास अथवा जुर्माना दोनों भुगतने होंगे। जब किसी आदी व्यक्ति को किसी स्वापक औषधि अथवा मन:प्रभावी पदार्थ के उपभोग अथवा निजी प्रयोग के लिए अपने पास छोटी मात्रा में रखने का अपराधी पाया जाता है तो यह सुझाव है कि न्यायालय को यह अधिकार होगा कि अपराधी को नशा छोड़ने आदि के लिए चिकित्सा करवाने हेतु परिवीक्षा पर छोड़ दिया जाए।

विधेयक में एक उपबन्ध यह भी है, केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को औषधियों के आदी व्यक्तियों की पहचान तथा उनके इलाज आदि के लिए केन्द्र स्थापित करने का अधिकार होगा।

प्रवर्तन के क्षेत्र में तथा छानबीन, माल पकड़ने, गिरफ्तार करने आदि के काम में केन्द्रीय तथा राज्य दोनों की प्रवर्तन एजेंसियों, वर्तमान विधियों के अन्तर्गत आवश्यक अधिकारों का प्रयोग करते हैं। केन्द्रीय तथा राज्य एजेंसियों को प्रवर्तन के ये प्राप्त अधिकार जारी रहेंगे तथा कुछ अन्य केन्द्रीय एजेंसियों को भी शामिल किया जाएगा, जिसके परिणामस्वरूप सीमा-शुल्क, उत्पाद-शुल्क, स्वापक औषधियां, राजस्व आसूचना, सीमा सुरक्षा बल, पुलिस, (सी० बी० आई० समेत), औषधि नियंत्रण, राज्य उत्पाद-शुल्क, राजस्व आदि को प्रवर्तन के अधिकार सौंप दिए जाएंगे। केन्द्रीय एजेंसियां, जिन्हें स्वापक औषधियों के संबंध में वर्तमान केन्द्रीय विधियों के अन्तर्गत अपराधों की जांच करने का

अधिकार प्राप्त नहीं है उन्हें इन उद्देश्यों के लिए प्रस्तावित विधान के अन्तर्गत अधिकार दिया जाएगा।

विधेयक में यह उपबन्ध भी है जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार एक ऐसे प्राधिकार अथवा अनुक्रमिक प्राधिकारों का गठन करेगी जो केन्द्रीय सरकार के विशिष्ट अधिकारों का निर्वहन कर सकेंगे।

महोदय, मुझे विश्वास है कि विधेयक में प्रस्तावित उपबन्धों द्वारा, जिनका मैंने अपने भाषण में संक्षिप्त विवरण किया है, सरकार औषधियों के बढ़ते हुए अवैध व्यापार तथा उनके दुरुपयोग का ढंग से सफलतापूर्वक मुकाबला कर सकेगी।

महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं।

**सभापति महोदय** : प्रस्ताव स्वीकृत किया गया :

"कि स्वापक औषधियों से संबंधित विधि का समेकन तथा संशोधन करने के लिए स्वापक औषधियों तथा मनःप्रभावी पदार्थों से संबंधित संक्रियाओं के नियन्त्रण तथा विनियमन के लिए तथा उससे संबंधित विषयों के लिए कड़े उपबन्ध करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री डागा, क्या आप अपना संशोधन प्रस्तुत कर रहे हैं ?

**श्री मूल चन्द डागा** (पाली) : जी हां, मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि स्वापक औषधियों से सम्बन्धित विधि का समेकन तथा संशोधन करने के लिए स्वापक औषधियों तथा मनःप्रभावी पदार्थों से सम्बन्धित संक्रियाओं के नियंत्रण तथा विनियमन के लिए तथा उससे सम्बन्धित विषयों के लिए कड़े उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाए जिसमें 15 सदस्य हों, इस सभा से 10, अर्थात् :—

(1) श्री बसुदेव आचार्य

(2) श्री अमिताभ बच्चन

(3) श्री ए० चार्ल्स

(4) श्रीमती गीता मुखर्जी

(5) श्री शांताराम नायक

(6) श्री सी० माधव रेड्डी

(7) श्री एस० जयपाल रेड्डी

(8) श्री सलीम आई० शेरवानी

(9) श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह

(10) श्री मूल चन्द डागा

और राज्य सभा से 5,

कि संयुक्त समिति की एक बैठक गठित करने के लिए गणपूर्ति संयुक्त समिति के सदस्यों की समस्त संख्या का एक-तिहाई होगी;

कि समिति इस सभा को आगामी सत्र के प्रथम दिन तक प्रतिवेदन देगी;

कि अन्य मामलों में संसदीय समितियों सम्बन्धी प्रक्रिया नियम ऐसे परिवर्तनों और रूप भेदों के साथ लागू होंगे जो कि अध्यक्ष द्वारा किए जायें; और

कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह उक्त संयुक्त समिति में सम्मिलित हो और संयुक्त समिति में राज्य सभा द्वारा नियुक्त किए जाने वाले 5 सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करे।"

[हिन्दी]

**श्री मनोज पांडे** (बेतिया) : सभापति महोदय, मैं नार्कोटिक ड्रग्स एण्ड साइकोट्रापिक सब्स्टान्सेस बिल, 1985 का तहेदिल से समर्थन करता हूं। आपको याद होगा, आज से कुछ दिन पहले इसी माननीय सदन में नार्कोटिक ड्रग्स के सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर विचार किया गया था। उसमें नार्कोटिक ड्रग्स का उल्लेख था, लेकिन साइकोट्रापिक सब्सटान्स का नाम नहीं था। उस समय नार्कोटिक ड्रग्स पर कई माननीय सदस्यों ने प्रकाश डाला था, तथा मंत्री जी ने उस समय कहा था कि हम एक काम्प्रिहैंसिव बिल लाने जा रहे हैं। यह बहुत प्रसन्नता का विषय है कि इतने कम समय में एक बहुत ही बढ़िया और काम्प्रिहैंसिव बिल माननीय मंत्री जी इस सदन में लाए हैं।

**श्री मूल चन्द डागा** : क्या आपने नार्कोटिक ड्रग्स को देखा है ?

**श्री मनोज पांडे** : मैंने देखा ही नहीं, बल्कि उसका ट्रीटमेंट भी किया है ! मैं जानता हूं कि वह क्या चीज होती है। इसलिए डागा साहब मैं जो बतला रहा हूं, उसको आप ध्यान से सुनें। सबसे पहले तो मैं उस प्लान्ट के बारे में कुछ बतलाना चाहता हूं। नार्कोटिक ड्रग्स के मुख्यत: तीन प्लान्ट्स होते हैं—एक ओपियम, दो-कैनेबिस, तीसरा कोका। ओपियम के डैरीवेटिव्ज और बहुत सारे एल्कालायड्स होते हैं, जिनमें मुख्यत: पैनेथरीन डैरीवेटिव्ज में तीन चीजें आती हैं—एक मॉर्फिन, कोडेन, थायाबीन। मॉर्फिन आज से पहले क्रूड फार्म में इस्तेमाल की जाती थी। पचास-साठ या सौ साल पहले प्लान्ट को ही खिला दिया करते थे। जब बहुत एक्सक्रूशियेटिंग पेन हो, उन कंडीशन्स में मॉर्फिन खिलाते हैं, लेकिन आज मॉर्फिन और मॉर्फिन के डैरीवेटिव्ज, जैसे आपने हैरोइन कहा, जो आज सिन्थेसाइज हो गई हैं, कैमिकली सिन्थेसाइज हो गई हैं, अब उनको क्रूड फॉर्म में नहीं लेते हैं, बल्कि कैमिकली उनको सिन्थैसाइज किया जा चुका है तथा उनका इस्तेमाल बहुत सारी कंडीशन्स में करते हैं। जैसे आपने हार्ट-अटैक का जिक्र किया, उसमें मॉर्फिन का प्रयोग होता है और डाक्टर्स उसमें मॉर्फिन प्रिस्क्राइब करते हैं। साइकोट्रोपिक जो ड्रग्स होते हैं, उनका भी इस्तेमाल आज बढ़ गया है। आज के मॉडर्न युग में जैसे-जैसे मॉडर्नाइजेशन हो रहा है, वैसे-वैसे टैंशन भी बढ़ रहा है। एक तरह से मॉडर्नाइजेशन का अभिशाप टैंशन है। जहां भी नवीकरण होगा वहां जाहिर है कि मिकेनाइजेशन के साथ-साथ टैंशन बढ़ता है और इस टैंशन को कम करने के लिए साइकोट्रोपिक ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं। आज की दुनिया में आपने देखा होगा और सुना होगा और पढ़ा भी होगा कि ज्यादातर यूजेज साइको-ट्रोपिक ड्रग्स के डाक्टर के प्रेस्क्रिपशन पर नहीं हुआ करते हैं। आज स्वयं लोग इतने जागरूक हैं कि दुकानदार से किसी न किसी रूप में इन ड्रग्स को हासिल करते हैं और इन ड्रग्स से आगे चल कर एडिक्ट होते हैं। आज दुनिया का सबसे घृणित, सबसे गिरा हुआ जो संदर्भ है, वह एडिक्शन है। एडिक्शन दो प्रकार का हुआ करता है। पहला तो एडिक्शन वह होता है, जिसे

साइकोलाजीकल डिपेन्डेंस कहते हैं। आप सिगरेट पीते हों या पान खाते हों और हमारे मुशरान साहब तो पान खाते हैं और जर्दा भी खाते हैं और मैं भी खाता हूं, यह जो डिपेन्डेंस है, यह साइकोलाजीकल डिपेन्डेंस है। साइकोलाजीकल डिपेन्डेंस को छोड़ने के बाद क्रिया-प्रतिक्रिया नहीं हुआ करती है। थोड़े दिन बेचैनी रहती है लेकिन वह बेचैनी एक-दो दिन में खत्म हो जाती है, अमूमन 24 घंटे से 48 घंटे में वह खत्म हो जाती है लेकिन सबसे बड़ी जो प्रतिक्रिया हुआ करती है, वह साइको-ट्रोपिक ड्रग्स और नरकोटिक ड्रग्स से होती है और इसमें फिजीकल डिपेन्डेंस हुआ करती है। फिजीकली आप डिपेन्डेंट हो जाते हैं उस ड्रग के प्रीत और यह सबसे खतरनाक मुकाम है किसी भी इन्सान के लिए। मोरफीन से अगर किसी को डिपेन्डेंस होती है फिजीकली, तो वह मोरफीन का इंजेक्शन लेता है। उसे मोरफीन चाहिए चाहे किसी भी रूप में मिले। इसके लिए वह कोई भी काम कर सकता है और किसी भी एडिक्शन की शुरुआत शोकिया हुआ करती है और शोकिया शुरूआत अन्त में जाकर उसकी जिन्दगी लेकर ही रहती है। यह मौत का पैगाम होता है।

सभापति महोदय, यह बहुत ही समझने की बात है कि फिजीकल डिपेन्डेंस बहुत-सी नरकोटिक ड्रग्स की और साइको-ट्रोपिक ड्रग्स की होती है, सब की नहीं होती है। बहुत-सी साइको-ट्रोपिक ड्रग्स जो इस लिस्ट में दी गई हैं जो कि यूनाइटेड नेशन्स कान्फ्रेन्स, न्यूयार्क, मार्च, 1961 और वीयना, फरवरी, 1971 की कन्वेशन्स के मुताबिक हैं, उनको इसके परव्यू में रखा गया है लेकिन इसमें ज्यादातर जो ड्रग्स हैं, जो मेडीसिन्स प्रस्क्राइब की गई हैं, उसमें फिजीकल डिपेन्डेंस हुआ करती है और आप इमेजिन करें, आप सोचें उस एडिक्ट के बारे में जो न्योरोटिक हो चुका है, फिजीकली डिपेन्डेंट हो चुका है उस ड्रग के प्रति और उसको हासिल करने के लिए वह अपने परिवार, परिवार के अन्य लोग और अड़ोम-पड़ोस और समाज की सारी व्यवस्थाओं को छोड़ कर, उनको ताक पर रखकर, कुछ भी कर सकता है। यहां तक कि वह किसी की जान भी ले सकता है और अपनी जान भी दे सकता है। इसी तरह से हेरोइन का टोक्सिक इफेक्ट होता है। हेरोइन में एल्यूजन होता है। पेशेंट समझता है कि वह हवा में उड़ रहा है। उसमें सेंस आफ वेलबींग होता है। वह समझता है कि वह बहुत अच्छा है और इसी एल्यूजन में कहीं सीढ़ी पर चढ़ रहा है, तो हो सकता है कि नीचे कूद जाए। ऐसा बहुत बार हुआ भी है। ज्यादातर हेरोइन एडिक्ट्स की ऊपर के जीने से नीचे कूदने के बाद मृत्यु हुई है। हेरोइन अडिक्ट्स का यह अन्तिम नतीजा है। जो हेरोइन अडिक्ट्स इससे बचते हैं उनका क्या फेट होता है? ज्यादातर फेट स्किजोफ्रेनिया का होता है। जब स्किजोफ्रेनिक पेशियेन्ट वर्स्ट करता है तो वह अपने आप में बहुत ही घृणित कार्य करता है और उससे वह बच नहीं सकता है। किसी स्किजो-फ्रेनिया का केस कभी माननीय सदस्यों को देखने को मिले तो उन्हें मालूम होगा। जब वह वर्स्ट करेगा तो सुसाईड के अलावा कोई दूसरा चारा उसके पास नहीं रहता है।

इस तरह के जो भी केसिज मेंटल होस्पिटल में या साइक्लोजिस्ट्स के पास रेफर होते हैं और जो उनको ट्रीट करते हैं वे जानते हैं। हम लोग भी जानते हैं क्योंकि हमने भी ट्रीटमेंट किया है। इस तरह के जो भी केसिज आते हैं वे समाज के लिए एक चुनौती हैं। यह बहुत ही अच्छा किया गया है कि अडिक्ट्स को हमने इस बिल से अलग रखा है क्योंकि आडिक्ट्स को डि-अडिक्ट कराने के लिए थोड़ी-थोड़ी मात्रा में औषधि उनको देनी पड़ती है और यह औषधि डाक्टर के प्रेस्क्रिप्शन पर देनी पड़ती है। इसके लिए लाएसैंसिज की जरूरत है।

इसमें सबसे जरूरी बात यह है कि हम इस चीज को समझें और इस रुख के प्रति जागरूक हों। यह बहुत ही आवश्यक था कि इस तरह का बिल आवे। इस बिल को मुख्यतः चार भागों में पढ़ें। पहले भाग में इन पदार्थों का आयात-निर्यात है। दूसरे देश से हमारे देश में इन पदार्थों का आने

और हमारे देश से दूसरी जगहों पर जाने का जो क्रम है, उस क्रम को रोकना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही आवश्यक है। इसके लिए इस बिल में सारे प्रावधान किये गये हैं जिससे कि उस क्रम को रोका जा सके। इस बारे में स्ट्रिंजैंट मेजर्स लेने की जरूरत है और वे लिये गये हैं। यह बहुत खुशी की बात है।

इस बिल का दूसरा जो बहुत ही आवश्यक पार्ट है वह है इसकी खेती। सभापति महोदय, मैं हिन्दुस्तान के उस हिस्से से आता हूं जो इण्डो-नेपाल बार्डर पर है। नेपाल में इसकी खेती बहुत जमकर होती है और नेपाल में इसकी खेती करने वाले किसान करोड़पति किसान हैं। जो इसकी खेती करते हैं उनको चार रूप में फायदा होता है।

ओपियम, केनेबीज और कोका ये तीन प्लांट्स हैं। इनमें से कोई भी प्लान्ट ऐसा नहीं जिससे कि चार तरह से फायदा न हो। इसमें प्लान्ट के फ्रूट से, प्लान्ट की लीव्ज से, प्लान्ट के स्टेम से और फिर प्लान्ट की जड़ से फायदा होता है। सभापति महोदय, क्या इस तरह की खेती के बारे में आपने सुना है कि जिसमें एक ही पदार्थ से चार तरह से फायदा होता हो? किसी और पदार्थ से चार तरह से फायदा आज तक नहीं सुना गया हैं।

सभापति महोदय, इस बात को जानना अत्यन्त आवश्यक है और मैं माननीय वित्त मंत्री जी से कहूंगा कि वे भी मेरी बातों को सुनें कि चार तरह से इस प्लान्ट में फायदा हुआ करता है। इसको पनपाने वाले, इसको जन्म देने वाले किसान नेपाल में करोड़पति से कम नहीं हैं। हमारे यहां भी कुछ ऐसे किसान हैं। (व्यवधान)

मुझे दो मिनट का समय और दीजिए। यह प्लान्ट इण्डो-नेपाल बार्डर पर पैदा किया जाता है।

[अनुवाद]

**सभापति महोदय** : कृपया समाप्त कीजिए।

[हिन्दी]

**श्री मनोज पाण्डे** : काफी मात्रा में यह प्लान्ट पैदा किए जाते हैं और इनको देश के अन्दर स्मगल किया जाता है। काफी हैण्डसम प्राइस इसकी मिला करती है और इसमें बहुत लोग लगे हुए हैं। इसमें छोटे से छोटे तबके से लेकर बड़े से बड़े तबके तक के लोग लगे हुए हैं और वहां के लोगों का यही आमदनी का मुख्य जरिया है।

सबसे पहले हमें उन नए लोगों को रास्ता दिखाना होगा, उस दिन अमिताभ जी भी कह रहे थे कि 4, 5, 7, 8 साल के बच्चे इस पदार्थ को खाते हैं।

**सभापति महोदय** : आप अपना भाषण अगले दिन भी जारी रख सकते हैं। अब हम सभा स्थगित करते हैं।

**7.32 म० प०**

**तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 28 अगस्त, 1985/6 भाद्र, 1907 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।**

मुद्रक : चौधरी मुद्रण केन्द्र, साऊथ मोजपुर, दिल्ली-53